द्वादश माला, खंड 9, अंक 18

गुरुवार, 18 मार्च, 1999
27 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT
No. 9...60
Date 22/9/2K

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

गयमेव जयते

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]

अंक 18, शुक्रवार, 18 मार्च, 1999/27 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321-324	3-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 325-340	33-110
अतारांकित प्रश्न संख्या 3341-3490	110-272
दिनांक 4 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1004 के उत्तर में वृद्धि करने वाला विवरण	272-273
सभा पटल पर रखे गए पत्र	273-281
राज्य सभा से संदेश	281-282
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	282
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
सातवां और आठवां प्रतिवेदन	282
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	283
राष्ट्रपति का संदेश	283
सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण से संबंधित सरकारी आदेशों का वापस लिया जाना	283-348
नियम 377 के अधीन मामले	349-355
(एक) उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री चिन्मयानंद स्वामी	349
(दो) उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर-अम्बेडकर नगर-आजमगढ़, जौनपुर राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री इन्द्रजीत मिश्र	349

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(तीन)	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को देय शेष धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	डा. महादीपक सिंह शाक्य	349–350
(चार)	शिकोहाबाद-बटेश्वर राजमार्ग पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुदयाल कठेरिया	350
(पांच)	उड़ीसा में तेल और प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए नौवीं योजना में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयन्ती पटनायक	350–351
(छह)	महाराष्ट्र राज्य में अनन्य महिला डेयरी सहकारी समितियों के गठन हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता	
	श्री मदन पाटील	351–352
(सात)	आन्ध्र प्रदेश के नेल्लौर में इफ्को द्वारा यूरिया उर्वरक परियोजना को स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती लक्ष्मी पनबाक	352
(आठ)	पश्चिम बंगाल में सियालदाह और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शताब्दी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री मोइनुल हसन	353
(नौ)	अड्डूर और पेराम्बूर दूरदर्शन रिले केन्द्रों से मलयालम कार्यक्रमों की प्रसारण अवधि बढ़ाने और केरल में कोट्टारकारा में एक रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चेंगारा सुरेन्द्रन	353–354
(दस)	ग्रामीण उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए रसोई गैस आपूर्ति प्रणाली का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	354
(ग्यारह)	महाराष्ट्र के अंधेरी विधान सभा क्षेत्र में मारोल में समस्त सुविधायुक्त डाक और तारघर स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मधुकर सरपोतदार	354–355
(बारह)	केरल के मलापुरम जिले में पोन्नई मत्स्य पत्तन के विकास हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
	श्री जी.एम. बनातवाला	355
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समय-सूची का अनुपालन करने की आवश्यकता के संबंध में टिप्पणी		355–356
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के संबंध में समिति के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव		357

लोक सभा

गुरुवार, 18 मार्च, 1999/27 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

कई माननीय सदस्य : आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : आपको उगाड़ी की शुभकामनाएं। महोदय, मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मामले, जिसे कल उठाया गया था, पर प्रश्न काल स्थगित करने के लिए सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. का मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के मामले में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : कल प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि वह वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिंदे, मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : महोदय, कृपया प्रश्न काल स्थगित कीजिए और उस मामले पर अपना विनिर्णय दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 321, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में गहरी आशंका है कि नई सरकार आरक्षण विरोधी कानून लागू कर रही है, इसे वापस नहीं कर रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने शून्य काल में एक मामला दिया है और उसमें यह दिया है कि बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पाण्डेयजी को बुलाया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अभी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप इसे प्रश्न काल के पश्चात् उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये कह रहे हैं कि उस समय जो उन्होंने अखबारों में बयान दिया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, अभी नहीं, बाद में यह सवाल उठाना।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आज हमारी सभा के वरिष्ठतम सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त का इक्यासीवां जन्मदिन भी है।

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, हमारी दुआ है कि उनके जीवन में यह सुखद दिन बारम्बार आये।

श्री बूटा सिंह : वह 100 वर्ष तक जिएं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रेल के अतिरिक्त कलपुर्जों का आयात

*321. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** :
श्री अशोक अर्गल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान रेल के अतिरिक्त कल-पुर्जों, सवारी डिब्बों, रेल इंजनों और अन्य संबंधित सामग्री के आयात पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के निर्माण इकाइयों को कितनी मात्रा के आर्डर दिए गए;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की निर्माण इकाइयों को दिए गए आर्डरों में कई वर्षों से कमी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

(क) और (ख) ब्यौरा इस प्रकार है:-

		1997-98	1998-99 जनवरी, 99 तक एवं अनंतिम (करोड़ रुपयों में)
(1)	रेल के कलपुर्जों, सवारी डिब्बों, रेल इंजनों और अन्य संबंधित सामग्री के आयात पर किया गया खर्च	291.23	426.37*
(2)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए क्रयादेशों की मात्रा	1692.00	1533.00

(ग) कुल क्रय की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से क्रय की मात्रा का प्रतिशत 1996-97 में 18% और 1997-98 में 21% था अर्थात् 1997-98 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से की जाने वाली खरीद में वृद्धि हुई। रेलें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से खरीद करने में उन्हें प्राथमिकता देने की सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति का अनुसरण करती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*यह वृद्धि मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से हुई:

(क) चलस्टॉक की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के खास्ते आयात करने के कारण, जिसका कुल मूल्य 149 करोड़ रुपए था और जिसके लिए पूर्व के वर्षों में आदेश दिए हुए थे, और

(ख) भारतीय रुपए की तुलना में अमरीकी डॉलर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या देश में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइस प्रिफरेंस न मिलने के कारण वे सम्बन्धित सामान के आर्डर प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में प्राइस प्रिफरेंस न मिलने वाली कम्पनियों का वर्षवार पूर्ण ब्यौरा क्या है? क्या देश में सार्वजनिक

कम्पनियों के आर्डर्स में कमी प्राइस प्रिफरेंस न मिलने के कारण उपक्रमों में ले-ऑफ या आर्थिक घाटे की समस्या आ गई है? यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम और पूर्ण ब्यौरा क्या है?

श्री नीतीश कुमार : सार्वजनिक उपक्रमों की किन कम्पनियों को आर्थिक घाटा कितना हो रहा है, उसका रेल मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है। इनको यह सवाल सम्बन्धित मंत्रालय से पूछना चाहिए।

जहां तक सवाल है, रेलवेज में पी.एस.यूज. से क्रय का, तो रेलवेज में पी.एस.यूज., से काफी परचेज होती हैं और इसके सम्बन्ध में कुछ फीगर्स भी दी गई हैं। इन्होंने जो 1997-98 और 1998-99 का व 1999 ब्यौरा मांगा था, 1997-98 की जनवरी की प्रोवीजनल फीगर्स मूल प्रश्न के उत्तर में दी जा चुकी हैं। अगर हम अपनी पूरी परचेजेज को देखें तो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा इनका है। जैसे 1996-97 में जितनी परचेज रेलवे के द्वारा की गई हैं, उसका 18 प्रतिशत पी.एस.यूज. के द्वारा हुआ है।

यह 1997-98 में बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया है। जहां तक पचेर्जज प्रिफेंस की बात है, भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफ पब्लिक इंटप्राइसेज के आर्डर्स के हिसाब से समय-समय पर उनको प्रिफेंस दी जा रही है। पहले उनको प्राइस प्रिफेंस भी था, लेकिन वह छह-सात साल पहले उठा लिया गया। उसके बाद पर्चेज प्रिफेंस मिला करता था, लेकिन 1997 में जब पर्चेज प्रिफेंस रिस्टोर की गई तब कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ यह लागू हुई, जिसमें यह प्रावधान है कि पांच करोड़ रुपए से अधिक की खरीद पर जो पी.एस.यूज, 20 प्रतिशत से ऊपर वेल्यू एडीशन करेंगे, उन पर यह लागू होगा। 1997 में इस तरह की पर्चेज प्रिफेंस पर यह रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई, जो अभी जारी है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : मंत्री महोदय ने बताया कि हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी आर्डर देते हैं और पर्चेज प्रिफेंस का मैटर रिस्टोर कर दिया गया है। रेलवे में वर्ष 1997-98 में 291.23 करोड़ रुपए के माल का आयात किया गया। 1998-99 में 426.37 करोड़ रुपए का आयात किया गया, जिसमें 1997-98 और 1998-99 में जितने अमाउंट का आयात किया गया, उसमें 1998-99 में 135.14 करोड़ रुपए का ज्यादा आयात किया गया। जबकि सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए आर्डर 1997-98 में 1692.00 करोड़ रुपए थे और 1998-99 में 1500.00 करोड़ रुपए के थे। इसमें बाद वाले वर्ष में 169 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया है। वर्तमान में जहां रेल्वे के उपकरण बनते हैं, जैसे सी.एल.डब्ल्यू. है, जहां इलेक्ट्रिक इंजन बनते हैं, डी.एल.डब्ल्यू. है, जहां डीजल इंजन बनते हैं, आर.सी.एफ. है, कपूरथला में कोच फैक्टरी है, जहां डिब्बे बनते हैं, अपने देश में जो फैक्टरीज हैं, उनको सरकार क्यों नहीं आर्डर देती और क्यों नहीं उनके द्वारा सामान मंगवाती?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, 1998-99 के फिगर्स प्रोविजनल हैं और जनवरी 1999 तक के ही प्रोविजनल फीगर्स दिए गए हैं। उसके हिसाब से जनवरी तक 1533 करोड़ रुपए के आर्डर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्लेस किए गए हैं। इस वर्ष के पूरा होने के बाद पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कमी होने का सवाल ही नहीं है, यह आंकड़ा बढ़ेगा। जहां तक आयात का सवाल है, मूल उत्तर में स्टेटमेंट में दिखाया गया है कि 149 करोड़ रुपए जो बढ़े हैं, उसका रुपए की कीमत से सीधा सम्बन्ध है। डालर के साथ रुपये की कीमत से भी सम्बन्ध है और रुपए की कीमत गिरी है, उसके चलते भी वृद्धि दिखाई दे रही है। दूसरा कारण यह है कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हमने कुछ आयात किया है, उसके चलते 149 करोड़ रुपए बढ़ गए है। खासतौर से ये वे आइटम्स हैं जो ए.बी.बी. लोको असेम्बलिंग यहां कर रहे हैं, उनके लिए चाहिए। पहला स्वदेशी इंजन बना कर निकाला गया है जिसमें मेकेनिकल कम्पोनेट स्वदेशी बना कर लगाए गए हैं, दूसरे हमने आठ पूरे सेट मंगवाए हैं, ये आर्डर दिसम्बर, 1996 में प्लेस किए गए थे, जो अब मेटीरियलाइज हुए। इसी तरह क्रेन का भी आर्डर पहले दिया गया था, जो अब मेटीरियलाइज हुआ है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, एक दिन तीन संसद सदस्यों ने माननीय मंत्री जी से भेंट की थी और उनसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और लघु इकाईयों को ऑर्डर दिये जाने में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कुछ अनुरोध किया था कुछ चर्चा भी हुई थी। मैं विस्तार में जाए बिना आपके माध्यम से जानना चाहती हूं क्या माननीय मंत्री जी हमारी उनके साथ हुई चर्चा के सम्बन्ध में कोई कदम उठा रहे हैं ताकि उन्हें अधिक ऑर्डर प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जरूरत के हिसाब से ऑर्डर प्लेस किये जाते हैं। जहां तक वैगन्स प्रोक्योरमेंट का सवाल है जो जनवरी में कट किया गया था उसे रैस्टोर कर दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विभिन्न रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में जानना चाहता हूं। मंत्रालय पर्याप्त धन खर्च कर रहा हैं। मंत्रालय करोड़ों रुपये के मूल्य के विभिन्न कलपुर्जों का आयात कर रहा है। मंत्रालय सभी इन चीजों को पूरा कर रहा है। आपको भी पता है कि यात्रियों को प्रदान की जा रही सुविधाएं दिन प्रतिदिन और वर्ष दर वर्ष कम होती जा रही हैं। यात्रा करने वाले लोगों की अपेक्षाओं को मंत्री महोदय किस प्रकार पूरा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न रेलवे के कलपुर्जों के आयात के सम्बन्ध में है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मूल सवाल इम्पोर्ट का है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी अनुपूरक प्रश्न अथवा किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह स्पेयर पार्ट्स का प्रश्न है, एमीनिटीज का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया : पिछले वर्ष मंत्रालय ने लगभग 426 करोड़ रुपये की लागत के रेलवे कलपुर्जों का आयात किया था जिसमें यात्रियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाएं भी सम्मिलित थी। मैं माननीय मंत्री जी से यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानना चाहता हूं। क्या यात्रा करने वाले लोगों के लिए सुविधाएं बनाए रखने के बारे में कोई योजना है जो पहले दी जा रही थीं?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कई चीजों के इम्पोर्ट होते हैं, जैसे लोकोमोटिव्स, वैगंस तथा कुछ कोचेज भी इम्पोर्ट किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा नहीं होता, सवाल यह है।

श्री नीतीश कुमार : अगर इनका कोई एमीनिटीज का सवाल है तो अलग से पूछ सकते हैं।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न था, आपने बड़ी होशियारी से उसे डाइवर्ट कर दिया। प्रश्न यह था कि दो वर्षों में रेलवे ने जो सामान खरीदा, वह पब्लिक अंडरटेकिंग्स से कितना प्रतिशत खरीदा है? इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि 1996-97 में 18 प्रतिशत सामान आपने खरीदा और 1997-98 में 21 प्रतिशत खरीदा। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि रेलवे जो भी सामान खरीदे, चाहे वह छोटा पुर्जा हो या रेल डिब्बा हो या कोई भी हो, पब्लिक अंडरटेकिंग्स को जिन्दा रखने के लिए कम से कम पचास प्रतिशत सामान उनसे खरीदा जाए। उसके अनुसार आपने माल क्यों नहीं खरीदा, इसकी क्या वजह है?

श्री नीतीश कुमार : जो भी परचेज होती है, वह भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार होती है। पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स का जो पहले प्राइस प्रेफरेंस था, आपकी सरकार ने उस प्राइस प्रेफरेंस को खत्म कर दिया।

श्री राजो सिंह : सरकार किसी की नहीं होती हैं। सरकार हमेशा किसी एक दल की नहीं होती।

श्री नीतीश कुमार : आप पुरी बात सुन लें। यह अकेले रेलवे का मामला नहीं है। जो परचेज पॉलिसी होती है, वह सरकार की पॉलिसी होती है। पी.एस.यूज. के बारे में समय-समय पर ऑर्डर निकलता रहा है लेकिन जो प्राइस प्रेफरेंस था, उसे खत्म कर दिया गया। परचेज प्रेफरेंस को भी मार्च 1997 में लैप्स कर दिया गया। फिर इसे नये सिरे से कुछ रैक्ट्रिक्शंस के साथ अक्तूबर 1997 में लागू किया गया जिसका मैंने उल्लेख कर दिया है।

सरकार द्वारा 1997 में जो परचेज प्रिफरेंस संबंधी घोषित नीति है, उसके हिसाब से सर्कूलर इशू किया गया। उसके हिसाब से पांच करोड़ रुपए से अधिक की परचेज में पब्लिक सैक्टर्स को प्रफेंस होगा तथा प्रफेंस होगा तब, जब वह 20 प्रतिशत के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के लिए वैल्यू एडीशन करते है। यह पालिसी है। उस समय की सरकार को आप समर्थन कर रहे थे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : महोदय, जमालपुर कारखाना रेलवे का सबसे पुराना कारखाना है, जो रेलवे के छोटे-मोटे पुर्जों की आपूर्ति कर सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, रेलवे का जमालपुर कारखाना कितने स्पेयर पार्ट्स तैयार करता है और उससे सरकार कितनी खरीद करती है? चार्ज यह है कि स्पेयर पार्ट्स मार्केट से खरीदे जाते हैं, जबकि सस्ता और अच्छा माल वह तैयार करके दे सकता है, तो फिर उनसे क्यों नहीं खरीदा जाता है?

श्री नीतीश कुमार : महोदय, रेलवे का जमालपुर कारखाना एक वर्कशाप है। इसके संबंध में आप कोई स्पैसिफिक बात जानना चाहें, तो मैं बता सकता हूं। यह प्रश्न ओवर-ऑल परचेज के बारे में इम्पोर्ट और पीएसयूज से संबंधित है। जमालपुर रेलवे का अपना वर्कशाप है। जरूरत के मुताबिक जमालपुर कारखाने की काफी काम दिया गया है। मैंने वहां विजीट भी किया है।

श्री पारसनाथ यादव : महोदय, उत्तर प्रदेश में मडवाडीह डीजल लोकोमोटिव की बुनियाद 1959 में हुई थी और पहला डीजल लोकोमोटिव 1965 में निकला। यह कारखाना डीजल इन्जन्स का एशिया में प्रमुख कारखाना माना जाता है। इस कारखाने के टैक्निशियन्स और इंजीनियर्स सक्षम हो चुके हैं और 1970-71 के बाद डीजल इंजन के लिए जितने पार्ट्स की आवश्यकता है, उतने पार्ट्स वे स्वयं बना सकते हैं। इसके बावजूद भी वहां के अधिकारी/कर्मचारी कमीशनखोरी के लिए इंजन के कलपुर्जों को विदेशों से मंगाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इसका कारण क्या है और वे इसकी जांच कराकर इसको रोकने की कृपा करेंगे?

श्री नीतीश कुमार : महोदय, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स रेलवे का अपना कारखाना है, जहां डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। डीजल इंजन में नई टैक्नोलाजी लाने के लिए फैसला पहले किया जा चुका है।

श्री पारसनाथ यादव : जब वह कारखाना सक्षम हो चुका है, तो पार्ट्स बाहर से मंगाने की क्या आवश्यकता है?

श्री नीतीश कुमार : ट्रांसफर टैक्नोलोजी के साथ-साथ फ्रेट और पैसेंजर ट्रैन्स के लिए नए लोकोमोटिव इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ टैक्नोलोजी को ध्यान में रखते हुए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के एक्सपैंशन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहां अब नए और उन्नत किस्म के डीजल इंजन बनाए जायेंगे।

राज्य सरकारों की पर्यटन परियोजनाएं

*322. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्य-वार कितनी पर्यटन परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास भेजी हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार/परियोजना-वार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं को प्रतिवर्ष प्राथमिकता देता है। वर्ष 1998-99 के दौरान जो परियोजना (प्रस्ताव) प्राप्त हुए, स्वीकृत हुए तथा जिन्हें प्राथमिकता दी गई, उनका राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

परियोजनाओं के लिए धनराशि विस्तृत परियोजना प्रस्तावों के प्राप्त होने पर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

अनुबंध

वर्ष 1998-99 के दौरान प्राप्त, स्वीकृत एवं प्राथमिकता दी गई परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्रम संख्या	राज्य	प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	प्राथमिकता प्राप्त धनराशि (लाख रु. में)	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	367.08	13	10	274.08
2.	असम	16	527.00	13	8	267.03
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	432.00	4	–	–
4.	बिहार	15	325.00	13	5	84.80
5.	गोवा	17	411.00	18	10	201.50
6.	गुजरात	15	400.00	12	6	110.89
7.	हरियाणा	12	312.00	11	5	154.63
8.	हिमाचल प्रदेश	12	532.00	11	8	305.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	21	710.00	16	2	70.00
10.	कर्नाटक	16	495.30	15	9	299.82
11.	केरल	15	467.00	13	6	169.01
12.	मध्य प्रदेश	17	421.00	11	1	69.75
13.	महाराष्ट्र	15	364.00	14	8	210.05
14.	मणिपुर	13	220.00	8	–	–
15.	मेघालय	15	180.00	13	6	61.82

1	2	3	4	5	6	7
16.	मिजोरम	8	165.00	8	5	114.47
17.	नागालैण्ड	10	200.00	8	7	170.00
18.	उड़ीसा	7	368.00	5	3	129.60
19.	पंजाब	8	402.34	8	6	239.29
20.	राजस्थान	25	431.00	22	13	136.55
21.	सिक्किम	23	302.00	22	4	29.35
22.	तमिलनाडु	20	435.00	19	13	187.81
23.	त्रिपुरा	10	310.00	9	3	21.00
24.	उत्तर प्रदेश	35	740.00	27	8	151.32
25.	पश्चिम बंगाल	20	350.00	15	2	90.00
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6	200.00	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	8	113.00	5	2	47.91
28.	दादरा और नगर हवेली	5	82.00	5	1	10.00
29.	दिल्ली	19	350.00	13	11	132.23
30.	दमन	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	3	31.00	1	–	–
32.	पांडिचेरी	11	189.00	4	–	–
	जोड़	435	10831.72	354	162	3737.11

1. राज्य सरकारों को स्पष्टीकरण के लिए लौटाई गई परियोजनाएं - 40
2. प्रक्रियाधीन परियोजनाएं - 152

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर के अनुसार उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई पांच परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। परन्तु मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रस्तुत की गई थी और किस-किस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। उन्हें यह देखना चाहिए कि पूछा गया प्रश्न परियोजनाओं की संख्या के बारे में नहीं था, बल्कि मैंने परियोजनाओं के नाम और परियोजनावार दी गई वित्तीय सहायता के बारे में पूछा था।

महोदय, उड़ीसा में पर्यटन की काफी संभावना है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहां विकास की आवश्यकता है। उड़ीसा में बौद्ध सर्किट एक ऐसी ही परियोजना है अर्थात् धौलगिरि से रत्नागिरि, ललितगिरि और उदयगिरि। रत्नगिरि में एक बहुत अच्छे म्यूजियम की स्थापना हुई है जिसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। खुदाई के बाद यह पता चला है कि पुष्पविहार में एक विश्वविद्यालय था और धौलगिरि में गया नदी के किनारे सम्राट अशोक की एक प्रसिद्ध राजघोषणा मिली है। पिछली सरकारों के शासनकाल के दौरान उड़ीसा के बौद्ध सर्किट का सुदूर आर्थिक सहयोग निधि के सहयोग से विकास किया जाना था जिसके लिए एक जापानी प्रतिनिधिमंडल आया था और उसके साथ वार्ता के दो दौर भी हुए थे।

इसके अलावा, इस बौद्ध सर्किट के प्रारम्भिक मूलभूत ढांचे के विकास के लिए योजना आयोग ने धनराशि प्रदान करने की सिफारिश की थी। मैं धौलगिरि में जापानी सराय के बारे में भी जानना चाहूंगी। इसका कारण है कि लुम्बिनी, वैशाली और धौलगिरि में बहुत पहले 1980 में ही जापानी सराय के लिए प्रस्ताव आया था। अभी तक धौलगिरि के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

इसलिए मैं उड़ीसा में बौद्ध सर्किट के भविष्य के बारे में जानना चाहूंगी। क्या सरकार इस मामले के अनुमोदन के लिए विचार करेगी और इसके लिए विशेष आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ इसे उठाएगी?

श्री ओमाक आपांग: महोदय, मेरे पिछले दौरे के दौरान, मेरे साथ आपने भी संगोष्ठी में भाग लिया था। उनकी पहल और पूर्व मुख्य मंत्रियों की पहल से हमने पर्यटन स्वागत केन्द्र, राउरकेला, पर्यटन स्वागत केन्द्र परलाकिमिदी, पर्यटन स्वागत केन्द्र, डेंकानाल की प्राथमिकता दी थी तथा जहां तक अन्य परियोजनाओं का संबंध है वे सभी प्रक्रियाधीन हैं।

पिछली बार हमने एक बड़ा बौद्ध महोत्सव किया था। कल हमने एक बैठक की थी। मुझे याद है कि उड़ीसा के मेरे दौरे के दौरान वहां होने वाली खुदाई संबंधी गतिविधियों से संबंधित मामला मेरे सामने आया था। मैंने ओ.ई.सी.एफ. के साथ एक बैठक की थी और उनकी राज्य सरकार की ओर से एक पत्र प्रस्तुत किया था। ओ.ई.सी.एफ. इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दे रही है। परन्तु मैं इस पर अगली बार अजन्ता और एलौरा के मामलों के साथ चर्चा करूंगा। अब हम इसे बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम के दूसरे चरण में शामिल करने वाले हैं जो हम अगले महीने मनाने वाले हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : केन्द्र सरकार पर्यटन के विकास के लिए नीतियां अपनाती रही है। मैं जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार द्वारा विशेष पर्यटन क्षेत्र के लिए विशेष पर्यटन कार्यक्रम लागू करने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है या नहीं और क्या राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए पुरी के दक्षिण में लगभग 3500 एकड़ भूमि की पहचान की है या नहीं। सरकार ने इसमें विशेषरूप से पांच पाकेटों में गहरी रुचि क्यों नहीं ली जिनकी पहचान देश में की गई थी?

श्री ओमाक आपांग: महोदय, उड़ीसा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पिछली सरकार के समय उन्होंने पुरी और चिल्का के आसपास 3600 एकड़ जमीन की पहचान की थी। परसों भी, मेरी जर्मनी से आए अप्रवासी भारतीयों के साथ एक बैठक हुई थी जो उस क्षेत्र, विशेषकर डोल्फिन और आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए काफी इच्छुक हैं। इस सरकार ने मास्टर प्लान के लिए लगभग 25 लाख रुपये दिए थे। उनके पहल करने के बाद सरकार इस पर टर्नकी आधार पर काम करेगी। हम इसका अनुपालन कर रहे हैं। हम आपको ब्यौरा देंगे।

श्री टी. गोविन्दन : मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रस्ताव की प्राप्ति होने पर ही परियोजनाओं के लिए निधियों की स्वीकृति दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देशों से अवगत हैं और क्या ये पर्याप्त और संगत हैं। केरल जैसे राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों पर विचार किए बिना ही वे यात्री निवास के निर्माण का सुझाव दे रहे हैं। वे अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण का सुझाव दे रहे हैं। वे 50 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं की अनुमति नहीं दे रहे है। वे भूमि खरीदने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। इससे केरल में पर्यटन का विकास नहीं हो सकेगा। जिसने, जहां तक सामाजिक और आर्थिक जीवन का संबंध है, एक विशेष दर्जा पा लिया है।

इसीलिए उन्होंने बेकलिम पर्यटन परियोजना के लिए नाममात्र की राशि की ही अनुमति दी है। यह केरल की बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजना है और इतना ही नहीं, इसने भारत को विश्व के पर्यटन मानचित्र में भी स्थान दिलाने में मदद की है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पर्यटन विकास के लिए प्राथमिकताओं या कार्यविधि या दिशानिर्देशों में परिवर्तन पर विचार करें।

श्री ओमाक आपांग : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। केरल और राजस्थान इस देश में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी हैं। जिला परिषद की स्थानीय सरकार को शामिल करने की केरल की प्रणाली, जैसा कि एक सदस्य ने कहा है, काफी उल्लेखनीय है, वारकलाई और अन्य स्थानों के लिए हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं। मुझे और मेरे पर्यटन मंत्रालय को इनकी विशेष चिंता है हम केरल के लोगों को विशेषकर उन लोगों को जो तटीय क्षेत्र की समस्याओं का सामना करते है क्योंकि सभी स्थान समुद्र के बहुत निकट हैं, सहायता देना चाहेंगे।

भूमि प्राप्ति और एल.ओ.सी. के बारे में हमने सरकार से अनुरोध किया था और हम उस स्थिति को समाप्त करने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनके बारे में बताया। उत्तर प्रदेश से 27 प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त हुए थे जिनमें से 8 स्वीकृत हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बौद्ध परिपथों के विकास के लिए जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था, उसकी क्या प्रगति है?

[अनुवाद]

श्री ओमाक आपांग: वर्तमान सरकार के प्रयासों से हमने वहां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव जैसे एक बड़े पर्व का आयोजन किया था जिसकी घोषणा हमने पिछले साल की थी और जिसने पूरे विश्व में, विशेषकर बौद्ध धर्मावलम्बी देशों और पश्चिमी दुनिया में भारत द्वारा शांति आंदोलन का एक बहुत अच्छा संदेश दिया था। यह काम उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर किया गया था।

कल हमने बौद्ध महोत्सव के बारे में एक बैठक की थी। संबंधित राज्यों से की गई पहल के कारण कुछ परियोजनाएं देर से मिली। वित्तीय सहायता प्रणाली 30:50:20 के अनुपात में है। इस बार, हम सोच रहे हैं कि हम न केवल बौद्ध सर्किट में बल्कि बौद्ध सर्किट के निकट के गांवों में एक समेकित प्रणाली का विकास करेंगे। हम उस क्षेत्र को एक ग्रामीण पर्यटन सर्किट के रूप में लेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, जो राज्यवार ब्यौ दिया गया है उसमें महाराष्ट्र की 14 पर्यटन परियोजनाओं व प्राथमिकता दी गयी है। उनमें से आठ स्वीकृत की गयी हैं औ 6 को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गयी है। मैं जिस कोंकण प्रां से आता हूं, पर्यटन विकास की अधिकतम परियोजनाएं वहीं से हैं मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जि 6 परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी गयी है वे कौन सी परियोजना हैं और कब तक उन्हें स्वीकृति दे दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री ओमाक आपांग: मैं उसके बारे में माननीय सदस्य को ब्यौरे दूंगा। परन्तु मैं सभा को बताना चाहूंगा कि हमने उसके लिए महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग को विशेष क्षेत्र घोषित किया है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय मैं माननीय मंत्री जी से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहूंगी। जैसा कि माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं केरल और राजस्थान न केवल भारत के पर्यटन मानचित्र में बल्कि सम्पूर्ण विश्व के पर्यटन मानचित्र में भी विशेष स्थान रखते हैं। केरल के एक तरफ समुद्र है तो दूसरी तरफ पश्चिमी घाट हैं। हरियाली और सागर जल से परिपूर्ण इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की विपुल संभावनाएं हैं, केरल की एक विशेषता यह है कि यहां के प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन परिषद है। जो विशेष रूप से इन कार्यकलापों को प्रायोजित कर रही है, इनका विकास कर रही है और इन्हें प्रोत्साहन दे रही है।

मेरा प्रश्न है कि कोझीकोड जिला पर्यटन परिषद विशेष रूप से मालाबार क्षेत्र में पर्यटन कार्यों के प्रायोजन व प्रोत्साहन के लिए मालाबार महोत्सव मना रही है।

क्या भारत सरकार इस महोत्सव को विशेषरूप से प्रायोजित करने पर विचार करेगी जिसमें संपूर्ण भारत के कलाकारों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और जो वास्तव में हमारी सांस्कृतिक एकता व अखंडता का प्रतीक है?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है? कई सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, यहां विवरण में लिखा है कि तेरह परियोजनाओं में से केवल छह परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और कुल परिव्यय में से केवल एक-चौथाई से थोड़ा अधिक परिव्यय स्वीकृत किया गया है। महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि केरल की कौन सी परियोजनाओं को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है अर्थात् कौन सी परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न केरल के बारे में है।

श्री ओमाक आपांग: महोदया, वाटर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, अष्टामुड़ी बैकवाटर सिग्नागेज, यात्री निवास, तिरुनेली, पार्क व्यू हेरिटेज बिल्डिंग का जीर्णोद्धार, मालाबार के लिए हाउस बोट की खरीद, धेनमाला के लिए ट्रैकिंग व रॉक क्लाइबिंग उपकरणों की खरीद इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जिन परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी गई है वे इस प्रकार हैं: बोलघाट्टी पैलेस की फ्लड लाइटिंग, कालाडी में पर्यटन परिसर का निर्माण, पर्यटन स्वागत केन्द्र-पर्यटन आरक्षण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण।

कुछ परियोजनाओं को हम सहायता देंगे जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम वास्तव में भारतीय संस्कृति व इस देश की समृद्ध विरासत को प्रोत्साहन देना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि राजस्थान सरकार ने बीकानेर की कोई परियोजना केन्द्र सरकार के पास भेजी है? यदि नहीं भेजी है तो क्या वह स्वयं इस बात पर ध्यान देंगे कि बीकानेर एक पुराना शहर है और वह बीकानेर स्टेट की राजधानी भी था। वहां देखने के बहुत से स्थान हैं। इससे बहुत से टूरिस्ट उन्हें देखने आएंगे। मैंने उड्डयन मंत्री से प्रार्थना की थी और उन्हें लिख कर भी भेजा था कि वहां हवाई सेवा का प्रबन्ध किया जाए जिससे लोग आ जा सकें। वहां के लोग बिल्कुल कटे हैं। मैंने इस बारे में नीतीश जी से भी प्रार्थना की थी लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। मैंने उनसे कहा था कि वहां बड़ी लाइन बनाकर रेल से जोड़ दिया जाए। उन्होंने इसे सभी जगह बना दिया लेकिन हमारी क्यों अनदेखी कर रहे हैं? यहां तीनों मंत्री बैठे हैं। मैं त्रिमूर्ति से कहना चाहता हूं कि क्या वे इस बात पर ध्यान देंगे और टूरिज्म के उत्थान के लिए कुछ करेंगे? यदि दूसरे दो मंत्रियों ने कुछ नहीं किया तो क्या आप इसके उत्थान के लिए काम करेंगे?

[अनुवाद]

श्री ओमाक आपांग: महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर दिया गया है। हम बीकानेर में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में जानते है और वास्तव में राजस्थान को नागर विमानन और रेल मंत्रालय, मेरे मंत्रालय व व्यापार जगत से सहायता की आवश्यकता है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सहायता देते रहें।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: महोदय उत्तरांचल प्रदेश के गढ़वाल मंडल ने विभिन्न प्रकार की पर्यटन संभावनाओं के कारण एक विशिष्ट स्थान पाया है। मेरे विचार से यह विश्व में विशिष्ट है। इस क्षेत्र में न केवल धार्मिक रूप से पर्यटन की संभावनाएं हैं जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब अपितु यहां पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटन, भ्रमण व छुट्टी मनाने की भी विपुल संभावनाएं हैं।

मैं, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने वहां उपलब्ध विभिन्न प्रकार की पर्यटन संभावनाओं को जोड़कर न केवल भारत की इस विशिष्ट पर्यटन संभावना अपितु पर्यटन की अंतर्राष्ट्रीय संभावना के विकास के लिए कोई योजना बनाई है ताकि संपूर्ण विश्व के लोग वहां आएं और इस क्षेत्र को लाभ मिले।

श्री ओमाक आपांग: महोदय, मैं लोगों के ध्यान में पर्यटन का महत्व लाने के लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं।

सरकार के प्रयासों से इस वर्ष को हमने "एक्सप्लोर इंडिया" वर्ष घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने "एक्सप्लोर यू.पी. एंड एक्सपीरिएंस इंडिया" योजना बनाई है। निश्चित रूप से हम गढ़वाल में पर्यटन की संभावनाओं से अवगत है और उत्तर प्रदेश में अनेक कदम उठाए गए हैं।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, माननीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों स्मार्ट व युवा हैं। मैं उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तमिलनाडु की छह परियोजनाओं को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि उन परियोजनाओं को अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं दी गई है। उन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जाएगी, पर्यटन क्षेत्र में नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस सरकार ने क्या नीति अपनाई है।

श्री ओमाक आपांग: किसी एक परियोजना, तीन सितारा होटल के लिए तीन प्रतिशत तक सहायता देने का प्रावधान है तथा कठिन क्षेत्रों व पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों को पांच प्रतिशत राजसहायता भी दी जाती है। तमिलनाडु में राज्य में कुछ समस्याओं के कारण हम वह धनराशि नहीं दे पाए है।

श्री टी.आर. बालू: वे परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं।

श्री ओमाक आपांग: हमें परियोजनाएं देर से मिली हैं। हम माननीय सदस्य को सारा ब्यौरा बाद में देंगे।

श्री शरद पवार: यदि 1988 और 1989 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की सूची को देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जहां पर इन वर्षों में एक भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है। इन क्षेत्रों में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में सुन्दर समुद्रतट या पर्वत है और उन क्षेत्रों में पर्यटन एक मुख्य व्यवसाय है। क्या सरकार अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देगी। जिन्होंने पहले ही अपने प्रस्ताव सौंप दिए हैं और जिनके एक भी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली है।

श्री ओमाक आपांग: मैं इस सभा व लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि जिन परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं मिली है उसका कारण यह है कि उनमें से अनेक परियोजनाएं अंतिम क्षण में प्राप्त हुई है। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है और उन्हें परियोजनाएं समय से प्रस्तुत करनी चाहिए। कुछ परियोजनाएं विलम्ब से प्राप्त हुई हैं और हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए विशेष कदम उठाए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं; हमने इसका उल्लेख अपनी बैठक के दौरान भी किया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और केरल जैसे राज्यों में हमारी कुछ विशेष अड़चनें हैं जिन पर यहां वाद-विवाद किया जा चुका है। मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से सी.आर.जेड. समस्याओं जैसी कुछ समस्याओं पर गौर करें जिनके बारे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सदस्य भी अच्छी तरह जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, गुजरात वीरों, संतों और राष्ट्रीय महापुरुषों की भूमि रही है। गुजरात में सोमनाथ मन्दिर, जैन मन्दिर, स्वामीनारायण भगवान का मन्दिर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म स्थान भी गुजरात में है। इसके साथ-साथ गुजरात के अंदर कांडला बन्दरगाह है। गुजरात में बहुत से लोग आते रहते हैं। गुजरात सरकार ने पर्यटन की 15 योजनायें केन्द्र के पास भेजी हैं जिनमें से 12 योजनायें स्वीकृत हुई है। इनमें 6 योजनाओं को सैंक्शन किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुजरात सरकार की 6 योजनाओं को कब तक मान्यता दी जायेगी? सरकार ने इन योजनाओं के लिए सिर्फ 110 लाख रुपया मंजूर किया है जबकि इससे ज्यादा होना चाहिये था। गुजरात के लोग ऑल इंडिया में घूमते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों के लोग भी गुजरात के पर्यटक स्थलों का लाभ उठा सकें, इसके लिये सरकार बाकी योजनाओं को कब तक परिपूर्ण करेगी, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री ओमाक आपांग: माननीय सदस्य के सुझाव पर गौर किया गया है। हम उन्हें उचित समय पर सूचित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों को एक ही प्रश्न में समायोजित कैसे कर सकता हूं। कृपया समझने की कोशिश करें। आपको अध्यक्षपीठ की कठिनाई को भी समझना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों को समायोजित कैसे कर सकता हूं। अनेक माननीय सदस्य अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं।

प्रो. रीता वर्मा : मैं पर्यटन से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। कृपया मुझे एक मौका दें।

श्री पी.सी. चाको: कृपया इस पर आधे-घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): पर्यटन एक बहुत व्यापक विषय है। ...*(व्यवधान)* मैं सभा के सभी सदस्यों द्वारा देश के पर्यटन के विकास में अपनी रुचि प्रदर्शित करने पर धन्यवाद देता हूं। 12,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन कर पर्यटन उद्योग देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इस सभा में विपक्ष के नेता से लेकर श्री बलराम जाखड़ जैसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा इस बारे में प्रश्न पूछने से स्पष्ट है कि प्रत्येक सदस्य पर्यटन के विकास में रुचि दिखा रहा है।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आधे घंटे की चर्चा के लिए समय आवंटित किया जाए ताकि हम भी इस विषय पर चर्चा में भाग ले सकें।

अध्यक्ष महोदय: अगर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है तो हम आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाक्को: महोदय, मैं आपका ध्यान अपने प्रश्न की ओर खींचना चाहता हूं। उन्होंने एक सामान्य विवरण दिया है। प्रश्न यह है: राज्यवार और परियोजनावार आवंटित परियोजनाएं *...(व्यवधान)* महोदय, कृपया प्रश्न पर गौर करें। हमें आपका संरक्षण चाहिए *...(व्यवधान)* मंत्री सामान्य बात कर रहे हैं *.(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चाक्को, आप सभा में पर्यटन के संबंध में राज्यवार चर्चा कर सकते हैं।

श्री पी.सी. चाक्को: यह बात नहीं है। मेरा प्रश्न है कि यह उत्तर अधूरा है।

अध्यक्ष महोदय : आप पर्यटन पर आधे घंटे की चर्चा में इस सदन में राज्य-वार चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाक्को: मेरा कहना है कि यह तीखा प्रश्न सदस्य द्वारा उठाया गया है। वह परियोजनावार सूची चाहते हैं। वे परियोजनावार सूची दे सकते हैं। उन्होंने वह सूची नहीं दी है *...(व्यवधान)* यह जवाब अधूरा है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप माननीय सदस्यों को राज्य-वार परियोजना सूची भेज सकते हैं?

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: जी हां महोदय, हम भेज सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो, हम आधे घंटे की चर्चा भी कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्वैश्चन आवर में कोई सूचना नहीं दी जाती है। यह जीरो आवर नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि अथवा पेंशन निधि का पूंजी बाजार में लगाया जाना

*323. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि अथवा पेंशन निधि की धनराशि को इसके बेहतर उपयोग के लिए पूंजी बाजार में लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सहमति ले ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील: महोदय, माननीय मंत्री जी के अपना उत्तर सभी मामलों में नकारात्मक दिया है। आप देख सकते है कि भविष्य निधि और पेंशन के अन्तर्गत आने वाला धन ऐसा धन होता है जिसे श्रमिकों द्वारा मुसीबत के समय विशेष कर अपनी बीमारी और मुसीबत के दौरान खर्च किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत इसे बिना किसी जोखिम के दूसरी ओर ले जाया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि सरकार ने पहले ही श्री एस.ए. दवे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है और इस समिति ने भविष्य निधि और पेंशन के निवेश के मामले का अध्ययन भी कर लिया है। उन्होंने लोगों को कुछ सुझाव भी दिये हैं कि इसका किस प्रकार निवेश किया जा सकता है इसका निवेश किस श्रेणी में किया जाना चाहिए और निवेश करके क्या लाभ अर्जित किये जा सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसे फरवरी माह में प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा थी और यदि हां तो इसकी सिफारिशें क्या हैं क्या माननीय मंत्री जी इन सिफारिशों को लागू करने जा रहे

हैं अथवा नहीं। और यदि नहीं, तो इस प्रतिवेदन को कब प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, मूल प्रश्न यह था कि क्या कोई डाइवर्शन हुआ है? निश्चित रूप से यह बात थी कि डाइवर्शन नहीं हुआ है। फिर उनका यह प्रश्न रहा कि दवे कमेटी ने कुछ रिपोर्ट दी है उस दवे कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या विचार है।

माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने यह रिपोर्ट फरवरी 1999 में दे दी। सारी बातों पर विचार करने के लिए इनवेस्टमेंट पर विचार करने के लिए एक कमेटी है और उसके विचार करने के बाद जो सुझाव आएंगे, उसके आधार पर इनवेस्टमेंट करने का काम होगा।

[अनुवाद]

श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटील: महोदय, इसी बीच सरकार ने भविष्य निधि निवेश हेतु कुछ प्रतिरूप अधिसूचित किये हैं। वे आने वाली वृद्धि राशि के दस प्रतिशत का निवेश कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या इस अधिसूचना के अन्तर्गत सरकार ने ऐसी राशि को इक्विटी अथवा कुछ अन्य क्षेत्र की निधियों में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की शेयर पूंजी में निवेश करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। यदि हां तो उस निवेश की स्थिति क्या है?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि यह जो सुझाव है कि इसमें कितना इन्वैस्टमैट करना चाहिए, निश्चित रूप से इसके लिए केन्द्रीय न्यासी परिषद उस पर विचार करती है और उसके सुझावों के आधार पर जो मजदूरों और नियोक्ता का पैसा भविष्य निधि और पेंशन में जमा रहता है, वैसे पेंशन में किसी भी प्रकार का समझौता करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जो भविष्य निधि की राशि हैं, उसे शेयर्स में किसी भी प्रकार से कोई निवेश नहीं करता हैं - इस प्रकार का निर्णय केन्द्रीय न्यासी मंडल ने लिया है और इस आधार पर भविष्य में इस प्रकार का निर्णय करने का काम केन्द्रीय न्यासी मंडल करेगा और इसी के आधार पर उसे क्रियान्वित किया जायेगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय मंत्री जी ने कहा है कि भविष्य निधि धनराशि का विपथन नहीं किया जा रहा है। यदि आप सर्वेक्षण कराए तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्येक राज्य में भविष्य निधि धनराशि को अन्य प्रयोजनों के लिए लगाया जा रहा है। अत: मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं क्या यह सच है कि एक ओर तो कर्मचारियों को समय पर भविष्य निधि धनराशि नहीं मिल पा रही है और दूसरी ओर यह धन दूसरे प्रयोजनों के लिए खर्च किया जा रहा है? विशेषकर पश्चिम बंगाल भविष्य निधि में चूक करने वाले राज्यों में से सबसे बड़ा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या वे कर्मचारियों की रक्षा करेंगे अथवा वे चाहते है कि इस धनराशि का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: जैसा कि माननीय सदस्या ने इस पैसे के मिसयूटीलाइजेशन के बारे में पूछा है, मेरी जानकारी के अनुसार हमारा भविष्य निधि का जो दायित्व है, भविष्य निधि का जो पैसा सेन्ट्रल में आता है उसके किसी भी प्रकार से मिसयूज होने का कोई कारण नहीं है। यदि कोई इस पैसे का दुरुपयोग करेगा और उसकी शिकायत होगी तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जा सकती है।

श्री मुरली देवरा : महोदय, प्रश्न यह है सरकार को कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन निधि पर अधिकतर नफा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। इस समय ये सभी धनराशि सरकारी प्रतिभूति में लगाई गई है जिस पर बहुत कम ब्याज मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के यू.टी.आई. के यू.एस. 64 जैसे म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए इस धनराशि का उपयोग करने पर विचार करेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री देवरा यह प्रश्न भविष्य निधि की राशि के दूसरी जगह लगाने के बारे में है।

श्री मुरली देवरा: महोदय, मेरा प्रश्न उस राशि के निवेश के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : विपथन निवेश से नितान्त भिन्न है।

श्री मुरली देवरा: ठीक है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: फिर भी आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूरा कर सकते हैं।

श्री मुरली देवरा: महोदय, मैं आपके विनिर्णय का पालन करता हूं। प्रश्न में कहा गया है क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि अथवा पेंशन निधि की धनराशि को पूंजी बाजार में लगाने का है। पेंशन निधि को अधिकतम लाभ नहीं मिल रहा है जो कर्मचारियों के हित में नहीं है। अत: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं क्या सरकार यू.टी.आई. में इसे लगाने पर विचार करेगी ताकि कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकें। मेरा प्रश्न यह है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: वास्तव में जो सुरक्षा की निधि है, उसमें मैक्सीमम यह देखा जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं होना चाहिए और इस प्रकार का कोई प्रोपोजल म्युचूअल फंड में जाने के लिए विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, कई देशों में इस विशेष निधि को आवास और अवसंरचना क्षेत्र के लिए लगाया जाता है। चूंकि अवसंरचना और आवास क्षेत्र के लिए संसाधनों का अभाव है क्या सरकार इन दोनों क्षेत्रों के लिए इस धनराशि का उपयोग करने पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: इस प्रकार का प्रस्ताव आने पर न्यासी मंडल उस पर निर्णय करेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज विपक्ष के नेता काफी सक्रिय हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास प्रोविडेंट फंड की नौ हजार करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड राशि है। क्या आप वह पैसा मजदूरों को वापस करने वाली हैं? यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के समय में कांग्रेस के समर्थन से एक मजदूर विरोधी बिल पारित हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रोवीडेंट फंड की क्लाज-तीन में जो आप्शन है, उसे मंत्री महोदय, मजदूरों को देने पर पाजिटिवली विचार करेंगे या नहीं?

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, पेंशन के बारे में तो स्पष्ट निर्देश हैं और पेंशन की दृष्टि से जो गाइड लाइन्स तय की गई हैं, उनका पूरा-पूरा पालन हो रहा है।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहले इसकी आप्शन थी जिसे बाद में छीन लिया गया। इसलिए मैं मंत्री महोदय से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उस आप्शन को देने पर क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रावले, क्या आप मंत्री महोदय को उत्तर देने देंगे?

श्री मोहन रावले: ठीक है, महोदय।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई आप्शन नहीं है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि 90 करोड़ रुपया है, इसके लिए एस.आर.एफ. बनाया गया है और मजदूरों का ऐसा पैसा जो नियोक्ता द्वारा जमा नहीं किया जाता हैं, उसको इस फंड से जमा कराया जाए, ऐसी कोई आप्शन हमारे पास नहीं है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: अध्यक्ष महोदय, देश की विभिन्न कम्पनियों द्वारा भविष्य निधि की बड़ी राशि भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं की गयी हैं। मैं जानना चाहता हूं कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों की तनख्वाह से कितनी राशि भविष्य निधि आयुक्त के पास अभी तक जमा नहीं की गई हैं और सरकार द्वारा ऐसे चूककर्त्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए नियम और पद्धति बनी हुई है, ई.एम.ओ. पद्धति बनी हुई और उसी के आधार पर जहां-जहां डिफाल्ट पाया जाता है उसके अनुसार कार्रवाई

की जाती है। उसके साथ-साथ प्रासीक्यूशन किया जाता है और इस प्रकार की जो निधि है वह 453 करोड़ रुपए है।

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मजदूरों के आंदोलन से आए हुए हैं और कर्मचारियों के भविष्य के बारे में हमेशा चिन्तित रहते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि कर्मचारियों की भविष्यनिधि कर्मचारियों को सुखी बनाने के लिए होती है, लेकिन क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त श्री आर.एस. कौशिक के विरुद्ध दलित अधिकारी और कर्मचारियों को तंग करने, निलंबित करने, चार्जशीट करने और बिना कारण तबादला करने के मामले में हमारे सत्ता पक्ष के सांसदों ने कई बार ज्ञापन दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कलकत्ता में तैनात एक दलित सहायक आयुक्त को बहुत परेशान किया है और उसके बारे में भी श्री कौशिक के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु क्या मंत्री महोदय को प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कवाडे, आपको पहले पता होना चाहिए कि अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की? *...(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न फंड के डायवर्शन से संबंधित है। वैसे भी सदन में किसी अधिकारी के कार्यों के ऊपर चर्चा करना उपयुक्त नहीं है।

[अनुवाद]

श्री चेतन चौहान: अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काफी गम्भीर प्रश्न उठाया है। यह इस विभाग के कार्यकरण से सम्बन्धित है और माननीय मंत्री जी को इस सदन को आश्वासन देना चाहिए कि ऐसी बाते नहीं होने दी जाएंगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बूटा सिंह जी, इस प्रकार नहीं।

[हिन्दी]

श्री जोगेन्द्र कवाड़े: अध्यक्ष महोदय, आयुक्त के विरुद्ध श्रम मंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कवाड़े जी आप बैठ जाइए।

श्री चेतन चौहान: अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने पूछा था, उसी सवाल को थोड़ा बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर संसद की स्थाई समिति में और दूसरी जगह भी अनेक बार चर्चा हो चुकी है कि एम्पलाइज प्रावीडेंट फंड और पेंशन फंड में बहुत अधिक मात्रा में धन इकट्ठा होता है और उस पर इस समय केवल मात्र 12 प्रतिशत ब्याज कर्मचारियों को मिलता है, जो बहुत कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विभाग ने या मंत्रालय ने, इस संबंध में कोई चर्चा वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री महोदय से की है कि ऐसे धन का सदुपयोग करने के लिए उसे कहीं अन्यत्र इस्तेमाल किया जाए। मैं नहीं कहता कि आप उसे शेयर मार्केट में लगाएं, लेकिन यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया या गवर्नमेंट के बैंकों के म्युचुअल फंड में, जहां धन सुरक्षित रहेगा और एम्पलाईज के धन का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा,

ऐसी किसी योजना पर सरकार ने विचार किया है, कोई कमेटी बनाई है या वित्त मंत्रालय में इस पर चर्चा हुई है? अगर चर्चा नहीं हुई है तो क्या आप इस पर चर्चा करेंगे?

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का विचार *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सुझाव है?

डा. सत्यनारायण जटिया: जी हां।

[अनुवाद]

युद्धक टैंक "अर्जुन"

*324. **प्रो. अजित कुमार मेहता:**
डा. सुगुण कुमारी बलामेला:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वदेशी युद्धक टैंक "अर्जुन" के उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफलता के क्या कारण बताए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की उत्पादन शृंखला अनुमोदित कर दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्पादन स्वदेशी युद्धक टैंक से संबंधित जो मूल प्रश्न किया था, वह इस रूप में सदन के सामने लाया गया और उसका जवाब मंत्री जी ने दिया। मेरा मूल प्रश्न था कि पूर्णत: स्वदेशी टैंक का उत्पादन अपने देश में करने की परिकल्पना कब की गई थी और कब उसके उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? मेरी सूचना के अनुसार 1974 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी परिकल्पना की थी और लक्ष्य रखा गया था कि 1984 में साढ़े पन्द्रह करोड़ रुपये की लागत से, रिसर्च वगैरह कम्पलीट होने के बाद, उसका उत्पादन आरंभ होगा परन्तु इसका उत्पादन 1997 तक नहीं हुआ। मुझे पता चला कि 1995 में 307.48 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इसका उत्पादन बंद कर दिया जाये। फिर इसके बाद निर्णय लिया गया कि उसमें कुछ सुधार करके ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मेहता, समय भी बहुत कम है। आपको प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता: मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने में इतना विलंब क्यों हुआ? यदि रक्षा के मामले में इतना विलंब किया जायेगा तो हमारी सुरक्षा का क्या हाल होगा?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न छेड़ा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात सही है कि 1974 में इस योजना को स्वीकृति मिली थी लेकिन 1974 से लेकर 1987 तक यानी लगभग 13 साल, उस टैंक को तैयार करने के बारे में, जो बुयिादी और मौलिक बातें थी और उसके लिए जो यंत्र सामग्री की आवश्यकता थी, उन चीजों पर योजना बनाने से लेकर उन्हें निर्माण करने में अथवा बाहर से लाने में समय बीत गया। सही मायने में इस टैंक को बनाने का कार्य 1987 के बाद हुआ। आज हम लोग 1999 में हैं, 12 साल हो गये हैं मगर यह बात सही नहीं है कि अभी तक कुछ बना नहीं है।

प्रो. अजित कुमार मेहता: 12 साल नहीं 25 साल हो गये हैं।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, 1974 से लेकर 1987 तक का जो कार्य था, हिन्दुस्तान में इससे पहले टैंक नहीं बने थे, जब अपना स्वदेशी टैंक का नया मॉडल निर्माण करने की बात हुई तब उसमें हर चीज पर नये सिरे से काम को शुरू करना पड़ा जिसको करने में काफी समय लगा। जब 1974 में उसके लिए पहली बार पैसे का आबंटन हुआ जो साढ़े 15 करोड़ रुपये था, 1980 में उसे बढ़ाकर 56 करोड़ 55 लाख रुपये कर दिया गया और 1987 में जब बुनियादी काम पूरा होकर टैंक निर्माण करने की स्थिति में हम आ गये तब 280 करोड़ 80 लाख रुपये का इसके लिए आबंटन हो चुका था। इसके बाद कार्य शुरू होने लगा और उसके लिए जो भी आवश्यक चीजें लानी थी, वे लाने का सिलसिला शुरू हो गया। 1993-94 में 15 टैंक सेना को दिये गये, जो सबसे पहले बनाये गये थे। फिर इसके इस्तेमाल में क्या खामियां, कमजोरियां हैं, वह सारा देखने का कार्य था। उसका ट्रायल टैस्ट होना जरूरी था, जो वहां पर शुरू हो गया।

मध्याह्न 12.00 बजे

इसलिए उसकी पूरी कमियों को दूर करके प्रोडक्शन में लाने का जो सिलसिला है, वह अभी शुरू हो रहा है और मुझे खुशी है कि सेना ने इस टैंक को न केवल स्वीकृत किया है बल्कि 124 टैंक बनाने का आर्डर आवड़ी के कारखाने को दिए हुए कुछ दिन हो चुके हैं। इसलिए आज हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हैं कि अपने स्वदेशी टैंक का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सीधा अनुपूरक प्रश्न पूछिए अन्यथा आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, एम.बी.टी. अर्जुन टैंक दूसरे अच्छे टैंकों की तुलना में भी अच्छा साबित हुआ है

फिर भी मुझे जानकारी मिली है कि 124 टैंकों का उत्पादन तो किया जाएगा लेकिन बाहर से विशेषकर रशिया से टैंकों की आपूर्ति करने की भी योजना बनी है, जिसका अभी फील्ड परीक्षण नहीं हुआ, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या आप इसका खुलासा करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हो गया है। मंत्री महोदय लिखित में उत्तर भेज सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूरदर्शन पर स्टार और जीटीवी का प्रभाव

***325. कर्नल सोना राम चौधरी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टार और जीटीवी को प्रसारण अधिकार दिए जाने संबंधी नियम और शर्तें क्या हैं;

(ख) देश के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर इन टी.वी. चैनलों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा स्टार और जीटीवी के प्रसारण के अभाव का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) उपग्रह चैनलों को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है। फलत: जीटीवी और स्टार टीवी पर अभी तक नियम और शर्तों के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(ख) देश में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों पर इन टी.वी. चैनलों के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दर्शकों की रुचि बनाए रखने और अन्य उपग्रह चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों से अपने कार्यक्रमों की प्रतिस्पर्द्धात्मक सफलता की दृष्टि से दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्रों को इनसेट के साथ जोड़ना

***326. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1998 तक किन-किन आकाशवाणी केन्द्रों को इनसेट के साथ जोड़ दिया गया है;

(ख) इन केन्द्रों को उपग्रह के साथ जोड़ने के लाभ क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों को इनसेट के साथ जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली तथा 17 राज्य की राजधानियों अर्थात् मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, शिमला, लखनऊ, जयपुर, श्रीनगर, पटना, शिलांग, गुवाहाटी, कटक, ईटानगर, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, बंगलौर, अहमदाबाद तथा भोपाल में स्थित केन्द्रों सहित सभी 18 आकाशवाणी केन्द्रों में इनसेट के साथ रेडियो कार्यक्रमों को लिंक करने के लिए अपलिंकिंग सुविधा उपलब्ध हैं।

(ख) (1) अपलिंकिंग सुविधा वाले आकाशवाणी केन्द्र अपने कार्यक्रमों को उपग्रह में प्रेषित कर सकते हैं जिसे बाद में डाउन-लिंकिंग के माध्यम से किसी भी आकाशवाणी केन्द्र से रिले किया जा सकता है।

(2) इस नेटवर्क के माध्यम से आकाशवाणी से समाचारों/. क्षेत्रीय कार्यक्रमों को रिले करना संभव हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात और महाराष्ट्र में हवाई अड्डों के लिए बजट आवंटन

*327. **श्री अरविंद कांबले:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बजट में वांछित धनराशि आवंटित कर दी गई है;

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गुजरात और महाराष्ट्र के हवाई अड्डों की विकास और विस्तार योजना को बजट में शामिल किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्ष 1997-98 के वित्तीय निष्पादन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या राजस्व अर्जन और जनशक्ति उपयोग से संबंधित कोई अनुमान तैयार किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अर्थक्षम उद्यम बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के योजना निधि आवंटन निम्नानुसार हैं:-

1998-99	25 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन सहित 538.12 करोड़ रु. (संशोधित प्राक्कलन)
1999-2000	41 करोड़ रु. के बजटीय समर्थन सहित 697.93 करोड़ रु. (बजट प्राक्कलन)

(ख) और (ग) जी, हां। गुजरात में अहमदाबाद, पोरबन्दर, राजकोट, भावनगर, बडोदरा, जामनगर तथा भुज विमानपत्तनों तथा महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे तथा औरंगाबाद विमानपत्तनों की वर्ष 1999-2000 में स्तरोन्नयन/विस्तार के लिए पहचान कर ली गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में महाराष्ट्र में विमानपत्तनों के लिए 86.80 करोड़ रु. तथा गुजरात में विमानपत्तनों के लिए 23.82 करोड़ रु. की धनराशि उद्दिष्ट की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार वर्ष 1997-98 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समग्र निष्पादन को "अच्छा" समझा गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 324.60 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 316.19 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था।

(च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1995 में अपने गठन की तारीख से ही लाभ कमा रहा है।

दूरदर्शन की बकाया राशि

*328. **श्री माधवराव पाटील:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न एजेंसियों द्वारा दूरदर्शन को भारी धनराशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है और इतनी राशि बकाया होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) प्रसार भारती द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनवरी, 1976 से मार्च 1998 की अवधि में विभिन्न एजेन्सियों पर 113.67 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बकायों के इकट्ठा होने के कारण उद्योग क्षेत्र में परिसमापन समस्या और विज्ञापन उद्योग में कमी होना है जिससे विज्ञापनदाताओं द्वारा एजेन्सियों तथा दूरदर्शन को भुगतान करने में विलम्ब हुआ।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि देय राशि की वसूली के लिए बैंक गारंटी भुनाने, चूककर्ता एजेन्सियों के अप्रत्यायन, पंचाट तथा कानूनी कार्रवाई आदि सहित संविदात्मक प्रावधानों का सहारा लिया जाता है।

विवरण

दिनांक 1.1.1976 से 31.3.1998 तक की अवधि के एजेन्सी-वार बकाया देय

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	1991-92 तक	वर्ष 1992-93	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	वर्ष 1996-97	वर्ष 1997-98	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	20वीं सदी	1454	0	0	0	0	0	0	1454
2.	एबीआई इंटरनेशनल	17000	0	0	0	0	0	0	17000
3.	आकृति	0	0	192667	0	0	0	0	192667
4.	ए.सी.आई.एल.	2368293	0	0	0	0	0	0	2368293
5.	एडी एनवोयस	542764	0	0	0	0	0	0	542764
6.	एडरोइंट	139400	0	0	0	0	0	0	139400
7.	एडसाईट	132887	34000	117088	0	0	0	0	283975
8.	एडविज	1641407	0	0	0	0	0	0	1641407
9.	एडवरटाइजिंग एवेन्यूज	51000	61200	367200	134725	0	0	0	614125
10.	एडवेव	0	0	3400	0	0	0	0	3400
11.	एड इम्पेक्ट	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	एडवेव एडवरटाइजिंग	11775	4675	0	0	0	0	0	16450
13.	एडविट	17850	0	0	0	0	0	0	17850
14.	एडवेल	24807	0	0	0	0	0	0	24807
15.	एड मेकर	0	0	0	0	0	469625	0	469625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	एडवर्ल्ड कम्पनी	614642	0	0	0	0	0	0	614642
17.	एड फैक्टर	0	0	0	0	0	494750	255000	749750
18.	एयर एड्स	223550	332350	222275	0	0	0	0	778175
19.	अजक एडवरटाइजिंग	61200	0	102000	0	0	0	0	163200
20.	अक्षर एडवरटाइजिंग	0	47600	289650	115600	0	0	0	453050
21.	अक्षर एडवरटाइजिंग	178075	138125	0	81600	0	0	0	397800
22.	अलक एडवरटाइजिंग	0	6800	327250	0	1904000	0	0	2238050
23.	अलायन्स एडवरटाइजिंग	0	0	358950	0	476000	258400	174250	1267600
24.	एम्बियन्स	125800	9350	743025	462753	204000	0	0	1544928
25.	आनन्द एडवरटाइजिंग	8500	153000	601800	449650	0	0	0	1212950
26.	अंकुर एडवरटाइजिंग	14025	0	73808	62050	524875	0	0	674758
27.	एन्थम कर्मशियल	0	71400	357000	0	0	0	0	428400
28.	अनुग्रह एडवरटाइजिंग	0	281350	0	0	0	0	0	281350
29.	अर्पक्स एडवरटाइजिंग	414800	176800	188700	0	0	0	0	780300
30.	एक्विनस पब्लिक सर्विस	59500	0	510000	0	0	0	0	569500
31.	एनस	168300	152150	549100	229500	0	0	0	1099050
32.	आर्मस एडवरटाइजिंग	511368	278800	2384050	492150	0	0	306000	3972368
33.	आर्मस कर्मशियल्स	8500	23800	0	162350	0	0	0	194650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	आरोही	337578	0	0	0	0	0	0	337578
35.	आर्ट एडवरटाइजिंग एजेन्सी	158738	167875	374850	951490	0	0	0	1652953
36.	आर्ट कर्मशियल्स	556640	30500	0	0	221000	0	0	808240
37.	आर्टिंग एडवरटाइजिंग	163200	143650	0	0	0	0	0	306850
38.	ए.एस.पी. कम्पनी	180924	49300	112200	0	0	382500	0	724924
39.	एसोशिएटेड एडवरटाइजिंग	1420049	0	0	0	0	0	0	1420049
40.	आडियो एडवरटाइजिंग	1549955	0	0	0	0	0	0	1549955
41.	एक्सेस	1692362	0	0	0	0	0	0	1692362
42.	अयप्पा एजेन्सी	22440	0	0	0	0	0	0	22440
43.	ए.बी.सी.एल.	0	0	0	0	0	57989500	111750775	169740275
44.	बी.डी. खन्ना	27427	16575	0	0	0	0	0	44002
45.	बी.वाई. पंड्या	138125	274125	25500	187850	612000	0	0	1237600
46.	बी. पार्थ सूर्या	0	0	0	0	0	5864750	0	5864750
47.	ब्यूटेक्स एडवरटाइजिंग	0	917125	0	0	0	0	0	917125
48.	बी.ए.जी.	0	0	0	0	0	0	167025	167025
49.	भारत	8747	0	0	0	0	0	0	8747
50.	विधान एडवरटाइजिंग	571200	346200	960000	125800	145775	0	0	2148975
51.	बालाजी एड्स	0	0	0	0	0	0	4301975	4301975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	ब्लॉज	550800	0	0	0	0	0	0	550800
53.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	1938000	0	0	0	0	0	0	1938000
54.	सी.सी.आई.	4373	0	0	0	0	0	0	4373
55.	सैन्ट्रल	0	0	0	76500	0	0	0	76500
56.	सेन्सर	0	0	0	0	0	42500	0	42500
57.	चेटली	0	0	0	465900	0	0	0	465900
58.	चित्र एडवरटाइजिंग	717826	551775	998900	2662035	696500	0	0	5627036
59.	क्लॉनोन एडवरटाइजिंग	2116900	134150	0	0	0	63750	2351950	4666750
60.	क्लो एडवरटाइजिंग	0	89250	0	0	0	0	0	89250
61.	कोर बोर्ड	0	0	0	1530000	0	0	0	1530000
62.	कमर्शियल एड्स	499584	0	0	0	0	0	0	499584
63.	कन्सेप्ट एडवरटाइजिंग	410754	91800	0	0	0	0	2932500	3435054
64.	कन्टूर एडवरटाइजिंग	260931	1275	1202760	428400	0	0	0	1893356
65.	कोरम	0	0	0	0	0	823800	912475	1736275
66.	कॉन्ट्रैक्ट	619525	662150	1062500	17000	773500	631125	479750	4245550
67.	कॉन्टीनेन्टल	0	0	0	0	0	34000	201875	235875
68.	काउन्टर प्वाइंट	0	0	879790	2410515	0	0	0	3290265
69.	क्रयायोन्स	0	0	0	0	0	1843150	0	1843150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	क्रिएटिव आई	6800	545300	21250	14960	0	0	13268475	13854785
71.	सिनेमा विजन	0	0	0	0	0	2831950	0	2831950
72.	क्रिएटिव यूनिट	1081450	132800	619800	56100	0	0	0	1889950
73.	सिने थिस्स	0	0	0	0	0	75000	0	75000
74.	क्रिएटिव वर्कशाप	45900	7650	0	0	0	0	0	53550
75.	करंट एडवरटाइजिंग	80323	0	0	0	34000	0	0	114323
76.	दाकुन्हा एक्सीलिएर	17000	45475	401200	0	0	0	0	463675
77.	डार्ट	0	1461500	0	153000	0	0	0	299150
78.	दत्ता राम	86889	0	293000	127500	0	0	0	507389
79.	डी.ए.वी.पी.	2355541	37400	0	0	450500	0	0	2843441
80.	डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट	0	0	0	0	0	828750	0	828750
81.	ईजल	2142	0	0	0	0	0	0	2142
82.	डा. ऑफ इन्फॉरमेशन गवर्नमेंट तमिलनाडु	0	0	0	56100	0	0	0	56100
83.	डायरेक्टरेट टूर एण्ड पी कार्डसिल	0	0	8500	0	0	0	0	8500
84.	दृष्टि इंडिया	0	0	0	0	11824154	0	0	11824154
85.	डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एज्युकेशन	11011	0	0	2760309	0	1224153	0	3995473
86.	डायरक्टरेट ऑफ एस. सेविंग्स	1017675	0	0	254490	0	0	0	1272165
87.	एज कमर्शियल्स	119000	0	0	0	0	0	0	119000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	एफिसियन्ट पब्लिक	92120	136000	232100	633930	0	0	0	1094150
89.	एलिगंट पब्लिक	75643	0	212500	0	0	0	0	288143
90.	गेमंस	303343	0	0	0	0	0	0	303343
91.	एनर्जी मैनजमेंट	510000	0	0	0	0	0	0	510000
92.	एन्टरप्राइज एडवरटाइजिंग	335963	890750	221900	800062	2248675	0	0	4497350
93.	एवरेस्ट एडवरटाइजिंग	1698275	1706588	176075	854165	972400	229500	0	5637003
94.	एफ.सी.आई.	44510	0	0	0	2545750	0	0	2590260
95.	एफ.डी. स्टीआटं	220613	0	0	0	0	0	0	220613
96.	एफ.एस. एडवरटाइजिंग	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	फेयर फिल्म	0	0	0	0	10200	0	0	10200
98.	फेम	0	0	62900	391000	959175	4273375	23774500	29460950
99.	फिल्म क्राफ्ट	748425	199750	580150	85000	377950	2749900	11052425	15793600
100.	फिल्म फ्रेम	0	0	153000	0	0	0	0	153000
101.	फाउन्टेन हेड	0	0	471150	122655	0	663000	0	1256805
102.	फ्रॉन्क सिमोज एडवरटाइजिंग	290700	266900	0	0	0	0	0	557600
103.	फ्रेन्ड्स	539396	0	0	0	0	0	0	539396
104.	म्यूजन एडवरटाइजिंग	15300	0	0	0	0	0	0	15300
105.	जी.आई.सी. एडवरटाइजिंग	536	40800	0	0	0	0	0	40336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	जेमिनी एडवरटाइजिंग	1004400	0	0	0	0	0	0	1004400
107.	गोल्ड वीडियो	0	0	0	0	888250	348500	53125	1289875
108.	गोल्डबायर कमर्शियल	0	0	3080000	0	0	0	0	3080000
109.	गोपालरतनम	190400	0	0	0	0	0	0	190400
110.	गोवन एडवरटाइजिंग	20400	34425	0	0	0	0	0	54825
111.	गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश	7650	0	0	0	0	0	0	7650
112.	गवर्नमेंट ऑफ गुजरात	327888	159338	0	0	0	0	0	487276
113.	गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र	257550	160650	1822400	0	0	0	0	2240600
114.	गवर्नमेंट ऑफ पश्चिम बंगाल	22100	267750	153000	0	0	0	0	442850
115.	ग्रॉन्ट	10411	0	0	0	0	0	0	10411
116.	ग्राफिक आर्ट	1607	0	0	0	0	0	0	1607
117.	गुजरात गवर्नमेंट इन्फॉरमेशन डिपार्टमेंट	0	0	287500	374850	0	0	0	662350
118.	एच.एम.टी.	310166	1366250	0	0	0	0	0	1676416
119.	एच.पी.जी.	51000	0	0	0	0	0	0	51000
120.	एच.टी.ए.	1801771	2420515	2145000	646345	1111375	0	26690309	35016315
121.	हंसा विजन	0	553800	431800	914050	1734215	1725500	603075	5962440
122.	हेडस्टार्ट विजन	726750	42500	1040650	414630	0	0	0	2224530
123.	हेगलर्ड एडवरटाइजिंग	32725	24863	0	0	369650	471250	0	898488

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124.	हीरो पब्लिक	0	40800	10200	0	170000	127500	0	348500
125.	हिन्दुस्तान फर्टिलायजर	59500	0	0	0	0	0	0	59500
126.	हिट एड्स	10200	11750	128350	0	0	0	0	242100
127.	हैदराबाद एलवाइन	1252050	625175	0	0	0	0	0	1877225
128.	आई.बी. सर्विस	5100	0	0	0	0	0	0	5100
129.	इफको	37400	0	0	0	0	0	0	37400
130.	ईमेज एड्स	7650	215900	869800	274535	0	0	0	1367885
131.	इम्प्रेसियन	223580	61200	0	0	0	0	0	284780
132.	इन्सेंटिव मोकेटिंग	120730	193800	17000	0	0	0	0	331530
133.	इन्कम टैक्स	0	0	0	0	0	0	0	0
134.	इंडियन एडवरटाइजिंग	10735	0	0	0	0	0	0	10735
135.	इंडियन नेवी	0	7650	0	0	0	0	0	7650
136.	इंडियन एक्सप्रेस	0	0	0	0	0	4136300	1287750	5424050
137.	इन्टरनेशनल एडवरटाइजिंग	50363	0	34000	0	0	0	0	84363
138.	इन्नोविजन	24650	0	120000	0	0	0	413100	557750
139.	इनसाइअ एडवरटाइजिंग	374350	205700	130475	136000	0	0	0	846525
140.	इन्अर विजन	0	0	407600	0	0	0	0	407600
141.	इन्टर एड्स	106111	21250	0	332150	0	0	0	959511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	इन्टर फेस कंमर्शियल	28050	0	416500	239700	0	0	0	684250
143.	इन्टर पब्लिक	26350	53550	564400	720800	0	0	0	1365100
144.	जयश्री पिक्चर्स	354624	370175	136000	0	0	0	0	860799
145.	जतियार	0	0	0	0	0	0	697000	697000
146.	जान्सन एडवरटाइजिंग	1168797	0	0	0	0	0	0	1168797
147.	जतियार पब्लिक	0	213776	887225	895828	1496000	0	0	3492829
148.	जया एडवरटाइजिंग	234897	0	0	0	0	0	8524650	8759547
149.	जैल्लिता	125800	67150	154700	75480	0	0	0	423130
150.	ज्वाइंट पब्लिक	127500	0	0	0	0	0	0	127500
151.	जोस्लिन	0	0	0	497250	3137500	526050	0	4160800
152.	के.एल.आई.	96407	0	463250	0	0	626720	9496726	10683103
153.	के.वी.आई.सी.	69615	0	0	0	0	0	0	69615
154.	कामरेड न्यूज	101150	122400	890000	0	0	0	0	1113550
155.	कैनरा एडवरटाइजिंग	19928	291975	547250	136850	0	0	0	996003
156.	केयर	0	0	266050	0	0	0	0	266050
157.	कृष्णा एडवरटाइजिंग	286629	181500	660923	672775	0	0	0	1781827
158.	किरण कमर्शियल	0	0	0	0	1670250	625750	0	2296000
159.	के.ओ.एफ.एल.	2550	0	0	0	0	0	0	2550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	कृषक भारती	28645	0	0	0	0	0	0	28645
161.	किनेस्कोप	0	0	0	0	0	0	2631056	2631056
162.	कुनाल एड्स	73575	134300	523900	221000	0	0	0	952775
163.	एल.आई.सी.	232822	742475	16000	0	0	0	0	991297
164.	एल.आर. स्वामी	161879	314925	48875	108885	0	0	0	634564
165.	लेखा एडवरटाइजिंग	0	17000	0	0	0	0	0	17000
166.	लिंक वर्ल्ड	0	409775	0	336750	0	0	0	746525
167.	लिन्टास	5719043	2949939	5821525	408018	124455	5546250	0	20589230
168.	एम.सी.ए.	227091	32300	0	0	0	0	0	259391
169.	एम.एल. एसोसिएशन	1891550	0	0	0	0	0	0	1891550
170.	एम.ए.ए.	479400	653650	963475	0	0	0	0	2096525
171.	मॉ कमर्शियल	137700	829600	954550	1006750	136000	0	0	3064600
172.	मेडिसन एडवरटाइजिंग	2975	193800	131750	0	847025	0	6528000	7703550
173.	मद्रास	0	0	0	559300	0	0	0	559300
174.	मग्ना विजन	5950	425000	717350	523048	178500	2535275	6498775	10883898
175.	एम.ए.पी.पी.	23800	0	0	0	0	0	0	23800
176.	मार्केट मेवर्स	1217540	0	0	0	0	0	0	1217540
177.	मार्केट प्लस	0	119000	0	0	0	0	0	119000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178.	मार्केटिंग एनेलिसीस	0	0	76500	0	0	0	0	76500
179.	मार्कफेड	56100	0	0	0	0	0	0	56100
180.	मारूती	36159	0	0	0	0	0	0	36159
181.	मॉस मार्केटिंग	0	284600	0	0	637500	0	0	922100
182.	मौवलिस एडवरटाइजिंग	14535	0	0	0	0	0	0	14535
183.	मीडिया एड्स	216750	877500	0	0	0	0	0	1094250
184.	मीणा एडवरटाइजिंग	0	85850	0	0	0	0	0	85850
185.	मेहनिक्स	311653	0	0	0	0	0	0	311653
186.	मिनिस्ट्री ऑफ सिविल	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	माइलेज	181050	255850	30600	59160	0	0	0	526660
188.	मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर	0	0	0	0	0	0	0	0
189.	माइलविजन	20400	0	0	0	0	0	0	20400
190.	मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर	0	0	578000	0	0	0	0	578000
191.	माडर्न एडवरटाइजिंग	424150	288250	280500	235600	0	0	0	1278500
192.	मुद्रा कमर्शियल	323872	426700	554175	1562130	329375	2331750	0	5523002
193.	मल्टी चैनल	0	0	0	0	0	19089598	56059500	75149098
194.	एन.ए.सी.	102000	0	0	0	0	0	0	102000
195.	एन.ए.एस.	180804	0	0	0	0	0	0	180804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
196.	एन.टी.सी.	3443	0	0	0	0	0	0	3443
197.	नन्दकिशोर शर्मा	9350	0	0	0	0	0	0	9350
198.	नेशनल एडवरटाइजिंग	28900	6375	26750	0	170000	0	0	232025
199.	नेशनल एडवरटाइजिंग सर्विस	55084	0	0	0	0	0	0	55084
200.	नेशनल डेरीदेव बोर्ड	0	0	0	0	0	467500	0	467500
201.	नेशनल फर्टिलायजर	116726	0	0	0	0	0	0	116726
202.	नेशनल बुक ट्रस्ट	0	0	0	0	21420	0	0	21420
203.	नेशनल इन्स	17850	0	0	0	0	0	0	17850
204.	नेशनल पब्लिक सर्विस	59768	0	0	0	95625	0	0	155393
205.	नेशनल सेविंग्स	30600	0	465200	0	832500	145750	0	1475050
206.	एन.सी.बाई.पी.	0	0	0	1206500	2125	173400	0	1382025
207.	नेटवर्क-7	0	0	0	366925	0	0	0	366925
208.	नेक्सस एडवरटाइजिंग	71400	310250	255000	416500	27625	1165000	242250	2488025
209.	नीना फिल्म्स	0	0	0	0	495975	3568500	4723411	8787886
210.	निम्बस कमर्शियल	0	367000	357000	1619250	0	0	84614423	86957673
211.	नोवा एडवरटाइजिंग	0	285600	0	146250	361750	0	0	793600
212.	नोवल एडवरटाइजिंग	12750	0	0	0	0	0	0	12750
213.	एन.एफ.डी.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214.	एन.टी.पी.सी.	186700	0	0	0	0	0	0	186700
215.	ओ. एण्ड एम.	1306244	1192975	1166800	144500	2613240	1389500	0	7813259
216.	वन अप एड्स	0	0	0	54400	0	0	2293000	2347400
217.	ऑरिंज सिटी	8500	0	0	0	0	0	0	8500
218.	पी.पी. लियो	2652	0	0	0	0	0	0	2652
219.	परफेक्ट पब्लिसिटी	0	0	0	0	2870675	2252500	0	5123375
220.	पद्मजा	76500	0	0	0	0	0	0	76500
221.	परफेक्ट	0	0	0	0	0	218875	828750	1047625
222.	पले पब्लिसिटी	3952	0	0	0	0	0	0	3952
223.	परसेप्ट एडवरटाइजिंग	59500	0	0	0	0	756500	408000	1224000
224.	प्लस चैनल	0	0	0	0	0	26570171	56835537	83405708
225.	प्रताप	8500	0	0	0	0	0	0	8500
226.	प्रतिभा एडवरटाइजिंग	0	51000	312800	0	0	214200	0	578000
227.	प्रेस सिंडीकेट	61625	0	0	342100	8500	867000	896875	2178100
228.	पीपल्स एन्टरप्राइजेस	0	0	0	0	0	0	0	0
229.	प्रेस मैन	430400	0	40300	0	1612875	652800	0	2736375
230.	प्राइम टाइम मीडिया	0	0	0	797938	5118594	0	40224188	46140720
231.	प्रातेश नन्दी	0	0	0	0	0	5146850	16762750	21909400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
232.	प्रोग्रेशिव पब्लिक	17000	0	0	0	0	0	0	17000
233.	प्रोमिनन्ट	0	0	0	34000	246675	7069884	9943651	17294210
234.	पब्लिसिटी पारलेर	54400	95625	342975	153000	0	0	0	646000
235.	पूजा फिल्म्स	0	0	0	0	59500	0	0	59500
236.	पब्लिक एडवरटाइजिंग	0	246500	0	0	0	0	0	246500
237.	पंजाब नेशनल फर्टिलायजर	13750	0	0	0	0	0	0	13750
238.	पंचाय	0	0	0	0	0	0	38250	38250
239.	पूर्णिमा एडवरटाइजिंग	438498	0	966450	0	1530000	3185375	0	6120323
240.	आर.सी.एफ.	46435	114750	0	0	0	0	0	161185
241.	आर.के. स्वामी	2911875	379100	1712075	1931880	318750	214200	0	7467880
242.	आर.के.यू.एम.पी.	177650	0	0	0	0	0	0	177650
243.	आर.टी.एस.	157582	0	0	0	0	0	0	157586
244.	आर.टी.वी.सी.	74800	0	280800	0	0	0	0	355600
245.	रेडियस एडवरटाइजिंग	38250	147900	0	197200	0	0	0	383350
246.	रेडियो टी.वी. एडवरटाइजिंग	0	0	0	0	0	0	0	0
247.	रेडियो एन्टरटेंमेंट	112625	0	0	0	0	0	0	112625
248.	रेडियम	0	0	0	0	0	0	0	0
249.	रेडिया पब्लिक सर्विस	1637111	0	0	0	0	0	0	1637111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250.	रंजीत सेल्स	9259	85000	0	0	0	0	0	94259
251.	राष्ट्रीय एडवरटाइजिंग	8500	810200	120275	125290	129650	7952600	225250	9368765
252.	रसिक पब्लिकेशन	155225	0	366900	0	0	0	0	522125
253.	रतन बत्रा	20400	0	80750	0	0	0	0	101150
254.	रेडिफ्यूजन	899873	0	2011100	2584245	0	1360000	0	6855218
255.	रजिस्टर जनरल इंडिया	0	0	0	0	0	1292000	0	1292000
256.	रैनीसन्स	0	0	0	502023	0	0	0	502023
257.	रेणुके एडवरटाइजिंग	101489	0	0	0	55250	0	0	156739
258.	रिसपॉन्स इंडिया	5100	0	4235975	0	12000	0	0	4253075
259.	रोजर परेरा कन्स्टीट्यून्सी	0	0	864000	0	0	0	0	864000
260.	रोशन एडवरटाइजिंग	275327	0	0	0	0	0	0	275327
261.	रोमेश फिल्म्स	0	0	0	0	1041250	884000	0	1925250
262.	सांई एडवरटाइजिंग	248625	141950	0	0	0	0	0	390575
263.	सरस्वती एन्टरप्राइजेस	26775	0	0	0	0	0	0	26775
264.	सर वीडियो	0	0	0	0	0	0	2040000	2040000
265.	सासी	0	0	154700	0	0	0	0	154700
266.	सरस्वती ऑडियो	0	1487500	0	0	7711979	0	0	9199479
267.	स्कूटर इंडिया	236435	0	0	0	0	0	0	236435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
268.	सागर	0	87400	0	0	0	0	0	87400
269.	सीजन एडवरटाइजिंग	95200	0	217600	0	0	0	0	312800
270.	सहारा इंडिया	0	321300	0	0	0	0	2506575	2827875
271.	शिकारी	10200	30113	0	0	0	0	0	311313
272.	शंकर एडवरटाइजिंग	22100	0	0	0	0	0	0	22100
273.	शेम्स एडवरटाइजिंग	68850	0	1130700	0	0	0	0	1199550
274.	शिल्पी	4080	1172375	0	0	0	0	0	1176555
275.	श्री प्रभाकर	645804	18700	0	0	0	0	0	664504
276.	श्री करिश्मा पिक्चर्स	0	0	0	0	670625	0	2889948	3560573
277.	सिस्टॉस प्रा. लिमिटेड	164900	0	661700	272340	0	0	0	1118940
278.	सिचुएशन	601800	0	316200	0	0	0	0	918000
279.	सितारा विजन	0	1238650	0	0	1434950	4754575	1654100	9082275
280.	स्काँई लॉर्क	8160	63750	0	0	0	0	0	71910
281.	स्मॉल सेविंग	368050	243525	0	0	0	0	0	611575
282.	सौभाग्य एडवरटाइजिंग	223550	0	81600	0	0	2282250	0	2587400
283.	सोनम एडवरटाइजिंग	0	0	589000	0	0	0	0	589000
284.	स्पेक्ट्रम	10625	0	0	0	0	0	0	10625
285.	श्री अम्बिका	0	0	0	395590	68000	0	0	463590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286.	श्री राघवेन्द्र	1663474	908225	1538526	841160	0	0	0	4951385
287.	सृष्टि	60350	611738	33150	0	0	0	0	705238
288.	स्टैण्डर्ड पब्लिकेशन	201627	0	0	0	0	0	0	201627
289.	स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया	689000	0	0	0	0	0	0	689000
290.	स्ट्रॉकन इंडिया लिमिटेड	0	283900	0	0	0	0	4589825	4873725
291.	सरटींग	122606	0	0	0	0	0	0	122606
292.	स्वर सुधा	46308	0	0	47600	0	221000	0	314908
293.	टी.एस.ए.	1233707	571200	1379725	2099500	1318250	629000	2386800	9618182
294.	टी. सरकार	9350	141525	31450	0	0	0	883175	1065500
295.	टी.वी. ब्रैण्ड	0	621350	0	0	0	0	0	621350
296.	द प्रेस सिंडीकेट	0	613700	0	20400	0	0	0	634100
297.	3 ब्रदर्स एण्ड फाइल्स	222700	0	347600	459850	72250	0	0	1102400
298.	टाइम्स एण्ड स्पेस	8925	0	0	0	0	0	0	8925
299.	टी.एन.ई.	0	705500	0	0	0	7591800	28328800	36626100
300.	ट्रेसर	0	0	1524000	1030200	17000	0	0	2571200
301.	त्रिकाया ग्रे	480800	0	1688825	1819510	0	452625	1364250	5806010
302.	ट्रिटोन	0	0	524600	1314100	9948225	0	2728800	14515725
303.	तुलिका एडवरटाइजिंग	0	0	127500	624920	0	0	0	752420
304.	यू.टी.आई.	51000	0	0	0	0	0	0	51000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
305.	यू.टी.वी.	0	0	0	0	0	0	33641092	33641092
306.	उल्का एडवरटाइजिंग	677757	432825	0	0	382500	0	0	1393082
307.	उमा एडवरटाइजिंग	244038	0	0	0	0	0	0	244038
308.	यूनिवर्सल	0	249900	0	0	0	860500	4479887	5590287
309.	अपट्रान	71400	385475	0	0	0	0	0	456875
310.	विक्टा	51000	0	0	0	0	0	0	51000
311.	विहार कमर्शियल	0	0	0	0	0	0	212500	212500
312.	विकल्प	1785	0	0	0	0	0	0	1785
313.	विशाल	3400	0	0	0	0	0	0	3400
314.	विकास	797900	0	0	0	3672000	0	0	4469963
315.	विशेष एडवरटाइजिंग	78500	232475	1634700	243100	0	183600	0	2370375
316.	विजन एडवरटाइजिंग	59351	0	328950	0	0	0	0	388301
317.	विनफिल्ड	0	0	0	0	131750	0	0	131750
318.	वेस्टर्न एडवरटाइजिंग	0	0	153000	45900	0	0	0	198900
319.	डब्ल्यू.डी. कन्चूमर्स	0	0	0	0	3018350	0	3332425	6350775
320.	वर्ल्ड कम मल्टी मीडिया	0	0	0	0	0	866132	4580125	5446257
321.	वर्ल्ड मीडिया	0	0	0	0	0	0	10005684	1005684
322.	यूथ आई.एन.सी.ए.	0	0	0	0	0	0	0	0
323.	जेन कम्युनिकेशन्स	0	0	0	45900	1207000	110500	0	1363400
	कुल	71953095	40580545	69312212	49205184	84855107	205744808	615122364	1136773315

[हिन्दी]

बच्चों पर दूरदर्शन धारावाहिकों का दुष्प्रभाव

*329. **श्रीमती रीना चौधरी:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को टेलीविजन धारावाहिकों के दुष्प्रभाव की जानकारी है जिसके कारण बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं;

(ख) क्या सरकार का महिलाओं को माध्यम बनाकर प्रस्तुत किए जाने वाले भद्दे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है कि अनेक कम्पनियां धर्म के नाम पर विज्ञापनों का आश्रय ले रही हैं;

(घ) क्या सरकार का ऐसे धारावाहिकों के संबंध में कोई कदम उठाने का विचार है जिनके परिणामस्वरूप बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) सरकार एवं प्रसार भारती को इस बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (ङ) कार्यक्रम तथा विज्ञापनों के चयन, उन्हें जारी रखने आदि संबंधी मामले एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय, प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और सरकार इनके बारे में निर्णय नहीं लेती। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उनके मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते हैं जो अंधविश्वासों को प्रोत्साहित करते हों अथवा बच्चों को पीड़ित या अपराध-कर्ता के रूप में हिंसात्मक कार्यों में संलिप्त करते हों या उन्हें इसके लिए प्रेरित करते हों। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि उनके मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह भी व्यवस्था है कि ऐसे किसी विज्ञापन को अनुमति नहीं दी जाएगी जो महिलाओं की अनादर सूचक छवि दर्शाते हों। इसके अतिरिक्त ये मार्गदर्शी सिद्धान्त यह भी सुनिश्चित करते हैं कि महिला रूप का चित्र सुरूचिपूर्ण एवं सौन्दर्यात्मक है और अच्छे सुरूचि एवं शालीनता के स्थापित मानदण्डों के अंतर्गत हैं। प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि दूरदर्शन पर ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं किया जाता है जिसका पूर्णतया अथवा मुख्यतया लक्ष्य धार्मिक प्रवृत्ति हो अथवा जो किसी धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित हों।

[अनुवाद]

स्टूडियो परिसरों की स्थापना

*330. **श्री सुरेश वरपुडकर:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का विचार अगले दो वर्षों में अनेक स्टूडियो परिसर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्टूडियो परिसरों के कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) अगले दो वर्षों में स्थापित किए जाने वाले 15 स्टूडियो परिसरों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार हैं: रांची (बिहार), राजकोट (गुजरात), नागपुर, मुम्बई, पुणे (महाराष्ट्र), ग्वालियर, जगदलपुर, इन्दौर (मध्य प्रदेश), दिल्ली, मथुरा (उत्तर प्रदेश), त्रिचूर (केरल), भवानीपटना (उड़ीसा), पटियाला (पंजाब), गंगटोक (सिक्किम), चण्डीगढ़।

इन स्टूडियो को कार्यक्रम निर्माण और बाहरी कवरेज के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी और इनमें अच्छी किस्म के कार्यक्रम निर्माण करने की क्षमता होगी।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि हालांकि नागपुर (विस्तार), पुणे, इन्दौर, जगदलपुर और ग्वालियर में स्टूडियो परियोजनाओं का संस्थापन पूरा हो गया है, दूरदर्शन का भरसक प्रयास है कि इसकी परियोजना समय पर पूरी हों।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन की निर्माणाधीन परियोजनाएं

*331. **श्री सोम मरांडी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषरूप से बिहार में दूरदर्शन और आकाशवाणी की निर्माणाधीन परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ख) उक्त परियोजनाओं की प्रगति संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं को परियोजना-वार कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) बिहार में विभिन्न क्षमता वाली 4 आकाशवाणी परियोजनाएं तथा 10 दूरदर्शन परियोजनाएं सहित 115 आकाशवाणी परियोजनाएं और 297 विभिन्न दूरदर्शन परियोजनाएं इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

फिलहाल, विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य संगत निवेश मिलने पर चालू योजना अवधि के दौरान चरणों में पूरी की जाने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आकाशवाणी	दूरदर्शन ट्रांसमीटर	स्टूडियो
1	2	3	4	5
1.	असम	7	4	–
2.	आंध्र प्रदेश	6	22	1
3.	अरूणाचल प्रदेश	4	7	–
4.	बिहार	4	9	1
5.	गोवा	–	1	–
6.	गुजरात	7	11	1
7.	हरियाणा	1	5	1
8.	हिमाचल प्रदेश	–	11	–
9.	जम्मू और कश्मीर	5	11	–
10.	कर्नाटक	5	18	–
11.	केरल	6	9	2
12.	मध्य प्रदेश	9	20	3
13.	महाराष्ट्र	7	28	3
14.	मणिपुर	2	2	–
15.	मेघालय	5	2	–
16.	मिजोरम	4	2	–
17.	नागालैण्ड	4	4	–
18.	उड़ीसा	3	23	1
19.	पंजाब	1	1	1
20.	राजस्थान	5	26	1
21.	सिक्किम	1	1	1
22.	तमिलनाडु	7	14	2
23.	त्रिपुरा	3	4	–
24.	उत्तर प्रदेश	6	31	1
25.	पश्चिम बंगाल	5	9	–
26.	दिल्ली	5	–	1

1	2	3	4	5
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	–	–
28.	दमण और द्वीव	–	–	–
29.	पांडिचेरी	1	1	–
30.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	–	–	–
31.	चंडीगढ़	1	–	1
32.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–
	कुल	115	276	21

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की शीर्ष राज्य एजेंसियों की बैठक

*332. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का काम देखने वाली शीर्ष राज्य एजेंसियों की हाल में कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों की भारी मात्रा में होने वाली क्षति को रोकने के लिए कोई रणनीति बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) सरकार फसलोत्तर प्रबंध की बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में सहायता हेतु कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए भी वित्तीय सहायता देती है जिससे क्षति में भी कमी आएगी।

विवरण

बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श से निम्नलिखित मुद्दे उभर कर सामने आए हैं:-

(क) राज्य नोडल एजेंसियों को मजबूत करने के लिए मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया जाना चाहिए।

(ख) मंत्रालय को राज्य नोडल एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

(ग) मंत्रालय द्वारा खाद्य पार्कों की स्थापना हेतु दी जाने वाली सहायता में बढ़ोत्तरी करने पर विचार किया जाना चाहिए।

(घ) मंत्रालय को सिक्योरिटी के रूप में केवल बैंक गारंटी पर बल नहीं देना चाहिए।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के घाटे में चलने के कारणों का पता लगाने और उनके पुनर्गठन हेतु रणनीतियां बनाने के लिए प्रयास किए जाएं।

(च) राज्य नोडल एजेंसियों को भावी उद्यमियों के लिए परियोजना रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जिसके लिए मंत्रालय लागत का भागी हो सकता है।

(छ) मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए राज्य नोडल एजेंसियों को अच्छी और व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करनी चाहिए।

(ज) परियोजनाओं को प्रायोजित करने से पूर्व राज्य नोडल एजेंसियों को उनकी व्यावसायिक जांच करनी चाहिए।

(झ) राज्य नोडल एजेंसियां प्रचार, डाटा बेस तैयार करने और मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए मंत्रालय के निकट सहयोग से कार्य करेंगी।

कमीशंड टी.वी. धारावाहिकों का प्रसारण

*333. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कमीशंड तथा वास्तव में प्रसारित किए गए दूरदर्शन धारावाहिकों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा उनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और उनसे कितनी आय अर्जित की गई;

(ख) ऐसे स्वीकृत कमीशंड दूरदर्शन धारावाहिकों अथवा कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है जिन्हें आज तक प्रसारित नहीं किया गया है और वे किस तारीख से लम्बित पड़े हैं; और

(ग) कमीशंड लेकिन प्रसारित न किए गये कार्यक्रमों पर भारी सरकारी धनराशि की बर्बादी के लिए यदि कोई उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सस्ते होटलों की कमी

*334. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कम बजट वाले होटलों की राज्यवार/स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार मध्यम वर्ग के स्वदेशी पर्यटकों के लिए सस्ते होटलों की कमी से अवगत है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) भारत पर्यटन विकास निगम, जो पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, निम्नलिखित होटलों में पर्यटकों को 500 रुपए से 1500 रुपए प्रतिदिन (एकल अधिभोग आधार पर) की रेंज में आवास प्रदान करता है:-

(1) अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली

(2) होटल रणजीत, नई दिल्ली

(3) लोधी होटल, नई दिल्ली

(4) होटल औरंगाबाद अशोक, महाराष्ट्र

(5) होटल हसन अशोक, कर्नाटक

(6) होटल लेक व्यू अशोक, भोपाल (मध्य प्रदेश)

(7) होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी (असम)

(8) होटल नीलांचल अशोक, पुरी (उड़ीसा)

(9) होटल रांची अशोक, रांची (बिहार)

(10) होटल पांडिचेरी अशोक (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र)

(11) होटल डोनी पोलो अशोक, ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश)

(ख) जी, हां।

(ग) कम बजट के होटलों को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित होटल ऋणों पर कर छूट और ब्याज इमदाद जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। पर्यटन मंत्रालय, पर्यटक परिसरों, पर्यटक लॉजों और यात्री निवासों जैसी पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों में नियुक्ति संबंधी नीति

*335. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में थल सेना, वायु सेना और नौसेना में नियुक्ति संबंधी वर्तमान प्रणाली और प्रक्रिया की कटु आलोचना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किए गए सरकार के विचार क्या हैं;

(ग) रक्षा बलों में नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया को युक्तिसंगत और परिष्कृत बनाने के लिए प्रस्तावित परिवर्तन यदि कोई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौसेनाध्यक्ष की पदच्युति के अभूतपूर्व निर्णय पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सशस्त्र सेनाओं में चयन व नियुक्तियों की मौजूदा प्रक्रिया समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और यह संतोषजनक रूप से चल रही है। अत: सशस्त्र सेनाओं में नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) एडमिरल विष्णु भागवत द्वारा नौसेनाध्यक्ष के रूप में बने रहने की योग्यता में राष्ट्रपति महोदय का विश्वास खो देने के कारण राष्ट्रपति महोदय ने नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 15(1) तथा तत्संबंधी अन्य सभी प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडमिरल भागवत की सेवाएं समाप्त कर दीं और उन्हें 30 दिसंबर, 1998 से सेवामुक्त कर दिया गया। इस सारे मामले पर सावधानी और गंभीरतापूर्वक समुचित विचार करने के बाद ही उपर्युक्त निर्णय लिया गया था। यह देखने में आया था कि उक्त अधिकारी रक्षा सेनाओं पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण की सुस्थापित व्यवस्था की अवहेलना करते हुए बहुत से कार्य कर रहे थे।

[हिन्दी]

पालेकर और बछावत वेतन बोर्ड

*336. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिए सरकार द्वारा गठित पालेकर तथा बछावत वेतन बोर्डों की सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्तमान वेतन बोर्ड के गठन के कारण क्या थे; और

(ग) सरकार द्वारा पालेकर और बछावत वेतन बोर्डों की सिफारिशों को लागू कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) पालेकर पंचाट, जो वर्ष 1980 में प्रस्तुत किया गया था और सरकार ने स्वीकार किया था, कि सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, 1989 में स्वीकार किए गए बछावत पंचाट के सम्बन्ध में, 1703 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से 637 ने पूरी तरह और 26 ने आंशिक रूप में सिफारिशें क्रियान्वित की हैं।

पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड, विगत में लगभग 90 वर्षों के अन्तराल के पश्चात् गठित किया गया है। बछावत वेतन बोर्ड का गठन 1985 में किया गया था और पहले ही लगभग नौ वर्षों का समय बीत चुका था, अत: सरकार ने दिसम्बर, 1994 में मनिसाना वेतन बोर्ड के गठन का निर्णय लिया।

क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है तथापि, केन्द्र सरकार बछावत पंचाट की सिफारिशों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों पर जोर डालती रही है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को उच्च स्तर पर समय-समय पर पत्र लिखे गए थे। बछावत पंचाट के प्रवर्तन के पश्चात् पालेकर पंचाट का उपयोग नहीं रह गया।

[अनुवाद]

असंगठित श्रमिकों का कल्याण

*337. **श्री डी.एस. अहिरे :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में असंगठित श्रमिकों के कल्याण तथा इनकी स्थितियों में सुधार लाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक वर्ष राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इसके अन्तर्गत कितने असंगठित श्रमिक लाभान्वित हुए?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) सरकार ने असंगठित श्रम सहित श्रम हितों के संरक्षण के लिए अनेक श्रम

कानून अधिनियमित किए हैं। इनमें से कुछ कानून हैं: न्यूनतम मजदूरी, अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, उत्पादन संदाय अधिनियम, 1962, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1969, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976, आदि। लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोम, अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और अभ्रक खानों तथा सिने उद्योग एवं बीड़ी उद्योग में लगे कर्मकार भी सम्बन्धित कल्याण निधियों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के दायरे में आते हैं। राज्य सरकारों ने हथकरघा, बुनकरों, रिक्शाचालकों आदि जैसे निर्माण क्रियाकलापों में लगे कर्मकारों की बड़ी संख्या को परिधि में लेते हुए बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। इन असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र में कर्मकारों के नियोजन की गुणवत्ता और सेवा शर्तों में सुधार किया गया है और यह सरकार की चिन्ता का प्रमुख विषय बना हुआ है।

सरकार, देश में ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के कल्याण और परिस्थितियों में सुधार करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.), स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.) आदि जैसी अनेक योजनाएं भी चला रही है।

पिछले तीन वर्षों में किए गए ऐसे उपायों का संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण (राज्यवार तथा वर्षवार)

(रु. लाखों में)

राज्य/संघ शा. क्षेत्र	वर्ष	योजना का नाम				
		*आई.आर.डी.पी.	ई.ए.एस.	*ज.रो.यो.	ट्राइसेम	डी.डब्ल्यू.सी.आर.
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1995-96	8336.41	18187.50	37232.40	684.92	718.75
	1996-97	8336.41	25137.50	17372.39	684.92	718.75
	1997-98	8612.23	20925.00	19410.49	684.92	718.75
अरूणाचल प्रदेश	1995-96	623.43	2323.75	329.58	51.22	44.75
	1996-97	623.43	2126.25	178.30	51.22	44.75
	1997-98	644.07	2362.50	199.22	51.22	44.75
असम	1995-96	2743.50	10025.00	10820.18	225.40	283.75
	1996-97	2743.50	13525.00	5718.18	225.40	283.75
	1997-98	2834.27	10740.00	6389.02	225.40	283.75

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	1995-96	16218.24	20287.50	78598.18	1274.48	760.50
	1996-97	16218.24	26556.25	34075.58	1274.48	760.50
	1997-98	16754.81	22792.50	38073.25	1274.48	760.50
गोवा	1995-96	141.87	—	356.09	11.66	9.00
	1996-97	141.87	100.00	192.65	11.66	9.00
	1997-98	146.57	175.00	215.25	11.66	9.00
गुजरात	1995-96	3059.22	8712.50	14754.11	251.34	258.25
	1996-97	3059.22	7312.50	6376.25	251.34	258.25
	1997-98	3160.43	5400.00	7124.30	251.34	258.25
हरियाणा	1995-96	735.33	4150.00	3398.28	60.40	146.50
	1996-97	735.33	3350.00	1531.81	60.40	146.50
	1997-98	759.67	3337.50	1711.52	60.40	146.50
हिमाचल प्रदेश	1995-96	239.78	562.50	1149.09	19.80	76.00
	1996-97	239.78	1987.50	612.16	19.80	76.00
	1997-98	247.71	3187.50	683.98	19.80	76.00
जम्मू और कश्मीर	1995-96	999.09	8425.00	3381.00	140.00	220.00
	1996-97	999.09	4825.00	1243.93	140.00	220.00
	1997-98	1032.15	5950.00	1389.86	140.00	220.00

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	1995-96	5594.91	13712.50	24422.41	459.84	387.00
	1996-97	5594.91	14450.00	11665.34	459.84	387.00
	1997-98	5780.01	13250.00	13033.90	459.84	387.00
केरल	1995-96	2036.15	2312.50	8029.34	167.28	180.00
	1996-97	2036.15	3562.50	4244.16	167.28	180.00
	1997-98	2103.50	4986.25	4742.06	167.28	180.00
मध्य. प्रदेश	1995-96	10565.39	28675.00	51119.46	867.96	696.75
	1996-97	10565.39	26337.71	22014.51	867.96	696.75
	1997-98	10914.93	26884.81	24597.22	867.96	696.75
महाराष्ट्र	1995-96	9087.73	14325.00	41658.79	746.64	572.00
	1996-97	9087.73	8412.50	18937.55	746.64	572.00
	1997-98	9388.40	14168.14	21159.27	746.64	572.00
मणिपुर	1995-96	449.59	1125.00	425.45	36.94	61.25
	1996-97	449.59	1350.00	228.53	36.94	61.25
	1997-98	464.47	1012.50	255.34	36.94	61.25
मेघालय	1995-96	477.57	312.50	496.31	39.24	110.00
	1996-97	477.57	612.50	267.40	39.24	110.00
	1997-98	493.36	275.00	298.77	39.24	110.00

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम	1995-96	201.82	1500.00	208.04	16.58	17.00
	1996-97	201.82	1500.00	112.65	16.58	17.00
	1997-98	208.50	1000.00	125.87	16.58	17.00
नागालैण्ड	1995-96	335.69	2600.00	526.28	27.58	30.50
	1996-97	335.69	3482.50	286.64	27.58	30.50
	1997-98	346.81	2625.00	320.27	27.58	30.50
उड़ीसा	1995-96	6763.85	14325.00	30642.94	555.72	405.75
	1996-97	6763.85	20534.44	14093.11	555.72	405.75
	1997-98	6967.62	18401.98	15746.49	555.72	405.75
पंजाब	1995-96	521.53	—	1969.93	43.00	165.75
	1996-97	521.53	1225.00	1089.39	43.00	165.75
	1997-98	538.77	2300.00	1217.19	43.00	165.75
राजस्थान	1995-96	4388.01	17537.50	20825.10	360.52	309.50
	1996-97	4388.01	12987.50	9146.40	360.52	309.50
	1997-98	4533.18	11581.25	10219.44	360.52	309.50
सिक्किम	1995-96	55.95	412.50	341.93	4.60	43.50
	1996-97	55.95	275.00	104.36	4.60	43.50
	1997-98	57.79	275.00	116.61	4.60	43.50

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	1995-96	7537.14	10512.50	32634.06	619.24	487.75
	1996-97	7537.14	18406.25	15704.96	619.24	487.75
	1997-98	7786.50	23400.00	17547.44	619.24	487.75
त्रिपुरा	1995-96	641.42	1950.00	558.65	52.68	22.50
	1996-97	641.42	2700.00	296.83	52.68	22.50
	1997-98	662.64	1800.00	331.65	52.68	22.50
उत्तर प्रदेश	1995-96	20316.50	19450.00	87188.55	1669.12	1017.00
	1996-97	20316.50	26630.94	42334.91	1669.12	1017.00
	1997-98	20988.66	39310.08	47301.56	1669.12	1017.00
पश्चिम बंगाल	1995-96	7472.20	11550.00	33287.71	613.84	451.50
	1996-97	7472.20	12712.50	15569.34	613.84	451.50
	1997-98	7719.41	9737.50	17395.91	613.84	451.50
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1995-96	70.94	40.00	154.18	11.74	5.80
	1996-97	70.94	0.00	84.41	11.74	7.25
	1997-98	73.29	80.00	94.31	11.74	7.25
दादरा और नगर हवेली	1995-96	14.99	30.00	83.92	2.48	3.20
	1996-97	14.99	60.00	45.81	2.48	4.00
	1997-98	15.49	30.00	51.18	2.48	4.00

1	2	3	4	5	6	7
दमण और दीव	1995-96	27.97	20.00	49.28	4.62	2.80
	1996-97	27.97	20.00	26.99.	4.62	3.50
	1997-98	28.90	0.00	30.16	4.62	3.50
लक्षद्वीप	1995-96	6.99	100.00	76.70	1.16	3.20
	1996-97	6.99	140.00	42.32	1.16	4.00
	1997-98	7.22	0.00	47.28	1.16	4.00
पांडिचेरी	1995-96	57.95		151.86	5.00	2.20
	1996-97	57.95	60.00	82.64	5.00	4.00
	1997-98	59.87	60.00	92.34	5.00	4.00
अखिल भारत	1995-96	109721.16	213163.75	484869.77	9025.00	7495.45
	1996-97	109721.16	242379.34	223679.48	9025.00	7500.00
	1997-98	113351.23	246047.50	249921.18	#9025.00	7500.00

*कुल आबंटन

#वर्ष 1997-98 के लिए ट्राइसेम के अंतर्गत आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ज.रो.यो. लाख सृजित श्रम दिवस			ई.ए.एस. लाख सृजित श्रम दिवस			आई.आर.डी.पी. लाभाधिकारियों की संख्या		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	701.57	329.75	310.98	252.42	437.00	488.26	122863	203135	162117
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.24	2.79	2.88	50.67	39.00	43.66	14381	4956	12799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	179.08	91.54	107.69	181.82	162.00	207.76	59030	23062	39585
4.	बिहार	1197.03	460.02	533.04	254.44	324.00	420.45	265525	241026	196849
5.	गोवा	8.38	5.30	2.55		0.00	2.92	1486	1962	897
6.	गुजरात	209.42	105.20	82.81	92.45	123.00	92.71	55686	47545	41822
7.	हरियाणा	33.50	13.08	11.12	52.11	24.00	18.45	29771	17202	10853
8.	हिमाचल प्रदेश	21.45	10.62	10.11	6.86	13.00	35.65	6606	7990	5548
9.	जम्मू और कश्मीर	48.23	18.36	24.05	129.96	92.00	132.17	13189	7929	13643
10.	कर्नाटक	524.89	250.94	265.91	268.73	314.00	349.41	119685	116900	94688
11.	केरल	127.75	55.45	41.82	32.47	29.00	47.26	43357	48690	44191
12.	मध्य प्रदेश	759.46	349.02	347.15	388.02	379.00	447.46	210692	168123	138810
13.	महाराष्ट्र	1014.47	455.08	527.74	293.23	310.00	363.24	181597	161018	147640
14.	मणिपुर	9.34	3.49	2.16	31.21	17.00	15.38	6077	7256	4258
15.	मेघालय	4.86	6.96	4.54	8.30	6.00	7.72	4534	6822	5167
16.	मिजोरम	5.20	2.46	1.91	40.91	32.00	17.88	5085	1360	2876
17.	नागालैण्ड	5.76	11.65	7.71	49.00	73.00	73.95	2531	2915	3433
18.	उड़ीसा	678.31	314.19	299.82	311.06	439.00	382.14	120669	91249	75373
19.	पंजाब	6.44	7.85	12.83		—	4.55	11786	7160	6107
20.	राजस्थान	361.72	168.12	196.14	288.02	213.00	250.06	92818	70304	60619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	सिक्किम	9.27	2.63	2.65	16.01	4.00	7.41	2843	1483	1792
22.	तमिलनाडु	1069.75	488.60	388.81	211.35	468.00	558.28	183895	152597	180696
23.	त्रिपुरा	18.43	10.38	7.31	43.20	45.00	54.46	14657	13725	11668
24.	उत्तर प्रदेश	1532.66	658.38	599.49	328.23	320.00	522.76	355916	364553	351146
25.	पश्चिम बंगाल	416.75	178.53	154.62	143.08	163.00	138.60	161724	110280	91733
26.	अ. और नि. द्वीप समूह	2.59	0.82	0.15	0.11	0.00	0.14	832	276	628
27.	दादरा और नगर हवेली	0.64	1.02	0.49	0.23	0.00	0.35	274	168	179
28.	दमण और दीव	1.11	0.50	0.56	0.36	0.00	0.34	310	178	188
29.	लक्षद्वीप	1.05	0.88	1.46	1.02	2.00	1.46	18	30	27
30.	पांडिचेरी	3.10	2.91	0.63		0.00	0.14	1563	1293	1107
	कुल	8958.25	4006.32	3949.13	3465.27	4028.00	4685.02	2089400	1881206	1706609

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. बनाए गए समूह			ट्राइसेम शिक्षित युवक		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	246923	17737	7178	19846	19846	20850
2.	अरूणाचल प्रदेश	1760	126	154	1277	1277	252
3.	असम	12842	823	155	10317	10317	7302
4.	बिहार	37570	2415	1767	26287	26287	33337

1	2	12	13	14	15	16	17
5.	गोवा	540	36	36	3896	3896	1769
6.	गुजरात	14152	1026	1375	10958	10958	7284
7.	हरियाणा	8562	711	553	3582	3582	1541
8.	हिमाचल प्रदेश	3214	129	283	894	894	857
9.	जम्मू और कश्मीर	8011	705	695	4326	4326	2252
10.	कर्नाटक	8342	2128	2243	16602	16602	15914
11.	केरल	8378	962	1355	4860	4860	3846
12.	मध्य प्रदेश	15505	1136	2717	60107	60107	14125
13.	महाराष्ट्र	27333	2522	2324	5764	5764	13841
14.	मणिपुर	3952	265	247	117	117	836
15.	मेघालय	2027	360	261	292	292	361
16.	मिजोरम	509	66	136	692	692	552
17.	नागालैण्ड	1302	170	18	227	227	0
18.	उड़ीसा	23989	2094	1730	16589	6388	14951
19.	पंजाब	7734	482	529	2670	2670	1656
20.	राजस्थान	13060	600	251	9269	9269	3179
21.	सिक्किम	1644	25	126	408	408	216

1	2	12	13	14	15	16	17
22.	तमिलनाडु	4572	1549	2041	11561	11561	10972
23.	त्रिपुरा	1730	149	139	3838	3838	3503
24.	उत्तर प्रदेश	79864	3404	6098	63721	63721	65875
25.	पश्चिम बंगाल	11092	1758	1986	22557	22557	16088
26.	अ. और नि. द्वीप समूह	304	59	28	279	279	293
27.	दादरा और नगर हवेली	225	0	0	0	0	151
28.	दमण और दीव	110	9	0	87	87	82
29.	लक्षद्वीप	7	2	6	3	3	0
30.	पांडिचेरी	9	14	14	625	625	138
	कुल	697088	41462	34445	301651	291450	242025

*लाभान्वित सदस्य

पर्यटक स्थलों के आस-पास सांस्कृतिक परिवेश

*338. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**
डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के पर्यटन स्थलों के आस-पास के सांस्कृतिक परिवेश में सुधार लाने हेतु एक योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक महोत्सव के लिए चयन किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय की "स्मारकों के सौन्दर्यीकरण" की एक योजना है जिसके अधीन स्मारकों/हैरीटेज भवनों के सौन्दर्यीकरण और आस-पास के पर्यावरण में सुधार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्मारकों के सौन्दर्यीकरण हेतु परियोजनाओं को राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय अभिनिर्धारित मेलों और उत्सवों के संवर्धन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चालू वित्त वर्ष के लिए मंत्रालय ने 124 मेलों और उत्सवों को अभिनिर्धारित किया है।

स्थलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मेलों और उत्सवों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. दक्कन उत्सव
2. रॉयलसेमा फूड एण्ड डांस उत्सव
3. विशाखा उत्सव
4. लुम्बिनी उत्सव

असम

1. टी एण्ड टूरिज्म उत्सव
2. रंगोली बिहू
3. ब्रह्मपुत्र बीच उत्सव

बिहार

1. सोनपुर मेला
2. वैशाली महोत्सव
3. राजगीर डांस एण्ड फूड उत्सव
4. छोटानागपुर अदवासी मेला
5. पाटलिपुत्र महोत्सव

गोवा

1. अंतर्राष्ट्रीय सी फूड उत्सव
2. कार्निवाल
3. शिगमो (होली)

गुजरात

1. नवरात्रि उत्सव
2. कच्छ उत्सव (रन ऑफ कच्छ)
3. तारनेत्र उत्सव
4. पतंग उत्सव

हरियाणा

1. सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला
2. कुरूक्षेत्र उत्सव
3. गार्डन उत्सव
4. कार्तिक कल्चरल उत्सव

हिमाचल प्रदेश

1. कुल्लू उत्सव
2. शीत उत्सव
3. मिंजौर फेयर चम्बा
4. सम्मर उत्सव
5. लावी फेयर

जम्मू और कश्मीर

1. लद्दाख उत्सव
2. पूजा उत्सव
3. मनसर

कर्नाटक

1. विजयनगर हम्पी उत्सव (बेल्लारी)
2. नवरसपुर उत्सव (बीजापुर)
3. हेलीबिड पर होयसाला महोत्सव (हासन)
4. पट्टाडकक उत्सव

केरल

1. द ग्रेट एलीफेंट मार्च
2. निशा गांधी डांस उत्सव
3. ओनम
4. स्नेक बोट रेस
5. केरल विलेज उत्सव
6. पर्यटन सप्ताह का आयोजन

मध्य प्रदेश

1. खजुराहो उत्सव
2. पंचमढ़ी उत्सव
3. मांडु उत्सव
4. ओरछा-शिवपुरी-ग्वालियर-आगरा-झांसी उत्सव
5. तानसेन समारोह (ग्वालियर)
6. खजुराहो मिलेनियम

महाराष्ट्र

1. एलीफेंट उत्सव (मुम्बई)
2. गणेश उत्सव (पुणे और मुम्बई)
3. एल्लौरा उत्सव (औरंगाबाद)
4. बांगंगा (मुम्बई)
5. काला घाडा फेयर (मुम्बई)
6. कारवीर कोल्हापुर (कोल्हापुर)
7. नागपुर में कालीदास उत्सव

मेघालय

1. ऑटम्न उत्सव

मणिपुर

1. कुट उत्सव
2. महारास उत्सव
3. नागास की लुई न्गाई नी उत्सव
4. गन नगाई
5. याओसांग (तोलजतराद्ध)
6. बसंत यात्रा
7. कंग (रथ यात्रा)
8. हरिकुई हिंडोंग्बा
9. निंगोई चक्काउरा

मिजोरम

1. चपचारकुट

उड़ीसा

1. रथ यात्रा (पूरे उड़ीसा में)
2. केन्द्रपाडा यात्रा
3. बारीपाडा यात्रा
4. बाली यात्रा (कटक)
5. बीच उत्सव (पुरी)
6. कोणार्क डांस उत्सव (कोणार्क)

पंजाब

1. होला मोहल्ला
2. हरबल्लभ संगीत सम्मेलन (जालंधर)
3. रूरल स्पोर्ट्स मेला किला रायपुर
4. बाबा फरीद मेला (लुधियाना)
5. हस्न शाह मेला
6. बैशाखी

पांडिचेरी

1. फेटे ए पांडिचेरी योगा उत्सव
2. फूड उत्सव पांडिचेरी

राजस्थान

1. बीकानेर उत्सव
2. नागौर फेयर
3. डेजर्ट उत्सव जैसलमेर
4. बाडमेर कन्ना उत्सव
5. बुंदी उत्सव
6. मारवाड उत्सव
7. दादरा और नागर हवेली

सिक्किम

1. फ्लॉवर शो
2. हथकरघा प्रदर्शनी
3. टी एण्ड टूरिज्म उत्सव

त्रिपुरा

1. बोट रेस
2. नीर महल

तमिलनाडु

1. माम्मलापुरम में नृत्य उत्सव
2. नाट्यंजलि उत्सव, चिदाम्बरम
3. सम्मर उत्सव, ऊटी
4. चिथरै उत्सव, मदुरै
5. टी. एण्ड टूरिज्म उत्सव - कुन्नूर

उत्तर प्रदेश

1. झांसी महोत्सव
2. ताज महोत्सव
3. अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव
4. लखनऊ उत्सव
5. कुमाउं उत्सव
6. गढ़वाल उत्सव
7. बोध महोत्सव

पश्चिम बंगाल

1. विष्णुपुर उत्सव
2. कलकत्ता उत्सव
3. सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग टी उत्सव

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

1. आइलैंड टूरिस्ट उत्सव

चंडीगढ़

1. रोज उत्सव
2. गार्डन उत्सव
3. मेक चंद

अरूणाचल प्रदेश

1. नातामला-दु-उत्सव
2. त्वांग उत्सव
3. न्योकुम उत्सव
4. मोपिन उत्सव
5. ओरछिद उत्सव
6. इंटरनेशनल बूमेन
7. इंटरप्रेन्यूर्स मीटिंग
8. ईटानगर में सम्मेलन

नागालैंड

1. शीत उत्सव

दिल्ली

1. रोशनहार उत्सव
2. शालीमार उत्सव
3. कुतुब उत्सव
4. गार्डन उत्सव
5. चांदनी चौक उत्सव

बाल चलचित्र

*339. **श्री भेरूलाल मीणा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल चलचित्रों का बहुत ही कम निर्माण किया जाता है और राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बहुत कम बाल चलचित्र प्रदर्शित किए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो निर्माताओं को और अधिक बाल चलचित्रों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) एक विशेष आयु वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली बाल फिल्मों का सीमित बाजार है तथा इन्हें सीमित संख्या में बनाए जाने की प्रवृत्ति है। वार्षिक राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित फिल्मों में पुरस्कार जीतने वाली फिल्में शामिल होती हैं। प्रति वर्ष पुरस्कार योजना में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्में शामिल होती हैं तथा इन फिल्म को अन्य पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों के साथ राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया जाता है।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन पंजीकृत संस्था राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र की स्थापना विभिन्न भाषाओं में बाल फिल्मों का निर्माण करने के लिए की गयी है। सरकार बाल फिल्मों के निर्माण, प्राप्ति तथा प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र को अनुदान सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र विभिन्न देशों की बाल फिल्मों का प्रदर्शन करके बाल फिल्म आन्दोलन को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से द्विवार्षिक बाल एवं युवा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का भी आयोजन करता है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बाल फिल्मों के रूप में प्रमाणित फिल्मों को सामान्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा मनोरंजन कर से छूट दी जाती है।

प्रमुख पत्तनों को रेल द्वारा जोड़ा जाना

*340. **श्री रंजीब बिस्वाल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी प्रमुख पत्तनों को रेल द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई संभाव्यता अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) देश में सभी प्रमुख पत्तन पहले ही रेल द्वारा जुड़े हुए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भर्ती में भ्रष्टाचार

3341. **श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड, भोपाल की चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के कितने मामले हुए;

(ख) उनमें से कितने मामले विभिन्न जांच एजेंसियों को सौंपे गए;

(ग) कितने मामले निपटाए गए और कितने विभाग में लंबित हैं; और

(घ) क्या अधिकतर अभ्यर्थियों ने जांच कार्य के दौरान अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है जिससे जांच प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और परिणामस्वरूप कुछ अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने से वंचित रह गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) 13

(ख) सभी 13 मामले विभिन्न जांच एजेंसियों को सौंपे गए थे।

(ग)	निपटाए गए मामले	7
	लंबित मामले	6

(घ) जी नहीं। केवल एक चयनित उम्मीदवार सतर्कता जांच के कारण टिकट कलक्टर के पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका। जांच-पड़ताल के पूरा होने के बाद उनका नाम दक्षिण-पूर्व रेलवे के उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए स्वीकृत कर दिया गया।

[अनुवाद]

नौवीं योजना के दौरान रक्षा उत्पादन

3342. श्री संदीपान थोरात : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के लिए रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुराने युद्धपोतों और पनडुब्बियों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) चालू परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों और विशेषकर महाराष्ट्र में परियोजनाओं हेतु महत्वपूर्ण विशेषताओं सहित नई परियोजनाओं के लिए अंतिम रूप दिए गए/विचाराधीन स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डी.आर.डी.ओ. के विचाराधीन कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) स्वदेशीकरण एक सतत प्रयास है और यह नौवीं योजनावधि में भी इसी प्रकार चलता रहेगा। इसमें सेनाओं की अल्पावधिक और दीर्घावधिक आवश्यकताओं, धनराशि की उपलब्धता, प्रौद्योगिकीय क्षमता और स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास में प्रगति को ध्यान में रखा जाएगा। मंत्रालय और सेनाएं अपनी समग्र आवश्यकताएं बताती हैं जिसके बाद आयुध निर्माणियां और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपने स्वदेशीकरण कार्यक्रम तैयार करते हैं।

(ग) क्षमता में सुधार और नौसैनिक बेड़े का आधुनिकीकरण नौवीं योजना के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।

(घ) और (ङ) क्रियान्वित परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति के ब्यौरे संवेदनशील जानकारी को प्रकट कर सकते हैं, जो जनहित में नहीं होगा।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

3343. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे स्टेशनों विशेषरूप से प्रकाशम जिले में ओंगोल रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) कई रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यात्रियों की मात्रा, स्टेशन की महत्ता और स्टेशनों पर रुकने वाली गाड़ियों की संख्या पर आधारित अर्हता के अनुसार इन पर विचार किया गया था। तदनुसार, आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद, हैदराबाद, काजीपेट, तांदूर, विजयवाड़ा, पालाकोल, नरसारावपेट, कुड्डापाह, रेणिगुंटा गुंतूर, तिरुपति, समालकोट, राजमुंदरी, काकिनाडा टाउन, काचेगुडा और बेल्लमपल्ली स्टेशनों पर सुधार/आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

जहां तक ओंगोल का संबंध है, वहां यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाएं पहले ही मुहैया कराई गई है। मौजूदा सुविधाओं के संवर्धन के लिए जल बूथों की व्यवस्था, वी.आई.पी. लाउन्ज का वातानुकूलन, विश्राम गृहों तथा प्रतीक्षालय तथा निरामिष अल्पाहार गृहों का पुनरुद्धार और 24 सवारी डिब्बों की सम्हलाई के लिए प्लेटफार्म 1 से 3 को समतल और विस्तार करने के कार्य 10.94 लाख रु. की कुल लागत पर शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

पटना-गया रेल लाइन का दोहरीकरण

3344. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या बिहार की पटना-गया रेल लाइन के दोहरीकरण किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसका दोहरीकरण कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) इकहरी लाइन वाले खंडों का दोहरीकरण तब किया जाता है जब खंड की वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है। अत्यधिक माल यातायात वाले खंडों को प्राथमिकता दी जाती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) चरण-1 : पटना-परसा बाजार पूरा होने वाला है।

चरण-2 : परसा बाजार-पुनपुन प्रगति पर है।

चरण-3 : पुनपुन-तरेगना 1999-2000 के बजट में शामिल किया गया है। शेष खंड को आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

(घ) और (ङ) संपूर्ण पटना-गया खंड के दोहरीकरण कार्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य को आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्रम समिति का 35वां अधिवेशन

3345. श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :
श्री विकास चौधरी :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री सुशील खां :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों को स्थायी श्रम समिति के 35वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के लिए किन मंत्रालयों को आमंत्रित किया गया था और उनमें से कौन बैठक में भाग नहीं ले सकें; और

(ग) केन्द्रीय मंत्रालयों के उन प्रतिनिधियों के पदनाम क्या है जिन्होंने बैठक में भाग लेकर उसे संबोधित किया?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) उन्नीस केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों अर्थात् (1) योजना आयोग, (2) कृषि और सहकारिता (3) कोयला, (4) वाणिज्य, (5) पर्यावरण और वन, (6) व्यय, (7) गृह मंत्रालय (अंतर्राज्यिक परिषद), (8) सामाजिक न्याय, (9) महिला और बाल विकास, (10) भारी उद्योग, (11) औद्योगिक विकास, (12) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, (13) विद्युत, (14) रेलवे, (15) वस्त्र, (16) शहरी कार्य और रोजगार, (17) रसायन और पेट्रो-रसायन, (18) दूर-संचार और (19) डाक विभाग को 6.2.99 को नई दिल्ली में आयोजित स्थायी श्रम समिति के 35वें सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस सत्र में अपर सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया लेकिन औद्योगिक नीति, संवर्धन और औद्योगिक विकास विभाग और विद्युत मंत्रालय से निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। व्यय विभाग और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग नहीं लिया। केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में तभी हस्तक्षेप किया जब उसकी आवश्यकता महसूस की गई अथवा जब अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बोलने के लिए कहा। समय की कमी के कारण श्रम मंत्रालय को छोड़कर केन्द्रीय मंत्रालय के किसी प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अवसर नहीं मिला।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालय

3346. श्री हरिभाई चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के प्रत्येक रोजगार कार्यालय में कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं; और

(ख) इनमें से रोजगार कार्यालयवार पंजीकृत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रोजगार चाहने वालों सहित गुजरात के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

30.06.98 की स्थिति के अनुसार गुजरात के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

क्रमांक	रोजगार कार्यालय	योग	अनु. जाति (योग में शामिल)	अनु. ज. जाति (योग में शामिल)
1	2	3	4	5
1.	अमरेली	18.1	4.4	0.2
2.	अहमदाबाद	141.1	43.4	3.5
3.	आहवा डांगस्	4.1	0.1	3.2
4.	बड़ौदा (लिपिकीय)	33.9	8.8	–
5.	बड़ौदा (तकनीकी)	28.2	8.2	–
6.	बड़ौदा (विकलांग)	1.2	0.2	–
7.	भावनगर	30.6	5.1	0.6
8.	भरूच	33.7	3.8	–
9.	भुज-कुच	25.2	3.8	1.0
10.	छोटा उदयपुर	13.6	13.6	–
11.	धर्मपुर	16.3	–	16.3
12.	डहोड	18.6	1.5	–
13.	गांधीनगर	25.9	7.9	0.9
14.	गोध्रा	34.0	4.0	–

1	2	3	4	5
15.	हिम्मतनगर	44.3	10.0	–
16.	जाननगर	27.3	8.4	0.5
17.	जुरागढ़	44.6	4.8	0.5
18.	मान्डवी	8.0	–	8.0
19.	महसाणा	49.9	17.4	0.7
20.	नाडियाड	80.0	14.1	1.0
21.	पालनपुर	36.8	8.7	2.0
22.	पोरबन्दर	9.5	1.5	0.2
23.	राजकोट	50.9	8.8	0.9
24.	राजपीपला	8.8	–	8.8
25.	सोनगढ़	8.8	–	8.8
26.	सूरत	28.1	5.7	–
27.	सुरेन्द्र नगर	29.2	8.9	0.4
28.	वलसाड	19.9	2.7	–
29.	खेडब्रह्मा	9.5	–	9.5
30.	पाटन	25.7	उ.न.	उ.न.
	वि.रो.सू.मा. ब्यूरो			
31.	अहमदाबाद	4.9	0.7	0.1

1	2	3	4	5
32.	बड़ौदा	2.6	0.2	0.1
33.	भावनगर	2.0	0.3	*
34.	राजकोट	4.2	0.3	*
35.	सूरत	3.2	0.3	1.2
36.	वी.वी. नगर	2.7	0.4	0.2
37.	पाटन	3.9	उ.न.	उ.न.
	योग	929.4	197.9	68.5

- हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।
* आंकड़े 50 से कम।
उ.न. - उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

अरियालुर-पट्टुकोट्टयी रेल मार्ग हेतु सर्वेक्षण

3347. श्री के. कृष्णमूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरियालुर और पट्टुकोट्टयी के बीच कुम्बाकोनम और मान्नरगुड़ी से होकर एक नयी रेल लाइन का सर्वेक्षण करने संबंधी मांग बहुत दिनों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को व्यापारिक समुदाय/स्थानीय प्रतिनिधियों/निवासियों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, विभिन्न संसद सदस्यों की मांगों के प्रत्युत्तर में तंजाउर से पेट्टूकोटै तक एक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गिरीडीह और जशीडिह के बीच रेल लाइन का निर्माण

3348. श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गिरीडीह और जशीडिह के बीच जमुआ और चकई से होते हुये नई रेल लाइन के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक शुरू किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आगरा डिवीजन का कार्यकरण

3349. श्री भगवान शंकर रावत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगरा रेल डिवीजन के अधिकार क्षेत्र क्या हैं;

(ख) आगरा का डिवीजनल रेल प्रबंधक कार्यालय कब तक काम करना शुरू कर देगा; और

(ग) इसकी स्थापना पर अनुमानत: कुल कितना व्यय होगा और इसके लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) आगरा मंडल के विस्तृत क्षेत्रीय अधिकार को निम्नानुसार अंतिम रूप दिया गया है:-

आगरा - पलवल (छोड़कर)

आगरा - टुण्डला (छोड़कर)

आगरा - बयाना (छोड़कर)

आगरा - बांदी कुई (छोड़कर)

मथुरा - अलवर (छोड़कर)

मथुरा - अछनेरा

मथुरा - वृंदावन

(ख) 2-3 वर्ष की अवधि में मंडल को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(ग) 1999-2000 के लिए आगरा मंडल हेतु 2.19 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है।

कुट्टिपुरम-गुरवायूर रेल लाइन को दोहरा बनाना

3350. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कुट्टिपुरम-गुरवायूर रेल लाइन को दोहरी बनाने का काम शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) उक्त लाइन का दोहरीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) शोरूवण्णूर-कुट्टीपुरम लाइन का दोहरीकरण करने के लिए कुट्टीपुरम-गुरूवायूर लाइन का निर्माण बजट में शामिल किया गया था। बाद में मंगलोर-कुट्टीपुरम के दोहरीकरण क्षेत्र को शोरूवण्णूर तक बढ़ा दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप अब यह कार्य नई लाइन परियोजना का हो गया। अपेक्षित स्वीकृति नए सिरे से प्राप्त करनी होगी जिसके लिए पहले से ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर धन आबंटित किया जाएगा और कार्य शुरू किया जाएगा।

(घ) पूरा करने की लक्ष्य तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में राजसहायता और सुविधाएं

3351. श्री जुआल उराम : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को क्या राजसहायता तथा सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) उड़ीसा राज्य में किस तरह के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व्यवहार्य और आर्थिक रूप से लाभकारी हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य के लिए कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, अनुसंधान और विकास संस्थानों एवं मानव संसाधन विकास केंद्रों को आसान शर्तों पर ऋण या सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजनागत सहायता के प्रणोद क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

1. कोल्ड चेन बुनियादी सुविधाओं समेत फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की स्थापना।
2. खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक सम्पदा/पार्कों की स्थापना।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण।
4. खाद्य प्रसंस्करण पर अनुसंधान एवं विकास।
5. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास।
6. अध्ययन, सेमिनार, कार्यशालाओं और मेलों आदि के आयोजन हेतु।
7. गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना।

मंत्रालय की योजना स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य में औद्योगिक खाद्य पार्क की स्थापना की व्यवहार्यता पर एक अध्ययन करवाने हेतु ए.पी.आई.सी.ओ.एल. को वित्तीय सहायता दी है।

प्रकाशन प्रभाग के पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण

3352. श्री बसुदेव आचार्य : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रकाशन प्रभाग के पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्य अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पुस्तकालय की मंजूरशुदा और वर्तमान स्टाफ संख्या कितनी है;

(ङ) क्या पुस्तकालय से कार्य के परिणाम के अनुसार पर्याप्त स्टाफ की तैनाती करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ)

	पदनाम	स्वीकृत संख्या	मौजूदा स्टाफ
1.	लाइब्रेरी सूचना सहायक	2	1
2.	प्रवर श्रेणी लिपिक अथवा अवर श्रेणी लिपिक	1	1
3.	दफ्तरी	1	1

(दफ्तरी के स्थान पर चपरासी को तैनात किया गया है)

(ङ) जी, हां।

(च) केवल रिक्त पड़े तदर्थ पद को भरने के लिए रोजगार कार्यालय से नाम प्राप्त हुए हैं और उक्त पद के लिए शीघ्र ही साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर ध्वनि प्रणाली

3353. श्री अर्जुन सेठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर स्थापित ध्वनि प्रणाली पूरी तरह खराब है और इसके द्वारा की गई घोषणाओं को सुनने में यात्री असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे श्रवणीय बनाने के लिए प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) भुवनेश्वर विमानपत्तन पर संस्थापित की गई ध्वनि प्रणाली सुरक्षित क्षेत्र तथा बंद कमरों में संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। किन्तु कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण गूंज होती रही है तथा स्पीकर की पोजीशन तथा एंगल की एडजस्टिंग/रिलोकेटिंग करके ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किए गए हैं। इसी बीच विमानपत्तन के ऐसे क्षेत्रों में ध्वनि संबंधी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ध्वनि विज्ञान विशेषज्ञों की सहायता भी मांगी गई है।

स्लीपरों के लिए क्रयादेश

3354. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तांतिया स्लीपर कारखाना, पानागढ़ से स्लीपर खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले खरीदे गए स्लीपरों और नए स्लीपरों की दरें एक समान हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) 15.26 लाख अदद।

(ग) और (घ) जी नहीं। स्लीपरों की नई दरों का निर्णय खुली निविदाओं के आधार पर लिया गया है और पूर्ववर्ती अनुमान की दरों से कम है।

महिलाओं की उपलब्धियों पर धारावाहिक

3355. श्री विजय गोयल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1998 और 1999 के दौरान आज तक दूरदर्शन पर महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करते हुए कितने धारावाहिक दिखाए गए और साथ ही उनके प्रसारण का समय और तिथियां क्या थीं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): इस अवधि के दौरान दूरदर्शन पर महिलाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले 13 कमीशन्ड और 14 प्रायोजित धारावाहिक प्रसारित किए गए थे। तथा उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1998 और 1999 के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित महिलाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले धारावाहिकों का ब्यौरा

क्र.सं.	धारावाहिक का नाम	प्रसारण की तारीख	समय
1	2	3	4
		कमीशंड धारावाहिक	
1.	पंखुडियां	6.1.98 से 27.1.98	सायं 4.00 बजे
2.	पहल	7.1.98 से 7.4.98	सायं 4.00 बजे
3.	अहल्या	3.2.98 से 17.2.98	सायं 4.00 बजे
4.	निर्णय	12.2.98 से 26.3.98	प्रात: 8.30 बजे
5.	पहचान	17.3.98 से 12.5.98	सायं 4.00 बजे

1	2	3	4
6.	अंजुमन	28.3.98 से 17.4.98	सायं 4.00 बजे
7.	नारी	15.4.98 से 13.5.98	सायं 4.00 बजे
8.	छोटी सी आशा	6.5.98 से 10.5.98	अपराह्न 3.00 बजे
9.	वेदकालीन स्त्रियां	20.8.98 से 10.8.98	सायं 4.00 बजे
10.	सुचित्रा	1.9.98 से 22.9.98	सायं 4.00 बजे
11.	मुक्ति	27.8.98 से 3.9.98	प्रात: 8.30 बजे
2.	बेबसी	8.2.98 से 23.2.98	सायं 4.00 बजे
3.	तालियां	4.3.99 से (पुन: प्रसारण जारी)	प्रात: 8.30 बजे
		प्रायोजित धारावाहिक	
	मैं अबला नहीं हूं	14.1.98	अपराह्न 3.00 बजे
		15.1.98	
		19.1.98	
	चरित्रहीन	14.1.98	अपराह्न 3.30 बजे
		15.1.98	
		19.1.98	
		20.1.98	
		10.2.98	
		11.2.98	
		13.2.98	
		23.2.98	
	अपराजिता	5.2.98	प्रात: 8.30 बजे
	आनन्दी गोपाल	3.4.98, 8.4.98	अपराह्न 3.30 बजे

1	2	3	4
5.	दि सागा ऑफ दि इंडियन वूमैन	23.4.98	प्रात: 9.30 बजे
6.	शीला	1.9.98	अपराह्न 3.00 बजे
7.	देख बसंती देख बतासी	20.9.98	प्रात: 10.00 बजे
		27.9.98	
		4.10.98	
		11.10.98	
		18.10.98	
		25.10.98	
8.	वूमैन एण्ड कैमरा	26.9.98	प्रात: 10.00 बजे
		30.7.98	
9.	आज की नारी	19.10.98 से	अपराह्न 2.35 बजे
		12.3.98	
10.	देवी चौधरानी	4.1.99	प्रात: 9.30 बजे
		18.1.99	
		25.1.99	
		1.2.99	
		8.2.99	
		15.2.99	
		22.2.99	
		1.3.99	
		8.3.99	
		15.3.99	

1	2	3	4
11.	सबला	7.1.99 14.1.99 21.1.99 28.1.99	सायं 7.00 बजे
12.	समय के साक्षी	19.8.98 (जारी)	अपराह्न 2.20 बजे
13.	आप की शान्ती	14.9.98 (सप्ताह में 3 दिन) सोमवार से बुधवार 2.11.98 से सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार तक)	अपराह्न 2.30 बजे

इक्लाखी बलूरघाट परियोजना के लिए धन

3356. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इक्लाखी-बलूरघाट परियोजना हेतु अधिक धन प्रदान करने के लिए रेलवे बोर्ड को संसद सदस्यों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक उन प्रत्येक निवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संसद सदस्यों से बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए है जिनमें से कई बार-बार प्राप्त हुए हैं। अक्सर अनेक परियोजनाओं के संबंध में माननीय संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त होते हैं। प्रत्येक संसद सदस्य से प्राप्त अनुरोध पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की जाती है और इस पर यथोचित विचार किया जाता है। बहरहाल, ऐसे अभ्यावेदनों का समेकित परियोजनावार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) निधियों में निम्नानुसार उत्तरोत्तर वृद्धि हुई:

(क)	1997-98	10 करोड़ रुपए
(ख)	1998-99	10 करोड़ रुपए
(ग)	1999-2000	20 करोड़ रुपए

(ग) अनुरोध पहले ही स्वीकार कर लिए गए हैं और 1999-2000 में परिव्यय दो गुना कर दिया गया है।

असंतोषजनक पूछताछ सेवा

3357. **श्रीमती रमा देवी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फोन नंबर 131 पर रेलवे पूछताछ सेवा की असंतोषजनक कार्य स्थिति की जानकारी है जिन पर कभी-कभी जानकारी प्राप्त करने में घंटों लग जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर फोन पर और अधिक रेलवे पूछताछ सेवा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) पूछताछ टेलीफोन व्यस्त रहने की कुछ घटनाएं नोटिस में आई है। दिल्ली क्षेत्र में कुल 121 लाइनों पर प्रतिदिन औसतन लगभग 78000 काल प्राप्त होती हैं। इनमें से 67 लाइनें स्वत: जवाब देने वाली मशीन सेवा का हिस्सा हैं। 131 के कार्य कुशलता दूरसंचार विभाग, महानगर टेलीफोन निगम लि. आदि जैसे अन्य सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। 131 नम्बर पर टेलीफोन पूछताछ सेवा में और सुधार करने के लिए लाइनों की उपलब्धता, इन्हें सम्हालने वाले कर्मचारी आदि की नियमित समीक्षा की जाती है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली के सभी प्रमुख यात्री टर्मिनलों पर टेलीफोन पूछताछ करने के लिए पहले ही रेलवे पूछताछ सेवाएं पहले ही स्थापित की हुई हैं। इसके अलावा, गाजियाबाद में फोन पर पूछताछ करने के लिए नवीनतम पूछताछ सेवा संस्थापित की है। पूछताछ प्रणाली की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलों पर कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

पूर्व नौसेना अध्यक्ष द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में छेड़छाड़

3358. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1999 के "द पायनियर" में "एक्स-चीफ टैम्पर्ड विद एसीआर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ न की जाए और इसके लेखन में गोपनीयता बनाई रखने हेतु पूर्वाग्रह पर नियंत्रण हो, क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) दिनांक 02 फरवरी, 1999 के "द पायनियर" में "एक्स चीफ टैंपर्ड विद एसीआर्स" शीर्षक से कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है। तथापि, सरकार ने दिनांक 23 फरवरी, 1999 के "द् पायनियर" में ऐसा समाचार देखा है।

2. यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि पूर्व नौसेनाध्यक्ष (एडमिरल विष्णु भागवत) ने एक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में पिछले नौसेनाध्यक्ष (एडमिरल वी.एस. शेखावत) की रिपोर्ट को काटकर उसके स्थान पर अपनी ओर से प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं। किसी पूर्व नौसेनाध्यक्ष द्वारा दी गई मूल्यांकन रिपोर्ट को बदलने का यह पहला मामला है।

3. इस मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

नदियों पर वृत्त चित्र

3359. डा. रामविलास वेदान्ती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन नदियों के नाम क्या हैं जिन के ऊपर भारत की लोक संस्कृति को दर्शाने वाले वृत्त चित्र धारावाहिक "पानी के अक्षर" के लिए वृत्तचित्र फिल्म बनाने का प्रस्ताव था;

(ख) उन नदियों के नाम क्या हैं जिनके ऊपर वृत्त चित्र बनाया और दिखाया गया तथा किन नदियों के ऊपर वृत्त चित्र नहीं बनाया गया; और

(ग) इनकी लोकप्रियता को देखते हुए शेष वृत्त चित्रों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) नदी घाटी परियोजनाओं पर बनाए गए और दूरदर्शन पर प्रसारित वृत्त चित्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दूरदर्शन अपनी कार्यक्रम अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाता है।

विवरण

दूरदर्शन द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं पर प्रसारित वृत्त चित्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	वृत्त चित्र का नाम		प्रसारण की तारीख
1.	सरदार सरोवर घाटी प्रोजेक्ट		29.7.94
2.	बर्गी नर्मदा नदी घाटी		10.11.94
3.	नर्मदा घाटी विकास की ओर		3.4.95
4.	दाओबा-वृत्त चित्र		16.4.95
5.	इन्दिरा गांधी नहर डैम		26.8.95
6.	दी रिवर कृष्णा	(प्रकरण-1)	7.10.95
		(प्रकरण-2)	14.10.95
		(प्रकरण-3)	21.10.95
		(प्रकरण-4)	28.10.95
7.	चिमिनी बांध परियोजना		6.3.96
8.	पूर्वी भारत की नदी घाटी परियोजनाएं		
	(1) महानदी	(प्रकरण-1)	30.5.96
	(2) सोन	(प्रकरण-2)	6.6.96
	(3) खण्डगपुर झूल	(प्रकरण-3)	13.6.96
	(4) गण्डक	(प्रकरण-4)	20.6.96
9.	कोसी नदी घाटी परियोजना		-
10.	रिहांग नदी घाटी परियोजना		-

[अनुवाद]

गुवाहाटी में रात में विमानों के उतरने हेतु सुविधा

3360. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी विमानपत्तन पर रात में विमानों के उतरने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो वहां पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास हेतु कार्यदल

3361. डा. सरोजा जी. : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन विकास के लिए एक कार्यदल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) यह दल किन-किन पहलुओं पर ध्यान देगा; और

(घ) यह दल कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) से (घ) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए पर्यटन पर गठित कार्यदल में पर्यटन मंत्रालय तथा योजना आयोग के अधिकारी अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, होटल एवं यात्रा उद्योग के प्रतिनिधि तथा राज्य सरकारों के पर्यटन सचिव शामिल थे। विचारार्थ विषयों में पर्यटन क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, विदेश पर्यटन बाजार का आकलन, अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाओं का आकलन, प्रोत्साहनों की समीक्षा, प्रत्यक्ष रोजगार का आकलन, उत्पाद विकास, मानव संसाधन विकास और पर्यटन क्षेत्र में संवर्धन तथा विपणन एवं प्रौद्योगिकी शामिल थे। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

विदेशी पर्यटकों को परेशान किया जाना/ धोखा दिया जाना

3362. श्री वी.वी. राघवन :
श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विमानपत्तनों और अन्य स्थानों पर दलालों और अपराधियों द्वारा विदेशी पर्यटकों को परेशान किए जाने और धोखा दिए जाने की घटनाओं में वृद्धि की जानकारी है; और

(ख) सरकार द्वारा इन घटनाओं को रोकने और देश के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) जी, हां।

(ख) पर्यटकों को परेशान किए जाने और धोखा दिए जाने की रोकथाम करना मुख्यतया राज्य का विषय है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित विभिन्न संबंधित एजेंसियों से समन्वय बनाए रखता है। इस मामले पर नई दिल्ली में दिनांक 6 अगस्त, 1998 को हुए राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श हुआ था और यह संकल्प किया गया कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पर्यटन व्यापार अधिनियम के रूप में उपयुक्त विनियामक उपायों के विधि-निर्माण पर राज्य सरकारें विचार करेंगी।

[हिन्दी]

आकाशवाणी और दूरदर्शन की असन्तोषजनक सेवा

3363. श्रीमती सूर्यकांता पाटील: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसारण सर्वाधिक असंतोषजनक पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वे आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर "ड्यूटी फ्री शॉप्स"

3364. श्री आर.एस. गवई: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में मुख्य विमानपत्तनों पर "ड्यूटी फ्री शॉप्स" चलाने के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय महत्वपूर्ण पूर्व अर्हता संबंधी मानदंडों में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इन "ड्यूटी फ्री शॉप्स" से कितना राजस्व अर्जित किया?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) भारत में विमानपत्तनों पर ड्यूटी फ्री शॉप चलाने हेतु पण्यावर्त के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जारी ग्लोबल हैंडर नोटिस की शर्तों में संशोधन किया था। यह संशोधन इस दृष्टि से किया गया था जिससे कि विमानपत्तनों पर मौजूदा लाइसेंसधारी, भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) को विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अपनी बोली भरने में सहायता मिल सके।

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ड्यूटी फ्री शॉप से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:-

1995-96	745.31 लाख रुपये
1996-97	750.77 लाख रुपये
1997-98	813.56 लाख रुपये

ब्रिटेन के साथ रक्षा संबंध

3365. श्री जयराम आई.एम. शेट्टी :
श्री यू.वी. कृष्णमराजु :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1999 के "द स्टेट्समैन" में "ब्रिटेन कीन आन डिफेंस टाइज" शीर्षक के तहत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन सरकार ने भारत के साथ रक्षा संबंधों पर दिलचस्पी दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले कुछ महीनों के दौरान किए गए विचार-विमर्शों का ब्यौरा क्या है तथा इसके निष्कर्ष क्या थे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारत के विदेश मंत्री तथा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हाल ही में किए गए इंग्लैंड के दौरों के दौरान इंग्लैंड की सरकार ने दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग पुनः शुरू करने का सुझाव दिया था। इसी संदर्भ में इंग्लैंड के चीफ ऑफ डिफैंस और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने हमारे थलसेनाध्यक्ष को इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया है। भारत-इंग्लैंड रक्षा परामर्शदाता ग्रुप की अगली बैठक मार्च, 1999 के दौरान भारत में करने संबंधी इंग्लैंड सरकार के प्रस्ताव को भी भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह बैठक 30-31 मार्च, 1999 को होनी है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में सैनिक हवाई अड्डा

3366. श्री सुरेश चन्देल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने कुछ समय पूर्व हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जंगल बरसू में एक सैनिक हवाई अड्डा बनाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण

3367. श्री चमन लाल गुप्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त तथ्य के मद्देनजर विशेषकर जम्मू-कश्मीर में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु सरकार के पास कोई नई योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं के समूह "ग" और "घ" पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। तथापि, जून, 1994 में यह सुविधा वापस ले ली गई थी और इसके बजाए राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% तरजीह व्यवस्था का प्रावधान किया था। राज्य सरकार से भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह आरक्षण बहाल किए जाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.एस.डी. द्वारा अर्जित लाभ

3368. श्री एम. राजैया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट" द्वारा अर्जित लाभ को गैर-पंजीकृत आवासीय विद्यालय के उपयोग में लाया जा रहा है, जैसा कि 12 दिसंबर, 1998 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस लाभ का उपयोग केवल जवानों एवं उनके परिवार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाये, क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) "वर्तमान में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट" द्वारा अर्जित लाभ का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) यह आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है कि कैंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा अर्जित लाभ का कोई भी भाग एक अपंजीकृत आवासीय विद्यालय में लगाया गया था। वस्तुत: हुआ यह था कि अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के स्थानांतरणीय कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और गैर-सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक विद्यालय स्थापित करने के वास्ते कैंटीन स्टोर्स विभाग के वर्ष 1994-95 के लाभ में से "सिविल सर्विसिज सोसाइटी" नाम की सोसाइटी, जो सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत है, को 1996 में 5 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी। कैंटीन सेवाओं के नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष के अनुमोदन से इस सोसाइटी को यह अनुदान, परियोजना रिपोर्ट की विधिवत् संवीक्षा करने और इस आशय का वचन-पत्र प्राप्त करने के बाद किया गया था कि यह विद्यालय सशस्त्र सेनाओं की पात्र श्रेणियों के कार्मिकों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखेगा। यह निगरानी रखने के लिए कि इससे प्राप्त लाभ का उपयोग केवल कल्याणकारी योजनाओं पर ही किया जा रहा है, प्राप्तकर्ताओं को आवश्यक ब्यौरे सहित प्रमाणीकृत उपयोग प्रमाण-पत्र मंत्रालय को प्रस्तुत करने होते हैं। कैंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा कमाए गए कुल निवल वार्षिक लाभ का 50% भारत की समेकित निधि में जमा कराया जता है और शेष 50% सहायता अनुदान के रूप में सशस्त्र सेनाओं, अन्तर सेवा संगठनों तथा रक्षा मंत्रालय की विभिन्न प्राधिकृत स्थापनाओं को वितरित किया जाता है।

पाकिस्तान के लिए उड़ानें

3369. श्री अजीत जोगी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र के लिए अपनी उड़ाने नहीं चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पाकिस्तान के लिए हवाई उड़ाने शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (घ) इस समय, इंडियन एयरलाइंस मुम्बई तथा कराची के बीच सप्ताह में दो उड़ाने प्रचालित करती है।

कोयला उतारने वाले मजदूरों की नियुक्ति

3370. प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केट) ने हाल ही के अपने निर्णय में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को पश्चिम रेलवे के अंतर्गत विभिन्न डिवीजनों में 16 कोयला उतारने वाले मजदूरों को स्थायी आधार पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार कोयला उतारने वाले इन मजदूरों को स्थायी आधार पर नियुक्त कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) मूल आवेदन पत्र संख्या 1670/97 के संबंध में दिनांक 8.12.1998 के हाल ही के निर्णय में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए थे। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपने दिनांक 16.7.1992 के पूर्ववर्ती निर्णय में निर्देश दिए कि जहां कही रिक्तियां मौजूद हों वहां पर आवेदकों को नैमित्तिक श्रमिक के रूप में विचार किया जाना चाहिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस निर्णय के कार्यान्वयन में, पश्चिम रेलवे के अंतर्गत जयपुर मंडल द्वारा कोयला उतारने वाले 16 व्यक्तियों की एक सूची इस निदेश के साथ जारी की गई थी कि आवश्यकता के आधार पर उन्हें यांत्रिक विभाग में नैमित्तिक श्रमिक के रूप में लगाया जाएगा। चूंकि पश्चिम रेलवे के किसी भी मंडल के यांत्रिक विभाग में कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए कोयला उतारने वाले 16 मजदूरों को नहीं लगाया गया था। खेद है कि कोयला उतारने वाले इन 16 मजदूरों में से 7 मजदूर अपने समाहन के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रमुख पीठ, नई दिल्ली चले गए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 8.12.1998 के निर्णय में निर्देश दिया था कि रेलें दिनांक 16.7.1992 के पूर्ववर्ती

आदेश के अनुसार अर्थात् नैमित्तिक श्रमिक के रूप में आवेदकों को पश्चिम रेलवे के किसी भी मंडल में लगाने के लिए सतत् प्रयास करें।

(ग) कोयला उतारे वाले 16 मजदूर स्थायी आधार पर नियुक्त नहीं किए गए हैं क्योंकि न्यायालय के स्थायी समाहन के निदेश नहीं हैं। बल्कि जब तक ऐसे अवसर उपलब्ध हों तब तक उन्हें पश्चिम रेलवे के किसी भी मंडल में नैमित्तिक श्रमिक के रूप में लगाया जाए। बहरहाल, उन्हें फिलहाल कार्य पर लगाना संभव नहीं है क्योंकि नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती पर पूर्णतया प्रतिबंध है।

बीड़ी क्षेत्र में व्यवसाय परिवर्तन

3371. **श्री सतनाम सिंह कैंथ :**
श्री अमन कुमार नागरा :
श्री एम. राजैया :
डा. संजय सिंह :
श्री एस. सुधाकर रेड्डी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व की सबसे बड़ी तम्बाकू कंपनी मैसर्स फिलिप मौरिस ने बीड़ी बाजार पर पकड़ बनाने के लिए सिगरेट निर्माण में प्रवेश हेतु आवेदन किया है;

(ख) क्या विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी फिलिप मौरिस ने सरकार को बीड़ी क्षेत्र में आने की अपनी योजना के बारे में बात की हैं;

(ग) क्या श्रम महानिदेशक ने अमरीकी कंपनी फिलिप मौरिस से इस मुद्दे पर बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बातचीत का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) मैसर्स फिलिप मौरिस कंपनीज इंक, की एक सहायक कंपनी मैसर्स एफ.टी.आर. होल्डिंग्स एस.ए., स्विट्जरलैण्ड ने तम्बाकू पत्तियों की गुणवत्ता और उत्पादन जिसमें रोवां मुक्त वर्जीनिया, वर्ले और ओरियेंटल किस्म इत्यादि शामिल हैं में सुधार के लिए कृषकों के साथ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए एक अनुसंधान और तकनीकी सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु एक 100% सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए विदेशी निवेश किए जाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उनके प्रस्ताव में बीड़ी क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। अत: बीड़ी क्षेत्र में रोजगार प्रतिस्थापन योजना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के संबंध में कार्यक्रम

3372. **श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर पर कार्यक्रम तैयार करने हेतु दूरदर्शन को दस करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रयोजन से दूरदर्शन को पहले दी गई धनराशि के उपयोग की पुनरीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम रहा;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर पर दूरदर्शन द्वारा कितने कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(ङ) ये कार्यक्रम किन-किन तारीखों में प्रसारित किए गए और इन कार्यक्रमों के निर्माता कौन-कौन हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) मीडिया पर सचिवों के कोर ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर में विकासात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा जीवन के अन्य पहलुओं पर विभिन्न रूपों में प्रसार भारती (दूरदर्शन तथा आकाशवाणी) द्वारा विशेष कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए 14.66 करोड़ रुपये (चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए 10.00 करोड़ रुपये और बकाया देयताओं को पूरा करने के लिए 4.66 करोड़ रु.) की अतिरिक्त विशेष राशि वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। इस प्रयोजनार्थ और धनराशि की मंजूरी यह पता लगाने के बाद ही दी जाती है कि पहले स्वीकृत धनराशि का उपयोग यथार्थ प्रयोजन के लिए किया गया था।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा संचार प्रणाली पर परमाणु विस्फोट का प्रभाव

3373. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
डा. अशोक पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु विस्फोटों के विद्युत चुम्बकीय प्रभावों से अत्यधिक अत्याधुनिक संचार प्रणाली को बचाने हेतु एक नई रक्षा प्रणाली विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रणाली के कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। एक विकास कार्यक्रम चलाया गया है।

(ख) और (ग) इसका ब्यौरा देना राष्ट्रीय हित में नहीं है।

लंबी दूरी की पनडुब्बी का निर्माण

3374. श्री अमर पाल सिंह :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
डा. अशोक पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लंबी दूरी की पनडुब्बी, जो बहुत ही गहरे पानी में भी कार्य कर सकती है, के निर्माण में सफलता हासिल हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पनडुब्बी के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी आदान स्वदेशी हैं; और

(घ) इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) मुंबई स्थित माझगांव डॉक लिमिटेड में दो पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था और उन्हें वर्ष 1992 और 1994 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। ये पनडुब्बियां गहरे समुद्र में कार्य करने में सक्षम हैं।

(ग) इन पनडुब्बियों के लिए निर्माण सामग्री विदेशों से पूर्णत: तैयार/अर्ध तैयार अवस्था में प्राप्त की गई थी। वास्तविक पनडुब्बी निर्माण तथा प्रणाली एकीकरण का कार्य मुंबई स्थित माझगांव डाक लिमिटेड में किया गया था।

(घ) 700 करोड़ रुपए प्रति पनडुब्बी की अनुमानित लागत से ऐसी ही दो और पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फरवरी, 1997 में सरकारी मंजूरी जारी की गई है। इनका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

गोवा में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

3375. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गोवा में कुल कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां कार्यरत हैं;

(ख) मात्रा और मूल्य के संदर्भ में उनका वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) इन इकाइयों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है। इसलिए राज्य-वार कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। लेकिन योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा 1994-95 में प्रकाशित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार गोवा राज्य में फैक्ट्री क्षेत्र के तहत 433 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें हैं जिनमें लगभग 1133 करोड़ रु. मूल्य का उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रों को ऋण या सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। योजना सहायता के प्रणोद क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

1. कोल्डचेन बुनियादी सुविधा समेत फसलोत्तर बुनियादी सुविधा की स्थापना।

2. खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक सम्पदा/पार्कों की स्थापना।

3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण।

4. खाद्य प्रसंस्करण पर अनुसंधान और विकास।

5. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास।

6. अध्ययनों, सेमिनारों कार्यशालाओं तथा प्रदर्शनियों आदि के संचालन के लिए।

7. गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना।

न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच टॉय ट्रेन

3376. डा. असीम बाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग के बीच टॉय ट्रेन पुन: चलाई जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रेल मार्ग पर छोटी लाइन की पटरिया बिछाई जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) टिंढ़रिया और कुर्सिओंग के बीच रेलपथ संरचना में दरारें पड़ने के कारण न्यूजलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच गाड़ी सेवाएं 10.6.1998 से स्थगित कर दी गई है। न्यूजलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच छोटे आमान की रेलवे लाइन पर संपर्क बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहाली कार्य पूरे हो जाने के पश्चात् गाड़ी सेवा बहाल की जाएगी।

रक्षा इकाइयों की बिक्री से प्राप्त आय

3377. श्री अभय सिंह एस भोंसले :
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इन इकाइयों की बिक्री/उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उत्पादन मूल्य में सतत् वृद्धि हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की सभी रक्षा इकाइयां समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरकर्ता संगठन हैं। कार्य निष्पादन के मानदण्ड, समझौता ज्ञापन के अनिवार्य तत्व होते हैं और इनकी नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण, विविधीकरण और उनके उत्पादों को बेहतर बनाने के प्रति सक्रियता-समर्थक दृष्टिकोण अपनाया जाता है ताकि वे अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें। दूसरी ओर सेनाएं उनके मुख्य ग्राहक होने के कारण, खरीद के लिए निधि की उपलब्धता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1566.91	1770.00	1869.93
भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	1068.98	1226.24	1261.30

1	2	3	4
भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	1011.10	1169.79	1259.71
गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड	82.92	159.39	145.45
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	15.15	279.18	27.24
माझगांव डॉक लिमिटेड	97.47	207.93	1095.31
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	203.17	264.30	311.65
मिश्र धातु निगम लिमिटेड	84.12	91.92	92.51
योग	4126.82	5168.75	6063.10

छोटे विमान

3378. श्री सी. कुप्पुसामी :
डा. शकील अहमद :
श्री नरेश पुगलीया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास 100 सीटों से कम क्षमता वाले कितने यात्री विमान हैं और ये किन मार्गों पर चल रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): इंडियन एयरलाइन्स निम्नलिखित मार्गों पर तीन डोर्नियर डी.ओ. 228 विमानों का प्रचालन करती है:-

(1) कोचीन-अगत्ती-कोचीन

(2) दिल्ली-शिमला-कुल्लू-दिल्ली

निम्नलिखित मार्गों पर प्रचालन जल्द ही शुरू होगा:-

(1) गोवा-अगत्ती-गोवा

(2) दिल्ली-चण्डीगढ़-लुधियाना-दिल्ली

(3) दिल्ली-देहरादून-दिल्ली

रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों का निर्यात

3379. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97, 1997-98 में और 1998-99 के दौरान अब तक देश-वार पृथकत: कितने इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इंजनों और माल डिब्बों के निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात/

पट्टे पर दिए गए माल डिब्बों, रेल इंजनों, सवारी डिब्बों की देश-वार/वर्ष-वार संख्या नीचे दर्शायी गई है:-

वर्ष	देश	सीधी बिक्री	पट्टे पर
1996-97	बंगलादेश	डीजल बिजली रेल इंजन वाई डी एम 4 (10 अदद)	-
1996-97	यू.के.	पुराना छोला भाप रेल इंजन (1 अदद)	-
1996-97	मलेशिया	-	09 मी.ला. डीजल जिली रेल इंजन
1997-98	मलेशिया	-	05 मी.ला. डीजल बिजली रेल इंजन
1997-98	श्रीलंका	डीजल बिजली रेल इंजन डब्ल्यू.जी.एम. 2 (6 अदद) और डब्ल्यू.डी.एम. 6 (1 अदद)	-
1997-98	तंजानिया	मी.ला. के तीसरी श्रेणी के सवारी डिब्बे (27 अदद)	-
1998-99	तंजानिया	-	10 मी.ला. डीजल बिजली रेल इंजन

(ख) जी हां।

(ग) चल स्टाक के निर्यात की पहचान एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि गहन विपणन प्रयासों के जरिए नए और पुराने दोनों प्रकार के चल स्टाकों को निर्यात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया जाए।

इन प्रयासों के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों से जिज्ञासाएं प्राप्त हो रही हैं।

विकलांगों के लिए आरक्षण कोटा

3380. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी श्रेणियों और सभी रेल गाड़ियों में विकलांग लोगों को शायिका का आरक्षण कोटा प्रदान करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों में विशेष सुविधाएं भी प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सुविधाएं कब से लागू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) उपनगरीय खंडों पर चालित सभी गाड़ियों के स्लीपर श्रेणी में दो बर्थें विकलांग रियायती टिकट पर यात्रा करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित होती है। विकलांग व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे सहचर के लिए भी इसी कोटा में से स्थान मुहैया कराया जाता है। इस समय उच्च श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से कोटा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) सवारी डिब्बे के बाहर एक चिह्न लगा होता है जो यह दर्शाता है कि यह डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं का डिब्बा आमतौर पर गार्ड के केबिन के पास लगाया जाता ताकि मुसीबत पड़ने पर हर संभव सहायता प्रदान की जा सके। महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में पुरुष स्थान न ग्रहण कर ले यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जांचें भी की जाती है।

गुजरात में आमान परिवर्तन

3381. श्री दिलीप संघाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विंडमिल स्टेशन से बेदी पोर्ट तक मीटर लाइन/छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदम की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुझाई गई लाइन एक एकल उपयोगकर्ता साइडिंग होगी और पत्तन प्राधिकरणों की लागत पर मुहैया कराई जा सकती है। उन्होंने इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

3382. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक राज्यवार कितने भारतीय जनसंचार संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे और संस्थान को स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संस्थाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) दिल्ली स्थित मुख्य संस्थान के अतिरिक्त भारतीय जनसंचार संस्थान की निम्नलिखित शाखाएं स्थापित की जा रही हैं:

(1) धेनकनाल (उड़ीसा)

(2) कोट्टायम (केरल)

(3) दीमापुर (नागालैंड)

(4) झाबुआ (मध्य प्रदेश)

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

3383. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मामले में काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा और अन्य राज्यों जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, में इन उद्योगों के विकास के लिए क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में प्रत्यक्ष रूप से किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। फिर भी मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों/सहकारिताओं/गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष।

[हिन्दी]

इन्दौर से अहमदाबाद, कलकत्ता और हैदराबाद के लिये उड़ानें

3384. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दौर से अहमदाबाद, कलकत्ता और हैदराबाद के लिये हवाई उड़ान सेवा शुरू करने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) मुंबई-अहमदाबाद-इन्दौर-भोपाल-कलकत्ता मार्ग पर सेवाओं को पुन: बहाल करने के लिए तथा मद्रास, बेंगलूर और नागपुर के लिए भी सीधी संपर्क सेवा उपलब्ध कराई जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) देश के विभिन्न प्रदेशों की विमान परिवहन सेवाओं के लिए आवश्यकता पर विचार करते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने मार्ग संवितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं। यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अध्ययधीन विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करना विमानकंपनियों के ऊपर है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

3385. श्री के. करूणाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से त्रिवेन्द्रम-पेट्टा त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल स्टेशनों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) कई रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन पर यात्री यातायात की मात्रा, स्टेशन की महत्ता और स्टेशन पर ठहरने वाली गाड़ियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गुणदोष के आधार पर विचार किया गया था। तद्नुसार, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, एर्णाकुलम जंक्शन, त्रिचूर, कालीकट, कोट्टायम, कोल्लम, कायानकुलम और अलेप्पी रेलवे स्टेशनों पर सुधार/आधुनिकीकरण के कार्य शुरू किए गए हैं।

1993-94 के दौरान तिरूवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्रवेश द्वार की साइड में नई स्टेशन इमारत और मौजूदा स्टेशन इमारत के सौन्दर्यीकरण का कार्य 120.00 लाख रुपए की लागत पर किया गया था। 1994 से 1998 तक की अवधि के दौरान द्वीप प्लेटफार्म को ऊंचा करने, प्रतीक्षा कक्ष के अनुसार, आरक्षण कार्यालय में क्लोज सर्किट टेलीविजन की व्यवस्था और 18 बिस्तर वाले डारमिटरी की व्यवस्था का कार्य भी 47.56 लाख रुपए की लागत पर किया गया था। इसके अलावा, चल रहे दोहरीकरण कार्य के साथ-साथ सायबानों सहित 2 अतिरिक्त प्लेटफार्म और एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का कार्य भी शुरू किया गया।

वर्ष 1993-94 के दौरान तिरूवनंतपुरम पेट्टा में 22 सवारी डिब्बों वाली गाड़ियां संभालने के लिए प्लेटफार्म के विस्तार और नए प्लेटफार्म की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य पूरे किए गए थे। प्लेटफार्म पर खंड़जा डालने का कार्य भी शुरू किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए शायिका

3386. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके अनुरोध के बावजूद रेलगाड़ियों में उनकी रात्रिकालीन यात्रा के लिए नीचे की शायिका के स्थान पर ऊपर वाली शायिका आबंटित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ नागरिकों की इस कठिनाई को कम करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) कंप्यूटरीकृत आरक्षण

प्रणाली में वृद्ध नागरिकों को निचली बर्थ स्वत: आरक्षित करने का प्रावधान है, भले ही उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर न की हो, बशर्ते कि ये निचली बर्थें बुकिंग के समय उपलब्ध हों।

विदेशों में कार्य कर रहे कामगारों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं

3387. **श्री देवन्द्र बहादुर राय :**
श्री रामशकल :
श्री पी.सी. थॉमस :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की देश-वार संख्या क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 67,58,192 भारतीय विदेशों में बसे हुए हैं। विदेशों में बसे भारतीयों की देशवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) हालांकि सरकार ने विदेशों में कार्यरत भारतीयों को आ रही विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित विशिष्ट अध्ययन शुरू नहीं करवाया है, परन्तु विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति सहित दो दलों ने हाल ही में अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र में कार्यरत भारतीयों की कन्स्यूलट समस्याओं को कम करने के लिए भारतीय राजनयिक मिशनों/तैनाती की क्षमता का आकलन करने के लिए हाल ही में खाड़ी क्षेत्र का दौरा किया था। इसके परिणामस्वरूप, इन मिशनों में तैनात कन्स्यूलर स्टाफ पदों की नफरी में वृद्धि की गई है। भारतीय राजनयिक मिशन/विदेश में तैनात अधिकारी भी स्थानीय सामाजिक-आर्थिक अथवा राजनैतिक माहौल के संदर्भ में अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र/देशों में भारतीय श्रमिकों को आ रही विभिन्न समस्याओं का निरन्तर विश्लेषण भी कर रहे हैं। भारत में संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करते हुए तथा जहां अपेक्षित हो परामर्श तथा सहायता लेकर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

विवरण

देश	बसे भारतीयों की संख्या (लगभग)
1	2
अफगानिस्तान	0
अल्बानिया	5
अल्जीरिया	80
अंगोला	70
अंगुइला	4
एंटीगुआ	40
अर्जेन्टीना	800
आर्मेनिया	150
अरूबा	50
आस्ट्रेलिया	28,564
आस्ट्रिया	11,000
अजरबैजान	120
बहामास	0
बहरीन	1,00,000
बंगलादेश	555
बारबाडोस	69
बारबुडा	0
बेलारूस	94
बेल्जियम	5,000

1	2
बेल्जी	340
बेनिन	400
भूटान	20,000
बोलीविया	50
बोसनिया हरजेगोविना	1
बोत्सवाना	3,000
ब्राजील	1500
ब्रुनेई दरउसलाम	9208
बुल्गारिया	35
बुर्किना फासो	15
बुरूंडी	700
कंबोडिया	183
कैमरून	250
कनाडा	4,20,000
केप वर्डे द्वीप	0
कैमनद्वीप	50
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	10
चाड	0
चिली	500
चीन (पीआरसी) हांग कांग सहित	21,500

1	2
चीन गणतंत्र	0
कोलंबिया	59
कोमोरोस	250
कांगो	15
कुक द्वीप	0
कोस्टारिका	7
क्रोएशिया	4
क्यूबा	15
साइप्रस	350
चेक गणतंत्र	56
डेनमार्क	500
जिबूती	350
डोमीनिका	18
डोमीनिकन गणंतत्र	0
इक्वेडोर	6
मिस्त्र	1350
अलसल्वाडोर	6
इक्वेटोरियल गीनिया	6
इरिट्रिया	10
एस्टोनिया	12

1	2
इथोपिया	12
फिनलैंड	600
फ्रांस	10000
गेबोन	5
गांबिया	80
जार्जिया	60
जर्मनी	34020
घाना	1500
ग्रीस	10340
ग्रेनाडा	56
ग्वाटेमाला	8
गीनिया	60
गीनिया बिसाऊ	5
गुयाना	240
हैती	0
होलीसी	0
होंडूरास	5
हंगरी	180
आइसलैंड	18
इंडोनेशिया	54,00

1	2
ईरान	1400
ईराक	80
आयरलैंड	1500
इजराईल	500
इटली	15052
आईवरीकोस्ट	125
जमैका	1200
जापान	5508
जोर्डन	900
कजाकिस्तान	745
केन्या	8000
किरीबाती	0
कोरिया (डीपीआर)	1
कोरिया गणतंत्र	400
कुवैत	19,5000
किरगिजिस्तान	175
लाओस	183
लाटविया	75
लेबनान	11000
लेसोथो	250

1	2	1	2
लाईबेरिया	300	मोरक्को	340
लीबिया	12000	मोजाम्बिक	500
लिचेस्टाइन	0	म्यांमार	2175
लिथुआनिया	0	नामीबिया	52
लक्जमबर्ग	179	नौरू	100
मकाओ	0	नेपाल	10,00,000
मेसीडोनिया	0	नीदरलैंड	5,000
मैडागास्कर	3,000	नीदरलैंड्स एंटीलेस	2,000
मलेशिया	30,000	नोविस	0
मालदीव	1,746	न्यूजीलैंड	750
माली	13	निकारागुआ	4
माल्टा	150	नाइजर	13
मलावी	300	नाइजीरिया	22000
मॉरीटेनिया	0	नॉर्वे	2100
मॉरीशस	360	ओमान	410825
मैक्सिको	250	पाकिस्तान	0
माइक्रोनेशिया	0	पलाऊ	0
माल्डोवा	0	पनामा	3828
मंगोलिया	40	पपुआ न्यू गिनी	0
मोंटसेराट	15	पराग्वे	30

1	2
फिलिस्तीन	0
पेरू	200
फिलीपींस	13000
पोलैंड	600
पुर्तगाल	2000
कतर	80000
रीयूनियन आइजलैंड	173
रोमानिया	220
रूसी परिसंघ	12000
रवांडा	300
सैनमैरिनो	0
साओ-तोम एंड प्रिंसपे	0
सउदी अरब	13,00,000
सेनेगल	40
सेशेल्स	500
सियरालियोन	430
सिंगापुर	28,000
स्लोवाक	50
स्लोवेनिया	10
सोलोमन प्रायद्वीप	0

1	2
सैंट किट्स	16
दक्षिण अफ्रीका	3,000
स्पेन	14,000
श्री लंका	13,1220
सैंट लुसिया	75
सैंट विनसैंट एंड ग्रेनाडाइंस	20
सूडान	1,150
सूरीनाम	150
स्वाजीलैंड	200
स्वीडन	1,535
स्विटजरलैंड	4,169
सीरिया	500
ताजिकिस्तान	143
तंजानिया	3,500
थाईलैंड	15,000
टांगो	300
टोंगा	50
त्रिनिडाड एंड टोबेगो	300
ट्यूनीसिया	45
तुर्कमेनिस्तान	270

1	2
तुर्क एंड कैकोस आइसलैंड	20
तुवालु	0
उगांडा	2,000
उक्रेन	2,100
संयुक्त अरब अमीरात	1200,000
यूनाइटेड किंगडम	130,000
संयुक्त राज्य अमेरिका	1300,000
उरूग्वे	10
उजबेकिस्तान	360
बनातु	0
वेनेजुएला	400
वियतनाम	350
वेर्स्टन समोआ	10
यमन	3500
यूगोस्लाविया	16
जायरे	650
जाम्बिया	60,000
जिम्बाव्वे	15,500
कुल	67,58,192

होटलों में ठहरने की दर

3388. श्री मदन पाटील : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के बावजूद वर्ष 1997-98 और 1998-99 के व्यस्त मौसम के दौरान वर्ष 1996-97 की तुलना में होटलों में ठहरने के दर में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) देश में वर्ष 1982 से पहले निर्मित होटलों की संख्या कितनी है जो हर वर्ष अपनी दरों में वृद्धि कर रहे हैं।

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 की तुलना में अक्तूबर से दिसम्बर 1997-98 और 1998-99 के दौरान अनुमोदित श्रेणियों के होटलों में ठहरने की दर में कमी आई थी। अक्तूबर से दिसम्बर 1998-99 के दौरान वर्ष 1996-97 के इसी समयावधि की तुलना में विदेशी पर्यटक आगमन में भी कमी आई थी। अनुमोदित होटलों में ठहरने की दर में कमी के कारणों में शामिल हैं-महानगरों में होटल किराये की उच्च दर होना और उन व्यापारिक पर्यटकों में कमी होना है जो उच्च श्रेणी के होटलों में ठहरने को प्राथमिकता देते हैं।

(ग) होटलों को सलाह दी गई है कि वे दोहरी किराया पद्धति को समाप्त कर दें जिसके तहत स्वदेशी पर्यटकों से उच्च किराया वसूल किया जाता है।

(घ) देश में 1982 से पहले 335 अनुमोदित होटल थे। तथापि, किराया स्वयं होटल मालिकों द्वारा निश्चित किया जाता है और वर्तमान में, उनसे पर्यटन मंत्रालय को किराये में परिवर्तन करने की सूचना देने के लिए अपेक्षा नहीं की जाती है।

कर्मचारी पेंशन योजना का उदारीकरण

3389. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के उदारीकरण का है, ताकि अभी तक जो पेंशन की सीमा

से बाहर हैं, उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर राडार प्रणाली

3390. डा. शकील अहमद :
श्री नरेश पुगलीया :
श्री के.एस. राव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ए.टी.सी. सिस्टम गूफ-अप डिलेज फ्लाइट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर स्थापित राडार प्रणाली अत्यधिक यातायात को नियंत्रित करने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ङ) फर्मों का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(च) इस प्रयोजनार्थ चयन की गई फर्में कौन-कौन हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख जी, हां। दिनांक 11 जनवरी, 1999 को स्वचालित विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली को चालू करने से पूर्व जब इसका परीक्षण किया जा रहा था उस समय इसकी समस्याओं के विषय में प्रकाशित समाचार में यह उल्लेख किया गया था।

(ग) और (घ) दिनांक 11 जनवरी, 1999 से इस नई राडार प्रणाली ने प्रचालनारंभ कर दिया था इससे पूर्व विभिन्न परीक्षण किए गए जिनमें प्रणाली कार्य स्थल स्वीकृति परीक्षण (एस.एस.ए.टी.), शेक डाउन परीक्षण तथा शेडो आपरेशन के लिए प्रणाली को चालू करना जैसे परीक्षण शामिल थे। नई परियोजना को चालू करने में कुछ प्रारंभिक समस्याएं अंतर्निहित थी और इनके प्रति सावधानी बरती गई हैं। तथापि जब कोई भी खराबी देखने में आती हैं उसको उपस्कर संबंधी वारंटी प्रणाली के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ-साथ उपस्कर विक्रेता मैं. रेथियान के प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिक द्वारा ठीक किया जाएगा।

(ङ) और (च) इन फर्मों का चयन दिल्ली तथा मुंबई विमानपत्तनों पर विमान यातायात सेवा संबंधी आधुनिकीकरण परियोजना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय बोलियों के सम्यक मूल्यांकन के उपरांत ग्लाबल टेंडर आमंत्रित करने की कार्यविधि का अनुसरण करके किया था। मार्च 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स रेथियान को टर्नकी आधार पर कार्य सौंपा गया था।

[हिन्दी]

बंद पड़े उद्योग

3391. श्री महेश कनोडिया : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष देश में बंद पड़े मंझोले और बड़े उद्योगों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन उद्योगों को पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1987 में स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) का एक लक्ष्य निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में रूग्ण औद्योगिक इकाईयों की पुनर्स्थापना है। 31 दिसम्बर, 1998 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार बी.आई.एफ.आर. ने अपने प्रारम्भ किए जाने की तारीख से कुल 617 पुनर्वास योजनाएं अनुमोदित/स्वीकृत की हैं।

[अनुवाद]

बागडोगरा हवाई अड्डा

3392. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागडोगरा हवाई अड्डे को नवीकरण के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कितने समय तक के लिए इसे बंद किया जाएगा;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सरकारों से इस संबंध में परामर्श लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान, भारतीय वायु सेना की धावनपथ तथा संबद्ध पेवमेंट के पुनर्सतहलेपन की योजना है। इस बारे में ब्यौरे सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

समाचार-पत्रों का पंजीकरण

3393. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1996 से 31 दिसम्बर, 1998 तक गुजरात, मुम्बई और दिल्ली में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक आधार पर जिन समाचार-पत्रों को शुरू किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान समाचारपत्रों को शुरू करने के लिए लंबित कुछ आवेदनों का आज तक पंजीकरण नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन समाचार-पत्रों को कब तक पंजीकरण दे दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) 1996, 1997 और 1998 के दौरान गुजरात, मुम्बई और दिल्ली से शुरू किए गए समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की कुल संख्या क्रमश: 416, 472 और 401 है। आवधिकता और स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नाम और अन्य ब्यौरे से संबंधित सूचना विस्तृत है और इसे भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा "प्रेस इन इंडिया" नामक दस्तावेज के रूप में वार्षिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है।

(ख) समाचारपत्र प्रारम्भ करने के लिए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। समाचारपत्र का पंजीकरण इसका प्रकाशन प्रारम्भ होने के पश्चात् ही किया जाता है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

1996, 1997 और 1998 के दौरान गुजरात, मुम्बई और दिल्ली से प्रारम्भ किए पाक्षिक-वार प्रकाशनों की संख्या

वर्ष		दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक
1996	गुजरात	08	71	10	14
	मुम्बई	11	15	04	09
	दिल्ली	33	83	51	107
1997	गुजरात	14	79	17	17
	मुम्बई	11	17	09	36
	दिल्ली	28	101	60	93
1998	गुजरात	05	44	16	17
	मुम्बई	02	20	03	16
	दिल्ली	26	76	40	136

वातानुकूलित 3 टियर डिब्बों का जोड़ा जाना

3394. श्री विट्ठल तुपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक वर्ष के दौरान किन रेलगाड़ियों में 3 टियर वातानुकूलित शयनयान डिब्बों की व्यवस्था की गई है और चालू वित्त वर्ष के दौरान किन रेलगाड़ियों के डिब्बों में उक्त व्यवस्था कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): 1.4.1998 से निम्नलिखित गाड़ियों में वातानुकूल 3 टियर स्लीपर श्रेणी शुरू की गई है:

1.	1013/1014	कुर्ला-बेंगलुरू एक्सप्रेस
2.	1077/1078	पुणे-जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस
3.	1071/1072	कुर्ला-वाराणसी कामायनी एक्सप्रेस
4.	1015/1016	कुर्ला-गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस
5.	1081/1082	मुम्बई-कन्याकुमारी एक्सप्रेस
6.	8409/8410	हवड़ा-पुरी श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस
7.	5205/5206	नई दिल्ली-मुजफ्फरपुर लिच्छवी एक्सप्रेस
8.	5213/5214	नई दिल्ली-मुजफ्फरपुर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस
9.	5063/5064	गोरखपुर-बांद्रा अवध एक्सप्रेस
10.	2925/2926	मुम्बई-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस
11.	5645/5646	गुवाहाटी-दादर एक्सप्रेस
12.	5623/5624	गुवाहाटी-कोचीन एक्सप्रेस
13.	5625/5626	गुवाहाटी-बेंगलूरू एक्सप्रेस
14.	4005/4006	निजामुद्दीन-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस
15.	4859/4860	दिल्ली-जोधपुर एक्सप्रेस
16.	2435/2436	नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस
17.	6717/6718	चेन्नई-मदुरै पांडियान एक्सप्रेस
18.	2627/2628	कर्नाटक एक्सप्रेस
19.	7053/7054	हैदराबाद-चेन्नई एक्सप्रेस
20.	7085/7086	बेंगलूरू-सिकंदराबाद एक्सप्रेस
21.	3005/3006	हवड़ा-अमृतसर मेल
22.	6119/6120	चेन्नई-कन्याकुमारी एक्सप्रेस
23.	6605/6606	चेन्नई-मेट्टूपलायन नीलगिरि एक्सप्रेस
24.	6333/6334	तिरुवनंतपुरम-राजकोट एक्सप्रेस
25.	6335/6336	गांधीधाम-नागरकोइल एक्सप्रेस
26.	6337/6338	कोचीन-राजकोट एक्सप्रेस
27.	2619/2620	मंगलौर-कुर्ला एक्सप्रेस
28.	2461/2462	दिल्ली-जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस
29.	8451/8452	राउरकेला-भुवनेश्वर तपस्वनी एक्सप्रेस

वातानुकूल 3 टियर स्लीपरों की शुरूआत एक सतत प्रक्रिया है तथा उत्पादन इकाइयों से सवारी डिब्बों की उपलब्धता के आधार पर चालू वित्त वर्ष में और अधिक गाड़ियों में शुरू किए जाएंगे।

रूसी मिसाइल-रोधी प्रणाली की खरीद

3395. श्री के. येरननायडू :
श्री चंदूलाल अजमीरा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूसी मिसाइल-रोधी प्रणाली की खरीद की कोई बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रणाली कब तक मिल जाएगी?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली आने वाले दैनिक रेल यात्री

3396. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले रेल यात्रिकों के संघ से रेल सेवाओं में वृद्धि करने, रेलवे की समय सारणी में परिवर्तन करने और रेलवे हाल्ट्स की संख्या बढ़ाने से संबंधित अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) सरकार के विभिन्न स्तरों पर गाड़ियों की शुरूआत, विस्तार, पुन: समय निर्धारण, गाड़ियों के ठहराव, अतिरिक्त रेलवे हाल्ट, आदि के संबंध में बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इनकी जांच की जाती है और जैसा व्यावहारिक तथा औचित्यपूर्ण पाया जाता है, कार्रवाई की जाती है। दिल्ली-शामली खंड पर डी.एम.यू. सेवाओं की एक अतिरिक्त जोड़ी शुरू करने का विनिश्चय किया गया है।

[अनुवाद]

पुणे प्रवासी पर्यटक मंच द्वारा प्रस्ताव

3397. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पुणे प्रवासी पर्यटक मंच से रेल से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) इस अभ्यावेदन में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:

1. पुणे-अहमदाबाद अहिंसा एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि और इसका जोधपुर तक विस्तार।
2. पुणे मंडल का कार्यान्वयन।
3. पुणे-अहमदाबाद अहिंसा एक्सप्रेस, पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, कोल्हापुर-गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस में वातानुकूल 3-टियर सवारी डिब्बे लगाना।
4. पुणे-मुम्बई प्रगति एक्सप्रेस का कल्याण स्टेशन पर ठहराव देना।
5. गोवा एक्सप्रेस का वास्को-डि-गामा तक विस्तार और पुणे से इसके प्रस्थान समय में परिवर्तन।
6. पुणे-मुम्बई और मुम्बई-पुणे-सोलापुर खंड पर दिन में स्लीपर श्रेणी के सवारी डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति।

(ग) और (घ) 1999-2000 के दौरान 1095/1096 पुणे-अहमदाबाद अहिंसा एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 4 दिन किए जाएंगे।

अहिंसा एक्सप्रेस का जोधपुर तक विस्तार, अहिंसा एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस तथा महाराष्ट्र एक्सप्रेस में वातानुकूल 3-टियर सवारी डिब्बे लगाने, प्रगति एक्सप्रेस को कल्याण में ठहराव देने और गोवा एक्सप्रेस का वास्को-डि-गामा तक विस्तार और पुणे से इसके प्रस्थान समय में परिवर्तन की जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक और तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया। इसके अलावा, कॉस्ल रॉक और कुलेम के बीच का खंड यात्री गाड़ियों के परिचालन के लिए अभी तक रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

स्लीपर श्रेणी एक पूर्णत: आरक्षित श्रेणी है और द्वितीय श्रेणी से उच्चतर श्रेणी है। इस श्रेणी के लिए केवल पुष्टिशुदा और आरएसी टिकट धारकों को ही इस श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक यात्रा का आनंद लेने के लिए इस श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से अधिक किराया लिया जाता है। आरक्षित यात्रियों की संरक्षा और

सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी भी परिस्थिति में अनारक्षित यात्रियों को स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के साथ बुक नहीं किया जाता है।

दौंड (छोडकर)-बारामती और पुणे-अहमदनगर खंड पुणे मंडल में शामिल कर लिया गया है। दौंड स्टेशन को परिचालनिक कारणों की वजह से शामिल नहीं किया गया है।

इंडियन एयरलाइंस का कार्यनिष्पादन

3398. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री रवि सीताराम नायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का नवम्बर और दिसम्बर, 1998 में कार्य निष्पादन अच्छा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपनी सेवाओं में सुधार किए जाने के प्रयास के कारण इसके यातायात में अचानक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या विपणन संबंधी कार्य वांछित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (घ) नवम्बर और दिसम्बर 1998 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था:-

	नवम्बर, 1998 (करोड़ रुपयों में)	दिसम्बर, 1998
प्रचालनात्मक लाभ/हानि	14.90	41.05
निवल लाभ/हानि	4.10	22.25
राजस्व टन कि.मी. (मिलियन)	57.033	64.601

वाहित यात्रियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वाहित यात्रियों की संख्या (मिलियन में)	अक्तूबर, 98	नवम्बर, 98	दिसम्बर, 98
	0.58	0.487	0.546

उत्पाद और विपणन प्रयासों में होने वाला सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। इंडियन एयरलाइंस अपने उत्पाद में सुधार लाने तथा बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करती है। इंडियन एयरलाइंस निम्नलिखित बातों के जरिए लाभप्रदता में वृद्धि के साथ-साथ यात्रियों को दी जा रही सेवा में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दृष्टि से सुधार लाने की दिशा में प्रयासरत है:-

(1) उत्पाद उन्नयन, (2) विमानों का वर्धित उपयोग, (3) वर्धित अंतरराष्ट्रीय परिचालन, (4) वर्धित उत्पादकता, (5) लाभ केन्द्रों का सृजन, (6) अभिनव तथा अनुकूल विपणन रणनीतियां, (7) एलायंस एयर की लांचिंग तथा (8) लागत नियंत्रण उपाय।

[हिन्दी]

बम्हरौली हवाई अड्डे के नजदीक हवाई दुर्घटनायें

3399. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बम्हरौली हवाई अड्डे (सी.ए.टी.सी.) पर अक्सर हवाई दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी हवाई दुर्घटनाएं हुईं और उनके कारण क्या थे;

(ग) ऐसी हवाई दुर्घटनाओं में हुई जान और माल की क्षति के लिये कितना मुआवजा दिया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र (सी.ए.टी.सी.) एक संगठन है जो नागर विमानन मंत्रालय के अधीन है। उक्त मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि इस केन्द्र का अपना कोई वायुयान नहीं है।

[अनुवाद]

मलयालम फिल्म "पाथरम"

3400. श्री पी.सी. थामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्सर बोर्ड ने मलयालम फिल्म "पाथरम" को दिखाने के लिए प्रमाणपत्र दे दिया है;

(ख) क्या इस फिल्म को उक्त प्रमाणपत्र देने के संबंध में कुछ आपत्तियां थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जनता तथा न्यायालयों द्वारा कुछ हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को दिए गए प्रमाण-पत्र की आलोचना की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(च) इन फिल्मों को प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के आधार क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ''पाथरम'' फिल्म को प्रमाण-पत्र जारी करने की जब जांच की जा रही थी तो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इस आरोप की एक शिकायत प्राप्त हुई कि फिल्म में अखबार मीडिया की भूमिका एवं कार्यप्रणाली को बदनाम करने और विकृत करने का प्रयास किया गया है। बाद में शिकायतकर्त्ता ने शिकायत को वापस ले लिया। काट-छांट की जांच और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बोर्ड ने दिनांक 15.2.99 को फिल्म को प्रमाण-पत्र जारी कर दिया।

(घ) और (ङ) हाल ही में फायर फिल्म के प्रदर्शन के बाद इसके बारे में प्राप्त शिकायतों को देखते हुए, इसे दोबारा जांच के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजा गया। बोर्ड ने फिल्म की दुबारा जांच की और बताया कि फिल्म को दिया गया ''ए'' प्रमाण-पत्र उचित है सरकार ने बोर्ड की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

फिल्म पुलिस स्टोरी (कन्नड़) के मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कि फिल्म द्वारा कानूनी प्रणाली के साथ-साथ अदालतों व न्याय पालिका को भी बदनाम करने के आधार पर सेंसर प्रमाण-पत्र को रद्द करने का आदेश दिया।

(च) सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा उसके अधीन जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जांच करने के बाद प्रमाणित किया जाता है। प्रदर्शन के लिए उपयुक्त पाई गई फिल्म को कांट-छांट या उसके बिना प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। यदि बोर्ड यह महसूस करता है कि काट-छांट कर फिल्म का प्रतिकूल प्रभाव दूर नहीं किया जा सकता है तो फिल्म को प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर दिया जाता है। ''फायर'' फिल्म के मामले में, जिस समिति ने फिल्म की जांच की उसने फिल्म को आपत्तिजनक नहीं पाया। फिल्म ''पुलिस स्टोरी'' के मामले में बोर्ड ने ''ए'' प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार आपत्तिजनक समझे जाने वाले अंशों को हटा दिया था।

उड़ीसा में विमान सेवा में वृद्धि

3401. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य में विमान सेवा में वृद्धि करने के लिए उड़ीसा सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस को भुवनेश्वर को अन्य शहरों यथा बैंगलूर, हैदराबाद, चैन्नै और पुणे से विमान सेवा से जोड़ने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) सरकार ने देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता में लेते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन प्राप्त करने की दृष्टि से मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। विमान-कंपनियों के लिए यह जरूरी है कि वे सरकार द्वारा जारी इन मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए विशिष्ट स्थानों को सेवाएं मुहैया करें।

वैज्ञानिकों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पुरस्कार

3402. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों के लिए कोई पुरस्कार शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1998 और चालू वर्ष के दौरान वैज्ञानिकों को दिए गए पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए तथा ये कितनी राशि के थे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एवं उनकी साझीदार संस्थाओं के वैज्ञानिकों तथा प्रयोगशालाओं के लिए 10 प्रकार के पुरस्कार योजना प्रारंभ की है।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार द्वारा शुरू किए गए पुरस्कारों के नाम और उनकी धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) आत्म-निर्भरता में उत्कृष्टता के लिए 'अग्नि' पुरस्कार
(दो-दो लाख रुपए के 5 पुरस्कार)

(ख) लीक से हटकर किए जाने वाले (पाथ ब्रेकिंग) अनुसंधान हेतु रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन पुरस्कार
(10 लाख रुपए का एक पुरस्कार)

(ग) कार्य-निष्पादन में उत्कृष्टता हेतु रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन पुरस्कार
(10 लाख रुपए, दो पुरस्कार)

(घ) रक्षा प्रौद्योगिकी एब्जोर्पान पुरस्कार
(10 लाख रुपए, दो पुरस्कार)

(ङ) शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार
(10 लाख रुपए, एक पुरस्कार)

(च) प्रौद्योगिकी नेतृत्व पुरस्कार
(दो लाख रुपए, दो पुरस्कार)

(छ) डी.आर.डी.ओ. साइंटिस्ट ऑफ दि इयर अवार्ड
(एक लाख रुपए, दस पुरस्कार)

(ज) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन युवा वैज्ञानिक पुरस्कार
(पचास हजार रुपए, आठ पुरस्कार)

(झ) सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन पुरस्कार
(पच्चीस हजार रुपए 8 पुरस्कार)

(ञ) रक्षा प्रौद्योगिकी स्पिन-ऑफ पुरस्कार
(दो लाख रुपए, 5 पुरस्कार)

सरकार द्वारा गठित पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1998 के दौरान उत्कृष्ट योगदान के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) लीक से हटकर (पाथ ब्रेकिंग) अनुसंधान हेतु रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन पुरस्कार

यह पुरस्कार परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के शक्ति-98 के वैज्ञानिक दलों को दिया जाता है।

(ख) कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता हेतु रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन पुरस्कार (2 पुरस्कार)

इनमें से एक पुरस्कार पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के डिजाइन और विकास कार्य में लगे दल को दिया जाता है, जिससे उसका उत्पादन और उसे सेना में शामिल किया जाना संभव हुआ। दूसरा पुरस्कार एकीकृत वायुवाहित इलेक्ट्रानिक युद्ध पद्धति प्रणाली के डिजाइन और विकास में लगे दल को दिया जाता है, जिससे इस प्रणाली का उत्पादन और उसे सेना में शामिल किया जाना संभव हुआ।

(ग) शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार (एक पुरस्कार)

यह पुरस्कार निम्नलिखित दो दलों को दिया जाता है:-

(1) अभिनव परिवर्तनकारी अनुसंधान विकास के लिए आई.आई.टी. दिल्ली स्थित इलेक्ट्रानिक प्रायोगिक अनुसंधान केंद्र के दल को, जिससे स्वदेशी प्रयासों के जरिए फेस कंट्रोल मॉड्यूल का उत्पादन संभव हुआ।

(2) उड़न-वाहनों के लिए निर्देशन एवं नियंत्रण एलगोरिथ्म के अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कलकत्ता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के विद्युत इंजीनियरी विभाग का दल।

(घ) डी.आर.डी.ओ. साइंटिस्ट्स ऑफ दि इयर पुरस्कार

उन्नत संगणन, नौसेना, आयुधों, प्रक्षेपास्त्र, राडार, संचार एवं ई.डबल्यू. क्षेत्रों की रक्षा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के 8 वैज्ञानिक यह पुरस्कार प्राप्त करते हैं।

(ङ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन युवा वैज्ञानिक पुरस्कार

संचार, जीवन विज्ञानों, प्रक्षेपास्त्र, आयुध व धातु विज्ञान के क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के छः वैज्ञानिक यह पुरस्कार प्राप्त करते हैं।

इन पुरस्कारों की घोषणा पूरे वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए वर्ष के अंत में की जाती है। अतः चालू वर्ष के पुरस्कारों के लिए अभी विचार नहीं किया जाना है।

भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि

3403. श्री तथागत सत्पथी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है;

(ख) क्या भूमि से बेदखल किए गए लोगों को मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उड़ीसा राज्य सरकार को 68.32 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के प्रति 25 लाख रुपयों की राशि की अदायगी की थी जिसे नवम्बर, 1992 में धावनपथ का विस्तार 7440 फुट करने के वास्ते सौंपा गया था।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की इकाइयां स्थापित किया जाना

3404. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान आज की तारीख तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु राज्य-वार कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसी इकाइयां स्थापित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) अप्रैल, 1997 से दिसम्बर, 1998 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए मंजूर किए गए प्रस्तावों इनमें औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन शामिल हैं, की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। अधिकांश यूनिटों की स्थापना निजी उद्यमियों/कंपनियों द्वारा की जाती है इसलिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। वैसे मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण समेत इन उद्योगों की वृद्धि, विकास और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देता है।

विवरण

अप्रैल, 1997 से दिसम्बर, 1998 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए मंजूर प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	69
2.	असम	3
3.	बिहार	7
4.	गुजरात	34
5.	हरियाणा	36
6.	हिमाचल प्रदेश	12

1	2	3
7.	जम्मू एवं कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	30
9.	केरल	11
10.	मध्य प्रदेश	59
11.	महाराष्ट्र	210
12.	नागालैण्ड	1
13.	उड़ीसा	4
14.	पंजाब	38
15.	राजस्थान	31
16.	तमिलनाडु	56
17.	उत्तर प्रदेश	129
18.	पश्चिम बंगाल	54
19.	दादरा एवं नागर हवेली	3
20.	दिल्ली	5
21.	दमण एवं दीव	2
22.	पाण्डिचेरी	9
23.	गोवा	5
24.	अंडमान एवं निकोबार	1
25.	स्थान का उल्लेख नहीं है	6
	कुल	817

मुंबई उपनगरीय रेल सेवाओं में रेल दुर्घटनाएं

3405. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंबई उपनगरीय रेल सेवाओं में पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इनमें मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) दुर्घटना पीड़ितों को कुल कितने राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई है; और

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) मुंबई उपनगरीय रेल सेवा में पिछले एक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या नीचे दर्शायी गई है:

1998	14
1999*	शून्य

(*फरवरी तक)

(ख) मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

मारे गए	2
घायल हुए	शून्य

(ग) मुंबई उपनगरीय रेल सेवा में पिछले एक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक हुई गाड़ी दुर्घटनाओं में शिकार हुए व्यक्तियों को अब तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं प्रदान की गई है। बहरहाल, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को 15,000 रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) भारतीय रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(2) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(3) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(4) कुछ चुनिंदा मार्गों पर ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टाकी सेट्स उत्तरोत्तर सप्लाई किए जा रहे हैं।

(5) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टेंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(6) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(7) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए 96 और दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की जा रही है।

(8) उपर्युक्त के अलावा 2 स्वनोदित पराश्रव्य परीक्षण कारों की खरीद की जा रही है।

(9) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(10) धुरों के कोल्ड ब्रेकज के मामलों की रोक-थाम के लिए धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है।

(11) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधों व सड़क चिह्न मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(12) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(13) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोकथाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(14) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंर्त-अनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की गई है।

(15) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(16) विनिर्दिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते है।

(17) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैस) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(18) कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

तितली पकड़ने संबंधी अभियान

3406. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में विदेशी ट्रेवल एंजेंट और टूर आपरेटर पर्यटकों को तितली पकड़ने के अभियान का वायदा कर भारत में आकर्षित कर रह हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का अभियान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत निषिद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी जांच करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) जी, नहीं। ऐसी कोई घटना पर्यटन मंत्रालय के नोटिस में नहीं आई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जयपुर हवाई अड्डे का उन्नयन

3407. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में न बदले जाने के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जयपुर हवाई अड्डे के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अधिग्रहित की गई भूमि के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी गई है और क्या रनवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली में सर्दी के मौसम के दौरान अत्यधिक कोहरे के कारण जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक परिवर्तित कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जयपुर विमानपत्तन राष्ट्रीय वाहको तथा विदेशी पर्यटक चार्टर उड़ानों द्वारा सीमित अन्तरराष्ट्रीय प्रचालनों से संबंधित सीमाशुल्क तथा आव्रजन संबंधी सुविधाओं से युक्त एक आदर्श विमानपत्तन है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जयपुर विमानपत्तन का अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्तरोन्नयन करने पर खर्च की गई धनराशि वर्ष 1995-96 में 1.31 करोड़ रु., 1996-97 में 13.72 करोड़ रु. तथा वर्ष 1997-98 में 1.60 करोड़ रु. है।

(ग) चरण-I के अंतर्गत, 17 फरवरी, 1999 को 100 एकड़ भूमि के चारों ओर चार दीवारी के निर्माण कार्य तथा धावनपथ को 6000 फुट से बढ़ाकर 7500 फुट करने के कार्य को पूरा किया। चरण-II के अंतर्गत क्षेत्र 300 एकड़ भूमि के चारों और चारदीवारी के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और इस कार्य के पूरा होने की संभाव्य तारीख मई 2000 है। इस चरण के अंतर्गत धावनपथ का विस्तार 9000 फट तक भी किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जयपुर विमानपत्तन को एबी-320/एबी 310 श्रेणी की दिनपरिवर्तित उड़ानों को संचालित करने के लिए एक वैकल्पिक विमानपत्तन के रूप में नामित किया गया है। इस समय जयपुर विमानपत्तन को अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन में परिवर्तित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सैनिकों द्वारा अपने साथियों की हत्या

3408. श्री गोपाल चन्द्र दास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान अब तक भारतीय सेना, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में तैनात सैनिकों द्वारा अपने ही साथियों अथवा अपने वरिष्ठ अधिकारियों की हत्याओं की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन घटनाओं के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) भारतीय सेना में संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज): (क) से (ग) 1998-99 के दौरान इस प्रकार की पांच घटनाएं हुईं। इनमें से चार घटनाएं जम्मू और कश्मीर राज्य में हुई हैं। इन घटनाओं का मुख्य कारण प्रति विद्रोही परिवेश की विशिष्टताओं के कारण संघर्ष का तनाव होता है जो युद्ध क्षेत्रों में संक्रिया कार्य से भिन्न होता है। संघर्ष के इस तनाव को बिल्कुल न्यूनतम स्तर तक बनाए रखने के लिए उपयुक्त राहत कार्यक्रम योजना, लगातार शिक्षा और कमांडरों तथा सैन्य टुकड़ियों के बीच निकट संवाद बनाए रखने जैसे प्रयास निरंतर रूप से किए जाते हैं।

[हिन्दी]

सूरत-भुसावल रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

3409. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूरत-भुसावल रेल लाइन पर दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य काफी समय से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब शुरू हुआ और अब तक कितना कार्य पूरा हो गया है तथा इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(घ) क्या उक्त कार्य के लिए निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कार्य समय पर पूरा न होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) सूरत (उधना)-भुसावल (जलगांव) का विद्युतीकरण कार्य 1997-98 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। अनुमान आदि की स्वीकृति के बाद प्रमुख ठेके देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शिरोपरि उपस्कर संबंधी ठेके दे दिए गए हैं। इस परियोजना पर अब तक 12.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

उधना-जलगांव के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा। सूरत-उधना और भुसावल-जलगांव खंडों के लिए एक दोहरी और विद्युतीकृत बड़ी लाइन पहले ही मौजूद है।

(ग) रेलवे विद्युतीकरण परियोजना को 10वीं योजना में पूरा करने का लक्ष्य है। कार्य को 138.12 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छोड़ी गई चेन्नई-सिंगापुर उड़ान

3410. श्री राजवंशी महतो :
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के चालक दल ने दिसम्बर, *1998 के अंतिम सप्ताह में चेन्नई-सिंगापुर उड़ान छोड़ दी थी;*

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अगर कोई जांच करायी गई हो तो उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) दिनांक 16.9.1998 को अनुसूचित उड़ान आई.सी.-555 को प्रचालित करने वाले विमान ने 00.25 बजे प्रस्थान करना था। जबकि उस समय एक सिंगल स्टेप लैडर ही उपलब्ध था इसलिए यात्रियों को विमान में चढ़ने के लिए कुछ समय लगा। परिणामत: कर्मीदल तथा कमांडर पर फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की जिम्मेदारी निर्धारित की गई। इस तरह, उड़ान को दो घंटे तथा 55 मिनट के विलंब के बाद एक दूसरे कर्मीदल सेट द्वारा प्रचालित कराया गया।

विदेशी सहयोग से फल प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

3411. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में विदेशी सहयोग से फल प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थलवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी नहीं, सरकार स्वयं किसी राज्य में फल प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नही करती।

(ग) मंत्रालय द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को दी गई सहायता निम्नलिखित है:-

1997-98	13.75 लाख रु. अनुदान के रूप में
1998-99	शून्य

इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में फल प्रसंस्करण यूनिटों को "आसान शर्तों पर ऋण में भागीदारी के माध्यम से बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास" नामक स्कीम के तहत ऋण के रूप में निम्नलिखित सहायता भी दी गई है:-

1997-98	160.00	लाख रु. (जारी किए जा चुके हैं)
	33.50	लाख रु. (मंजूरी दे दी गई है)
1998-99	60.00	लाख रु. (मंजूरी दे दी गई है)

[हिन्दी]

रेल पटरियों को बिछाना

3412. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बेतिया, अरवल, दाउद नगर, औरंगाबाद, छतरपुर और पाली को जोड़ने वाली रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस काम को पूरा करने हेतु कोई समय सीमा तय की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

आई.एच.एम.सी.टी. में पुस्तकालयाध्यक्षों हेतु संशोधित वेतनमान

3413. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "होटल मैनेजमेन्ट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी" और नेशनल काउन्सल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी" के विभिन्न संस्थानों में पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतन का भुगतान पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी" और "नेशनल काउन्सिल ऑफ होटल मैनेजमेन्ट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी" के पुस्तकालयाध्यक्षों को दिये जा रहे वेतनमानों के बीच कोई भिन्नता है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त भिन्नता को दूर करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) और (ख) जी, हां। होटल प्रबंध संस्थानों तथा राष्ट्रीय होटल प्रबंध परिषद् के पुस्तकालयाध्यक्षों को उनके संशोधन पूर्व वेतनमानों के अनुरूप संशोधित वेतनमान दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय होटल प्रबंध परिषद तथा होटल प्रबंध संस्थान के अलग-अलग अस्तित्व एवं कार्य हैं जिसके लिए भिन्न-भिन्न प्रकृति के कर्मियों की आवश्यकता होती है। इसलिए असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता।

टाटा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

3414. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री टाटा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना को फिर से शुरू करने के बारे में 3 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 760 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर के निकट टाटा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना को फिर से शुरू करने के बारे में उनकी व्यवहार्यता का पुन: निर्धारण करने से संबंधित कार्य पूरा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार). (क) से (घ) कर्नाटक सरकार से परामर्श करके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्रम अधिकरण का निर्णय

3415. श्री गोरधन भाई जादवभाई जावीया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम अधिकरण के निर्णय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय श्रमायुक्त उपयुक्त अधिकारी है;

(ख) यदि हां, तो किसी पक्ष को अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वित न होने, विलंब से कार्यान्वित होने या आंशिक रूप से कार्यान्वित होने की स्थिति में क्या-क्या उपचारात्मक उपाय उपलब्ध हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय श्रमायुक्त अधिकरण के निर्णय के किसी भाग के निर्णय के कार्यान्वयन में असफल रहने वाले किसी पक्ष पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना अपेक्षित है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) केन्द्रीय सरकार ने पंचाटों को कार्यान्वित करने के लिए उन श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (केन्द्रीय) को शक्तियां प्रदान की हैं जो क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) के अधीन समुचित प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ख) पक्षकार, किसी पंचाट को कार्यान्वित किए जाने, उसे आंशिक रूप से कार्यान्वित किए जाने अथवा विलंब से कार्यान्वित किए जाने पर किसी न्यायालय में अभियोजन चलाने के लिए उक्त पंचाट को प्रकाशित किए जाने की तारीख से 30 दिन के पश्चात् समुचित सरकार अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अनुसार सरकार ने पंचाट की किसी भी शर्त को कार्यान्वित करने में चूक करने वाले पक्षकार के विरुद्ध अभियोजन चलाने की शक्तियां श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) को प्रदान कर दी हैं। तथापि, जहां अभियुक्त एक सरकारी कर्मचारी हो और उस पर आपराधिक दंड संहिता की धारा 197 लागू की जानी हो वहां अभियोजन चलाने के लिए नियोजक मंत्रालय की अनुमति भी लिया जाना अपेक्षित है।

(घ) जहां अधिकरण के पंचाट को कार्यान्वित किए जाने, विलंब से कार्यान्वित किए जाने अथवा आंशिक रूप से कार्यान्वित किए जाने अथवा किसी पंचाट के उल्लंघन को केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के ध्यान में लाया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार के मामले में चूककर्ता पक्षकार को पंचाट को कार्यान्वित करने का एक अवसर प्रदान करके एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। ऐसा न करने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाता है।

विकलांगों के लिए रियायती हवाई टिकट

3416. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पैर से 80 से अधिक प्रतिशत विकलांग लोगों को रियायती दर पर विमान यात्रा की टिकट देने के लिए इंडियन एयरलाइन्स को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये निर्देश निजी घरेलू उड़ानों पर भी लागू हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये गये हैं; और

(घ) विभिन्न श्रेणी के नागरिकों को ऐसी विशेष सुविध मुहैया कराये जाने के कारण इंडियन एयरलाइन्स को रियायती धन के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। निजी विमानकंपनी प्रचालक वाणिज्यिक विवेकानुसार अपने किराए निर्धारित करने अथवा रियायतें देने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) सैन्यबलों को दी गई रियायत की राशि की प्रतिपूर्ति इंडियन एयरलाइंस को कराने के विषय में रक्षा मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया गया है।

[हिन्दी]

भोपाल जाने वाली उड़ान का इन्दौर में उतरना

3417. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की 17 दिसम्बर, 1998 की उड़ान जो दिन के बजाय रात में दिल्ली से चली, भोपाल के बजाय सीधे इन्दौर में उतरी:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उस उड़ान में ऐसे कितने यात्री थे जिन्होंने भोपाल के लिए टिकट खरीदे थे;

(घ) क्या हवाई यातायात नियंत्रण टावर के कर्मचारी, इस उड़ान को भोपाल हवाई अड्डे में उतरने हेतु सुविधा प्रदान करने के बजाय, अपने-अपने घर चले गए थे;

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(च) क्या स्थानीय सांसद ने इस संबंध में शिकायत की है और

(छ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) अप्रत्याशित धुंध की वजह से दिनांक 17 दिसम्बर, 1998 को एलायंस एयर की उड़ान सीडी-433 ने दिल्ली से 1810 बजे के अनुसूचित प्रस्थान समय की बजाय 2135 बजे प्रस्थान किया था। इसे भोपाल के लिए वहां निगरानी कार्य समय की अनुपलब्धता की वजह से ओवरफ्लाई करना पड़ा था।

(ग) विमान में 37 यात्री सवार थे और जिन्होंने भोपाल के लिए टिकटें खरीदी थी।

(घ) और (ङ) भोपाल में निगरानी कार्य समय 2015 बजे तक ही उपलब्ध है। जब निगरानी कार्य का समय समाप्त हो चुका था उसके बाद इंडियन एयरलाइन्स ने एटीसी भोपाल को सूचित किया था कि सीडी-433 उड़ान दिल्ली-इन्दौर-मुम्बई सैक्टर पर प्रचालन कर रही है।

(च) जी, हां।

(छ) इंडियन एयरलाइन्स जिसे कि शिकायत संबंधी जांच करने के लिए कहा गया है, ने अभी तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन

3418. श्री टी. गोविन्दन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999-2000 के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ख) इस उदेश्य के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) 1999-2000 के दौरान भारतीय जन-संचार संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना स्कीमें निम्न प्रकार से हैं:-

(1) भवन एवं आवास परियोजना;

(2) अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन;

(3) इलैक्ट्रोनिक/प्रिंट/रेडियो एवं टी.वी. पत्रकारिता तथा वीडियो निर्माण के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा विस्तार

(4) भारतीय जन संचार संस्थान शाखा, धेनकनाल (उड़ीसा)

(5) भारतीय जन संचार संस्थान शाखा, कोट्टायम (केरल);

(6) भारतीय जन संचार संस्थान शाखा, दीमापुर (नागालैंड); तथा

(7) भारतीय जन संचार संस्थान शाखा, अमरावती (मध्य प्रदेश)

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान उपरोक्त योजना स्कीमों के लिए 370.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

[हिन्दी]

बिहार पर्यटन विकास निगम की परिसम्पत्तियों का भारत पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरण

3419. श्री राजो सिंह : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार पर्यटन विकास निगम की कुछ परिसम्पत्तियों का हस्तातंरण भारत पर्यटन विकास निगम को करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हज यात्रा

3420. श्री के. कृष्णामूर्ति : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हज यात्रियों को सऊदी अरब ले जाने के लिए किसी विदेशी हवाई कंपनी की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एअर इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इस वर्ष कितने यात्रियों का हज के लिए जाने का अनुमान है; और

(घ) इस वर्ष सरकार प्रति हज यात्री कितनी राज सहायता का भुगतान करेगी और वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमानत: कुल कितनी राज सहायता दी जाएगी?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) मैसर्स मिडो एविएशन ग्रुप यू एस ए को हज-1999 के दौरान विमानों से हज प्रचालनों के कार्य के लिए लगाया गया है जो 18.2.1999 से आरंभ हो गया है। हज उड़ानों के "न लाभ न हानि" आधार पर प्रचालन के कारण, एयर इंडिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) हज 1999 के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या 63,000 होने का अनुमान है।

(घ) प्रति तीर्थयात्री सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि 17640/- रुपए है तथा 63,000 हाजियों के लिए कुल सहायता का अनुमान 111 करोड़ रुपए लगाया गया है।

आमान परिवर्तन

3421. श्री राम विलास पासवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खगड़िया-समस्तीपुर और कटिहार-जोगबानी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने संबंधी परियोजनाएं अभी भी स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) परियोजनाएं चालू सर्वेक्षणों को पूरा हुए बिना बजट में शामिल की गई थीं। सर्वेक्षण अब पूरे हो गए हैं और स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

आगरा तक एअर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ान

3422. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया की आगरा हवाई अड्डा तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

रोजगार के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

3423. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **श्रम मंत्री** रोजगार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में 13 अगस्त, 1997 के तारांकित प्रश्न संख्या 319 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) आबकारी अधीक्षक, मलकापट्टनम, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश बनाम के.बी.एन. विश्वेश्वरा राव एवं अन्य के मामले में दिनांक 22.8.96 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर समीक्षा याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके दिनांक 15.1.98 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है तथा सरकार ने पहले ही उक्त निर्णय को कार्यान्वित कर दिया है।

[हिन्दी]

ग्वालियर-शिओपुर कालन रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3424. श्री अशोक अर्गल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्वालियर शिओपुर कालन मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ धनराशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सर्वेक्षण कराने का क्या औचित्य है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) ग्वालियर-शिवपुर कलां छोटी लाइन के आमान परिवर्तन और कोटा तथा इसका विस्तार करने के लिए एक सर्वेक्षण सितम्बर, 1996 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण से पता चला है कि 284 कि.मी. लाइन पर 364 करोड़ रुपये की लागत आएगी तथा प्रतिफल की दर 1% से कम होगी। इस लाइन के संपूर्ण गैर-अर्थक्षम होने और संसाधनों की अत्यधिक तंगी को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

रेल नेटवर्क का विस्तार

3425. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे बोर्ड को गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों से न्यू कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) से गोलकगंज (असम) तक रेल नेटवर्क का विस्तार किए जाने के संबंध में कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक अनुरोध पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अनुरोधों को कब तक मान लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संसद सदस्यों से, बार-बार प्राप्त अनुरोधों सहित, कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। माननीय संसद सदस्यों से बहुधा प्राप्त पत्र विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित होते हैं। माननीय संसद सदस्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पर अलग से कार्रवाई की जाती है और उस पर उचित ध्यान दिया जाता है। बहरहाल, ऐसे अभ्यावेदनों का समेकित योजन-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है और 30.06.1999 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

रेलवे में भर्ती

3426. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के पदों पर कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई;

(ख) क्या भर्ती में कथित भ्रष्टाचार और भाई-भतीजेवाद को चल रही कुछ जांच के कारण रेल प्रशासन ने रेलवे भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर द्वारा संस्तुत किए गए कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति अभी नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर द्वारा श्रेणी-III (ग्रुप ''ग'') की भर्ती के लिए 1391 उम्मीदवारों को पैनल में रखा गया। रेल भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर द्वारा श्रेणी-IV (ग्रुप ''घ'') की भर्ती नहीं की जाती है।

(ख) जी नहीं:

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम के पास लम्बित दावे

3427. श्री डी.एस. अहिरे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े शहरों में भारत पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में आपूर्ति और कार्यों हेतु कई दावे निपटान के लिए लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से मुम्बई में पंचाट को कितने मामले भेजे गए और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार लम्बित मामलों की एक निर्धारित अवधि के भीतर निपटाने हेतु कोई नए कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत पर्यटन विकास निगम अधिकारियों के द्वारा की गई/प्रकाश में आई मुख्य अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और जांच के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) और (ख) जी, नहीं। आजकल केवल दो दावे भारत पर्यटन विकास निगम के मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में लम्बित हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	पार्टी का नाम	राशि (रुपयों में)	कब से लम्बित है	प्रदान की गई सेवाएं
1.	श्री मोहम्मद तैयब सिविल कान्ट्रेक्टर	1,17,059	अगस्त, 1998	सिविल कार्य
2.	मैसर्स मानल ट्रूअर्स एंड ट्रेवल्स	29,466	नवम्बर, 1996/ फरवरी, 1997	वाहनों को किराए पर देना

(ग) आपूर्ति और कार्यों हेतु दावों का कोई भी मामला भारत पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में पंचाट को नहीं भेजा गया।

(घ) और (ङ) देयताओं का निपटान निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है, बशर्ते कि बिल सत्यापित किए गए हों और सभी पहलुओं से ठीक पाये जाएं।

(च) भारत पर्यटन विकास निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार उपर्युक्त दावों की प्रक्रिया में भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों की ओर से किसी बड़ी अनियमितता के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

भारत पर निगरानी हेतु अमेरिकी उपग्रह

3428. डा. सरोजा वी. : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन दो अमेरिकी उपग्रहों की जानकारी है जो सामान्यतया भारत पर निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या परमाणु ऊर्जा आयोग और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के रक्षा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने इन उपग्रहों के साथ अपनी गतिविधियों को अंशशोधित किया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत में विदेशी निगरानी को रोकने के लिए किन प्रमुख कदमों पर विचार किया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सरकार को इस प्रकार के उपग्रहों की मौजूदगी की जानकारी है। इस संबंध में आगे और ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

अम्बाला में विमानपत्तन

3429. श्री अमन कुमार नागरा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अम्बाला में एक नए विमानपत्तन का निर्माण किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास

3430. श्री आर.एस. गवई : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए अलग मंत्रालय या विभाग का सृजन करने के लिए राज्य सरकारों को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। फिर भी मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना/स्कीमों के तहत राज्य सरकार के संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों/सहकारिताओं/गैर सरकारी संगठनों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर के कर्मचारियों की मांग

3431. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर के कर्मचारियों ने सरकार को मांग पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर में कार्यरत नैमित्तिक कलाकारों ने अपनी सेवाओं को नियमित करने आदि से संबंधित मांगें प्रस्तुत की हैं।

(ग) और (घ) नैमित्तिकों का नियमितीकरण, नियमितीकरण स्कीम के अनुसार किया जा रहा है।

स्नो एण्ड एवालांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट सेंटर का विस्तार

3432. श्री सुरेश चन्देल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुलू जिले में मनाली स्थित स्नो एण्ड एवालांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट सेंटर ने अपने विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश में वशिष्ठा में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय लोगों ने इसका, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विरोध किया है कि स्नो एण्ड एवालांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट सेंटर के सामने व्यास नदी के पास विस्तार कार्य के लिए पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) बर्फ एवं हिमस्खलन अध्ययन स्थापना (एस.ए.एस.ई.) मनाली, ने 1995 की भयंकर बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार से अपने मौजूदा स्थान के आसपास उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सम्पर्क किया था ताकि वह वहां अपनी आवश्यक अवसंरचनाओं की स्थापना कर सके। अत: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ भूमि अधिग्रहण करने तथा बर्फ एवं हिमस्खलन अध्ययन स्थापना को अपेक्षित भूमि प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार समुचित कार्यवाही कर रही है।

बाल श्रम

3433. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में स्वर्ण आभूषण विनिर्माण एककों में अनेक बाल श्रमिक लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में गैर-सरकारी संगठन से कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन बंधुआ बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है। सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में सैनिक अकादमी

3434. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पंजाब में एक सैनिक अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) पंजाब मे आनंदपुर साहिब में एक आर्मी स्कूल/अकादमी स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए विशेष भर्ती अभियान

3435. श्रीमती रीना चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1996 के दौरान इंडियन एयरलाइंस द्वारा चलाए गए विशेष भर्ती अभियान के पश्चात् प्रशिक्षु तकनीशियन के पद हेतु अनु.जा. और अनु.ज. जातियों के लिए आरक्षित पद बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) 31 जुलाई, 1996 को विभिन्न संवर्गों में, जो पिछली रिक्तियां थी, उनको भरने के लिए वर्ष 1996 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया था। प्रशिक्षु तकनीशीयन की श्रेणी में कुल 59 रिक्तियां (22 अनुसूचित जाति तथा 37 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) रिक्तियों की पहचान पीछे से खाली पड़ी रिक्तियों के रूप में की गई थी और तद्नुसार, उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती का काम शुरू किया गया था। तथापि विशेष भर्ती अभियान के दौरान, पीछे से खाली पड़ी 5 रिक्तियां (विमान तकनीशीयन/एक्स-रे) ट्रेड में एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और चार पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित (उपकरण ट्रेड में दो और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में एक तथा प्लांट एयरकंडीशन ट्रेड में एक) नहीं भरी जा सकी।

लेकिन जुलाई, 1997 में जारी किए गए अनुदेशों के परिणामस्वरूप, नए पद पर आधारित संशोधित रोस्टर के लागू हो जाने पर ऊपर दर्शाई गई कमी अब नहीं है।

गोवा जाने वाली रेलगाड़ियों हेतु आरक्षण कोटा

3436. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई और दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर गोवा जाने वाली रेलगाड़ियों और गोवा से इन स्थानों तक आने वाली रेलगाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कोटे सहित आरक्षण कोटे का रेलगाड़ी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कोटे से यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गोवा जाने वाली गाड़ियों और विलोमत: के लिए मुम्बई और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वीआईपी कोटे सहित आरक्षण कोटा गाड़ीवार निम्नानुसार है

गाड़ी सं.		आरक्षण कोटा			
		प्रथम वाता	वाता 2टियर	वाता 3 टियर	स्लीपर श्रेणी
मुम्बई से गाड़ियां					
0111	कोंकण-कन्या एक्सप्रेस	–	42	56	417
6635	नेत्रवती एक्सप्रेस	–	38	52	636
2619	मत्सयगंधा एक्सप्रेस	–	32	46	516
दिल्ली से ग़ाड़ियां					
2618	मगध एक्सप्रेस	–	28	52	612
2432	राजधानी एक्सप्रेस	12	64	119	–
दिल्ली की ओर गाड़ियां					
2617	मंगला एक्सप्रेस	–	4	–	16
2431	राजधानी एक्सप्रेस	4	30	60	–
मुम्बई की ओर गाड़ियां					
0112	कोंकण-कन्या एक्सप्रेस	–	29	49	219
2620	मत्सयगंधा एक्सप्रेस	–	2	1	4
6636	नेत्रवती एक्सप्रेस	–	–	2	34

प्रचार प्रसार

3437. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में पर्यटक आकर्षण वाले स्थानों के प्रचार-प्रसार हेतु विवरणिकाओं, पैम्फलेट, विकासात्मक सामग्रियों की छपाई तथा फिल्मों और सी.डी. रोम्स के निर्माण से संबंधित विज्ञापनों का क्रयादेश देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) उन फर्मों/संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्य सौंपा गया; और

(ग) उस पर वार्षिक खर्च कितना आया?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) पर्यटन मंत्रालय प्रचार सामग्री के उत्पादन के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों की एक सूची बनाता है। उपयुक्त एजेंसियों को खुली निविदा के माध्यम से ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए उनके विशेषज्ञों और पूर्व अनुभव के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। ब्रोशर, फोल्डर और फिल्मों सहित संवर्धनात्मक सामग्री के उत्पादन के लिए सभी सूचीबद्ध एजेंसियों से कुटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा दर्शाए गए प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों (दरों) और उनके तकनीकी गुण-दोषों के आधार पर आर्डर भेजा जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रचार सामग्री के मुद्रण/उत्पादन का कार्य जिन फर्मों/संगठनों को सौंपा गया, वे संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए प्रचार सामग्री के उत्पादन पर किया गया वार्षिक व्यय नीचे दिए अनुसार है:-

1995-96	रु. 1,61,16,422.00
1996-97	रु. 1,37,59,514.00
1997-98	रु. 2,25,82,139.00

विवरण

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में उत्पादन सामग्री से संबंधित कार्य जिन फर्मों/संगठनों को सौंपा गया उनके नाम नीचे दिए गए हैं

1995-96

1. मैसर्स क्रोस सैक्शन पब्लिकेशन्स
2. मैसर्स विजुवल काम्युनिकेशन्स
3. भारत पर्यटन विकास निगम
4. मैसर्स बेनोय के बहल फिल्मस
5. मैसर्स मैडिआर्ट फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
6. मैसर्स टी.टी.के. फर्मा लि.
7. मैसर्स ट्रंगल कम्युनिकेशनस
8. मैसर्स मुवींग पिक्चर्स कम्पनी (इं.) प्राइवेट लि.
9. मैसर्स सिनेमैट प्रोडक्शनस
10. मैसर्स हिन्दुस्तान थोमप्सन एसोसिएट्स लि.
11. मैसर्स भगवर्ती प्रिंटर्स
12. मैसर्स अल्कनन्दा एडवरटाइजिंग
13. मैसर्स अपिल एडवरटाइजिंग
14. मैसर्स विजन एण्ड इमेजिज एडवरटाइजिंग

1996-97

1. मैसर्स क्रोस सैक्शन पब्लिकेशन्स
2. मैसर्स बेनोय के बहल फिल्मस
3. मैसर्स मीडिया फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
4. मैसर्स अपिल एडवरटाइजिंग
5. मैसर्स टी.टी.के. फर्मा
6. मैसर्स आर.के. विजन्स

7. मैसर्स भारत मार्केटिंग एण्ड एडवरटाइजिंग
8. मैसर्स विजुवल कम्युनिकेशनस
9. मैसर्स जे.एस. प्रोडक्शन्स
10. मैसर्स चिरंजन एडवरटाइजिंग
11. मैसर्स अल्ट्रा एडवरटाइजिंग
12. मैसर्स अल्कनन्दा एडवरटाइजिंग
13. मैसर्स राहुल आर्ट्स एण्ड प्रिंटस

1997-98

1. मैसर्स चिरंजन एडवरटाइजिंग
2. मैसर्स राहुल आर्टस एण्ड प्रिंटस
3. मैसर्स क्रोस सैक्शन पब्लिकेशनस
4. मैसर्स भारत मार्केटिंग एडवरटाइजिंग
5. मैसर्स विजुवल कम्युनिकेशन्स
6. मैसर्स अपिल एडवरटाइजिंग
7. मैसर्स एम.जे. इन्टरनेशनल
8. भारत पर्यटन विकास निगम
9. मैसर्स न्यूफील्ड एडवरटाइजिंग
10. मैसर्स इमपावर
11. मैसर्स माइम
12. मैसर्स एआईएम टी.वी.

सड़क उपरि पुलों का निर्माण

3438. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से आगामी वित्तीय वर्ष में लागत भागीदारी के आधार पर राज्य में उपरि पुलों के निर्माण हेतु केरल में कालीकट से केन्नोर के बीच सभी रेलवे फाटकों को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) केरल की राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे:

क्र.सं.	समपार	रेलवे कि.मी.	स्थान
1	2	3	4
1.*	186	666/11-12	कालीकट-वेस्टहिल (कोजीकोड)
2.	54	67/13-14	कोराटैयांगडी-चालकुडी
3.*	48	62/9-10	चालकुडी
4.*	71	102/13-14	इडापल्ली-एर्णाकुलम
5.*	215	713/10-11	बड़गरा-नदापुरम रोड (चरोडे राष्ट्रीय राजमार्ग-17)

1	2	3	4
6.*	196	679/1-2	इलात्तूर-क्वीलण्डी (वेंगलम राष्ट्रीय राजमार्ग-17)
7.*	192	673/8-9	वेस्टहिल-इट्टाक्लोट (बेंगाली राष्ट्रीय राजमार्ग-17)
8.*	23;	738/7-8	धर्मादम-इट्टाकोट (मुजप्पलिंयागढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग-17)
9.*	272	810/1-2	निलेश्वर-कान्हा (पेडनाक्कड राष्ट्रीय राजमार्ग-17)
10.*	269	805/5-6	चरावत्तूर-निलेश्वर (पल्लीकारा राष्ट्रीय राजमार्ग-17)
1.	177	660/4-5	फेरोक-कल्लई (मीनाचंदा रोड)
12.	8	8/17-18	एर्णाकुलम-तिरूपुनितुरा
13.*	43	56/9-10	इरिनजलाकुडा के पास
14.	199	686/1-2	इलात्तूर-क्वालंडी
15.*	206	695/12-13	क्वीलंडी-तिक्कोटी
16.*	238	743/3-4	इत्ताकोट-कण्णनूर
17.*	239	749/2-3	इट्टाकोट-कण्णनूर
18.	11	15/5-6	शोरूवण्णूर-कोचीन हार्बर टर्मिनस सैक. (वेडाकंचेरी)
19.	178	662/5-6	शोरूवण्णूर मेंगलूर (पयनंकरा)

(ग) उपर्युक्त 19 सूचीबद्ध प्रस्तावों में से तारांकित दर्शाए गए 14 प्रस्ताव रेलवे के 1999-2000 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं।

क्रम संख्या 18 एवं 19 पर दर्शाए गए कार्य निक्षेप शर्तों पर मुहैया कराए गए समपारों के बदले में हैं। इसलिए ऊपरी सड़क पुल से उनका बदलाव केवल निक्षेप शर्तों पर ही संभव होगा।

रक्षा सेनाओं की भूमि

3439. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री मोहन रावले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में रक्षा सेनाओं की भूमि का राज्य-वार कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) विभिन्न प्रयोजनार्थ रक्षा सेनाओं की भूमि को पट्टे पर देने या बेचने के लिए सरकार की विस्तृत नीति क्या है;

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अधिगृहीत कर राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को बेची गई भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) हाल के वर्षों में अप्रयुक्त रक्षा सेनाओं की भूमि जारी करने संबंधी प्रभावी किए गए नीतिगत परिवर्तनों और/या विचाराधीन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रक्षा सेनाओं की भूमि के आवंटन संबंधी प्रमुख प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय कोई रक्षा भूमि अधिशेष नहीं है। खाली भूमि को भावी प्रयोग के लिए खण्डों में विभाजित किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि से प्राप्त अनुरोधों पर गुण-दोषों और समतुल्य मूल्य की भूमि के आदान-प्रदान के आधार पर विचार किया जाता है। लाभ न कमाने वाली सामाजिक और धर्मार्थ, दोनों किस्म की संस्थाओं को पट्टे पर देने और आबंटन करने पर भी प्रत्येक मामले में गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। रक्षा भूमि के अंतरण/हस्तांतरण से संबंधित सभी प्रस्ताव मंत्रिमंडल के पूर्वानुमोदन से प्रभावी होते हैं।

(ग) भूमि का अर्जन विशिष्ट रक्षा प्रयोगों के लिए किया जाता है और इसे आम तौर पर राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को नहीं बेचा जाता है।

(घ) और (ङ) जैसा कि उपर्युक्त (ख) के उत्तर में बताया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कुल धारित भूमि (एकड़ों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	35042.228
2.	अरूणाचल प्रदेश	4156.000
3.	असम	24548.200
4.	बिहार	15893.304
5.	दिल्ली	11422.706
6.	गोवा	3094.948
7.	गुजरात	23247.820
8.	हरियाणा	33697.933
9.	हिमाचल प्रदेश	5972.659
10.	जम्मू एवं कश्मीर	16216.468
11.	कर्नाटक	29183.112
12.	केरल	5228.277
13.	मध्य प्रदेश	219927.207
14.	महाराष्ट्र	137316.920
15.	मणिपुर	1284.489
16.	मेघालय	5294.180
17.	मिजोरम	113.525

1	2	3
18.	नागालैंड	1646.470
19.	उड़ीसा	23226.018
20.	पंजाब	78410.822
21.	राजस्थान	827787.206
22.	सिक्किम	2520.488
23.	तमिलनाडु	20954.090
24.	त्रिपुरा	1782.135
25.	उत्तर प्रदेश	152709.447
26.	पश्चिम बंगाल	39498.139
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8373.962
28.	चंडीगढ़	2679.432
29.	दीव और दमन	201.730
	कुल योग	17,31,429.915

[हिन्दी]

जबलपुर, मध्य प्रदेश में प्रसारण सेवा

3440. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना के बावजूद जबलपुर, मध्य प्रदेश में प्रसारण सेवाएं आरंभ नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रसारण सेवा के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्टाफ उपलब्ध होने के पश्चात् ही परियोजना को चालू किया जा सकेगा जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

होतगी के नजदीक सड़क उपरिपुल का निर्माण

3441. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोलापुर मंडल के अन्तर्गत होतगी रेलवे स्टेशन के नजदीक एक रोड ओवर ब्रिज का निर्माण और रामबाड़ी में रोड अंडर ब्रिज का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन पुलों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं। बहरहाल, होटगी स्टेशन पर 4 रेलपथों के ऊपर एक ऊपरी पैदल पुल स्टेशन के सुधार के रूप में स्वीकृत किया गया है ताकि शहर की ओर से द्वीपीय प्लेटफार्म के लिए मार्ग मुहैया कराया जा सके जिसके दिसंबर, 1999 तक पूरा किए जाने की आशा है। दूसरी ओर से भी इस पुल के विस्तार की जांच की जा रही है। लागत में भागीदारी के आधार पर रामबाड़ी में समपार सं. 55 के बदले निचले सड़क पुल की व्यवस्था व्यावहारिक है, परन्तु अभी तक न तो राज्य सरकार ने और न ही नगरपालिका ने यथोचित प्रस्ताव प्रायोजित किया है। प्रस्ताव की प्राप्ति पर रेलों द्वारा इसकी जांच की जा सकती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापनों की पुनरावृत्ति

3442. श्री अभयसिंह एस. भोंसले :
श्री मदन पाटील :
श्री विठ्ठल तुपे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन पर विभिन्न कार्यक्रमों के बीच कई विज्ञापन दिखाए जा रहे है जिससे दर्शकों की रुचि कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कार्यक्रमों के बीच में ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण को कम करने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और दूरदर्शन के दर्शकों की रुचि बढ़ाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कार्यक्रमों में विज्ञापनों की अनुमति देते समय वाणिज्यिक समय और कार्यक्रम विषय-वस्तु के बीच संतुलन रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है। कार्यक्रमों में दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए विज्ञापनों का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाता है और इनका प्रसारण निर्धारित अन्तराल के दौरान ही किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भदेरवा में रेडियो स्टेशन

3443. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भदेरवा में रेडियो स्टेशन बन चुका है लेकिन चालू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर के भदेरवा में स्टूडियो सुविधाओं और स्टाफ क्वार्टरों सहित एक 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना की जा रही है। संस्थापना का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है। तथापि, आकाशवाणी भदेरवा के परिसर पर इस समय सुरक्षा बलों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होते ही संस्थापना के शेष कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद ही केन्द्र को चालू किया जा सकता है।

खाड़ी देशों से स्वदेश वापस भेजे गए व्यक्तियों का पुनर्वास

3444. श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाड़ी और अन्य देशों से भारत वापस भेजे गए व्यक्तियों की देशवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना स्थापित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्हें उनके पहले वाले पासपोर्ट पर ही खाड़ी देशों में पुन: जाने की अनुमति है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) खाड़ी देशों सहित, विभिन्न देशों से भारत में वापस लौटे व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) और (ङ) वापस लौटे भारतीयों को खाड़ी देशों में, उसी पासपोर्ट पर पुन: प्रवेश करने की अनुमति है, बशर्ते कि पासपोर्ट पर कोई प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज न हों। पासपोर्ट पर प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज होने की स्थिति में खाड़ी देशों में पुन. प्रवेश के लिए नया पासपोर्ट लेना अपेक्षित है।

विवरण

क्रम सं.	मिशन/देश	निर्वासित व्यक्तियों की संख्या	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	कोलम्बो	10	शून्य
2.	मस्कट	6666	शून्य
3.	दम्सक्स	3	33099
4.	बिशकेक	6	34630
5.	कम्पाला	10	शून्य
6.	हेग	70	शून्य
7.	इस्तान्बुल	7	शून्य
8.	लंदन	1025	शून्य
9.	प्राग	शून्य	29119
10.	ओटावा	38	शून्य
11.	केनबरा	39	शून्य
12.	ब्रुनेई	50	शून्य
13.	बोन	3464	शून्य
14.	मिलान	1	शून्य
15.	हेम्बर्ग	364	शून्य
16.	बर्न	60	शून्य
17.	राबट	4	27031
18.	शिकागो	--	शून्य
19.	बुडापेस्ट	85	41299
20.	दुबई	41389	शून्य
21.	दोहा	2596	शून्य
22.	तेहरान	10	11672
23.	बेहरीन	4484	शून्य
24.	माले	318	70061
25.	केयरो	2	शून्य
26.	एथेन्स	96	शून्य
27.	बगदाद	9	152291
28.	यमन	10	205007
29.	सियोल	168	31944
30.	बीजिंग	2	22348
31.	जोहनास्वर्ग	197	शून्य
32.	ब्रुशेल्स	106	शून्य
33.	निनसक	303	शून्य
34.	वियना	99	शून्य

1	2	3	4
35.	अंकारा	20	5300492
36.	बुखापेस्ट	148	शून्य
37.	कोलामपुर	1335	114996
38.	ओलो	12	शून्य
39.	बर्लिन	645	शून्य
40.	ब्राजिलिया	4	शून्य
41.	तास्कन्त	1	शून्य
42.	सेन फ्रांसिस्को	109	शून्य
43.	वाशिंगटन	82	शून्य
44.	एलमाटी	2	शून्य
45.	कोपनहेगन	13	शून्य
46.	फ्रेंक फर्ट	1208	शून्य
47.	यंगून	3	44302
48.	बैंकांक	520	शून्य
49.	सोफिया	2	शून्य
50.	हो चि मिन सिटी	2	49882
51.	इस्लामाबाद	464	1038917
52.	बेलग्रेड	5	53376
53.	बेटमिघंम	1098	शून्य
54.	बेनकोवर	14	शून्य
55.	विमनाटाइन	1	शून्य
56.	नैटा	11	शून्य
57.	मैड्रिड	3	शून्य
58.	ग्लासगो	4	शून्य
59.	हबूस्टन	53	शून्य
60.	न्यूयार्क	54	शून्य
61.	वेलिंगटन	64	शून्य
62.	चिमांगमई	1	शून्य
63.	निकोसिया	12	शून्य
64.	जद्दा	45839	शून्य
65.	स्टाक होम	21	शून्य
66.	कुवैत	2554	149094
67.	सिंगापुर	6479	60515
68.	मनीला	12	शून्य
69.	टोक्यो	1423	शून्य
70.	मास्को	52	शून्य

1	2	3	4
71.	तेल अवीव	229	शून्य
72.	टोरन्टो	92	शून्य
73.	पॅनामा	182	शून्य
74.	रियाध	62292	शून्य
75.	आबू धाबी	49336	शून्य
		2,36,085	74,90,075

मध्य प्रदेश में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर

3445. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) से (घ) दूरदर्शन के कार्यक्रम उपग्रह के जरिए सम्पूर्ण मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में उपलब्ध हैं जिन्हें उपयुक्त डिश एन्टीना प्रणाली का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भू-स्थलीय कवरेज जनसंख्या लगभग 72.6% तथा 67.7% क्षेत्र (जिनमें सिगनल प्राप्त करने के लिए उन्नत एन्टीना तथा बूस्टरों की आवश्यकता वाले सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं) को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश सहित देश के अछूते भाग में भू-स्थलीय कवरेज का विस्तार करने के लिए दूरदर्शन सदा प्रयासरत है।

दूरदर्शन का विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं, अपेक्षित जन-शक्ति तथा सम्बन्धित प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध रीति से किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में भू-स्थलीय कवरेज के विस्तार के लिए इस समय 7 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 12 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु अत्याधुनिक हथियार

3446. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियारों की कमी के कारण आतंकवाद का मुकाबला करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र प्रणालियों से लैस हैं। इसलिए वहां पर परोक्ष युद्ध का मुकाबला करने के लिए विशिष्ट प्रयासों के वास्ते आधुनिक शस्त्र प्रणाली और उपस्करों की आवश्यकता है। प्रति-विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए सेना अपने शस्त्रास्त्रों और उपस्करों का स्तर क्रमिक रूप से बढ़ा रही है। इसी प्रयोजनार्थ एक व्यापक जम्मू व कश्मीर कार्य-योजना बनाई गई है।

आंध्र प्रदेश में रोड ओवर ब्रिजों/रोड अंडर ब्रिजों का निर्माण

3447. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकार से आंध्र प्रदेश में विशेषत: ओंगोल नगर में कोठापटनम रेलवे क्रासिंग पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां। लेकिन, कोटपट्टनम में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:

1. बय्यावरम	–	कि.मी. 734/11-12 पर ऊपरी सड़क पुल
2. नरसाराव पेट	–	कि.मी. 630/6-7 पर ऊपरी सड़क पुल
3. मेहबूबाबाद	–	कि.मी. 437/27-28 पर ऊपरी सड़क पुल
4. खम्माम	–	कि.मी. 484/27-28 पर ऊपरी सड़क पुल
5. काकीनाडा-काठीपुडि (पीठापुरम)	–	कि.मी. 638/12-13 पर ऊपरी सड़क पुल
6. हाफीजपेट	–	कि.मी. 165/13-14 पर ऊपरी सड़क पुल

(ग) उपर्युक्त के अतिरिक्त 1999-2000 के निर्माण कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य शामिल किए गए हैं:-

1. बय्यावरम
2. मेहबूबाबाद
3. खम्माम
4. काकीनाडा-काठपाडी (पीठापुरम)

भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच सीधी उड़ान

3448. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच एक सीधी उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंधकार में सैनिकों के लिए दृश्य प्रौद्योगिकी का विकास

3449. श्री विजय गोयल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) किसी ऐसी प्रौद्योगिकी को विकसित कर रहा है जिससे सैनिक घने अंधेरे में भी साफ-साफ देख सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इस प्रौद्योगिकी के तैयार हो जाने की उम्मीद है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जिनसे सिपाही अंधेरे में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इन प्रौद्योगिकियों में सक्रिय इनफ्रा-रेड, पैसिव नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग शामिल हैं। इन प्रौद्योगिकियों के आधार पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने रात्रि में दिखा सकने वाले साधनों की एक श्रृंखला विकसित की है। इस प्रौद्योगिकी को सेना में शामिल किया गया है और उत्पादन एजेंसियों ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है।

भारत भ्रमण करने वाले पर्यटक

3450. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने दिनांक 14 जनवरी, 1999 को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक "विजिट इंडिया यीअर" की अवधि के दौरान भारत का भ्रमण करने वाले पर्यटकों को रियायतें देने के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस संबंध में उठाए गए अन्य ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के बारे में 35 देशों के राजदूतों के विचार जानने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय का विचार इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले राजधानी की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए कुछ उपयुक्त परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) और (ख) नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में भारत के लिए सेवा उपलब्ध करा रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के साथ 15 जनवरी, 1999 को एक बैठक हुई थी। बैठक में एयरलाइन्स से यह अनुरोध किया गया था कि वे अप्रैल 1, 1999 से मार्च 31, 2000 तक आयोजित होने वाले "भारत भ्रमण वर्ष" (अब एक्सप्लोर इंडिया-मिलेनियम ईयर) का विपणन और संवर्धन करें। इसमें उड़ान के दौरान भारत के पर्यटक आकर्षणों का एक वीडियो प्रदर्शन, एक्सप्लोर इंडिया लोगों, कर्मचारी प्रशिक्षण, बजट पैकेज आदि शामिल हैं।

बैठक का मुख्य उद्देश्य एक्सप्लोर इंडिया मिलेनियम इयर 1999-2000 के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा भारत में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के उपाय करना था।

(ग) मंत्रालय ने-एक्सप्लोर इंडिया-मिलेनियम ईयर आयोजन के प्रति विचार प्रकट करने के लिए दिनांक 12.2.99 को आयोजित एक बैठक में 63 देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों को आमंत्रित किया था।

(घ) और (ङ) मंत्रालय, एक्सप्लोर इंडिया मिलेनियम ईयर (आयोजन) के एक भाग के रूप में अवसंरचनात्मक तथा यात्री सुविधा, हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क तथा आप्रवासन, रेलवे स्टेशन, सड़क परिवहन तथा राजधानी में सेवा मुहैया कराने वालों को प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए भारत सरकार के संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

[हिन्दी]

दिल्ली हवाई अड्डे से गायब किए गए उपकरण

3451. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई वर्षों से दिल्ली हवाई अड्डे के लेखों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी खजाने से दिल्ली हवाई अड्डे के संचार विभाग की मूल्यवान परिसम्पत्तियां गायब की गई हैं;

(घ) यदि हां, क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो पूर्णरूपेण एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखा परीक्षित किए जाते हैं जिसने पहले भी वर्ष 1997-98 तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखों की लेखा-परीक्षा की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बुनियादी ढांचे में सुधार

3452. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचों में सुधार करने हेतु कुछ चुनिंदा शहरों को एक करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा ऐसे शहर राज्य-वार कौन-कौन से हैं; और

(ग) धन राशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने देश में चुनिंदा पर्यटक/तीर्थ केन्द्रों के एकीकृत अवसंरचना विकास के लिए एक योजना तैयार की है। योजना के तहत् पर्यटन मंत्रालय 50.00 लाख रु. मुहैया करता है

और 50.00 लाख रु. राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों ने तीर्थ/पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। निधि दिशा-निर्देशों और धन की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, किश्तों में उपलब्ध करायी जाती हैं।

संचालन और सुरक्षा हेतु नयी प्रौद्योगिकी

3453. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संचालन, सुरक्षा और नई लाइनों हेतु नई प्रौद्योगिकी शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी हां। परिचालन और संरक्षा दोनों में नई तकनीकी का शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में संरक्षा में सुधार करने के लिए भारतीय रेलों पर निम्नलिखित नई तकनीकी उत्तरोत्तर अपनाई जा रही हैं:-

- रेलपथ सर्किटिंग, धुरा काउन्टर, पैनल अंतर्पाशन, तीन फेज अत्याधुनिक तकनीकी रेल इंजन, ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमूलेटर, पटरियों की अल्ट्रासोनिक जांच आदि।

- पटरियों की गुणवत्ता सुधारने के लिए निर्माण संयंत्र पर भी पटरियों की वेक्यूम डी-गैसिंग तथा ऑन लाइन अल्ट्रासोनिक जांच शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

जयपुर में "रिंग रेलवे" सेवा

3454. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण की सहायता से जयपुर में "रिंग रेलवे" सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार करने हेतु अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) उक्त योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) रेल मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हवाई किराये में कमी के लिए दिशानिर्देश

3455. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री हवाई किराये में कमी के लिए दिशानिर्देश के बारे में 10 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1952 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई किराये में कमी करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) मार्गदर्शी सिद्धांतों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप देने के बारे में इस समय कोई विशिष्ट समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

निजी टी.वी. चैनलों से लाभ

3456. श्री टी. गोविन्दन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निजी टी.वी. चैनलों से सरकार द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): सरकार को बेतार योजना समन्वयन द्वारा लगाए गए रायल्टी प्रभारों और विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रभारों के माध्यम से निजी टी.वी. चैनलों से आय होती है। उनसे प्राप्त वार्षिक आय का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(1)	बेतार योजना समन्वयक, दूर संचार विभाग द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक रायल्टी	1.3 करोड़ रुपए
(2)	विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा वसूल किए जाने वाले अपलिंकिंग सुविधा शुल्क	12.00 करोड़
		13.3 करोड़ रु.

बिहार की रेल परियोजनाओं हेतु निर्धारित धनराशि

3457. श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 में परियोजनावार बिहार राज्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ख) इन परियोजनाओं पर आज तक परियोजनावार कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित करना आवश्यकता पर आधारित प्रक्रिया है जहां परियोजना की सापेक्ष प्राथमिकता, इसकी वास्तविक प्रगति, परिचालनिक महता, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व और सामाजिक वांछनीयता पर निर्भर करते हुए मार्गदर्शी कारक है। अनेक रेलवे परियोजनाएं एक राज्य से अधिक में फैली होती हैं। अत: राज्य/क्षेत्रीय सीमाएं रेलवे निवेशों का निर्णय लेने का मानदंड नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एच.आई.वी. संक्रमित सेना के जवान

3458. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय सशस्त्र बलों में 6000 से अधिक जवान एच.वाई.वी. संक्रमित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई गहन अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सैन्य कर्मियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने की प्रेरणा देने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) वर्ष 1990 से जुलाई, 1997 तक एच.आई.वी. प्रभावित सैन्य कार्मिकों की कुल संख्या 1432 है। "कमांडर्स हैन्डबुक ऑन एड्स" शीर्षक वाली पुस्तिका में दिए गए 6000 के अनुमानित आंकड़े सशस्त्र सेनाओं में पाए गए एच.आई.वी. से ग्रस्त मरीजों के वास्तविक आंकड़े नहीं है। सैन्य कार्मिकों में एच.आई.वी. संक्रमण की समग्र दर बहुत कम (0.45 प्रति 1000) है।

2. रक्षा कार्मिकों में एड्स फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) सशस्त्र सेनाओं में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आई.ई.सी. (स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थात् सूचना, शिक्षा और संप्रेषण) कार्यक्रम बढ़ा दिए गए हैं। आई.ई.सी. के ये कार्यक्रम चिकित्सा, नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ तथा सभी स्तरों के कमांडरों और धार्मिक शिक्षकों द्वारा चलाए जाते हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय ने सशस्त्र सेना कार्मिकों में एच.आई.वी./एड्स के कारणों और उनकी रोकथाम पर प्रकाश डालने वाली एक वीडियो फिल्म तैयार की थी। महानिदेशक चिकित्सा सेवा (सेना) द्वारा इसकी बड़ी संख्या में प्रतियां तैयार करके सभी यूनिटों में इसका वितरण किया गया था।

(2) सेना कार्मिकों एवं उनके परिवारों को खून दिए जाने की स्थिति में केवल एच.आई.वी. संक्रमण रहित खून ही दिया जाता है।

(3) सेना कार्मिकों को यूनिटों में नि:शुल्क निरोध उपलब्ध कराए जाते हैं। ये चिकित्सा जांच कक्षों तथा मनोरंजन एवं सूचना कक्षों में उपलब्ध हैं।

(4) जिन सेना कार्मिकों में एच.आई.वी. के लिए सकारात्मक रक्सोद पाया जाता है उनकी बार-बार जांच की जाती है और ऐसे मरीजों को चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

रक्षा वैज्ञानिकों के लिए विशेष वेतन पैकेज

3459. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रक्षा वैज्ञानिकों को विशेष वेतन पैकेज देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह विशेष वेतन पैकेज किस तारीख से प्रदान किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) रक्षा वैज्ञानिकों के लिए कोई विशेष वेतन पैकेज, अनन्य रूप से नहीं दिया गया है। तथापि, सरकार ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा के वैज्ञानिकों को सेवा में बनाए रखने के लिए कुछ प्रोत्साहन अनुमोदित किए हैं। इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिकों की उत्कृष्ट वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु एक पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भुवनेश्वर विमानपत्तन पर शराब परोसना

3460. श्री अर्जुन सेठी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों पर रेस्तराओं में शराब पीने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई हों, क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भुवनेश्वर विमानपत्तन पर रेस्तरां में शराब पीना रोजमर्रा की बात हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) पांच अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर रेस्टोरेंटों के लाइसेंसधारी शराब परोसे जाने के लिए प्राधिकृत हैं। इसी प्रकार कुछ अन्तर्देशीय विमानपत्तनों पर, रेस्टोरेंटों के लाइसेंसधारियों के साथ किए गए करार के आधार पर शराब परोसे जाने की अनुमति है।

(ग) और (घ) भुवनेश्वर विमानपत्तन पर रेस्टोरेंट के लाइसेंसधारी के साथ किए गए करार में शराब परोसे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस विमानपत्तन पर इस बात के लिए लगातार सतर्कता बनाए रखी जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि करार की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

चीनी हथियार निर्यात बाजार

3461. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी हथियार निर्यात बाजार के खुलने से भारत द्वारा हथियार अर्जित करने पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार किन-किन उपायों पर विचार कर रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) 1993-1997 के दौरान चीन का शस्त्रास्त्र निर्यात 3531 मिलियन अमरीकी डालर का रहा। उनकी अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही उनके शस्त्रास्त्र निर्यात बाजार में विस्तार होने की प्रत्याशा की जा सकती है। तथापि, भारत द्वारा शस्त्रास्त्रों का अर्जन, चीन द्वारा किए जाने वाले शस्त्रास्त्र निर्यातों पर निर्भर नहीं है।

2. सरकार उन सभी गतिविधियों की बारीकी से मॉनीटरिंग कर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है और राष्ट्रीय हित में रक्षा के लिए समुचित उपाय कर रही है।

एयर इंडिया की उड़ानें

3462. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान एअर इंडिया और विदेशी विमान सेवाओं के विमान यातायात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) एअर इंडिया की उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) ब्यौरे निम्नानुसार है:-

वर्ष	भारत से वाहित यातायात	
	एअर इंडिया	विदेशी विमान कंपनियां
1993-94	849834	2839381
1994-95	890755	2946484
1995-96	1058670	3356043
1996-97	1078119	3634680
1997-98	1118012	3860259

(ख) एअर इंडिया द्वारा क्षमता बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सीमित क्षमता के दृष्टिगत अत्यधिक लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए एअर इंडिया ने रोकड़ सीमांतों के आधार पर उड़ान प्रचालनों का पुनर्गठन किया है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा ग्राहक सेवा

3463. श्री अभयसिंह एस. भोंसले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों और विमानों में ग्राहक सेवाओं में सुधार किया है अथवा सुधार करने का विचार है;

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस का प्रचालन राजस्व कितना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस निम्नलिखित बातों के जरिए लाभप्रदता में वृद्धि के साथ-साथ यात्रियों को दी जा रही सेवा में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दृष्टि में सुधार लाने की दिशा में प्रयासरत है:-

(1) उत्पाद उन्नयन, (2) विमानों का वर्धित उपयोग, (3) वर्धित अंतरराष्ट्रीय प्रचालन, (4) वर्धित उत्पादकता, (5) लाभ केन्द्रों का सृजन, (6) अभिनव तथा अनुकूल विपणन रणनीतियां, (7) एलायंस एयर की लांचिंग तथा (8) लागत नियंत्रण उपाय।

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस का प्रचालन राजस्व निम्नानुसार था:-

वर्ष	प्रचालन राजस्व (करोड़ रुपए में)
1995-96	2466.81
1996-97	2848.55
1997-98	3243.45

क्रेनों की खरीद

3464. श्री डी.एस. अहिरे :
श्री मदन पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 140 टन क्षमता वाली क्रेन खरीदने का सौदा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्रेनों की कुल संख्या, इनके खरीददारी मूल्य तथा उस फर्म के नाम क्या है जहां से ये सौदा तय किया गया है, और साथ ही ये फर्म किस देश में स्थित है;

(ग) क्या इतनी ही क्षमता वाले क्रेन अपने देश में भी बनाये जा सकते थे; और

(घ) यदि हां, तो इन क्रेनों के आयात के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) 140 टी दुर्घटना राहत क्रेनों की खरीद के लिए दो ठेके दिए गए हैं। ब्यौरा निम्नलिखित है:-

देश तथा फर्म का नाम	मात्रा	निविदा की कुल एफ.ओ.बी. लागत
मैसर्स मन्नेस्समन डिमैग फोरडरटैकनिक ए जी गुट्टवाल्ड, जर्मनी	8	24,905,184.20 ड्यूट्ज मार्क
मैसर्स कोवान्स शेल्डम क्लार्क चैपमैन लिमिटेड, यू.के.	4	5,423,442 यू.के. पाउन्ड स्टर्लिंग

(ग) जी नहीं। इन क्रेनों के मूल सप्लायर से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण प्राप्त करने के बाद पूर्व रेलवे का जमालपुर कारखाना प्रथम स्वदेशी क्रेन के विनिर्माण की प्रक्रिया में लग गया था। उस समय तक जब तक कि वास्तविक फील्ड हालात में ऐसे प्रोटोटाइप का परीक्षण नहीं हो जाता यह नहीं कहा जा सकता कि इस देश में उसी तरह की क्रेन का विनिर्माण करने की कारखाने में स्वदेशी क्षमता/सक्षमता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले विमान/हैलीकॉप्टर

3465. श्री चमन लाल गुप्त : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राज्य सरकारों के पास स्वयं के विमान/हेलीकाप्टर हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक सरकार द्वारा उनकी उड़ानों का उपयोग करने की अवधि घंटों में कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन्हें नागर विमानन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के एवज में प्रत्येक राज्य सरकार से कितनी धनराशि वसूली गई?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य सरकारों के पास अपने स्वयं के विमान/हेलीकाप्टर हैं।

(ख) इस संबंध में सूचना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती हैं।

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार से उगाही गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए नागर विमानन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से वसूली गई राशि

(लाख रुपयों में)

राज्य सरकार का नाम	एकत्रित राजस्व		
	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश सरकार	1.06	1.33	2.34
बिहार सरकार	1.37	1.79	1.76

1	2	3	4
गुजरात सरकार	1.11	1.06	1.33
हरियाणा सरकार	1.69	2.00	2.63
जम्मू और कश्मीर सरकार	0.77	0.99	0.25
केरल सरकार	0.02	0.02	0.49
कर्नाटक सरकार	0.08	0.30	0.53
महाराष्ट्र सरकार	8.48	11.79	13.43
मध्य प्रदेश सरकार	5.18	7.98	7.02
उड़ीसा सरकार	1.41	2.31	1.88
पंजाब सरकार	0.73	1.87	1.04
राजस्थान सरकार	3.10	2.48	2.43
तमिलनाडु सरकार	1.42	4.35	9.58
उत्तर प्रदेश सरकार	3.67	8.60	4.71
पश्चिम बंगाल सरकार	0.06	0.02	0.00
योग	30.16	46.89	49.42

हैदराबाद से खाड़ी देशों को उड़ानें

3466. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद विमानपत्तन से प्रति माह औसतन कितने यात्री खाड़ी देशों की यात्रा करते हैं;

(ख) क्या हैदराबाद विमानपत्तन से खाड़ी देशों की सेवाएं शुरू करने हेतु किसी नागर विमानन कंपनी ने प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) हैदराबाद से खाड़ी देशों की प्रति माह औसतन लगभग 6750 यात्री यात्रा करते हैं।

(ख) से (घ) चूंकि हैदराबाद को अभी तक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित नहीं किया गया है, अत: इसे विदेशी

विमानकंपनियों के लिए अवतरण स्थल के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया है।

रक्षा भूमि पर अतिक्रमण

3467. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बृह-मुंबई और पुणे छावनियों में बड़े स्तर पर रक्षा भूमि के अतिक्रमण की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) यद्यपि ग्रेटर मुंबई और पुणे छावनी में रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं तथापि अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा महाराष्ट्र की राज्य सरकार से भी सहायता मांगी गई है।

कारगिल में गोलीबारी के पीछे पाकिस्तान का रहस्य

3468. डा. सरोजा वी. : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि नवंबर, दिसंबर, 1998 के दौरान पाकिस्तान द्वारा उरि तथा कारगिल में की गई कई बार अचूक गोलीबारी के पीछे रहस्य यह था कि ये गोलाबारियां भारत के ही किसी निर्देश पर की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की गई थीं तथा उनमें यह पाया गया था कि कारगिल क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज से गोलीबारी किये जाने का निर्देश दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या सेना ने टेलीफोन एक्सचेंज के स्टाफ की जांच कराये जाने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो की गई जांच के क्या परिणाम होंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) हाल ही में उड़ी-कारगिल क्षेत्र में हुई पाकिस्तानी गोलाबारी की सटीकता के पीछे कारगिल में पाकिस्तानी आई.एस.आई. एजेन्टों का हाथ होने का संदेह है। तथापि, संदेहास्पदों के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

स्थानीय सिविल प्रशासन और पुलिस को ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने की सूचना दे दी गई है।

दिल्ली में मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली को तकनीकी स्वीकृति

3469. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके प्रभाव क्या हैं;

(घ) मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली के आरंभिक कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ङ) दिल्ली में मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली के कार्यान्वयन पर सरकार का क्या रवैया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) दिल्ली एम.आर.टी.एस. चरण-I एक स्वीकृत परियोजना है। आमान, लदान मानक, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आयामों की बड़ी आमान अनुसूची, मेट्रो गलियारे के लिए कर्षण प्रणाली, आदि को तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी है।

(घ) फरवरी, 1999 तक भूमि अधिग्रहण के संबंध में 211 करोड़ रुपए सहित 266.47 करोड़ रुपए।

(ङ) रेल मंत्रालय से आवश्यक तकनीकी स्वीकृति के अध्यधीन दिल्ली एम.आर.टी.एस. चरण-I दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, प्रशासनिक नियंत्रण शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय के पास है।

जम्मू और कश्मीर से सशस्त्र बलों की वापसी

3470. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के पश्चात् जम्मू और कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलाबारी में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के पश्चात् जम्मू और कश्मीर सीमा पर किस हद तक शांति रही है; और

(ग) क्या सरकार इस बेहतर स्थिति के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर से सशस्त्र बलों को वापिस करने पर विचार कर रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) प्रधानमंत्री की पाकिस्तान की यात्रा के बाद पाक गोलाबारी में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु हथियारों हेतु गोला-बारूद

3471. श्री आर.एस. गवई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना हेतु निर्मित लघु हथियारों में प्रयुक्त किए जाने वाले गोला-बारूद का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन गोला बारूद का देश में विकास किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या खड़की स्थिति गोला-बारूद कारखाने को लघु हथियारों के लिये गोला-बारूद के विकास में सफलता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) लघु शस्त्रों के निर्माण में कोई गोला बारूद प्रयोग नहीं किया जाता है। तथापि, लघु शस्त्रों के परीक्षण में गोला बारूद की आवश्यकता होती है और इसका स्वदेशी रूप से निर्माण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) गोला बारूद निर्माणी, खड़की, सेना में हाल ही में शामिल किए गए 5.56 मि.मी. के गोला बारूद सहित लघु शस्त्रों के विविध प्रकार के गोला बारूद का निर्माण करती है। आयुध निर्माणी, खड़की ने जी.एस.क्यू.आर. ड्राफ्ट के अनुसार ए.के.-47 गोली बारूद का विकास शुरू किया है और बहुत शीघ्र ही 5000 राउंडों के एक बैच के प्रयोक्ता परीक्षण किए जाने हैं।

समाचार पत्रों और आवधिक पत्रिकाओं के नाम

3472. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोगों ने बड़ी संख्या में समाचार पत्रों और आवधिक पत्रिकाओं के नाम आरक्षित करा रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन सभी प्रकाशन शीर्षकों को अनारक्षित करने का निर्णय लिया है जिन्हें उनके आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा; और

(घ) यदि हां, तो अनारक्षित करने संबंधी मानदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, हां।

(ख) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय के अभिलेख के अनुसार दिनांक 28.2.99 तक सत्यापित शीर्षकों की संख्या 2.63 लाख होने का अनुमान है। इनमें से पंजीकृत शीर्षकों की संख्या 48,000 है।

(ग) और (घ) 31.12.1995 तक अपने शीर्षक सत्यापित करवाने वाले लेकिन 31.10.98 तक इन शीर्षकों को भारत के समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत नहीं

करवाने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के शीर्षकों के मालिकों/प्रकाशकों को इस आशय की आपत्तियां/अभ्यावेदन आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना की थी कि उनके शीर्षकों को डि-ब्लाक क्यों नहीं किया जाना चाहिए। लगभग 1.70 लाख ऐसे शीर्षकों के मामले में कोई आपत्तियां/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए और तदनुसार उनको ''डी-ब्लाक'' कर दिया गया। ऐसी ही प्रक्रिया/मानक वर्ष दर वर्ष आधार पर अपनायी जानी है।

[हिन्दी]

सांगानेर एअरपोर्ट से नई उड़ान

3473. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर के निकट स्थित सांगानेर एअरपोर्ट से वर्तमान में किन-किन शहरों के लिए विमान उड़ानें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या इन उड़ानों की आवृत्ति में वृद्धि करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का सांगानेर एअरपोर्ट से कुछ नये शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) इस समय, सांगानेर विमानपत्तन (जयपुर) विमान सेवा द्वारा अहमदाबाद, औरंगाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, जैसलमेर, मुम्बई और उदयपुर से जुड़ा हुआ है।

(ख) से (ङ) देश के विभिन्न प्रदेशों की विमान परिवहन सेवाओं के लिए आवश्यकता पर विचार करते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदशी सिद्धांत निर्धारित किये हैं। यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुपालन के अध्ययधीन विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करना विमानकंपनियों के उपर है।

[अनुवाद]

कैंट बोर्ड अस्पतालों के लिए धनराशि

3474. श्री अमन कुमार नागरा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कैंट बोर्ड अस्पतालों की कुल स्थानवार संख्या कितनी है, और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसमें से अधिकांश अस्पताल धनाभाव के कारण अर्ध-चिकित्सा स्टाफ, डाक्टरों और दवाओं से समुचित रूप से सुसज्जित नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन अस्पतालों को अधिक धनराशि स्वीकृत किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वालों विशेषकर दूर-दराज और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालों के इलाज की सुविधा इन अस्पतालों में उपलब्ध है; और

(च) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार हेतु कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज): (क) छावनी परिषद अस्पतालों की अवस्थिति-वार कुल संख्या (इसमें डिस्पेंसरियां शामिल नहीं हैं) और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक को आबंटित धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। ये अस्पताल छावनी के भीतर सरकार और निजी संचालकों द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के अतिरिक्त हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। इन अस्पतालों में पर्याप्त डाक्टर, कर्मचारी, दवाएं तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ङ) और (च) छावनी परिषदें छावनी के भीतर रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तथापि बीमारी की प्रकृति के आधार पर, आस-पास के क्षेत्रों से छावनी में आने वाले मरीजों का भी इलाज किया जाता है।

विवरण

छावनी परिषदों द्वारा चलाए जाने वाले अस्पताल तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें आबंटित धनराशि

क्र.सं.	छावनी का नाम	अस्पताल सं.	बिस्तरों की संख्या	पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि (लाख रुपए में)		
				1996-97	1997-98	1998-99 (बजटित)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आगरा	1	30	11.76	14.41	26.32
2.	अहमद नगर	1	40	20.63	29.78	33.87
3.	इलाहाबाद	1	24	12.23	16.40	27.36
4.	औरंगाबाद	1	20	12.10	14.52	16.39
5.	बबीना	1	8	9.08	9.16	15.91
6.	बकलोह	1	2	3.89	4.22	9.48
7.	बरेली	1	16	9.00	0.30	16.04
8.	बैरकपुर	1	—	12.80	20.01	17.57
9.	बैलगांव	1	9	8.84	11.27	13.69
10.	क्लीमेंट टाऊन	1	14	7.02	9.30	15.76
11.	डलहोजी	1	2	3.64	5.06	8.64
12.	देहरादून	1	18	13.51	15.08	24.63
13.	देहू रोड	1	50	45.00	55.15	61.17
14.	दिल्ली	1	30	78.73	97.00	104.62

1	2	3	4	5	6	7
15.	देवलाली	1	75	45.44	56.18	65.23
16.	फिरोजपुर	1	32	14.40	13.79	42.57
17.	जबलपुर	1	34	20.49	22.65	34.18
18.	जालंधर	1	34	17.60	18.76	28.40
19.	जम्मू	1	35	21.87	22.70	35.27
20.	झांसी	1	18	11.53	13.20	18.98
21.	काम्पटी	1	32	20.28	20.38	23.64
22.	कानपुर	1	36	25.66	28.64	45.03
23.	कसौली	1	19	11.08	13.75	23.99
24.	खसयोल	1	20	3.40	4.11	8.74
25.	किर्की	1	100	145.45	180.48	202.50
26.	लैंसडाऊन	1	33	6.75	7.41	14.42
27.	लखनऊ	1	44	19.87	31.98	56.21
28.	मेरठ	1	75	29.68	32.84	51.08
29.	महू	1	38	14.97	17.77	27.88
30.	मोरार	1	10	7.08	7.61	13.00
31.	पुणे	1	100	126.49	147.00	155.00
32.	रामगढ़	1	32	10.57	10.56	18.07

1	2	3	4	5	6	7
33.	सामर	1	20	7.11	8.52	12.62
34.	सिकंदराबाद	1	54	41.83	49.00	58.00
35.	सुबाथू	1	9	3.75	4.16	7.52
36.	वाराणसी	1	18	10.62	12.16	15.90
37.	विलिंगटन	1	35	15.81	27.35	37.25

[हिन्दी]

शीतल पेय कंपनी

3475. श्री टी. गोविन्दन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में विदेशी शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों ने कंपनीवार कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) इसके परिणामस्वरूप घरेलू शीतल पेय निर्माताओं पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा; और

(ग) इस क्षेत्र में घरेलू लघु उद्योगों को निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) मृदु पेय कंपनियां निजी क्षेत्र में चल रही हैं। सरकार इन कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ और हानि के ब्यौरे नहीं रखती।

(ख) विदेशी शीतल पेय कंपनियों के प्रवेश से शीतल पेय क्षेत्र बहुत प्रतियोगी हो गया है। इसके परिणामस्वरूप कई स्वदेशी शीतल पेय निर्माता विदेशी कंपनियों के साथ उनके ब्राण्ड के नाम से बोतलें भरने हेतु विशेषाधिकार समझौता कर रहे हैं।

(ग) लघु क्षेत्र को उपलब्ध लाभ शीतल पेयों के निर्माण में लगी लघु क्षेत्र यूनिटों को भी उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

एड्स पर हैंडबुक

3476. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडिकल सेवाओं के सेना महानिदेशालय ने एड्स पर एक हैंडबुक निकाली है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा कार्मिकों में एड्स फैलने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 के दौरान एड्स की रोकथाम कार्यक्रम पर कितनी राशि व्यय की गई है और वर्ष 1999-2000 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे ने "कमांडर्स हैण्ड बुक ऑन एड्स" शीर्षक से एक पुस्तक तैयार की है और चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (सेना) ने काफी संख्या में इसका प्रकाशन किया था।

2. रक्षा कार्मिकों में एड्स फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(क) एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आई.ई.सी. (स्वास्थ्य-शिक्षा के पर्याप्त सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां सशस्त्र सेनाओं में बढ़ा दी

गई हैं। आई.ई.सी. की इन गतिविधियों को चिकित्सा, नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ तथा सभी स्तरों के कमांडरों और धार्मिक शिक्षकों द्वारा संचालित किया जाता है। सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय ने सशस्त्र सेना कार्मिकों में एच.आई.वी./एड्स के कारणों और उसकी रोकथाम पर प्रकाश डालने वाली एक वीडियो फिल्म तैयार की थी। चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, सेना ने इसे बड़ी संख्या में तैयार किया था तथा सेना की सभी यूनिटों में इसका वितरण किया था।

(ख) सेना कार्मिकों एवं उनके परिवारों को खून दिए जाने की स्थिति में केवल एच.आई.वी. संक्रमण रहित खून ही दिया जाता है।

(ग) सेना कार्मिकों को यूनिट में नि:शुल्क निरोध उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) जिन सेना कार्मिकों में रक्तोद एच.आई.वी. के लिए सकारात्मक पाया जाता है, उनकी बार-बार जांच की जाती है और उनसे संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उनके इलाज के दौरान रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं।

3. एच.आई.वी./एड्स के नियंत्रण पर व्यय, सेना कार्मिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी व्यापक सुविधाएं दिए जाने के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा को उपलब्ध कराए गए समेकित बजटीय प्रावधान में से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) ने एच.आई.वी./एड्स पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित सहायता अनुदान मुहैया कराया है:-

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1996-97	शून्य
1997-98	15,24,500.00
1998-99	13,61,000.00
1999-2000	अभी तक प्राप्त नहीं

महाराष्ट्र में दूरदर्शन केन्द्रों का उन्नयन/विस्तार

3477. श्री डी.एस. अहिरे :
श्री मदन पाटील :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों की ओर से दूरदर्शन केन्द्रों के उन्नयन/विस्तार के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) मौजूदा ट्रान्समीटरों का उन्नयन करने तथा देश में नए ट्रांसमीटर और स्टूडियो स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंचों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने की कोशिश करता रहता है। तथापि, अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के लिए तैयार आवास उपलब्ध न होने और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली आधारभूत सुविधाओं अर्थात् भूमि, विद्युत आपूर्ति, आदि की उपलब्धता में विलम्ब होने के कारण कुछ परियोजनाओं में देरी हुई है। ठेका लेने वाली एजेन्सियों द्वारा भवन तथा टावर के निर्माण में विलम्ब किए जाने कतिपय क्षेत्रों अर्थात् उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर में मौसम संबंधी परिस्थितियों और कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई कठिन कार्य स्थितियों से भी चालू परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है।

विवरण

दूरदर्शन स्टूडियो तथा ट्रांसमीटरों के उन्नयन, स्थापना हेतु प्राप्त आवेदनों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्राप्त अनुरोधों की संख्या
1.	असम	1
2.	गुजरात	3
3.	जम्मू तथा कश्मीर	1
4.	कर्नाटक	1
5.	केरल	2
6.	महाराष्ट्र	4
7.	नागालैण्ड	2
8.	उड़ीसा	4
9.	राजस्थान	2
10.	त्रिपुरा	1
11.	उत्तर प्रदेश	2
12.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1

रेलवे दावों का निपटान

3478. श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा दावों के निपटान में कितना औसत समय लगता है;

(ख) क्या सरकार को दावों के निपटान में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) दावों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) वर्ष 1997-98 के लिए सभी भारतीय रेलों द्वारा दावों का निपटान करने के लिए लिया गया औसत समय 33 दिन है।

(ख) जी हां, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत अपराध की गंभीरता के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) रेल दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) उन स्टेशनों/माल शेडों जहां के लिए माल बुक किया गया है, पर दावों के लिए नोटिस को स्वीकार किया जा सकता है।

(2) दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय रेलों पर दावा संबंधी कार्य का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है।

(3) महत्वपूर्ण शहरों में दावों को स्वीकार और इनका निपटान करने के लिए क्षेत्रीय रेलों पर चल दावा कार्यालयों की योजना को पुन: चालू किया गया है।

(4) क्षेत्रीय रेलों पर पण्य दावा कोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

(5) 'छोर दर छोर' आधार पता लगाने के लिए दावा जांच हेतु योजना को क्रियान्वित करने के लिए मशीनतंत्र को सुचारू बनाया गया है।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न प्रकार वे दावों के निपटान के लिए लक्ष्य सीमा का पालन किए जाए, क्षेत्रीय रेलों पर निगरानी की जाती है।

(7) समय-बाधित मामलों के निपटान के लिए महाप्रबंधक को पूरी शक्तियां प्रत्योजित की गई हैं। पहले 50,000/ रुपए से अधिक के मामलों के लिए रेलवे बोर्ड द्वा अनुमोदन किया जाना अपेक्षित था।

(8) दावा मामलों में अदालती डिगरियों के भीतर वित्तीय सहमति को पूर्णत: हटा दिया गया है।

(9) यह सुनिश्चित करने के लिए कि दावों के लिए अदालती डिगरी राशि स्वीकृत किए जाने के पश्चात् 15 दिन की अवधि के भीतर चेक जारी और प्रेषित किए जाएं, रेलों को कड़े अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

विद्रोह-विरोधी बल का गठन

3479. डा. सरोजा वी. : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राइफल्स के स्थान पर एक विद्रोह-विरोधी बल के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल और अन्य बलों के अंतर्गत कार्यरत नियमित सेना बटालियनें एक ही कमान के अधीन कार्य करती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राइफल सहित सभी अर्द्ध सैनिक बल जब प्रतिविद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं उस समय वे सेना कमान के अंतर्गत कार्य करते हैं।

एम.आई. निदेशालय में पदोन्नति के अवसर

3480. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **रक्षा मंत्री** एम.आई. निदेशालय में पदोन्नति के अवसर के बारे में 27 अप्रैल, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3811 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस निदेशालय में परीक्षक के पदों के काडर की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या पांचवें वेतन आयोग द्वारा इनके वेतन मानों और सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए की गई सिफ़ारिशों को लागू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सेना मुख्यालय के सैन्य आसूचना महानिदेशालय में सेंसरशिप संगठन के संवर्ग-ढांचे की जांच की थी, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ परीक्षकों के संवर्ग को पुनर्गठित किए जाने की सिफारिश की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संवर्ग को पुनर्गठित किए जाने के लिए पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 28 अक्तूबर, 1997 को सरकारी पत्र जारी करने के साथ ही लागू कर दिया गया है। पुनर्गठित संवर्ग में पर्यवेक्षी परीक्षक के 9 पदों को 6500-200-10500 रुपए के वेतनमान में परीक्षक-I के रूप में पुन: पदनामित किया गया है, 5500-175-9000 रुपए के वेतनमान में परीक्षक-II के 20 पद सृजित किए गए हैं तथा सहायक परीक्षक के 12 पदों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 5000-150-8000 रुपए के वेतनमान में परीक्षक के साथ संविलय कर परीक्षक-III के रूप में पुन: पदनामित किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को चीनी हथियार

3481. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री एम. बागा रेड्डी :
श्री तारिक अनवर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1999 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''पाकिस्तान सेट टू बाय मोर विपन्स फ्रॉम चाइना'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को अपने हथियारों की बिक्री बढ़ा दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय सुरक्षा को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) यह ज्ञात ही है कि चीन द्वारा म्यांमार, बंगलादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित भारत के पड़ोसी देशों को हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। तथापि, इस प्रकार की गतिविधि के हाल ही में तेजी से बढ़ने के बारे में कोई पुष्ट सूचनाएं नहीं हैं।

(ग) और (घ) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों की सतत मानीटरिंग की जाती है और हमारे शत्रुओं की ओर से किए जाने वाले किसी भी दुस्साहसपूर्ण प्रयास को विफल करने हेतु समुचित रक्षा तैयारियां बनाए रखने के लिए समय-समय पर सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

मॉरीशस और भारत के बीच उड़ानें

3482. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मॉरीशस और भारत के बीच यात्रियों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर एअर मॉरीशस ने एअर इंडिया के साथ नया विपणन समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो एअर मॉरीशस और एअर इंडिया के बीच हुए समझौते का मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच यात्री यातायात में कितनी वृद्धि हुई है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) एयर इंडिया तथा एयर मारीशस ने वर्ष 1999-2000 के लिए मारीशस-भारत-मारीशस मार्ग पर उड़ानों के प्रचालन के लिए, एक संयुक्त करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) करार में एयर इंडिया के साथ संयुक्त उद्यम में एयर मारीशस द्वारा लाभ बंटवारा आधार पर मारीशस-मुम्बई-मारीशस मार्ग पर 1.4.1999 से 4.2.2000 की अवधि के दौरान प्रति सप्ताह तीन उड़ानें तथा 5.2.2000 से 31.3.2000 तक दो उड़ानें और मारीशस-दिल्ली-मारीशस मार्ग पर 1.4.1999 से 31.3.2000 की अवधि के दौरान प्रति सप्ताह एक उड़ान प्रचालित किए जाने का प्रावधान है।

(ग) भारत और मारीशस के बीच विमान यातायात 1996-97 में 51998 से बढ़कर 1997-98 में 58195 हो गया है।

यात्री विश्राम गृह

3483. श्री टी. गोविन्दन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/स्थानवार कितने यात्री विश्राम गृह स्वीकृत किए गए; और

(ख) स्वीकृत विश्राम गृहों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों को दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रस्तावों के प्राप्त होने पर परियोजनाएं स्वीकृत करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अभिनिर्धारित तीर्थ केन्द्रों पर स्वीकृत की गई आवास परियोजनाएं हैं:- (1) पर्यटक आवास-कटरा, (2) पर्यटक-बंगला-अजमेर, (3) पटना साहिब में पर्यटक आवास। राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे 30 महीनों में परियोजनाएं पूरी कर लें।

विमान सेवाओं संबंधी द्विपक्षीय समझौता

3484. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में भारत और ब्रिटेन के बीच विमान सेवाओं संबंधी किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) क्या यह समझौता भारत द्वारा लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इसे कब तक लागू किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) हाल ही में इस प्रकार के किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती

3485. श्री अमन कुमार नागरा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों में कमीशन्ड अधिकारियों की सीधी भर्ती समाप्त करने तथा इनका चयन अन्य रैंकों से प्रतिभा के अनुसार पांच वर्षों की अनिवार्य सेवा के पश्चात् करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी दक्षता उन्मुखी योजना को शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अफसर रैंक के नीचे के कार्मिकों में से उम्मीदवारों के चयन के लिए मौजूदा अवसर पर्याप्त समझे जाते हैं।

बोम्बे हाई में हेलीकाप्टरों की उड़ान रोकना

3486. श्री के. येरननायडू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1998 के ''एशियन ऐज'' में ''मिनिस्टर इग्नोर्स पी.एम. आर्डर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) बोम्बे हाई में सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम मंत्रालय की सिफारिश पर, दिनांक 15 दिसम्बर, 1997 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) को इस शर्त के साथ प्रारंभ में 3 माह की अवधि के लिए विदेशी पंजीयन के अधीन मुम्बई हाई ऑफ-शोर प्रचालनों से संबंधित लोगों तथा सामग्री को लाने-ले-जाने हेतु हेलीकाप्टर सेवाएं मुहैया कराने के लिए मै. अजल से तीन बेल-412 हेलीकाप्टरों को किराये पर लेने की अनुमति प्रदान की थी कि इन हेलीकाप्टरों का पंजीयन भारत में करा लिया जाएगा और ये अंतर्देशीय विमान परिवहन नीति के अनुरूप प्रचालित किए जाएंगे। ओ.एन.जी.सी. के अनुरोध पर, इस अनुमति की अवधि को पहली सितम्बर, 1998 तक समय-समय पर बढ़ाया गया था।

इसी बीच, मै. अजल इंडिया प्रा.लि. (एक भारतीय कंपनी) को 6 नवम्बर, 1998 को गैर-अनुसूचित विमान सेवाएं प्रचालित करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था। पहली दिसम्बर, 1998 को तीन बेल-412 एचपी (2+13 सीटर) हेलीकाप्टरों हेतु आयात संबंधी अनुमति जारी कर दी थी।

(ग) ऑफ-शोर कार्यकलापों संबंधी अपनी प्रचालनात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, ओ.एन.जी.सी. विभिन्न विक्रेताओं जैसे पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. (पी.एच.एच.एल.) तथा अन्य भारतीय प्रचालकों से हेलीकॉप्टर सेवाएं किराये पर लेता है। मै. एजल इंडिया प्रा.लि. ने भी 1.1.1999 से उड़ान सेवा शुरू कर दी है। पी.एच.एच.एल. और अन्य भारतीय पंजीकृत हेलीकॉप्टर प्रचालक ओ.एन.जी.सी. को आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने के लिए पूरी तरह सज्जित हैं।

परमाणु सुरक्षा

3487. डा. सरोजा वी. : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत स्वदेश में सुरक्षात्मक प्रणाली विकसित करके चुनींदा सैन्य शक्ति संपन्न राष्ट्रों में शामिल हो गया है, जो न केवल परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों द्वारा उत्पन्न संदूषण का मुकाबला करती है अपितु परमाणु सुरक्षा के रूप में कार्य भी करती हैं;

(ख) क्या अमरीका, रूस, चीन, इजरायल जैसे देशों तथा ''नाटो'' (एन.ए.टी.ओ.) सदस्य देशों के पास भी यह प्रणाली है;

(ग) क्या इस प्रणाली को कमांड पोस्ट/आबजरवेशन पोस्ट पर अथवा संदूषित क्षेत्रों में औषधियों की आपूर्ति, ईंधन और खाद्य भंडारण के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने परमाणु, जैविक और रासायनिक (एन.बी.सी.) हथियारों से उत्पन्न संदूषण से अलग-अलग और सामूहिक सुरक्षा मुहैया करवा सकने में सक्षम अनेक रक्षात्मक प्रणालियों का स्वदेशी रूप से विकास किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) यह रक्षात्मक प्रणाली, खाद्य, ईंधन तथा चिकित्सा पूर्तियों के भण्डारण और अलग-अलग/सामूहिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।

लेखा अधिकारियों के वेतन में वृद्धि

3488. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और लेखा अधिकारियों से वेतन वृद्धि और अन्य मांगों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में संसद सदस्यों सहित मान्यता प्राप्त यूनियनों, कर्मचारी एसोसिएशनों और विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनकर्ताओं ने रेलवे के लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को आबंटित वेतनमान में सुधार करने की मांग की है।

(ग) इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। बहरहाल, प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अभी सहमति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए सरकार द्वारा अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

समूह "ख" के अधिकारियों का वेतनमान

3489. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जनवरी, 1996 से पहले सभी विभागों के समूह "ख" के सहायक अधिकारी एक ही श्रेणी में काम कर रहे थे;

(ख) क्या अब समूह "ख" के सहायक लेखा अधिकारियों को उच्चतम वेतनमान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय रेल में अन्य समूह "ख" के सहायक अधिकारियों को समान वेतनमान देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां। क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाईयों आदि के सभी विभागों से संबंधित समूह "ख" अधिकारियों को 30.7.1993 से 2375-3750 रुपए के समान वेतनमान में रखा गया है जो 31.12.1995 तक लागू था।

(ख) जी हां। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों आदि में कार्यरत समूह "ख" के 80% अधिकारियों को 8000-13500 रुपए के उच्च संशोधित वेतनमान में रखा गया है बशर्ते निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। वेतन आयोग की सिफारिश का इरादा रेलवे के समूह "ख" लेखा अधिकारियों को सरकार के अन्य लेखा एवं लेखा परीक्षा विभागों में समान अधिकारियों के बराबर करने का था, जिन्हें पहले ही उच्च वेतनमान दिया गया है।

(ग) रेलवे के अन्य विभागों में भी समूह "ख" अधिकारियों के एक भाग के लिए उच्च वेतनमान देने की व्यवस्था करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा विगत में भी प्रयास किए गए हैं। बहरहाल, प्रमुखत: सरकारी सेवा में अन्य ग्रुप "बी" में प्रतिक्रिया के कारण इसे सरकार ने अभी स्वीकार नहीं किया है।

"कानकोर" में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रोस्टर

3490. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड में अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रोस्टर बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल स्टॉफ में से पदवार कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं;

(घ) क्या अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित वरिष्ठ प्रबंधक (तक.) के पद को भरने के लिए समाचार-पत्र में विज्ञापन दिया गया था, परन्तु इसे जानबूझकर रेल मंत्रालय के सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को प्रतिनियुक्ति पर बुलाकर भर दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ऐसी कितनी रिक्तियों की सामान्य वर्ग की रिक्तियों में बदल दिया गया;

(च) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों से रेलवे बोर्ड के निर्देशों के उल्लंघन और जाति आधारित अवमानना के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भर्ती में आरक्षित पद परिकलित करने के लिए क्षेत्र, विभाग और कोटि-वार रोस्टर रखे जाते हैं। 2.7.1997 से पहले ये रोस्टर रिक्तियों के अनुसार रखे जाते थे तथा उद्योग मंत्रालय, डी.पी.ई. ज्ञापन सं. 6/20/97/डीपीई(एससी/एसटी सेल) दिनांक 28.7.1997 के अंतर्गत प्राप्त हुए भारत सरकार के आदेशों के अनुसार 2.7.1997 से पद आधारित आरक्षण रोस्टर पुन: तैयार किए गए थे।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) यह सही है कि अक्तूबर, 1996 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी) के एक पद के लिए विज्ञापन दिया गया था, परंतु यह सही नहीं है कि इसे रेल मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति के आधार पर जान-बूझकर सामान्य वर्ग का उम्मीदवार लेकर भरा गया था।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किसी भी पद को सामान्य कोटि में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(च) और (छ) कनकोर में कार्यरत 100 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से केवल चार शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनमें से तीन शिकायतें सेवा मामलों से संबंधित थीं, जिनका शीघ्रता से निवारण कर दिया गया था, एक शिकायत जाति के आधार पर कथित रूप से परेशान करने से संबंधित थी। इस मामले की अनुसूचित जाति के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की गई थी और यह शिकायत निराधार पायी गयी थी। जांच अधिकारी द्वारा कई बार बुलाए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के समर्थन में बयान देने के लिए उनके समक्ष पेश नहीं हुआ।

विवरण

क्र.सं.	कोटि	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जीजीएम	4	-	-
2.	महाप्रबंधक	3	-	-
3.	उपमहाप्रबंधक	1	-	-
4.	प्रबंधक	7	-	-
5.	उपप्रबंधक	14	3	-
6.	वरिष्ठ प्रबंधक	1	-	-
7.	सहायक प्रबंधक	8	-	1
8.	सचिव	4	1	-
9.	निजी सचिव	4	-	-
10.	कनिष्ठ सचिव	16	2	1
11.	एक्जीक्यूटिव	29	7	-

1	2	3	4	5
12.	वरिष्ठ एक्जीक्यूटिव	11	1	–
13.	सहायक एक्जीक्यूटिव	18	1	1
14.	कनिष्ठ एक्जीक्यूटिव	50	7	1
15.	सहायक तकनीकी एक्जीक्यूटिव	64	13	4
16.	कनिष्ठ तकनीकी एक्जीक्यूटिव	23	3	1
17.	पर्यवेक्षक	4	1	–
18.	वरिष्ठ पर्यवेक्षक	1	–	–
19.	सहायक पर्यवेक्षक	46	10	1
20.	वरिष्ठ सहायक	144	18	8
21.	निर्माण कार्य सहायक	5	–	–
22.	स्वागत अधिकारी	2	–	–
23.	एमटी/ऑफ	11	1	–
24.	प्रोग्रामर	3	1	–
25.	हेल्पर	56	13	–
	बोड़	529	82	18

दिनांक 4 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1004 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): दुर्भाग्यवश दिनांक 4.12.1998 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 1004 के उत्तर में दिया गया हिन्दी रूपांतर अंग्रेजी रूपांतर की तुलना में अधूरा था। अत: उत्तर के हिन्दी रूपांतर को नीचे दिए अनुसार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है:-

उत्तर का वर्तमान हिन्दी रुपांतर	उत्तर का संशोधित हिन्दी रूपांतर
(क) और (ख) जी, हां। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में 16 राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में पर्यटकों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिए राज्यों के पर्यटन मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ इस प्रकार हैं–बोधगया, अमृतसर, भुवनेश्वर और बागडोगरा में हवाई अड्डों का उन्नयन एवं विकास, पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों तथा सिक्किम तथा देश के महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों के मध्य बेहतर उड़ान सम्पर्क, पूर्वोत्तर राज्यों में आर.ए.पी./पी.ए.पी. का लोप किया जाना तथा त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, तथा अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग के मध्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास।	(क) और (ख) जी, हां। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में 16 राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में पर्यटकों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिए राज्यों के पर्यटन मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ इस प्रकार हैं–बोधगया, अमृतसर, भुवनेश्वर और बागडोगरा में हवाईअड्डों का उन्नयन एवं विकास, पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों तथा सिक्किम तथा देश के महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों के मध्य बेहतर उड़ान सम्पर्क, पूर्वोत्तर राज्यों में आर.ए.पी./पी.ए.पी. का लोप किया जाना तथा त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग के मध्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, पर्यटन में निजी क्षेत्र के निवेश और सूचना तकनीकी के प्रयोग के लिए आवश्यक सहयोग और प्रोत्साहन। (ग) सम्मेलन ने इन सुझावों को संकल्प के रूप में अपनाया है। राज्य सरकारों से भी कहा गया था कि वे पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन व्यवसाय अधिनियम, पर्यटन सहायता पुलिस के रूप में उचित विनियामक मापदण्ड बनाएं।

2. सामान्यत: लोक सभा प्रश्न के उत्तर में हुई त्रुटि का संशोधन संबंधी विवरण उत्तर दिए जाने के एक सप्ताह के अन्दर ही सभा पटल पर रखा जाना होता है। किन्तु इस विशेष मामले में नीचे लिखे कारणों से कुछ विलम्ब हुआ:-

(1) प्रश्न के उत्तर में हुई त्रुटि की जानकारी सरकार को दिसम्बर, 1998 के द्वितीय सप्ताह में मिली।

(2) उत्तर में त्रुटि की जानकारी मिलते ही "त्रुटि सुधार संबंधी विवरण" तैयार किया गया। परन्तु, जब तक इसे लोक सभा सचिवालय को भेजा गया, शीतकालीन सत्र समाप्त होने को था, इसलिए लोक सभा सचिवालय के लिए इसे कार्यसूची में सम्मिलित करना संभव नहीं था। अत: उन्होंने "त्रुटि सुधार संबंधी विवरण" को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की थी।

3. प्रश्नोत्तर में त्रुटि तथा त्रुटि संशोधन संबंधी विवरण भेजने में विलम्ब के लिए अत्यन्त खेद है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन एयर लाइन्स लिमिटेड, और इसकी सहायक एलायन्स एयर, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन एयर लाइन्स लिमिटेड और इसकी सहायक एलायन्स एयर, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) वर्ष 1997-98 के लिए इंडियन एयर लाइन्स लिमिटेड और इसकी सहायक (एलायन्स एयर) के लेखाओं पर लेखापरीक्षकों और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की सरकार द्वारा समीक्षा और उन पर प्रबंधन के उत्तर।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2707/99]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत मैसर्स दमन गंगा पेपर्स लिमिटेड, इमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड, वलसाड को न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने वाले एक मिल के रूप में अधिसूचित करने संबंधी अधिसूचनाएं तथा इन पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): महोदय, श्री सिकन्दर बख्त की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1040(अ) जो 3 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनमें मैसर्स दमन गंगा पेपर्स लिमिटेड, इमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड, वलसाड को न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने वाले एक मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 1070(अ) जो 14 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनमें दिनांक 3 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1040(अ) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) का.आ. 133(अ) जो 25 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनमें वी.जी. पेपर एण्ड बोर्ड्स लिमिटेड, यूनिट-II कोलूमाम, कोयम्बटूर को न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने वाले एक मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 123(अ) जो 23 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनमें अनुराग बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मुजफ्फरनगर को न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने वाले एक मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 124(अ) जो 23 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनमें एन.आर. अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट नं. II), वलसाड को न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने वाले एक मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2708/99]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के लिए इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट लिमिटेड, मुंबई के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, आदि

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2709/99]

(ख) (एक) स्पाइजिज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बगंलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पाइजिज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2710/99]

(3) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2711/99]

श्रम मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगें

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): मैं श्रम मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2712/99]

[हिन्दी]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 32/97/सी.शु. संबंधी सा.का.नि. 1(अ) के संबंध में अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 1(अ) जो जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 32/97/सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 58(अ) जो 1 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या 104/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा.का.नि. 766(अ) जो 24 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि फ्यूल इंजेक्शन इक्विपमेंट के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों और संघटकों के मूल सीमा शुल्क को 20% से घटा कर 10% किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 156(अ) सा.का.नि. 166(अ) जो 28 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 27 फरवरी, 1999 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा शुल्क में परिवर्तनों और छूट दिये जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 742(अ) जो 16 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 34/97-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डी.ई.पी.बी. स्कीम के प्रचालन का सेलम, तिरुपुर, सिंगनालुर, वलूज और मालनपुर स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपुओं तक विस्तार किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1999 जो 9 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2713/99]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 167(अ) से सा.का.नि. 183(अ) और सा.का.नि. 189(अ) जो 28 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो 27 फरवरी, 1999 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तनों और छूट दिये जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2714/99]

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेवा कर (संशोधन) नियम, 1999 जो 28 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 184(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 185(अ) जो 28 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर से छूट दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 186(अ) जो 28 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रेन्ट ए कैब स्कीम आपरेटर द्वारा, प्रदत्त कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर से छूट दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 187(अ) जो 28 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कम्प्यूटर साफ्टवेयर सेवाओं के संबंध में परामर्शदाता अभियन्ताओं द्वारा प्रदत्त कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर से छूट दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 188(अ) जो 28 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय सेवा कर संबंधी अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2715/99]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 765(अ) जो 24 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय जापान, कोरिया आर.पी. और चीन जनवादी गणतंत्र में उद्भूत और वहां से आयातित औद्योगिक सिलाई मशीन की सुइयों पर अनन्तिम प्रति पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2716/99]

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 767(अ) जो 24 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पॉलिरिथीन फोम और पॉलिरिथीन फोम मैट्रिसीज़ के विनिर्माण के लिए फ्लैक्सिबल स्लैब पोलिओल के सभी आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 768(अ) जो 24 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रोपाइलीन ग्लाईकोल के सभी आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2717/99]

[अनुवाद]

नेशनल अकादमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, इत्यादि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल अकादमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल अकादमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2718/99]

चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, इत्यादि और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2719/99]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे गोवा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1999 जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 10 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, को वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे गोवा विनियोग विधेयक, 1999 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 10 मार्च, 1999 को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.02¼ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण): महोदय, मैं प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1998 पर वित्त संबंधी स्थायी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

सातवां और आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों'—1998-99' के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों—1998-99 के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02$^{3}/_{4}$ बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रो रसायन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में पांचवें प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

राष्ट्रपति का संदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे राष्ट्रपति से 16 मार्च, 1999 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:

> "22 फरवरी, 1999 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण से संबंधित सरकारी ज्ञापनों का वापस लिया जाना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सदन में 'शून्य काल' आरम्भ होगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): महोदय, हमने एक मामला उठाया है और इससे पहले कि हम दूसरा मुद्दा उठाएं, हम आपका निर्णय जानना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बूटा सिंह को अनुमति दी है। आप कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज सब को जीरो ऑवर में बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, बोगस वोटिंग पर आप डिसीजन तो दीजिए, आपने इसको कब से पैंडिंग रखा हुआ है। बोगस वोटिंग के मामले में आपने इस सदन को सूचित किया था, लेकिन आप अभी तक कुछ भी बता नहीं रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को महत्वपूर्ण रूप से उठाया गया था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, कृपया अपनी जगह पर बैठिए। मैंने श्री बूटा सिंह को अनुमति दी है। ये क्या हो रहा है?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, हमें सदन में एक प्रक्रिया का पालन करना होता है कि नहीं? ये क्या हो रहा है?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आज सब को बोलने का मौका मिलेगा, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि. चाक्को, आप भी बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालौर): अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में सभी राजनैतिक दलों के माननीय सदस्यों ने, भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी ज्ञापन का विरोध किया था *...(व्यवधान)* वे सभी भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की ओर से भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1997 में जारी किए गए सरकारी ज्ञापन का विरोध प्रकट करने के उत्सुक थे। *....(व्यवधान)* महोदय, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ ही लोगों का प्रश्न नहीं था *...(व्यवधान)* न ही ये प्रश्न अनुसूचित जाति के सदस्यों को रोजगार की सुविधा के बारे में था *...(व्यवधान)* इस प्रश्न का क्षेत्र व्यापक था। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले 30 करोड़ लोगों के राष्ट्रीय अस्तित्व का प्रश्न था *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : हमें खुशी है कि आपने इस विषय पर बहस की अनुमति दी। लेकिन भागवत के मामले पर आपके निर्णय का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में इस विषय पर बात करूंगा।

श्री पी.सी. चाक्को : भागवत का मामला कल सदन में उठाया गया था *...(व्यवधान)* महोदय, रक्षा मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। *...(व्यवधान)* कृपया हमें अपने निर्णय से अवगत कराएं। कृपया हमें बताएं, आप इस मामले से कैसे निपटेंगे।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, कल इस सदन में सभी पक्षों ने, सभी राजनैतिक दलों की ओर से सदन के सामने जो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों के *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.09 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में आम तौर पर सभी दलों, आर.एल.एम., कांग्रेस पार्टी और बी.जे.पी. के लोगों ने इस सदन के सामने अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों के हकों का जो खून हुआ है, उस प्रश्न को लेकर जो कल आग्रह किया, उसके परिणामस्वरूप सरकार की तरफ से जनवरी, 1997 से आफिशियल मैमोरेण्डा जारी करके आरक्षण नीति की बुनियाद है, उसको खत्म कर दिया गया।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): उस समय कौन सी सरकार थी *...(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : मैं कहूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हर एक दल से एक सदस्य को बुलाऊंगा। वो जो भी कहना चाहे कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आज अंतराल से पहले सत्र का आखिरी दिन है, सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका मिलेगा। कृपया अब आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं जिक्र कर रहा हूं कि 1997 के शुरू में, उस समय यह सरकार नहीं थी, तब से लेकर भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल एंड ग्रिवांसेज की तरफ से पांच आफिशयल मेमोरंडम आए, जिनकी वजह से जो आरक्षण नीति है, उसका खात्मा किया गया। उसके जितने भी बुनियादी मुद्दे थे, उनको खत्म किया गया है। उसको लेकर इस सदन के सामने सभी दलों के सभी सदस्यों ने, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों ने और नेताओं ने समर्थन दिया, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं। यह प्रश्न केवल दलितों और आदिवासियों का ही नहीं है। संविधान के अंदर प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 16(4), 16(4) ए, आर्टिकल 335 और आर्टिकल 324, ये मूल रूप से भारत के संविधान के हिस्से हैं। उन्होंने माना है कि भारत में एक तिहाई आबादी यानी 30 करोड़ के लगभग लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, वह हमारे देश की कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में दिए गए हैं। यह किसी की खैरात नहीं है, न किसी की तरफ से तोहफा हैं। ये हमारे संवैधानिक हक हैं। इसलिए जब भी इन अधिकारों पर कुठाराघात होगा, देश के 30 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग मुकाबला करेंगे और अपने हकों का हनन नहीं होने देंगे। कभी ऐसा भी कहा जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ उनके वोट लेने के लिए दिया गया है। हम इस बात का खंडन करते हैं। हम कोई बिकाऊ चीज नहीं हैं, कोई सब्जी बाजार नहीं हैं कि कोई आरक्षण देकर या कंसेशन देकर हमारा वोट ले ले। हमारे खुद के अधिकार हैं, जो संविधान में दिए गए हैं। उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के संविधान ने आर्टिकल 338 में प्रावधान किया गया है कि इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति महोदय को विशेष अधिकार दिया गया है, जिसके तहत वे एक स्पेशल आफिसर नियुक्त करेंगे। आजकल उसको बदलकर 'कमीशन फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्स ट्राइब्स' कर दिया गया है। उस कमीशन के पास संवैधानिक अधिकार है कि जहां भी अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की हत्या होगी, वह कचहरी लगाकर ब्यूरोक्रेट्स को सजा दे सकता है। आर्टिकल 338 की क्लाज 9 अनिवार्य करती है कि कोई भी सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब कभी भी इस नीति में कोई तब्दीली करनी होगी, मैं संविधान पढ़कर बता सकता हूं ...*(व्यवधान)* बहुत से समाचार पत्रों में लिखा गया है कि आजकल जब बूटा सिंह सदन में खड़े होते हैं तो उनके हाथ में एक किताब होती है। मैं कहना चाहता हूं कि यही किताब हमारी रक्षा करती है, वरना वीकर सेक्शन, आदिवासी लोगों को कुछ लोग पी जाए। यह किताब हमारी रक्षा करती है इसलिए हम इसका सहारा लेकर निकलते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है, मैं सदन में आर्टिकल 338 की क्लाज 9 में से एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

[अनुवाद]

हमारे संविधान के अनुच्छेद 338(9) में कहा गया है:

> "संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।"

[हिन्दी]

इतना स्पष्ट आदेश रहने के बाद भी मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो या बी.जे.पी. की सरकार हो। मैं पूछना चाहता हूं कि किसने आपको अधिकार दिये? आपने वे पांच अध्यादेश कैसे जारी कर दिये?

श्री राजवीर सिंह (आंवला): किसने जारी किये? ...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : मैं बोल चुका हूं। आपको क्यो तकलीफ हो रही है? किसने किये, यह मैं पूछ रहा हूं। इसके रहते हुए न कोई सरकार सक्षम है, न कचहरी सक्षम है और न सुप्रीम कोर्ट सक्षम है। अब भी नीति चेंज करनी होगी, यह हाउस इसमें सक्षम है, यह पार्लियामेंट सक्षम है और कोई सक्षम नहीं है, इसलिए इस संविधान के अंतर्गत जो अध्यादेश या अर्ध-पत्र सरकार की तरफ से जारी किये गये हैं, वे अवैध हैं, अनकांस्टीट्यूशनल हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): कब किये गये?

श्री बूटा सिंह : आप सुनिए। उनको वापस लेने के लिए न तो सरकार को किसी किस्म की तकलीफ होनी चाहिए और न ही इनसे पहले की सरकारों को होनी चाहिए थी। गुजराल साहब यहां बैठे हुए थे, अब भी है। उन्होंने एक आर्डिनैंस इन अध्यादेशों को वापस लेने के लिए तैयार किया था, राम विलास पासवान जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और कैबिनेट ने अध्यादेश जारी कर भी दिये थे। ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): पासवान जी तो उस समय मंत्री थे, यह उसी समय का मामला है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अशोक प्रधान जी, कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। आपको मौका दिया जायेगा। मैं आपको बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह: वे अध्यादेश जारी होने वाले थे। उसी वक्त सरकार की अवधि समाप्त हो गई और नई सरकार आ गई। अब नई सरकार के पास भी पूरे एक साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कम से कम ज्यादा नहीं, गुजराल साहब द्वारा तैयार किया हुआ आर्डिनेंस तो कैबिनेट सैक्रेटेरिएट में पड़ा है, उसे जारी करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के हकों को मारने के लिए जो अर्ध-पत्र जारी किये गये, उनको वापस किया जाए। एक साल प्रयास करने के बाद सबसे पहले जो कमीशन ऑफ एस.सी., एस.टी. है, उन्होंने अपने एक्सट्राऑर्डिनरी अधिकार का उपयोग करते हुए एक स्पेशल रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति महोदय को दी। नार्मली ऐसा नहीं होता है। जो एस.सी., एस.टी. का कमीशन है, उन्होंने 22.1.1998 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह रिपोर्ट इस सरकार के सामने है और उसके बाद हम लोग कोशिश करते रहे हैं। हमारी आखिरी मीटिंग माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुई और उस मीटिंग में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस मीटिंग में *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह भाषण हो रहा है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शांत रहिए। दो दिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा लम्बा खीच रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मैं कोई लम्बी बात नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनके द्वारा अपनी बात समाप्त हो जाने के बाद आप कहिएगा। शांत रहिए।

...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : एक डेलीगेशन माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर में मिला और उस डेलीगेशन में श्री जी.एम.सी. बालयोगी, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना जी और हमारे सभी दलों के सदस्य, बी.जे.पी. की तरफ से श्री संघप्रिय गौतम, कांग्रेस की तरफ से श्री हनुमनतप्पा, जनता दल की तरफ से राम विलास पासवान जी, हम सब लोग उसमें शामिल थे और हम लोगों ने उसके ऊपर, सौ सांसदों ने दस्तखत करके दिये। जो ज्ञापन हमने परसों के रोज माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया था, उसमें सौ सांसदों के दस्तखत थे जिसमें बी.जे.पी., कांग्रेस, सभी दलों के सांसदों ने यह कहने के लिए दस्तखत करके दिए हैं कि ये पांचों अर्ध-पत्र जिनसे हमारे हक, हमारे अधिकार जो खत्म हो गए हैं, उनको वापस करो। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया है। हमारा ज्ञापन उनके पास पड़ा है। इसी बीच राज्य सभा में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल के राज्य मंत्री, श्री जनार्दनन, ने एक प्रश्न का जो उत्तर दिया है, मैं उसकी एक लाइन सदन में पढ़ना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, इसमें और लोग भी पार्टीसिपेट करना चाहते हैं।

श्री बूटा सिंह : उन्होंने उत्तर में कहा है कि सरकार न इसको मोडिफाई करेगी, न इसको रिवाइज करेगी - अतः सरकार ने इस इशू को बन्द कर दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल श्री बूटा सिंह जी का भाषण सम्मिलित किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं, इन मैमोरेंडम्स के माध्यम से क्या असर हुआ है। अध्यादेश 1997 में

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुआ है, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का ...(व्यवधान) मैं विषय से बाहर नहीं बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) पांचों मैमोरेंडम्स के बारे में मैं एक-एक शब्द में बताना चाहता हूं कि क्या असर हुआ है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं और सरकार को क्या करना चाहिए, यह बताइए।

...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, पहले मैमोरेंडम से सिनियोरेटी लूज हो गई। दूसरे मैमोरेंडम से रिजर्वेशन रोस्टर को खत्म किया गया। इस प्रकार 1952 से जो प्रथा चली आ रही थी, उसको बन्द कर दिया। तीसरे मैमोरेंडम से रिजर्वेशन में प्रमोशन थी, वह खत्म कर दी गई। चौथे मैमोरेंडम से

[अनुवाद]

आरक्षण सभी श्रेणियों के पदों पर लागू नहीं किया गया।

[हिन्दी]

पांचवें मैमोरेंडम से बैकलाक को वाइपआउट करने के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो स्पेशल प्रोवीजन था, वह भी खत्म कर दिया गया। इस प्रकार पांचों मैमोरेंडम्स के द्वारा पालिसीज को कम्पलीट रिवर्स कर दिया, जबकि संविधान के अनुसार पालिसी रिवर्स नहीं हो सकती है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई और ब्यौरा मत दीजिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : महोदय, कल्याण मंत्री ने अपने दफ्तर से डाक्टर अम्बेडकर की फोटो भी निकाल दी है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : मेरी मांग यह है कि सरकार इस ज्ञापन को वापिस लें।

[हिन्दी]

हमारी मांग है कि बाबासाहिब अम्बेडकर जी की फोटो को वापिस लगाया जाए। ...(व्यवधान) हमारी मांग है कि रिजर्वेशन के लिए बिल लाकर कानून बनाया जाए।

उस कानून को नौवें शेड्यूल में रखा जाए ताकि कोई भी कचहरी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ न कर सके, यह हमारी मांग है। मेरा यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने डिसीजन हैं उन पर चर्चा करके उनको रिवाइज किया जाए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी दलों में से एक माननीय सदस्य को बुला रहा हूं। सभी को मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप शांत रहिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करूंगा और उसके बाद सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने यह मन बनाया हुआ था कि इस मामले पर चर्चा में ये अपनी बात साफ-सुथरे ढंग से रखें। जो बात हमारे वरिष्ठ सदस्य, माननीय बूटा सिंह जी ने रखी है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। जो मुद्दा आप उठाना चाहते हैं वह एक अलग मामला है। जब इस विषय पर चर्चा समाप्त हो जायेगी तब आपको मौका दिया जायेगा। प्रत्येक दल इस विषय पर अपने विचार रखेगा। कृपया व्यवधान मत डालिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : महोदय, जब उनकी हालत यह है, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अशोक प्रधान जी को बोलने के लिए कहा है। कृपया विघ्न मत डालिये, वह भी आप ही के दल के हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : महोदय, यह दलितों को किस ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी क्या हालत है, यह अभी पता चल जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय बूटा सिंह जी ने जो बात कही, मैं उससे अपने को सम्बद्ध तो करता हूं, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी को आकर इस मामले को स्पष्ट करना चाहिए। यदि प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं तो इस चर्चा का मतलब क्या है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : बूटा सिंह जी, आपने अपनी बात कह दी है, अब आप हमारी बात भी सुनिए*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम): महोदय, क्या यह 'शून्य काल' है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। अभी चर्चा चल रही है तथा प्रत्येक दल को बोलने का मौका मिलेगा क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक दल में से एक सदस्य अपने विचार रखेगा और तत्पश्चात् सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस : महोदय, यहां पर माननीय प्रधान मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं; माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं; यह क्या चर्चा चल रही है? महोदय, मुझे खेद है कि 'शून्य काल' के दौरान किसी विशिष्ट मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, मैंने श्री अशोक प्रधान जी को बुलाया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक दल में से एक सदस्य को बुला रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। प्रो. कवाड़े, मैं खड़ा हुआ हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे? श्री रेड्डी, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आप सबने देख लिया है कि यह मुद्दा कल कैसे उठाया गया था–पूरे दिन सदन की कार्यवाही नहीं चली। अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी दलों से एक-एक सदस्य को अपने दल का दृष्टिकोण व्यक्त करने की अनुमति दी है ताकि सरकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। यह निर्णय लिया गया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, मैं अभी बोल रहा हूं। क्या कृपया आप बैठ जायेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, क्या कृपा करके आप बैठ जायेंगे? मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मुझे स्थिति समझ लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं खड़ा हुआ हूं।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस : और जो हम खड़े है महोदय?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बारी मेरे बाद आयेगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अशोक प्रधान का नाम पुकारा है। इसी प्रकार मैं सभी दलों में से एक-एक सदस्य को बुलाऊंगा। कृपा करके प्रत्येक की बात धैर्यपूर्वक सुनिए। कृपा करके व्यवधान न डालें ताकि हम इस मुद्दे को समाप्त कर सकें और इसके बाद सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

यदि आप मेरे साथ सहयोग नहीं देंगे तो मैं सभा स्थगित करके चला जाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): यदि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहां उपस्थित नहीं है तो इसका क्या लाभ है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): प्रधान मंत्री जी को आप बुलाइये। *...(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी आज क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े (चिमूर): उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी को सदन में आना चाहिए। तीस करोड़ आदिवासियों और दलितों का सवाल है। *...(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी कल सदन में आये थे, इन्होंने बोलने क्यों नहीं दिया? *...(व्यवधान)* कल प्रधान मंत्री जी बोलना चाहते थे लेकिन आपने बोलने क्यों नहीं दिया। आप गरीबों के हमदर्द नहीं हैं। *...(व्यवधान)* कल पूरा दिन आप लोगों ने बर्बाद किया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कवाडे, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे यहां सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं कैसे आग्रह कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री यहां आवश्यक रूप से उपस्थित हों।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कवाडे, यह ठीक नहीं है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : एक दिन बर्बाद हो गया, उसकी बात की जाती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कवाडे, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मुझे आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा में सभी सदस्य बोलते रहेंगे? मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, कल प्रधानमंत्री

जी यहां उपस्थित थे। वे संसद सदस्यों के विचार सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते थे। लेकिन न तो हम उस तरफ बैठे नेताओं के विचार ही सुन सके और न ही उनकी प्रतिक्रिया जान सके। जब सदन चाहेगा तो वे यहां आ जाएंगे। कल सभा में उन्हें बोलने नहीं दिया गया और न वे अपने विचार यहां रख सके। कल मैंने सभी सदस्यों से याचना की थी कि वे अपने विचार यहां रख सकते हैं और उनके विचार सुनने के बाद ही प्रधानमंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

यदि आज वे सदन की मर्यादा बनाए रखने व बारी-बारी से अपने विचार यहां व्यक्त करने को तैयार हैं तो प्रधानमंत्री जी एक मिनट में यहां आ जाएंगे। उन्हें तैयार होने दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया जी, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कवाडे, किसी मुद्दे का उठाने का यह कोई तरीका नहीं है, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण क्या आप मेरी बात मानेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। बनातवाला जी अब आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): मैं इसे केवल एक वाक्य में कहूंगा। औचित्य का प्रश्न ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस सभा में तब आएंगे, जब यहां व्यवस्था होगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, मैं बोल रहा हूं, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आज सत्र का अंतिम दिन है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? पूरा सदन आपकी बात सुनने को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि प्रधान मंत्री सदन में किसी भी क्षण आ सकते हैं। आप उनके प्रति न्यायोचित रवैया अपनाए। वे कल यहां थे और वक्तव्य देना चाहते थे। मंत्रीजी ने अभी-अभी कहा कि वे सदन में आएंगे और आप सभी को सुनेंगे, इसलिए हमें सदन में शांत वातावरण बनाये रखना चाहिए। मैंने श्री प्रधान को बोलने के लिए कहा है। उन सबको बोलने का मौका दूंगा जो बोलना चाहेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे मामले भी गम्भीर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी आएंगे और मैं उन्हें भी सुनूंगा।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय माननीय मंत्री कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री तब ही आएंगे जब सदन शांत होगा। इससे उनका क्या अभिप्राय है। यह औचित्य का उल्लंघन है। यह शालीनता व

मर्यादा का प्रश्न है, हमारे और अध्यक्षपीठ के बीच है। प्रधान मंत्री यह नहीं कह सकते कि वे इस शर्त पर ही सदन में आएंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह उन्होंने नहीं कहा। कृपया यह शब्द उनके मुंह में ठूंसिए नहीं। वे यहां वक्तव्य के लिए आए थे। आप उनके प्रति न्यायोचित रवैया अपनाए। यह अच्छी बात नहीं है। वे वक्तव्य देना चाहते थे। वे दो बार मेरे पास आए और कहा कि वे वक्तव्य देना चाहते हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य और नेता भी हैं। कृप्या इतना धैर्य धारण कीजिए कि हम सबको सुन सकें।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : सदन की मर्यादा को बनाये रखने के लिए मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिव शंकर वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली): यह एक अत्यधिक संवेदनशील मामला है और समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहा है। आपने कहा है कि अब श्री बूटा सिंह जी बोलेंगे और अब श्री प्रधान को बोलने के लिए आमंत्रित कर दिया है। जो सदस्य इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। दूसरे पक्ष के मेरे मित्रों को भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)* आपने श्री प्रधान को बोलने की अनुमति दे दी है। आप हमें भी बोलने की अनुमति दे सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। अन्य मंत्रीगण भी यहां पर उपस्थित हैं। यदि सदस्य आवश्यक समझें तो प्रधान मंत्री जी भी यहां पर आ सकते हैं और इस मामले पर निर्णय हो सकता है। इस दौरान हम जो कुछ कहना चाहते हैं हमें वह करने की अनुमति दी जाए क्योंकि इस मुद्दे के दूरगामी परिणाम होंगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह एक बहुत दुखद स्थिति है कि कल समिति में इस प्रश्न पर निर्णय हुआ था कि क्या किया जाए और किस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं खेद के साथ कहता हूं कि प्रधान मंत्री को बाहर यह नहीं कहना चाहिए था कि संयुक्त संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है। यह उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप दूसरे विषय पर जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : उन्हें यह बात यहां कहनी चाहिए थी कि संयुक्त संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी मुख्य सचेतकों से अपील करता हूं कि यह मुद्दा देश की एक तिहाई जनसंख्या से संबंधित है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हर कोई चिन्तित है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि प्रत्येक दल को इस पर अपने विचार व्यक्त करने दीजिए और सरकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है। उसके बाद हम दूसरी मदों पर विचार कर सकते हैं। आज सभा के क़ार्य का अंतिम दिन है और हमें कुछ काम-काज निपटाना चाहिए। अत: मैं सदस्यों को खामोश रखने के लिए सभी सचेतकों और नेताओं का सहयोग चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री बूटा सिंह जी ने इस सदन के सामने जो बात कही, वह विषय गंभीर है। अगर दूसरे सदस्य ऐसा बोलेंगे तो क्या दलितों का उद्धार हो पायेगा? आज हमारे सामने जो बात खड़ी हुई है वह है कि पांच ऑफिशियल मैमोरेंडम इश्यू किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में पहले हम सब को इसकी जड़ में जाना चाहिये कि आखिर यह बात शुरू कहां से हुई। यह 16.11.1997 की बात है ...*(व्यवधान)* सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। उसके बाद जब जनवरी, 1998 आई, उस समय जो सरकार थी ...*(व्यवधान)* उस समय किस की सरकार थी, सब को विदित है। उस समय इस सदन में बैठे हुये श्री देवेगौड़ा जी की सरकार थी ...

कई माननीय सदस्य : उस समय श्री गुजराल जी की सरकार थी।

श्री अशोक प्रधान : ठीक है। इस सदन में श्री देवेगौड़ा और श्री गुजराल, दोनों पूर्व प्रधानमंत्री बैठे हुये हैं। उस समय इनकी सरकार थी, चाहे प्रधानमंत्री बदल गया था। उपाध्यक्ष जी, यह जिस ढंग का विषय है और जिस पर हम सब लोग बोल रहे हैं, अच्छा होता इतने गंभीर विषय पर इस सदन में बैठे हुये पूर्व प्रधानमंत्री बोल देते तो इस सदन में यह झगड़ा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और क्यों यह मैमोरेंडम इश्यू किया गया। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि आज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। यह कोई आज की बात नहीं है, यह आजादी के बाद से चला आ रहा है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है और उसी प्रावधान के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आधार पर हम लोग यहां बैठे हुये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि दलित यहां बैठे हुये है। श्री बूटा सिंह जी ने अपनी बात रखी। मैं अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूं लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिये। यह राजनीति का विषय नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कल जो प्रदर्शन रहा, वह राजनीति से प्रेरित था जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ....

श्री शैलेन्द्र कुमार : उस में बी.जे.पी. के लोग भी थे.....

श्री कांतिलाल भूरिया : आप हमारे साथ थे।

श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष जी, पिछले 50 सालों तक जो शासन रहा है और जिनके नाम पर 45-46 साल से सामने लोग बैठे हुये है, कांग्रेस सरकार रही है ...*(व्यवधान)* इन्होंने दलितों के नाम पर सरकार चलाई है। जब यह ऑफिशियल मैमोरेंडम जारी हुआ, इन लोगों की सपोर्ट से सरकार चल रही थी और आज जो हमारे सामने बैठे हुये हैं। मैं श्री बूटा सिंह जी का दर्द जान सकता हूं और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जो हमारे सामने बैठे हुये हैं, उन्हीं की सरकार में थे। वे भी सरकार में थे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी आप बैठिये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हमारा नाम ले रहे हैं। हमें कहने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आपका जब नाम बुलाया जाएगा तब बोले। यह रिज़र्वेशन नहीं है।

अशोक प्रधान जी, आप सरकार से क्या चाहते हैं वह बताइए।

श्री अशोक प्रधान : हम उसी पर आ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, ये लोग भी उस समय सरकार में शामिल थे और अभी जो ऐपिसोड हुआ है जो आज दलितों की बात कहने जा रहे हैं खड़े होकर, पिछले दिनों बिहार में जो ऐपिसोड हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश ने उसको देखा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सरकार से क्या कहना है वह बताइए।

श्री अशोक प्रधान : मैं उसी पर आ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): मेरा निवेदन है कि इसमें राजनीति मत लाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या होना चाहिए वह बताइए ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा था कि जो ऐपिसोड बिहार में हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है, देश की जनता से छिपा नहीं है। जिस ढंग से कांग्रेस ने सपोर्ट देकर माननीय लालू यादव जी को बचाया, वह किसी से छिपा नही है। आज वह दलितों की बात कहें तो ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान जी, आप इधर-उधर की बातें न कहकर इस मामले पर बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, मेरा आप से एक छोटा सा निवेदन है। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे प्रत्येक सदस्य को बार-बार टोक रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभा में कम से कम कुछ तो शालीनता होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। मैं उनसे सहयोग देने के लिए कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कहूंगा। क्या मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या दूसरे सदस्य अपनी बात नहीं कह रहे हैं? अभी बूटा सिंह जी ने अपनी बात रखी, क्या हमने उनको नहीं सुना? हम इसी बात पर बोल रहे हैं, इस चीज़ को लेकर बोल रहे हैं।

आज हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों की सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। प्रदर्शन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को लेकर चल रही थी। हमारे यहां इस पर बात हुई है और आप देखिये कि एस.सी.एस.टी. फोरम में तय हुआ था कि हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन यह तय नहीं हुआ था कि हम राजनीति करेंगे, राजनीति की बात नहीं हुई थी। कल का जो प्रसंग था, वह राजनीति से प्रेरित था। कल प्रधान मंत्री

जी पूरा दिन इस विषय के लिए लगातार प्रयास करते रहे कि हम लोग इस विषय पर बोलें। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी आज की जो सरकार है, वह सही मायने में दलितों के हित की सरकार है, वह दलितों का हित चाहती है और हमारी सरकार ने यह जो प्रावधान दलितों के लिए रखा है, यह शुरू से लेकर आखिर तक रखा है। अगर पार्लियामेंट के मेम्बरों के हिसाब से देख लें तो भी जिस पोजीशन में हम दलित लोग हैं, वह सदन के सामने है। हमारी सरकार कुछ करना चाहती है और केवल दिखावा नहीं करती है जैसा अब से पहले होता रहा है। उस समय पासवान जी उस सरकार में रहे, उस समय वे अपने दल के नेता थे और उन्हीं के समय में यह सब कुछ हुआ। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिये।

श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हमें इसकी जड़ में नहीं जाना चाहिए कि किस समय यह मेमोरण्डम इश्यू हुआ, उस समय मंत्री कौन थे, कौन प्रधान मंत्री थे और कौन सी सरकार थी? क्या हमें और देश की जनता को यह पता नहीं लगना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपने कह दिया, अब सरकार को क्या करना चाहिए, वह पूछिये?

श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसके मुखिया है, उनके नेतृत्व में पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को लेकर चल रही है और उन्होंने मन बनाया हुआ है, उसी मन और उसी इच्छाशक्ति को लेकर वह कल पूरे दिन दलितों की बात और इस सारे मामले को सुनने के लिए सदन में बैठे रहे। आप इस बात के गवाह हैं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब तक प्रधान मंत्री जी नहीं आते ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : हमारी सरकार आज पूरी तरह से दलितों के हितों की सरकार है, दलितों का भला चाहती है, दलितों को अपने साथ लेकर चलना चाहती है ...*(व्यवधान)* हमारे प्रधान मंत्री जी इसके लिए बोलना चाहते है, दलितों के लिए कुछ करना चाहते हैं, दलितों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। वे पूरी तरह से दलितों के हक में हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): उपाध्यक्ष महोदय, एक दलित महिला पर अत्याचार हुआ है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। आप क्यों खड़े हो गए?

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एक महिला बोल रही है और महिलाएं ही बातें कर रही हैं, आज जरा सुनियेगा।

श्रीमती मीरा कुमार : सदन के सभी सदस्यों ने, मुझसे पहले बोल चुके प्रधान जी ने सदन की हर पार्टी के अनुसूचित जाति, जनजाति और बाकी अन्य सदस्यों ने एक जुट होकर पांच आदेश जारी हुए हैं उनके विरोध में ...*(व्यवधान)* मैडम, आपका भी समर्थन था, सबका समर्थन रहा है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती कमल रानी (घाटमपुर): उस समय आप क्या कर रहे थे ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मीरा कुमार : मैं यहां एक बात कहना चाहती हूं कि इस बारे में सारा सदन एक है कि ये आदेश वापस होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री बूटा सिंह जी ने अभी यह बात कही और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, उस पर हम सब लोग साथ हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या, श्रीमती मीरा कुमार ने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें कहिये कि इसका विरोध न करें। यह अनुसूचित जाति, जनजातियों का मुद्दा है, जो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी कौन हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार : यह उनका मुद्दा है जो लोग आपको चुनकर भेजते है, यह उनका मुद्दा है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आप उनका विरोध मत करिये। आज सारा सदन इसका समर्थन कर रहा है। सवाल यह नहीं उठता है कि यह आदेश कब जारी हुए, सवाल यह है कि यह आदेश गलत जारी हुए हैं, जिनके द्वारा जारी हुए हैं, जब भी जारी हुए हैं। आज हम लोगों की यह पुरजोर मांग है कि हमारी पार्टी के लोगों में और इस सदन में उपस्थित सभी सदस्यों में से कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है कि इस आदेश को वापस लिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर यह सब क्या हो रहा है? कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मुख्य सचेतकों से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, माननीय सदस्या अपनी बात कह रही हैं। लेकिन दूसरे पक्ष के सदस्य उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। जब आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है तो उन्हें बोलने देना चाहिए। कृपया उन्हें नियंत्रित कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, आप भी उन्हें व्यवधान पहुंचा रहे हैं। वह अब अपनी बात जारी रखेंगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, हमें भी बोलने का समय दिया जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस सब्जैक्ट पर आनरेबल स्पीकर ने कहा है कि सारी पार्टियों के लोगों के बोलने और गवर्नमेंट का रिएक्शन आने के बाद दूसरा विषय लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय कल से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। आप कृपा करके कुछ समय नियत कर दीजिए। हमारी बात भी सुनिए। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल की सांसद बोल रही हैं और सभी पार्टियों के भले की बात कर रही है। यह विषय देश के करोड़ों अनुसूचित जाति एवं जातियों के लोगों से संबंधित है, लेकिन वे लोग उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप लोग अनुसूचित जाति और जनजातियों के कितने हमदर्द हैं, इन बातों को सारा देश अच्छी तरह से जानता है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय ले लिया है। वह अब अपनी बात जारी रखेंगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया क्या मुख्य सचेतक मेरे साथ सहयोग करेंगे? यह सब क्या हो रहा है? प्रो. कुरियन जी, कृपया अपने दल के सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा। मैं यह बात कितनी बार दोहराऊं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप पीठासीन अधिकारी पर अपनी बात नहीं थोप सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसकी अनुमति दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, उन लोगों को आप अलाऊ करेंगे, तो हमारी बात कौन सुनेगा। आप इनका टाइम बांधिए, यह सारा मामला कब तक चलेगा। *...(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : जब तक वापस नहीं होता, तब तक यह मामला चलेगा। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल से महिला बोल रही हैं, और उनको तकलीफ हो रही है। वे सब के हित की बात कह रही है। दलित और आदिवासियों के हित की बात हो रही है और उन्हें पूरा सदन गंभीरता से सुनना चाहता है, लेकिन उस तरफ से लोग शोर मचाकर उनकी बात को नहीं सुनने देना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मीरा कुमार के कथन के सिवाय और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, हाउस में जब ट्राइबल के मुद्दे पर चर्चा होने का समय आता है तब मैम्बर्स इंट्रप्शन करते हैं, यह बड़ा अनफार्चुनेट है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 1.00 बजे

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): मैं एक अपील करना चाहूंगी। सभी दलों से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें। जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उस दौरान कोई टोका-टिप्पणी न की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैं भी कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह फिर से खड़े हो रहे हैं। श्री बैसीमुथियारी, जब मैं खड़ा होऊं तो आपको बैठे रहना चाहिए। आपको नियम सीखने चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): उपाध्यक्ष महोदय, आप टाइम फिक्स कर दीजिए। *...(व्यवधान)* आप सबको दो-दो मिनट बोलने दीजिए क्योंकि और भी बहुत से इश्यूज हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्रीमती मीरा कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कह रही थी लेकिन उस पर इतना ज्यादा व्यवधान हुआ। मैं यह कह रही थी कि उन आदेशों को जारी करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। सारा सदन उसके विरोध में है। सारा सदन चाहता है कि वे आदेश वापिस हों। हमारे कुछ सांसद इसमें व्यवधान क्यों डाल रहे हैं, यह हमारी समझ में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं आ रहा है क्योंकि मैं जानती हूं कि इन्हीं लोगों ने कल धरने में भाग लिया था। यह पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इस देश के दलितों और आदिवासियों को उनका हक कैसे मिले, उनकी हजारों सालों से जो अपमानजनक स्थिति रही है, ...*(व्यवधान)* आप कृपया यहां दलितों और आदिवासियों का अपमान मत करिये। ...*(व्यवधान)* आप शांत रहिये। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मीरा कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमैंट था, उसका उल्लेख करके ये पांच आदेश जारी हुए हैं। उन्होंने उसे गलत इंटरप्रेट किया है और जानबूझकर अब तक जितने भी आफिस आर्डर्स, आफिस मैमोरंडम जारी हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि हमारे संविधान में जो आरक्षण है, उसे ज्यादा से ज्यादा लागू किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा दलित और आदिवासी लोगों को इसका लाभ पहुंचे लेकिन ये पांच आदेश इस मंशा के, इस नीयत के ठीक विपरीत जाते हैं। ये आदेश संविधान में प्रदत्त आरक्षण को कमजोर करते हैं, उसकी बुनियाद पर आघात पहुंचाने वाले हैं। मैं हमारी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी से पुरजोर मांग करती हूं। इस संबंध में कई बार प्रधानमंत्री जी से डेलीगेशन्स मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वे विवश हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि वे विवश न हों ...*(व्यवधान)* पूरा सदन उनके साथ है और वे किसी तरह की कमजोरी महसूस न करें। ...*(व्यवधान)* इन आदेशों को वापिस लें। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्रीमती मीरा कुमार : ये बार-बार उठकर क्या साबित करना चाहते हैं। हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि ये हमारे साथ हैं लेकिन ये बार-बार व्यवधान डालकर हमारे विश्वास को झकझोर रहे हैं। ये बार-बार ऐसा दिखा रहे हैं कि इस मुद्दे पर हमारे साथ नहीं रहना चाहते। हमारी एक मांग है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। इन्होंने कांग्रेस की चर्चा की है इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के समय में जब प्रमोशन और पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विपरीत जजमैंट आया था तब हमने संविधान का 77वां संशोधन करके उसे उलट दिया था। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वे भी ऐसा कदम उठाएं, जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन करें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के हकों की रक्षा के लिए इस आदेशों को वापिस लें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मुद्दे की कसौटी से देखा जाए तो यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनता है और इसे किसी राजनीतिक दल के मामले में रूप में नहीं लिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, संबंधित मंत्री सभा से जा चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, देशवासी भी देख रहे हैं कि कौन यहां उपस्थित है और कौन नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, संबंधित मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं ...*(व्यवधान)* यदि प्रधानमंत्री जी यहां होते तो बेहतर होता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि प्रधान मंत्री जी आयेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : परन्तु महोदय, संबंधित मंत्री महोदय को सबके विचार जानने के लिए यहां उपस्थित रहना चाहिए। वे इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चाक्को, वे सब इसमें रुचि ले रहे हैं। सभी लोग यहां मौजूद हैं। संबंधित मंत्री भी अपने कक्ष से सब कुछ सुन सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, सभा में इतने महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा चल रही है, अत: संबंधित मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जैसा कि ठीक ही कहा गया है कि जो मामला बहुत ही संवेदनशील हो और हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग से जुड़ा हुआ हो, उस ओर न केवल इस सभा को बल्कि सरकार को भी अति तत्परता से और समुचित रूप से ध्यान देना चाहिए। अत: इस मामले के महत्वपूर्ण होने के बारे में कोई शंका नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है और हम सब

भी इस विषय में चिंतित है। अत: संसद सदस्य के रूप में हमें इस मामले को उसी भावना से लेना चाहिए।

महोदय, बेहतर होता—मैं यह नहीं कह रहा कि यह एक पूर्ववर्ती शर्त है—चूंकि सभा में सभी वर्ग किसी कारणवश ही इतने उत्तेजित है, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को माननीय सदस्यों के विचारों को जानने के लिए आज यहां उपस्थित रहना चाहिए था।

मुझे ऐसा लगता है कि यहां दो पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर पिछली सरकार ने आदेश जारी किए थे। कुछ माननीय सदस्य कह रहे है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का गलत अर्थ निकाला गया है। किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता। पिछली सरकार ने भी उच्चतम स्तर पर कानूनी राय ली थी। अत: यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में कोई भी निर्णय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में खुद की धारणा के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस मामले पर समुचित ढंग से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। अत: मेरा यह अनुरोध है कि इस सरकार को भी कुछ समय दिया जाए।

इस वर्ष जनवरी में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अन्य माननीय सदस्यों के अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल थे, ने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ विस्तार से चर्चा की थी। अंतत: उनके साथ हुई चर्चा का ब्यौरा देते हुए 29 जनवरी को प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बूटा सिंह, श्री आर.वी. पासवान, श्री हनुमन्तप्पा, श्री गौतम, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लगभग सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री जी से भेंट की।

मेरे विचार में माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु समाधान खोजने के संदर्भ में इस ओर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए था। वे हमारे ही लोग हैं। इसलिये चुप रहने की अपेक्षा कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। उनके द्वारा दिया गया उत्तर पूर्णत: निराशाजनक था जो कि यह दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पर पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यही चीज आज समस्या उत्पन्न कर रही है?

मैं माननीय वरिष्ठ मंत्रीगण जो निस्संदेह मुद्दे से संबंधित है, से अपील करूंगा, मैं उन पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं किंतु महोदय, कुछ मामलों की ओर अन्यों की अपेक्षा जल्दी ध्यान देना होता है। 25 फरवरी को यह कहा गया था कि दिये गये निर्देशों को वापस लेना या उनमें सुधार करना अब संभव नहीं है। उसके बाद से प्रत्यक्षत: बड़ी संख्या में सदस्य विक्षुब्ध हैं।

इसीलिये मैं सदन के विचाराणार्थ नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये निर्णय की व्याख्या करने के लिये एक लघु समिति जल्दी ही गठित की जानी चाहिए जिसमें संसद सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाए। उच्चतम न्यायालय का निर्णय वापिस लिया जा सकता है या नहीं, इस संबंध में महान्यायवादी अथवा किसी अन्य की सलाह ली जा सकती है और समाधान खोजा जा सकता है। सरकार को उनके साथ सहयोग करना चाहिये। सरकार को इस संबंध में पहल करनी चाहिये।

यह एक दुखद: स्थिति है कि आज केवल 30% लोग ही इस मामले में चिंतित है—सदन का इस मामले में यह रुख है—कल चूंकि कोई दुखद: घटना घटित हो गई थी, इसलिये माननीय प्रधानमंत्री जी आज सदन में उपस्थित नहीं है, संबंधित मंत्री भी उपस्थित नहीं है। यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर उसी तरह ध्यान दिया जाना चाहिये।

मुझे विश्वास है कि श्री बूटा सिंह तथा अन्य मित्र इस मुद्दे के संबंध में एक समिति गठन करने के मेरे परामर्श को स्वीकार करेंगे। विपक्ष द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर जल्दी ही कुछ कदम उठाए जाएं जिससे कि जल्दी ही इस समस्या का कोई हल ढूंढ़ा जा सके।

आमतौर पर मैं समर्थन करता हूं किन्तु इस संबंध में दिये गये विभिन्न ज्ञापनों पर मुझे गंभीरतापूर्वक विचार करना है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है किंतु साधारणतया हम इस संबंध में जानते हैं और इस विषय में की गई मांग का समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस एस.सी., एस.टी. के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अभी हमारे तमाम सम्माननीय सदस्यों के विचार इस पर आये हैं। पूरा सदन, हर पार्टी के माननीय सदस्य इस पर चिन्तित हैं।

मुझे जहां तक ख्याल हैं, सभी पार्टियों के माननीय संसद सदस्यों की अनेक बार इस पर बैठक हुई है और सब ने इस पर आम-सहमति जताई है। ये जो पांच जी.ओ. जारी हुए हैं, पूरे देश के जितने भी एस.सी. एस.टी. के अधिकारी हैं, उनके प्रमोशन के मामले में ये बहुत ही खतरनाक है। समय-समय पर हमारी बैठकें भी हुई हैं, चाहे वह एस.सी. एस.टी. फोरम की बैठक हो या अन्य दलों के तमाम नेताओं ने अपने आवास पर भी इस बैठक को बुलाया हो। मैं यह नहीं करना चाहता कि इसमें पिछली सरकार का दोष है या किसका दोष है, लेकिन वर्तमान सरकार को एक वर्ष हो रहा है, इस विषय में तमाम सम्मानित सदस्य ...*(व्यवधान)* मिश्रा जी, एक मिनट बैठ जाइये।

इस विषय में तमाम माननीय सदस्यों ने, जैसा अभी हमारे सोमनाथ बाबू जी ने कहा, जो हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, तमाम पार्टियों ने कहा कि इस विषय में हम लोगों ने, सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने एक ज्ञापन सामूहिक रूप से प्रधान मंत्री जी को दिया था, लेकिन प्रधान मंत्री जी का जो रिप्लाई आया, वह संतोषजनक नहीं था। इसके पहले दिल्ली सरकार की बात आई थी, उसमें भी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया था, इसलिए पूरा सदन आज इस विषय में चिन्तित है। विभिन्न दलों के जो तमाम सदस्य बैठे है, कल धरने पर भी उपस्थित थे, भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य थे, सभी पार्टियों के सदस्य धरने पर बैठे थे, तब यह तय हुआ था कि कल सदन में यह बात पेश की जायेगी और इस विषय में माननीय प्रधान मंत्री जी इसका जवाब देंगे। यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसमें माननीय प्रधान मंत्री जी सदन में आकर सभी सम्मानित सदस्यों के विचार सुनें और अपनी बात स्पष्ट रूप से और संतोषजनक तरीके से कहें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा एस.सी. एस.टी. आयोग है, उसको संवैधानिक, ज्यूडिशियल अधिकार दिया जाये, पावर्स दी जायें। उसे अभी ज्यूडिशियल, संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए समय-समय पर जो भी आदेश होता है, उसकी कोई अनुपालना नहीं हो पाती। जिस तरह सरकार ने चुनाव आयोग को संवैधानिक, ज्यूडिशियल अधिकार दिये हैं, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति के आयोग को पावर्स देनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दल की तरफ से पुरजोर मांग करता हूं कि पांच पाइंट का जो जी.ओ. जारी हुआ है, सरकार उसे तत्काल रद्द करे और हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जितने भी अधिकारी हैं, उनको संवैधानिक तरीके से प्रमोशन का अवसर मिले। धन्यवाद।

श्री पीताम्बर पासवान (रोसेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको ही बुलाने जा रहा हूं। दल की सदस्य संख्या के आधार पर आपको अवसर मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम): महोदय, आप हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को उनकी दल संख्या के आधार पर बुला रहा हूं। कृपया इस बात को समझिए। इस तरह के आक्षेप मत लगाइये। आपका नाम सभापति तालिका में है। आपसे ऐसी आशा नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

श्री पीताम्बार पासवान : यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है। देश का बहुत बड़ा तबका, जो हजारों वर्षों से, सदियों से अपमानित और प्रताड़ित रहा है, जिसको संविधान निर्माताओं ने उनकी बेबसी और लाचारी देखकर आरक्षण का प्रावधान किया था, दलित और आदिवासियों के आरक्षण के उस अधिकार पर कुठाराघात हुआ है। चाहे जिस सरकार की वजह से हो, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, उसका दायित्व है कि ईमानदारी से गरीब तबका, जो कमजोर है, उसके अधिकारों की, हितों की रक्षा के लिए सोचे। बहुत दुखद बात है कि बी.जे.पी. के भाई कहते हैं कि दलितों और आदिवासी लोगों के मामले में हमारी सरकार बिल्कुल साफ-सुथरी है। लेकिन मैं इस पर प्रश्न चिह्न लगाता हूं। जब अनुसूचित जाति और जनजाति के हम सांसद और नेता उनसे मिले और ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए बाध्य हैं, कुछ नहीं कर सकते और अभी तक कुछ नहीं किया है। अगर आपके दिल में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति दर्द होता तो संसद में विधेयक लाते और इनके अधिकारों की रक्षा करते। बी.जे.पी. के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें बिहार में क्या हुआ। बिहार में हमारे दल की सरकार दलितों के लिए काम करती है, लेकिन कुछ मुट्ठीभर लोग दलितों का संहार करते हैं और दलितों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग जब इस सदन में दलितों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन यहां न तो प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं और न ही संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार क्या करे, वह बताएं।

श्री पीताम्बर पासवान : हम चाहते हैं कि इन पांचों आदेशों को रद्द करने के लिए यहां अध्यादेश लाया जाए। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाएं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री एम. राजैया (सिदीपेट): इस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा *...(व्यवधान)* सदन के समक्ष प्रस्तुत यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। आज हम अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संविधान में दिये गये अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये लोग किसी एक दल से संबंधित नहीं हैं अपितु सभी राजनैतिक दलों से सम्बन्धित हैं किंतु किसी भी दल को इस मामले का राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिये। यह मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अधिकारों का है। पिछली सरकार ने 5 कार्यालय ज्ञापन जारी किये थे जिससे न केवल कर्मचारियों बल्कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारों का भी हनन हुआ है। इससे कर्मचारियों की वरिष्ठता पर भी असर पड़ा है। इससे इस श्रेणी में बकाया रिक्त पदों की भर्ती पर भी असर पड़ा है। इस तरह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की काफी हानि हुई है और यही चर्चा हम इस सदन में कर रहे हैं।

हमारा दल हमारे राज्य में गरीब एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की सहायता कर रहा है। आज बहुत से लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय का भी हवाला दिया है। उनके पास निर्णय की प्रति अवश्य होगी। किंतु सरकार तथा प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का भली-भांति पठन कर उसके बारे में फैसला करें। मेरा दल इस बात पर बल दे रहा है कि इस संबंध में जारी किये गये सभी कार्यालय ज्ञापन वापस लिये जाएं। यही मेरा आग्रह है। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

***श्री महेन्द्र बैठा** (बगहा): उपाध्यक्ष जी, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यह बहुत बुरा है। 1997 में उनके पदोन्नति के आरक्षण को पांच सरकारी आदेशों द्वारा निरस्त किया गया, इन आदेशों को रद्द किया जाए। सरकारी कार्यालयों के आदेशों द्वारा तो यहां तक होता है कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को रिवर्ट करके जूनियर बना दिया जाता है। इससे दलितों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय होता है। इन पांचों आदेशों को वापस लिया जाए। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी से बात करके इस पर जवाब दें तथा ये पांच मैमोरेंडा जो हुए हैं, इन्हें विदड्रॉ किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, आपने कहा था कि आप सदन में दल के सदस्यों की संख्या के अनुसार बुला रहे हैं। क्योंकि आप संख्या के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको यह बता रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन में दल के सदस्यों की संख्या के अनुसार चल रहा हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : सी.पी.आई. के पांच सदस्य हैं और हम सात हैं...*(व्यवधान)* आप सदन में दल के सदस्यों की संख्या की बात कर रहे हैं। आप इस तरीके से, सदस्यों को बुला रहे है। इसलिए मैंने यह मामला उठाया है। श्रीमती गीता मुखर्जी को बोलने दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे दल के सदस्यों की संख्या अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां। मैं जानता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बहस में भाग लेने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। दलों का गणित बाद में भी निश्चित किया जा सकता है। अब हमें अपना ध्यान मुख्य प्रश्न की तरफ देना चाहिए।

मैं और मेरा दल श्री बूटा सिंह जी और अन्य सदस्यों, जो कि अलग-अलग राजनैतिक दलों से संबंध रखते है, के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत है।

अब प्रश्न यह है कि पांच सरकारी आदेशों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके नियुक्ति और पदोन्नति

आदि के महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर दिया है। इनकी वजह से वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नियुक्ति और पदोन्नति आदि में कई मुश्किले आएंगी। मैं वास्तव में यह नहीं जानती कि इन आदेशों के पीछे उच्चतम न्यायालय का आदेश था या नहीं। अगर ऐसा है तो हमें इस रोक को पार करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए, अगर जरूरी हो तो संविधान में कुछ संशोधन किया जाए या कुछ नए आदेश जारी किए जाएं। मैं यह ठीक से नहीं कह सकती कि इसे कैसे किया जाए। लेकिन, मेरे विचार में सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाईयों और बहनों को उनके अधिकार देने में और अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। संसद के सामने मेरा यह सुझाव है। मुझे उम्मीद है सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।

श्री वी. सत्यमूर्ति : महोदय, दलित वर्ग को न्याय दिलाना सरकार का कर्त्तव्य है। यह न्यायालय का कर्त्तव्य नहीं है। संसद द्वारा पारित कानूनों की रक्षा करने का कर्त्तव्य न्यायालय का ही है।

अब, यह आदेश जो वर्तमान सरकार या पिछली सरकार ने पारित किए थे, निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। यह 30 प्रतिशत दलित लोगों की आवाज है। देश के हर कोने में वह पिछले दो सालों से अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब, संसद का ध्यान इस ओर गया है। इस सरकार को यह जिम्मेवारी न्यायालय या पिछली सरकार पर नहीं डालनी चाहिए। यह मामला इस सरकार के हाथ में है। सरकार को इन आदेशों में हुई त्रुटियों को जल्द से जल्द सुधारने के लिए आगे आना चाहिए।

महोदय, अन्नाद्रमुक, की जो हमारी नेता हैं, डा. पुरात्तची थालैवी, वह हमेशा दलित वर्ग के आरक्षण के पक्ष में रही हैं।

इसलिए, अन्नाद्रमुक दल की ओर से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह शीघ्र कार्यवाही करे, यदि जरूरी हो तो संविधान में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाए। सभी दल इसका समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रमोशन के संबंध में जो बूटा सिंह जी ने सदन में सवाल उठाया है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी, जो इसको सपोर्ट नहीं करती है। मैं इससे भी आगे जाकर एक बात कहना चाहता हूं, जिस सोच को लेकर इस सदन द्वारा कानून बनाया गया है, क्या उन लोगों को इससे लाभ होता है? पचास वर्षों के बाद इसको रिव्यू करने की जरूरत है। बूटा सिंह जी ने 30 करोड़ का आंकड़ा दिया है, जो इससे प्रभावित हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या इन तीस करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचा है? मैं समझता हूं कि इस आधार पर व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि इकोनोमिक कंडीशन के आधार पर होनी चाहिए। अब तो किसान भी दलितों की सूची में आ गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो रिजर्वेशन में आ गए हैं। लेकिन हो यह रहा है कि आई.ए.एस. और आई.एफ.एस. श्रेणी के पांच प्रतिशत लोगों को ही इसका लाभ हो रहा है। जब यह स्थिति है, तो माइनोरिटीज को इसका लाभ कैसे पहुंच सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बारे में एक पार्लियामेंट की कमेटी बनानी चाहिए, जिससे तीस करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है और अमेंडमेंट करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

डा. विक्रम सरकार (हावड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण, अत्यावश्यक और संवेदनशील मामले पर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

सबसे पहले मैं अपील करता हूं कि 1997 से पहले जो आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध थी, उन्हें बहाल किया जाना चाहिए और हमें देश को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों आदि के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहिए। हमारा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री को कार्मिक विभाग आदि के पांच कार्यालय ज्ञापनों को मंसूख करके आज ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में एक नीतिगत वक्तव्य जारी करें। हम जानते हैं कि इसके लिए हमें संवैधानिक संशोधन करना आवश्यक होगा किंतु इसमें समय लगेगा। इसलिए मैं प्रत्येक उपस्थित सदस्य की ओर से अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस संबंध में अध्यादेश जारी करने के बारे में सोचना चाहिए।

संविधान की भावना और उपबंध बहुत ही स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार में आरक्षण मिलेगा। महोदय, यदि आप इस पृष्ठभूमि और आज व्याप्त स्थिति पर गौर करें तो पाएंगे कि विभिन्न श्रेणी की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व स्वाधीनता के 51 वर्षों बाद भी बहुत कम है सरकार ने रोजगार में उनके प्रतिशत

को जनसंख्या में उनके प्रतिशत के बराबर लाने के लिए अनेक बार रिक्तियों को भरने की मंशा जाहिर की। इसलिए यह उचित व न्यायसंगत है कि जब तक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या में उनके प्रतिशत के बराबर नहीं हो जाता, तब तक नियुक्तियों व पदोन्नतियों में आरक्षण जारी रहना चाहिए जैसा कि 1997 तक इन पांच कार्यालय ज्ञापनों के लागू होने से पूर्व था। इसलिए हमारी मांग है कि जिन पांच कार्यालय ज्ञापनों, का उल्लेख श्री बूटा सिंह जी ने किया है, उनका तत्काल निरसन लिया जाए।

कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक वक्तव्य देना चाहते थे किंतु हमने उनकी बात नहीं सुनी। अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से मेरी यही अपील है कि हमें इस बात को अन्य सब बातों से ऊपर रखना चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के मामलों को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए।

श्री टी.आर. बालू : उपाध्यक्ष महोदय, सभा एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रही है जो हर किसी के लिये चिन्ता का विषय है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन चिंता का कारण है। शायद सत्तारुढ़ पार्टी न्यायालय के आदेश के कारण बेबस है। यह उचित समय है कि हम सभी, चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के, दलगत नीति से उठकर एकजुट हो और देखें कि किसी तरह यह मुद्दा हल किया जाए और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के हमारे भाई-बहनों को बिना और समय गंवाए सामाजिक न्याय मिले।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित जो माननीय सदस्य हैं उनको यह जानकर दुख हुआ है कि इन लोगों को ...तीय संविधान के तहत परम पूज्य डा. बाबासाहेब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से जो रिजर्वेशन मिला, उस रिजर्वेशन को निष्प्रभावी बनाने के लिए या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन का पूरा लाभ न मिल सके, यह कोशिश की। 1997 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार केन्द्र में थी और कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन देकर उनकी सरकार को चला रही थी। 1997 में जो पांच आदेश रिजर्वेशन को निष्प्रभावी बनाने के लिए जारी हुए, मैं समझती हूं कि यह कार्य 1997 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने सही नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों को भी दलित और शोषितों के मामले में बहुत सजग रहना चाहिए।

महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रीय मोर्चे की गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन को निष्प्रभावी बनाने के लिए ये पांच आदेश जारी हुए तो कांग्रेस पार्टी के लोग न जाने क्यों कुंभकरण की तरह सो रहे थे, उनकी नींद बहुत देर के बाद खुली। लेकिन मैं इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देती हूं कि चलो उनकी नींद तो खुल गई। ये जो पांच आदेश जारी हुए हैं इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। हमारी मौजूदा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन पांचों आदेशों को वापस लिया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि रिजर्वेशन का मामला काफी गंभीर है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों से जुड़ा हुआ है। आज बी.जे.पी. की सरकार है, उससे पहले राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी और आगे किसी और की भी सरकार हो सकती है। रिजर्वेशन के मामले के साथ कोई छेड़ा-छाड़ी न कर सके, इसलिए इस मामले को यदि भारतीय संविधान के नीचे शेड्यूल में रख दिया जाए तो मैं समझती हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। इसके साथ-साथ मेरी एक रिकवेस्ट और है कि जब रिजर्वेशन के मामले पर चर्चा हो रही है तो मैंने यह महसूस किया है, क्योंकि मुझे देश के कोने-कोने में जाने का मौका मिला है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अंतर्गत जो जातियां आती है, ये एक सूबे या स्टेट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अंतर्गत आती है और दूसरे स्टेट में जाकर वे बैकवर्ड क्लास में शामिल हो जाती हैं। एक स्टेट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, जब वह दूसरे स्टेट में जाकर बैकवर्ड के नाम से कहलाती है तो उनको वह फायदा नहीं मिलता है। हमारी बहन ममता जी को भी इन चीजों का एहसास होगा कि बंगाल से जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग अपनी रोजी-रोटी के कारण उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके में आकर बसे तो उनको वहां रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा। जब हमारी सरकार थी तो हमने इस मामले को रिकमेंड करके केन्द्र की सरकार को इस संबंध में भेजा था कि इनको अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। ये एक स्टेट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में हैं और दूसरे स्टेट में नहीं हैं। इसलिए जब वे दूसरे सूबे या स्टेट में जाते हैं तो उनको रिजर्वेशन का पूरा फायदा नहीं मिलता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इसके ऊपर भी कोई कमीशन बैठाएं और इसकी जांच-पड़ताल कराएं। एक स्टेट में इन जातियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति का लाभ मिल रहा है, उनको दूसरे सूबे में भी मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम आपका समर्थन करते हैं।

कुमारी मायावती : मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। मेरा निवेदन है कि मौजूदा सरकार को इस पर फिर से सर्वे करना चाहिए क्योंकि जब एस.सी., एस.टी. की सूची बन रही थी, उस समय जातिवाद बड़े पैमाने पर देश में फैला हुआ था। ज्यादातर जातियां जातिवाद के कारण अपनी जातियां छिपाकर बैठी थीं, जिन्होंने अपनी जाति नहीं छिपाई वे तो उस शैड्यूल्ड में आ गयीं लेकिन बहुत सी जातियां उस शैड्यूल में शामिल नहीं हो सकीं। इसके लिए भी पूरे देश में आप फिर से एक बार सर्वे करवाएं कि जो जातियां एस.सी., एस.टी. की तरह से आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जैसे एक राजभर बिरादरी है जिसकी हालत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में एस.सी., एस.टी. की तरह आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में खराब है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि राजभर और ऐसी दूसरी पिछड़ी जातियों को भी जोकि उस शैड्यूल में शामिल होने से छूट गयी थी इन्हें शामिल करके आरक्षण का लाभ एस.सी., एस.टी. की तरह मिलना चाहिए। अंत में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि 1997 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जो आदेश जारी किये थे उन्हें वापस लिया जाए। आज यहां दोनों पूर्व प्रधान मंत्री जी बैठे हुए थे जिनके समय में ये आदेश जारी किए गये थे। एक बाहर चले गये हैं और एक बैठे हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनकी ऐसी कौन सी मानसिकता थी जिसके तहत इन्होंने ये आदेश जारी किये। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालन्धर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने सभा के विभिन्न वर्गों के सभी माननीय सदस्यों के विचारों को सादर सुना। मेरे विचार से जिस मुद्दे पर राष्ट्र एकमत है वह अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण का मुद्दा है। जैसा कि मेरे मित्र माननीय सोमनाथ चटर्जी ने कहा है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण कुछ कठिनाई पैदा हुई हैं, मैं उस बिन्दु पर बोलकर आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि केवल स्मरण शक्ति के आधार पर उस बारे में ब्यौरा देना उचित नहीं होगा। जब मैं प्रधानमंत्री था, उन दिनों हमने श्री पासवान की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और उस समिति ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण पैदा हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की थी। जैसाकि श्री बूटा सिंह ने कहा है, अध्यादेश का प्रारुप तैयार किया गया था और मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दे दी थी, मैं इस तथ्य में नहीं जा रहा हूं किंतु मैं चाहता था कि अध्यादेश जारी करने से पूर्व सरकार न गिरे। किंतु सरकार गिर गई, इसलिए इस संबंध में पहले से तैयार अध्यादेश हैं। मेरे विचार से सारी सभा की आवश्यकता व मांग को पूरा करने के लिए और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित कार्यालय ज्ञापन का मुद्दा इस देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, विशेष रूप से इन समुदायों के शिक्षित वर्गों के मन को उद्वेलित कर रहा है क्योंकि इन कार्यालय ज्ञापनों से सीधे प्रभावित होने वाले व्यक्ति वही हैं।

मैं सभा को उन कार्यालय ज्ञापनों के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं। हालांकि माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह ने उनका उल्लेख किया है और माननीय सदस्यों - श्रीमती गीता मुखर्जी व श्री सोमनाथ चटर्जी को सुनकर मेरा मानना है कि इस सभा को इन कार्यालय ज्ञापनों और उनके प्रभाव की पूरी जानकारी नहीं है।

30 जनवरी, 1997 को जारी किया गया पहला कार्यालय ज्ञापन अनुसचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिये निर्दिष्ट समयपूर्व और वरिष्ठता क्रम में नीचे होने के बावजूद पदोन्नति देने के बारे में है। इस ज्ञापन के अनुसार है:-

> "यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसी अभ्यर्थी को किसी आरक्षित रिक्ति पर आसन्न उच्च पद या ग्रेड में अपने सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग के वरिष्ठ अभ्यर्थी से पहले पदोन्नत किया जाता है, जिसे उक्त आसन्न उच्च पद या ग्रेड में बाद को पदोन्नत किया जाता है, तो सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी आसन्न उच्च पद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पहले पदोन्नत अभ्यर्थी से अपनी वरिष्ठता पुन: प्राप्त कर लेगा।"

इसका तात्पर्य है कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की पदोन्नति पहले होती है और सामान्य कोटि के अभ्यर्थी की पदोन्नति बाद को होती है, तो जब सामान्य
को पदोन्नति किया जाता है तो वह अपनी पूर्ववर्ती वरिष्ठता प्राप्त

करेगा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी तत्काल अपनी वरिष्ठता खो देगा। यह पहला कार्यालय ज्ञापन है जो लोगों के मन को उद्वेलित कर रहा है।

दूसरे ज्ञापन द्वारा रिक्ति आधारित आरक्षण के स्थान पर पद आधारित रोस्टर लागू कर दिया गया है जिससे समूह ग और घ के प्रवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती लगभग बंद हो गई है। दूसरे कार्यालय ज्ञापन का प्रभाव यह है।

तीसरे कार्यालय ज्ञापन से सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अर्द्ध अंकों में 5 प्रतिशत की छूट को समाप्त किया गया है। इस छूट को समाप्त करने से भारी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वे अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं जिन्हे स्तरीय शिक्षा सुलभ नहीं है। चूंकि इन अभ्यर्थियों की स्तरीय शिक्षा उपलब्ध नहीं है और वे इस स्तर तक नहीं पहुंचे है कि वे अन्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतियोगिता कर सकें इसलिए छूट के इस प्रावधान को जानबूझकर शामिल किया गया था। दुर्भाग्यवश, इस कार्यालय ज्ञापन के द्वारा यह छूट समाप्त कर दी गई है।

चौथे कार्यालय ज्ञापन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को समूह 'क' के निचले पदों तक ही सीमित किया गया है। भारत के संविधान में सतहत्तरवें संशोधन में इस सभा ने स्वीकृत किया था कि आरक्षण न केवल सेवा में प्रवेश के समय लागू होगा अपितु यह पदोन्नति में भी लागू होगा। संविधान का सतहत्तरवां संशोधन यही है।

अब उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय, जो सभरवाल विनिर्णय के रूप में जाना जाता है, के बाद प्रशासनिक मंत्रालय ने इस विनिर्णय की इस तरह से व्याख्या की है कि यह प्रोन्नति श्रेणी 'क' के पदों पर लागू नहीं है ...*(व्यवधान)* अब यह प्रश्न है।

जब श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यह आदेश दिए थे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि पिछली रिक्तियों को भरा जा सके। इस कार्यालय ज्ञापन द्वारा इसे रोक दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को कार्यकारी आदेशों द्वारा नियमित कर दिया गया है। हमने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए इस संसद में कोई विशिष्ट विधान पारित नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय उसकी व्याख्या पर निर्भर करता है और निश्चय ही व्याख्या हमेशा सही नहीं होती है। इसलिए मेरा अनुरोध केवल यह है कि यदि हमें इस समस्या का स्थायी हल निकालना है तो हमें एक विधान बनाना होगा।

इस संसद को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण अधिनियमित करना होगा। यदि हमने कार्यकारी आदेशों के अनुसार इसे विनियमित करने की नीति को जारी रखा तो हमें भविष्य में भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस समय सरकार के समक्ष इसका तत्काल हल निकालने का कार्य है। ये सभी कार्यालय ज्ञापन वापस लेने होंगे और पूर्वदत् स्थिति बहाल करनी होगी।

दूसरे, सरकार को एक विधान बनाना चाहिए। मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बात को पूर्णत: नहीं समझ पा रहा हूं कि इस समस्या को दूर करने के लिए एक अध्यादेश का मसौदा तैयार किया गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि यह वर्तमान समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक था। यह केवल उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय की व्याख्या करने और एक अन्य कार्यालय ज्ञापन जारी करने का प्रश्न था लेकिन यदि भूतपूर्व प्रधान मंत्री एक विधान की बात कर रहे हैं तो इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। इस समस्या का एकमात्र हल यह है और कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जब हम सत्ता में आयेंगे, हम इस समस्या को दूर करने के लिए एक विधान बनायेंगे।

श्री आर.एस. गवई (अमरावती): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में, मैं सच्चे दिल से यह कहना चाहता हूं कि मैं इस मुद्दे को राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता हूं। यह राजनीति से ऊपर है और मैं यह महसूस करता हूं कि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है।

महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी यह कार्यालय ज्ञापन वर्तमान सरकार की देन नहीं हैं। मैं इसे मानता हूं। तथ्य यह है कि हम इससे कैसे इंकार कर सकते हैं। यह वर्तमान सरकार की देन नहीं हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह भूतपूर्व सरकारों की देन है। ...*(व्यवधान)* मैंने ऐसा बेझिझक कहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भूतपूर्व सरकारों ने कुछ गलतियां की थी और वर्तमान सरकार जो बुद्धिमता तथा राजनीतिक सत्ता के समावेश का दावा करती हैं, इसे तर्कसंगत बनाये कि जो कुछ भी अनियमितताएं हैं वह भूतपूर्व सरकार द्वारा की गई है।

अत: महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। संविधान के मुख्य निर्माता, डा. बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि 'भारतीय संविधान में विनिर्दिष्ट उपाय और कुछ नहीं हैं बल्कि उनको समान स्तर पर लाने के लिए कानून की प्रतिपूर्ति है। यह उनकी गलती नहीं है कि उस समाज को समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया था।'

महोदय, उन्हें समान स्तर पर लाना हमारा कर्त्तव्य है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि कल माननीय प्रधानमंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम यहां इस पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय विभिन्न सरकारों द्वारा इस संबंध में जो भी कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए हैं उनकी व्याख्या माननीय श्री पी.ए. संगमा द्वारा की गई है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इन कार्यालय ज्ञापनों का भाव संविधान के प्रति अनादर है, विभिन्न न्यायालयों के विनिर्णयों का अनादर है, संसद के निर्णय का अनादर है।

अत:, यदि ये कार्यालय ज्ञापन संविधान की भावना का अनादर करने वाले हैं, सभा के निर्णयों की भावना का अनादर करने वाले है और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिर्णयों की भावना का अनादर करने वाले हैं तो निर्णय गुणावगुणों के आधार पर लिए जाने चाहिए। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। महोदय, मैं केवल एक कार्यालय ज्ञापन का उदाहरण देकर जिसने संविधान की भावना का उल्लंघन किया है, न्यायालय के निर्णय की भावना का अनादर किया है और इस माननीय सभा द्वारा लिए गए निर्णय की भावना का अनादर किया है, अपना भाषण समाप्त करूंगा।

महोदय, दिनांक 1.11.1990 के इस कार्यालय ज्ञापन को ही लीजिए। इसने सिंडीकेट बैंक के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, से संबंधित दिनांक 10 अगस्त, 1990 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भावना को अस्वीकार कर दिया है। इस विनिर्णय में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को प्रोन्नति में श्रेणी (क) अथवा वर्ग (क) के उच्चतम स्तर तक आरक्षण उपलब्ध है।

फिर दिनांक 13 अगस्त के एक अन्य ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ग I की वर्तमान प्रोन्नति नीति ने दो निर्णयों का उल्लंघन किया है।

तीसरा है 77वां संशोधन जिसे इस सम्माननीय सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था और जो संविधान के अनुच्छेद 16(4) से सम्बन्धित है, निम्न प्रकार है:-

> "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

यह कार्यालय ज्ञापन न्यायालयों के विनिर्णयों की भावना का अवमान करने वाला है, सभा की भावना का अवमान है और प्रशासनिक आदेशों का अनादर है। ये सभी कार्यालय ज्ञापन संविधान की भावना के विरुद्ध हैं।

मामला राजनीतिक इच्छा-शक्ति का है, जिसका यहां अभाव है। प्रधानमंत्री के पास राजनीतिक इच्छा-शक्ति है। मेरा प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा की जाए।

मैं श्री बूटा सिंह की राय का समर्थन करता हूं कि यह प्रशासनिक आदेश इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता। संसद द्वारा भर्ती, प्रोन्नति, आरक्षण, आरक्षण समाप्ति, इन रिक्त पदों को आगे लाने और सेवानिवृत्ति के संबंध में व्यापक अधिनियम बनाया जाना चाहिए और उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प. बंगाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

यह मेरी सुविचारित राय है कि एक बार संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अधिकारों को किसी भी तरह वापस नहीं लिया जा सकता।

मैं यह भी मानता हूं कि संसद उच्चतम तथा सर्वोच्च प्राधिकरण है और इस मामले पर विचार करने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में इस विधान को पारित करने के लिए सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है।

मैं श्री बूटा सिंह और श्री पूर्णो ए. संगमा के विचारों से सहमत हूं।

माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं। वह इस सभा को इस बात का आश्वासन देंगे कि इस मामले में सरकार बेहतर से बेहतर कार्यवाही करेगी।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर चर्चा की जा रही है क्योंकि इससे हमारी एक तिहाई जनसंख्या प्रभावित होती है। मैं श्री बूटा सिंह और इस सभा के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूं।

सत्तारूढ़ सरकार का कर्त्तव्य है कि वह जनसंख्या के कमजोर वर्गों के सभी वैध अधिकारों का संरक्षण करे। दलितों और आदिवासियों को कुछ लाभ मिल रहे हैं और वे हमेशा यह लाभ उठाना चाहेंगे। लेकिन जो राहत दायें हाथ से दी गई है वह बायें हाथ से ले ली गई है। मैं विश्व के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय, जिसकी जनसंख्या का 15 प्रतिशत भारत में है अर्थात् मुस्लिमों की दुर्दशा के संबंध में इस सरकार तथा इस सभा को अवगत कराने के इस अवसर का लाभ उठा सकता हूं। मुस्लिमों के लिए इस संविधान में पर्याप्त प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(4) में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के वर्ग के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। क्या मैं कह सकता हूं कि देश में यह अल्पसंख्यक जो जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत है इस देश के मुसलमान समुदाय का अत्यन्त छोटा वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए है? उन्हें भी आरक्षण का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के पश्चात् भी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व के प्रति सरकार का क्या रवैया है? मैं किसी भी प्रकार के विरोध की परवाह किये बिना यही कहूंगा कि यह बहुत निराशाजनक है कम से कम अब तो पिछड़े वर्गो और मुसलमानों के बारे में भी सोचें।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर विचार करे और मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन को वापस ले क्योंकि यह हमारे दलितों, अनुसूचित जाति और आदिवासियों को दिये गए लाभों के लिए नकारात्मक है।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी (मदुरै): महोदय, मैं संसद के सतर्क सदस्यों, विशेषकर अनुसूचित समुदायों से संबंधित सदस्यों को बधाई देता हूं कि वे इस मुद्दे को राष्ट्र के ध्यान में लाए। कल उन्हें सदन की कार्यवाही रुकवानी पड़ी क्योंकि वे जनवरी से इंतजार कर रहे थे कि सरकार कोई कार्यवाही करे। सरकार ने साधारण प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, जहां वे एक प्रतिनिधि मण्डल के रूप में प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्हें स्थिति में अवगत कराया था, के अनुरूप कार्य नहीं किया। कोई अनुगामी कार्यवाही नहीं की गई थी। अत: उनके पास इसे सदन के ध्यान में लाने के अलावा कोई अन्य विकल्प न था और वे कल इसे अत्यन्त प्रभावशाली रूप से सदन के सम्मुख लाए थे।

यह आरक्षण सवर्णों द्वारा अनुसूचित जातियों के प्रति कोई भूल सुधार अथवा रियायत नहीं है। यह 1932 में डा. बाबा साहब अम्बेडकर के साथ तत्कालीन महात्मा गांधी द्वारा किये गए सामाजिक समझौते का एक हिस्सा है। जब उन्होंने स्वेच्छा से अनुसूचित जाति की ओर में पृथक निर्वाचक मण्डल दिया था जिसको ब्रिटिश सरकार ने देश में लाने और देश को विभक्त करने का प्रयास किया था उस समय पूना पैक्ट करके महान बलिदान का कार्य किया गया और आरक्षण का प्रावधान हुआ। अत: आरक्षण ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम उन्हें दे रहे हैं। यह सामाजिक समझौते का अंग है और इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। इस सामाजिक समझौते का पालन करने की वजह से ही हम आज एक संगठित देश के रूप में हैं।

एक अन्य बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वह यह है कि श्री गुजराल ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से बता दिया है कि श्री राम विलास पासवान के नेतृत्व में एक उपसमिति का गठन किया गया था जो मामले का अध्ययन कर रही थी और उसने अध्यादेश तैयार किया है जिसं लगभग जारी किया गया था। सरकार के लिए काफी काम करने को हैं। प्रधानमंत्री को यहां घोषणा करनी है कि गुजराल सरकार द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश कल जारी किया जाएगा जब सभा सत्र में नहीं होगी। ...*(व्यवधान)*

श्री आर.एस. गवई : महोदय, हमें पहले अध्यादेश की जांच करनी होगी। हम अध्यादेश का अध्ययन किए बिना उसकी मंशा के बारे में कुछ नहीं कह सकते? ...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : अध्यादेश को जारी होने दीजिए। इसे हम सदस्यों पर छोड़ दे, उनसे अन्तर सत्र अवधि के दौरान परामर्श की जा सकती है। ...*(व्यवधान)*

श्री चारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, वे जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : लेकिन वह कहना चाहते है कि अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आपके सुझाव की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, अध्यादश का तो प्रश्न ही नहीं है। सभा के समक्ष विधेयक लाया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : महोदय केरल के सदस्य व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन कृपया बैठ जाइए।

डा. स्वामी, मैंने आपको कहा है आप उन्हें उत्तेजित नहीं कीजिए। आप समस्याओं को न्यौता दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन : जब सभा सत्र में हो तो कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इस सबके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है क्योंकि डा. स्वामी लगभग सभी कुछ बोल देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वामी कुछ भी कह सकते है। कृपया बाधा उत्पन्न मत कीजिए।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय ज्ञापन को शीघ्र वापस लेने की घोषणा कर सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि अवकाश के बाद जब सभा की बैठक होगी तो हम इस मामले को ठीक करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इस वजह से बोल रहा हूं, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। चूंकि मेरे सामने कांग्रेस के नेता भी मौजूद है और बी.जे.पी. के हमारे प्रधान मंत्री भी मौजूद हैं। इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं दिल की बात कहूं। जब मायावती जी बोल रही थी। शुरू से ही जब से मैंने होश संभाला तब से आज तक जितने मैम्बर्स बोले कि शायद यह पोलिटीकली एजेन्डा नहीं है। कल बूटा सिंह जी रास्ते में मिल गये थे। इन्होंने मेरे बांह पकड़ी और कहा कि आप भी एक मिनट के लिए खड़े हो जाइयेगा। मैं उनकी बात पर यहां खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात को सब लोग सुनें।

अपराह्न 2.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे अगर कोई गलती हो, तो मैं आप और सदन से पहले ही माफी मांग लेता हूं। जब से मैं राजनीति में पैदा हुआ हूं और आज जब हम 1999 में पहुंचे हैं, सभी मैम्बल बोलते रहे हैं कि कांस्टीट्यूशन में यह बदल दो, फलां चीज बदल दो। अटल जी कल बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता, लेकिन जो चीज मेरे दिल में हैं, वह मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर पार्लियामेंट और असैंबलीज में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन नहीं होता, तो आज उनकी क्या हालत होती? मैं रिजर्वेशन के बिलकुल खिलाफ हूं और इसके भी खिलाफ हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया, वह कर दिया, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। हम लोग 1999 में भी इसी लाइन पर चलेंगे, तो हमारा दिमाग कहां जाएगा, हम कहां जाएंगे, हर तरफ से यही कहा गया?

मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूं। खुशकिस्मती और बदकिस्मती से मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूं जिसको सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है। मैं जो कुछ बोलूंगा, वह दिल से बोलूंगा, आखिर पार्लियामेंट और असैम्बली में यह रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब का क्यों? अगर नहीं होता तो क्या होता? मैं समझता हूं कि मुश्किल से दो-चार आदमी चुनकर आते। आज बजाय इसके कि कांस्टीट्यूशन को देखें, हम अपने को क्यों नहीं देखते हैं? मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आज इतने साल के बाद भी हमको नजर नहीं आता कि किसी जनरल सीट से कोई शेड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी जीतकर आया हो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : डा. विक्रम सरकार कहां है। मैं उन्हें दिखा सकती हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आर.एस. गवई : मैं आया हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): सर, हमारे महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है।

श्री अब्दुल गफूर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि ममता जी कह रही हैं कि उनके प्रदेश में ऐसा हुआ है, लेकिन जो हिन्दुस्तान की हालत है, कई दिनों तक सुनते रहे कि फलां कम्युनिटी को वोट लेने के लिए खुश मत करो, मैं उस लाइन में नहीं जाना चाहता हूं, बल्कि मैं आप लोगों के सामने कहता हूं कि न ममता बनर्जी उठेगी, न मायावती जी उठेगी, न काशी राम उठेगा, न समता पार्टी उठेगी, न सी.पी.आई. और सी.पी.आई.एम. उठेगी, हर पौलिटकल पार्टी को सारे वर्ल्ड में दिखलाने के लिए हम लोगों को कुछ कर लीजिए, रिजर्वेशन के बगैर हर पालिटिकली पार्टी, रिजर्व कैंडीडेट खड़ा करे और उसे जिताए, तो उसे सबसे अच्छी पार्टी माना जाएगा। मैं ममता बनर्जी को कांग्रेचुलेट करता हूं कि वे इस लाइन में आगे गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज मुझे याद है, जब एक दुर्घटना हुई थी, तो उस समय जब उठकर वे खड़े हुए, तो इन्होंने एक शब्द कहा, जिससे मेरे दिल और दिमाग के बारे में जो आइडिया था, वह बिलकुल बदल गया। एक शख्स बी.जे.पी. की तरफ से खड़ा हो, जो लीडर आफ दि अपोजीशन हो, वह खड़ा होकर कहे कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। महोदय, मुझे बेहद शर्मिन्दगी है, दोषी लोगों को सजा होनी चाहिए। आज कुछ लोगों की बदकिस्मती होगी। वे यहां बैठे हैं और इस मुल्क के प्रधान मंत्री हैं, जब ये पाकिस्तान गए थे, तो कुछ लोगों के दिल में दर्द होने लगा कि अटल जी और नवाज शरीफ जी की बातचीत चल रही है और हिन्दुस्तानी और पाकिस्तान की दोस्ती हो रही है। दिल में हौल पैदा हो गया कि अब किधर जाएंगे। सैकुलरिज्म का दावा मेरी मुट्ठी में है। अटल जी बड़े नेता हैं, ये बी.जे.पी. के साथ हैं। ये बी.जे.पी. के साथ हैं इसलिए यह सब बातें होने लगी। *...(व्यवधान)* मैं उनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां बोल रहे थे तब एक दुर्घटना हिन्दुस्तान में हुई थी। मैं सोच रहा था कि ये उठेंगे और बोलेंगे कि अटल जी आप गलत बोल रहे हैं लेकिन एक भी आदमी नहीं उठा। *...(व्यवधान)* एक ऐसे आदमी जिसके ऊपर आपकी और हमारी हमेशा नजर रहती थी, मैं यह नहीं कहता कि आप ही इसमें थे, मैं भी था। मेरे दिमाग में बात होती थी। *...(व्यवधान)* मैं कांस्टीट्यूशन में नहीं जा रहा हूं जैसे हमारे संगमा जी उसकी बारीकियों के बारे में बोल रहे थे। मैं उन बारीकियों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आप यह तय कर लेंगे तब इस देश की सारी बलाएं दूर हो जाये और एक नया हिन्दुस्तान होगा। हर पोलीटिकल पार्टी के मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, मैम्बर ऑफ असेम्बली से कहिये कि अब वक्त बदल गया है, आप महाभारत और रामायण की पुरानी बातों को भूल जाइये। अब हम नयी दुनिया में आये हैं, नया हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हर पोलीटिकल पार्टी अपने पांच दलित या आदिवासी सदस्यों को जनरल सीट से जिताकर दिखाये तब एक भी शैड्यूल्ड कास्ट्स या दलित यह नहीं कहेगा कि हमें यह चाहिए या वह चाहिए। इससे हिन्दुस्तान का पूरा नक्शा बदल जायेगा। मुझे उम्मीद है कि श्री वाजपेयी जी जब बोलेंगे, मैं उनका वक्त जाया नहीं करना चाहता। श्री वाजपेयी जी आपके सामने इस मुल्क ने ऐसा मौका दिया है जब आप उन सब बुराइयों को, जो हमारे दिमाग में घुसी हुई हैं, दूर कर सकते हैं। इससे आपका नाम वर्ल्ड में बहुत ऊंचा उठ जायेगा जैसे महाभारत की लड़ाई में बड़े-बड़े लोगों का था। सारे दलित चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बी.जे.पी. में हों या समता पार्टी में हों, उनकी जुबान बंद हो जायेगी। आज सुश्री ममता बनर्जी ने उस काम को करने का काम किया है। *...(व्यवधान)* आप न बोलियो तो अच्छा है। *...(व्यवधान)* मैं तो सलाह दे रहा हूं और आप भी इस सलाह में आ जाइये। आपको मौका मिला है। *...(व्यवधान)* यह तो लीडर का काम है। मुसलमानों के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता था। आप उन छोटी-छोटी बातों को छोड़ दीजिए *...(व्यवधान)* किसी का पी.ए. या क्लर्क मुसलमान हैं तो आप उन्हें रखिये। *...(व्यवधान)* जब तक इस दिल से नक्शा नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसी तरह लोग कन्वर्शन पर डिबेट के लिए कह रहे थे। इसमें क्या डिबेट होगी? आप अजमेर जाइये। *...(व्यवधान)* ख्वाजा साहब ने कहा है कि कन्वर्शन से काम नहीं चलेगा, दिल में प्यार होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चाचा, अब आप पी.एम. को भी सुन लीजिए।

श्री अब्दुल गफूर : आप अच्छा काम करिये। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कभी बुराई से न देखे और न सोचे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब जवाब देंगे तब इन सारी चीजों को देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं अपने दल, केरल कांग्रेस दल की ओर से यहां व्यक्त किये गए विचारों और संवेदनाओं के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। यह सच है कि

विभिन्न कानूनों की ही तरह संविधान की व्याख्या करते हुए न्यायालय सभा में कई बार व्यक्त किये गए विचारों को ध्यान में नहीं रखते। मुझे कहते हुए खेद होता है कि संविधान और संसद द्वारा बनाए गए अन्य कानूनों के मार्फ़त इस देश के लोगों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों से न्यायालय सामंजस्य नहीं रखता है। अत: मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के खिलाफ तैयार किए गए सभी कार्यालय ज्ञापन को शीघ्र वापस लेने का प्रयास करे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एस.सी., एस.टी. फोरम के अंदर निर्णय किया गया था कि कल पूरे दिन चर्चा हो और हाउस चले। कल माननीय प्रधानमंत्री जी दो बार हाउस में आए और बोलना चाहते थे। अगल कल चर्चा शुरू हुई तो हम अपना दुख-दर्द अच्छी तरह रख सकते थे। कल पूरा दिन बिगड़ा और आज जल्दी हो रही है। कल राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, कल राजनीति हुई। भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्टियों के सांसदों ने निर्णय किया था कि एक बार हाउस एडजर्न हो गया, ठीक है लेकिन दुबारा अच्छी तरह चले। आज हम पूरी बात नहीं कह पाएंगे, आप हमें शुरू करते हुए देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा।

आज यह दिन और समय क्यों आया? क्यों सभी पार्टी के लोग इकट्ठे होकर इस ओ.एम. को निकालने की बात कर रहे हैं? जब यह जहर का बीज बोया गया, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री गुजराल साहब थे, श्री देवेगौड़ा जी थे, अपने आपको दलितों के नेता मानने वाले श्री राम विलास पासवान थे, हमेशा नैक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर रहने वाले श्री बूटा सिंह जी भी लीडर रहे हैं। तब सब चुप रहे। तब जो जहर का बीज बोया गया, यदि उस वक्त न बोया गया होता तो यह कानून बन सकता था। उस वक्त प्रमोशन और रिजर्वेशन में दलितों का जो अहित हुआ, चार साल से दलित परेशान रहे, नौकरी में जो दुख सहे, उसके लिए ये सब बुजुर्ग जवाबदार है। ...*(व्यवधान)* गलती ये करें और ताने हम सुनें। ...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समय मेम्बर भी नहीं था जब कि ये बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इन्हें सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : यह पचास साल की बात है। ...*(व्यवधान)* आज आप शैड्यूल में डालना चाहते है। कांग्रेस का पचास साल से राज रहा है, इससे पहले शैडयूल में क्यों नहीं डाला। ...*(व्यवधान)* क्यों सुधार नहीं हुआ? ...*(व्यवधान)* गलती आप करें और ताने हम सुनें। ...*(व्यवधान)* दलितों की हत्याएं आप करें ...*(व्यवधान)* अपमान हम सहें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कल की बात भूल जाइए, आज की बात पर आ जाइए।

श्री कांतिलाल भूरिया : इतने दिनों से जो मुद्दा पड़ा है, उसे आप क्लीयर क्यों नहीं कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, प्लीज इन्ट्रप्ट मत कीजिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : जब ओ.एम. पास हुए तब कांग्रेस और अन्य सब लोग चुप रहे। भाजपा के दलित सांसदों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार के समय में यह अच्छा काम होगा। दलित पचास साल से निराश थे। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवि रहने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बने तो दलितों की बात पूरी होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सभी पक्ष से ज्यादा एस.सी., एस.टी. के सांसद हैं। यदि भाजपा दलितों की हमदर्द न होती, दलितों की विरोधी होती, मनुवादी होती तो भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे सांसद कभी विजयी नहीं होते। ये विजयी हुए इसका प्रमाण है कि यह पार्टी दलितों के हितों का संरक्षण करने वाली है। ...*(व्यवधान)*

जो ओ.एम. निकले हैं, उसके कारण प्रमोशन और रिजर्वेशन की सुविधा समाप्त हो गई है। इससे दलित में, कर्मचारी वर्ग में बहुत अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट 16.11.92 को हुआ था और पुराने रूल के मुताबिक 16.11.97, पांच साल तक लागू था यानि प्रमोशन के लिए सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन जुलाई 1997 से वह सुविधा खत्म हो गई जिसके कारण आज कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग पर असर हुआ है। इसलिए ओ.एम. निकलने चाहिए, यह हम भी कह रहे हैं। जो लॉ कंसीड्रेशन के कारण बदल गया है, इसके साथ-साथ मंडल कमीशन की सिफारिश संबंधी जजमैंट जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करना था तब कांग्रेस ने नहीं किया। मंडल कमीशन ने गलत दिशा दी, वहां एस.सी., एस.टी. की बात ही नहीं थी। उस वक्त अन्याय हुआ। उस समय हम विपक्ष में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, हमने सहयोग किया और बाद में कांग्रेस ने अमैंडमैंट किया, बाद में संशोधन किया। तब भी भाजपा ने विरोध नहीं किया, भाजपा कभी दलितों के विरोध में नहीं रही, भाजपा हमेशा दलितों के साथ रही, दलितों का उत्थान करना चाहती है। परिणामस्वरूप बार-बार जो नई-नई

स्कीमें आ रही हैं, वे सब जान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमैंट दिया था, उससे आगे जाकर ओ.एम. निकाले गए हैं। उस जजमैंट में साढ़े बाइस प्रतिशत रिजर्वेशन कोटा पूरा करने की बात, 40 प्वाइंट रोस्टर 200 प्वाइंट तक ले जाने की बात थी लेकिन डी.ओ.पी.टी. के कारण 200 प्वाइंट का रोस्टर निकाला गया। अभी तो पुराना रोस्टर पूरा भी नहीं हुआ और 200 पॉइंट्स का रोस्टर निकल गया। आपको बैकलॉग भरना था, लेकिन किसी ने नहीं भरा। क्या वह भाजपा ने नहीं भरा? इन लोगों के कारण बैकलॉग खाली रहा, 50 साल तक अगर बैकलॉग पूरा होता तो आज ये 25 हजार जगह और दो लाख जगह जो खाली है, वे जगह खाली न रहती। इसके लिए जवाबदार ये हैं, जिम्मेदार ये हैं। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उनकी सब गलतियां सुधारेगी। बहुत सारे मैम्बरो ने कहा कि गलतियां पुरानी सरकारों ने कीं, सुधारेंगे हम, क्योंकि हमारे पास कवि हृदय प्राइम मिनिस्टर हैं। ''घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोय।'' कवि में दया है और कवि वही बन सकता है, जिसके दिल में हमदर्दी हो, दया हो, बाकी सब कवि नहीं बन सकते, सब नेता बन सकते है।

जो माननीय संगमा जी ने कहा, मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि 70वें संविधान संशोधन में जो परोक्ष रूप से आरक्षण की बात की थी, उसको ढीला करने के लिए डी.ओ.पी.टी. द्वारा ऑर्डर निकाला गया, यह इसको हल्का करने के लिए निकाला गया। इसके कारण क्या हुआ कि ग्रेड 'ए' से लेकर निम्न स्तर तक रिजर्वेशन की ऐसी बात हो गई।

माननीय प्रधान मंत्री जी से हम सब लोग मिले थे, भाजपा के सभी एस.सी., एस.टी. के सांसद मिले थे, हमने इस बारे में इनको रिक्वैस्ट की तो इन्होंने उसी दिन कह दिया था कि जब भी मौका आयेगा, हम आपका समर्थन करेंगे और आपके दुखदर्द दूर करेंगे। वे इसके लिए पहले से तैयार थे, आज इनके कहने से तैयार नहीं हो रहे हैं। जो संविधान का नाइंथ शैड्यूल है, उसमें स्थान देकर इसको मजबूत बनाना चाहिए। ऐसी हमारी भाजपा के सांसदों की भी मान्यता है, जिसमें जो कोर्ट के द्वारा बार-बार दखलंदाजी होती है, वह दखलंदाजी न हो और हमेशा के लिए दलित और आदिवासी लोग सुरक्षित रहे। जो नियम दलितों के खिलाफ है, उसे वापस लिया जाये। एक नियम तो ऐसा है, जो दलितों के फेवर में है, माननीय प्रधान मंत्री जी से हमने प्रार्थना की तो उन्होंने हमें बताया कि वह हमारे समर्थन में है, उसे रखा जाये और जो दलितों के खिलाफ है, उसे निकाला जाये, यह हम चाहते हैं।

अन्त में मैं चार पंक्ति कविता की बोलकर अपनी बात पूरी करूंगा:

''प्रधान मंत्री थे गुजराल, रिजर्वेशन के मामले में,
.....*
आज एस.सी., एस.टी. बने है बेहाल, भाजपा कर देगी,
एस.सी., एस.टी. को निहाल।
प्रधान मंत्री थे देवगौड़ा, उन्होंने रिजर्वेशन को भी नहीं छोड़ा,
और डाल दिया रिजर्वेशन में बड़ा रोड़ा,
लेकिन अटल जी का दिल है बहुत बड़ा, वे जरूर हटाएंगे,
बीच में पड़ा रोड़ा।''

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मुझे इस पर घोर आपत्ति है। मैं समझता हूं यह अपमानजनक और तथ्यों के विपरीत है। हमें बदनाम करने का भी यह सोचा-समझा प्रयास है। अत: मैं आपसे अपील करता हूं कि इसे सभा के कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैं आपसे जोरदार सिफारिश करता हूं कि इसे कृपया कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दीजिए। ये व्यक्तिगत अपमानजनक टिप्पणियां है और इसे कार्यवाही वृत्तांत में बने नहीं रहने देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): इसको कार्रवाई से हटाया जाये वह अनियमित है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): इसमें पर्सनल हमले की क्या जरूरत है। *...(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष जी, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। यह मैंने किसी के अपमान के लिए नहीं बोली, इसलिए इसका बुरा न माना जाये। *...(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह हिन्दी में है और इसके अलावा यह कविता है। और आप मेरे हिन्दी के ज्ञान को जानते है। मैं इसकी जांच करूंगा। यदि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक अथवा अपमानजनक हुआ तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालने का प्रयास करूंगा।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बूटा सिंह और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय श्री संगमा जी के द्वारा व्यक्त किये गए विचारों का पूरी तरह समर्थन करता हूं सिवा इसके कि ''जब कांग्रेस सत्ता में आएगी'' क्योंकि मैं नहीं जानता कांग्रेस कब सत्ता में आएगी।

आपको स्मरण होगा कि पिछले सत्र में हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के 30वें प्रतिवेदन में चर्चा कर रहे थे और यह प्रश्न उस समय भी उठा था लेकिन वह चर्चा पूरी नहीं हुई है क्योंकि अ.जा. और अ.ज.जा. से संबंधित मामले इस माननीय सदन में इतने महत्वपूर्ण नहीं है।

मैं समझता हूं हम यह स्वीकार करेंगे कि चाहे यह दल हो अथवा वह दल हो जब कभी भी अ.जा. और अ.ज.जा. का मुद्दा सदन में चर्चा के लिए आया है केवल थोड़े से सदस्य ही सदन में उपस्थित होते हैं। इससे पता चलता है कि हम इस बारे में गम्भीर नहीं है हम इसे कोई महत्व नहीं देते हैं और यह मामला लटका रखा है। आज स्थिति यह है।

संविधान के अनुच्छेद 16, 16(क), 335 और 338 के अनुसार अ.जा. और अ.ज.जा. के लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिये गए है। इन पांच आदेशों के द्वारा उन्हें कम किया गया है। श्री पी.ए. संगमा ने ठीक ही कहा है कि इसे संविधान की नौवीं अनुसूची के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। इस मामले को पहले ही लटकाया गया है। इसे और लटकाया नहीं जाना चाहिए।

अत: मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री को 1997 में जारी किये गए 5 आदेशों को रद्द करने का तुरन्त निर्णय लेना चाहिए और इसे संविधान की नौवीं अनुसूची के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, मुझे कोई भाषण नहीं करना है, सिर्फ एक बात कहनी है। प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मेरा यह मानना नहीं है कि दलितों और जनजाति भाइयों की सर्विसेज में आरक्षण के मसले पर मौजूदा सरकार और प्रधान मंत्री जी ने इस तरह की हिस्सामारी की है। जब मैं मुख्य मंत्री था तो मुझे भी दलितों और आदिवासी भाइयों के बीच इसी तरह से फेस करना पड़ा था। लोग कोर्ट में चले गए, पंजाब हाई कोर्ट का फैसला आया और भी कई कोर्ट्स के फैसले आए उसके अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए सर्विसेज में कैरी फार्वर्ड परमोशन की पुरानी व्यवस्था थी, सुविधा थी, उन तमाम चीजों को समाप्त कर दिया गया। हर राज्य सरकार को संसूचित किया गया। हर राज्य सरकार ने हर विभाग को संसूचित किया। इस सवाल को लेकर बहुत जगह ला एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ गई। जिन बातों को बूटा सिंह जी ने सदन में रखा, वे मेन्डेट आफ दि कांस्टीट्यूशन हैं, इससे हम बंधे हुए हैं। अब इससे विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। हर कार्यालय में यह बात पहुंच गई है। संसद में भी इस बात को लेकर दो दिन तक हंगामा हुआ। हम इस सदन में आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। देश के सामने और राज्य सरकारों के सामने विधि व्यवस्था की समस्या प्रबल हो सकती है। समाज में घुटन और टूटन की सम्भावना हो सकती है। हमारा मानना है दलित और आदिवासी भाई जो सर्विस में परमोशन पाते थे, जिनका परमोशन हो गया था, उनको भी डाउन ग्रेड कर दिया गया है। जो चीफ इंजीनियर बन गए थे, उनको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बना दिया गया, इस तरह से ये सारे लोग अपमानित हुए हैं। सदन में सवाल न्यायालय के जजमेंट का है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट की सर्वोच्चता का है। मैं मानता हूं कि संसद सर्वोच्च है। अगर न्यायालय एक निर्णय देता है, हम प्रधान मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यह सवाल एक दिन का नहीं है, यह काफी दिनों तक चलेगा। हम इसको सिंगल आउट करके नहीं देखना चाहते। सामाजिक न्याय की बात चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हो, सेवाओं में आरक्षण की बात हो, वूमैन रिजर्वेशन का सवाल हो, इन चीजों से इन लोगों पर हम आघात मानते हैं। इस देश में बरसों से ज्यूडिशियरी में रिजर्वेशन की मांग तेज हो रही है। हम नहीं मानते कि यह सवाल सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का है। जब भी इन लोगों के लिए और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए सुविधा की घोषणा होती है तो बच्चों के मुखों पर तेजाब फेंका जाता है, बसों और ट्रेन्स को जलाया जाता है। हम यह नहीं चाहते कि जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं। जो बैंक-बैंचर्स हैं, जो अंतिम कतार पर बैठा हुआ इंसान है, उस इंसान को मेन-स्ट्रीम में लाना सभी पोलिटिकल पार्टीज का धर्म और कर्त्तव्य है। इस पर कोई टीका-टिप्पणी नही करना चाहता। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आशा और उम्मीद करता हूं कि जब आप बोलने लगें तो आज ही, अभी आप इसे विदड्रॉ करें और इसे समाप्त करके लेजिस्लेशन के रूप में लाएं। सभी पोलिटिकल पार्टीज आपको लेजिस्लेशन में पूरा समर्थन करेंगी। इस सवाल को टाला नहीं जाए, इसका जवाब दिया जाए।

प्रो. रीता वर्मा : थोड़ा सा चंपा विश्वास और उसके पति के बारे में भी बता दें कि उस दलित आई.ए.एस. ऑफिसर और उसकी पत्नी के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माताओं की इस देश की सामाजिक व्यवस्था में असमानता को दूर करने की चिंता संविधान की उद्देशिका में देखी जा सकती है। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र से यह वचन दिलाया कि हम समानता और अवसरों की समानता लाएंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए ताकि अन्ततः समाज में समानता आए। मैं कुछ दुख के साथ कहता हूं कि कठिनाई यह है कि जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जो सहानुभूति संविधान निर्माताओं में थी यह कम हो रही है। इन वर्गों के प्रति वह सहानुभूति आज नहीं है जो पहले हुआ करती थी और मेरे विचार से इन वर्गों के प्रति इस सहानुभूति के अभाव के कारण आज समाज में जटिलताएं पैदा हो रही हैं।

यह कहने के बाद प्रश्न उठता है कि अब इस मुद्दे को क्यों उठाया गया है, मेरे कुछ मित्रों ने सही कहा है कि यह मामला 1997 से यहां पड़ा हुआ है? इस मुद्दे को अब क्यों उठाया गया है। तथ्य यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संगठनों का परिसंघ इन पांच कार्यालय ज्ञापनों को गृहमंत्री के ध्यान में लाया और वह चाहता है कि या तो इन्हें वापस लिया जाए या उनमें संशोधन किया जाए। और जब उन्हें कोई सहानुभूतिपूर्ण उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाया और मैं इस मुद्दे को माननीय प्रधानमंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर गौर न किया हो—हालांकि निश्चित तौर पर कार्मिक विभाग शायद उनके अधीन है, 25 फरवरी, 1999 को इस संसद को बताया गया कि सरकार इन कार्यालय ज्ञापनों को वापस नहीं लेगी, इनमें संशोधन नहीं करेगी। इससे सभी सदस्यों में कुछ रोष पैदा हो गया।

महोदय, इस संबंध में विशेषरूप से प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर मिल गया है। संभव है कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर गौर न किया हो। किंतु यह आधिकारिक स्तर पर ही तैयार किया गया होगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री पर दोषारोपण करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। किंतु अधिकारियों द्वारा ऐसा उत्तर तैयार करने से स्पष्ट है कि इन वर्गों के प्रति उनमें कितनी कम सहानुभूति है। माननीय प्रधानमंत्री जी मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। मैंने उच्चतम न्यायलय के निर्णय का विशेष रूप से अध्ययन किया है। हर बात के लिए उच्चतम न्यायालय को दोष देना सही नहीं है। किंतु मैं इस बात से सहमत हूं कि समाज में सहानुभूति की कमी ऊपर से नीचे आ रही है, मैं इससे परे नहीं जा रहा हूं। किंतु यदि आप पहले कार्यालय ज्ञापन पर गौर करे तो यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारी की वरिष्ठता का निर्धारण करता है जिसे उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है और वरिष्ठता में नीचे रखा गया। हालांकि वह पहले पदोन्नत किया गया किंतु उसे वरिष्ठता क्रम में सामान्य श्रेणी के व्यक्ति से नीचे रखा गया है।

महोदय, यह कार्यालय ज्ञापन संविधान के सतहत्तरवें संशोधन के विरुद्ध है जिसके द्वारा विशेष रूप से अनुच्छेद 16(4क) जोड़ा गया ताकि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति दी जाती है तो उनकी वरिष्ठता बनाई रखी जाए। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। संविधान हर बात से ऊपर है। यहां क्या हुआ था? जब यह कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था तो उस समय सभरवाल का निर्णय आ गया था, सभरवाल के निर्णय के आधार पर यह कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। बाद में स्थिति की बिडम्बना देखिए एक अलग निर्णय भी आया और उस निर्णय का उल्लेख करने के लिए तैयार हूं जिसे एक बड़ी न्यायपीठ ने दिया तथा जो पहले के निर्णय अर्थात् 5 मई, 1997 के निर्णय से सहमत नहीं थी, यह कार्यालय ज्ञापन जनवरी, 1997 का है। 5 मई, 1997 को वह निर्णय आया और सरकार अपने पहले के आदेश की समीक्षा नहीं करना चाहती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि यदि जगदीश लाल के निर्णय पर गौर किया जाता है, तो मैं इसे उद्धृत करने के लिए तैयार हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, आज बैठक का अंतिम दिन है। अनेक मुद्दों पर चर्चा की जानी है। वे पत्रों से उद्धृत कर रहे है। मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रही हूं। मैं केवल माननीय उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवशंकर, संक्षेप में बोलिए।

श्री पी. शिवशंकर : महोदय मैं संक्षेप में कहूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

इस मुद्दे के महत्व, इसकी संवेदनशीलता, इसके प्रभावों को देखते हुए यदि मुझे तीन-चार मिनट नहीं दिए जाते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि 7 मई, 1997 को जगदीश लाल के मामले का निर्णय हुआ। इस मामले में दूसरे मामले से बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण अपनाया गया है। उस पर विचार किया जाना चाहिए था किन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। दूसरा प्रश्न अर्थात् 2 जुलाई, 1997 के दूसरे कार्यालय ज्ञापन कोटा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के प्रतिशत के बारे में है।

महोदय, 1997 से पहले रोस्टर में अनुसूचित जाति को क्रमांक 1 अनुसूचित जनजाति को क्रमांक 2 और इन वर्गों को पदोन्नति के लिए क्रमांक 4 दिया गया है। अब क्या हुआ है कि इस कार्यालय ज्ञापन ने अनुसूचित जाति को क्रमांक 1 से क्रमांक 7 पर, अनुसूचित जनजाति को क्रमांक 3 से क्रमांक 14 पर ढकेल दिया है और पदोन्नति का क्रमांक और पीछे चला गया है। इस संबंध में आपत्ति यही है। हम कह रहे हैं कि 1997 से पूर्व की स्थिति बनाए रखी जाए। कहा क्या जा रहा है यदि आप अन्य कार्यालय ज्ञापनों को देखे किंतु मेरा कहना है कि अन्य कार्यालय ज्ञापनों का कोई महत्व नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें पांच अंकों का अधिमान दिया गया था। सभरवाल का निर्णय उस सीमा तक नहीं गया। फिर यह कार्यालय ज्ञापन क्यों जारी किया गया। यह इन वर्गों के प्रति सहानुभूति के अभाव को दर्शाता है। साथ ही अनुच्छेद 16(4)(क) स्पष्टत: कहता है:

> ''कि जब अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को पदोन्नत किया जाए तो सभी पदोन्नतियों में उसकी वरिष्ठता बनाई रखी जाए।''

संविधान का सतहत्तरवां संशोधन यह कहता है प्राधिकारी यह बात कहां से कहते हैं कि समूह क में यह लागू नहीं होगा। उसका तात्पर्य है कि आप नहीं चाहते कि विशेष वर्गों में वे बिलकुल न आएं।

यदि वे समूह 'क' में आते हैं और उन्हें अपनी वरिष्ठता मिलती है तो इसका तात्पर्य है आप वास्तव में न्याय कर रहे हैं। इस प्रकार अन्तत: समान अवसर व समानता की अवधारणा को प्रभावी होगी। इसी तरह अगस्त, 1997 से पूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा था और तब तक पदों को भरा जा रहा था। किंतु वह अभियान बंद कर दिया गया, इसलिए यदि आप इन कार्यालय ज्ञापनों पर गौर करें और उन सभी पर निष्पक्षता से विचार करे तो ये कानून की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन सरकार अभी भी उन्हीं पर अड़ी हुई है।

25 फरवरी को प्राधिकारी, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री और यहां तक राज्य मंत्री ने इस पर गहनता से विचार न किया हो किंतु वे उन्हें गुमराह कर रहे हैं और उन्होंने समाज को गुमराह किया है तथा कहते हैं हम इन्हें वापस नहीं लेंगे और न ही इनमें संशोधन करेंगे। यह अनुचित है।

इसलिए, मेरा अनुरोध है कि यह उचित समय है हम इन सभी कार्यालय ज्ञापनों को वापस ले लें और फिर जो भी संरक्षण दिया जाना होगा वह बाद को दिया जाएगा। किंतु आज उन्हें वापस लिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से मेरी यही अपील है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय बूटा सिंह जी ने जो मामला उठाया, उसमें मैं सारे सदन का आदर करते हुए शिवसेना की राय आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा कहना है कि प्रमोशन क्वालिटी के आधार पर होना चाहिए। अगर मुझे ऐसा पता लगे कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है तो मैं काम नहीं करूंगा, किसी को भी यह पता लगे कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है तो वह काम नहीं करेगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेंसी से सब काम होना चाहिए।

महोदय, डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने जो बात रखी थी, उनका आदर करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने रिजर्वेशन के समय यह कहा था कि आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें आप 15 वर्ष तक लीजिए लेकिन उसके बाद योग्यता के आधार पर हक मांगिए। इस तरह अन्य लोगों का हक छीना जा रहा है।

महोदय, मेरा कहना है कि अगर कुछ भी करना हो तो पहले आप बिल लाइए। मैं एलायंस पार्टी का होने के बावजूद भी शिवसेना की बात रखना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* गरीब के पेट का सवाल है, जात-धर्म के ऊपर गरीबी नहीं देखी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)* गफूर जी ने जो बात रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आपकी पार्टी के वक्ता पहले ही बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : निर्दलीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय आप हमें दो मिनट बोलने का मौका दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वह नहीं कर सकता हूं। अनेक निर्दलीय सदस्य भी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के तीन वक्ता पहले ही बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं समझते, माननीय प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए मौजूद हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियम 193 के अधीन चर्चा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : इस तरह से हमारी भावनाएं इस सदन में दबाई नहीं जा सकती हैं। *...(व्यवधान)* यही कारण है कि आज हम लोग सफर कर रहे हैं, आज हमारी बात कोई नहीं सुनता है। *...(व्यवधान)*

प्रो. ओगेन्द्र कवाडे : उपाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कवाडे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दो मिनट, आपके पांच मिनट, इस प्रकार बोलने का कोई अंत नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक सीमा होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब माननीय प्रधान मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा के सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। लगभग ढाई घंटे हो चुके हैं। इसकी भी एक सीमा है। अब, माननीय प्रधानमंत्री।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा के सदस्यों का सहयोग चाहिए। श्री भूरिया, कृपया बैठ जाइए। कृपया सभा की मर्यादा को बनाए रखिए। हर बात की एक सीमा होती है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय प्रधानमंत्री की बात सुनिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह पूर्णकालिक चर्चा नहीं है। श्री भूरिया, यह शून्य काल है। प्रत्येक दल ने अभिवेदन किया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय अपराह्न 2.45 बजे हैं। हमने दोपहर के भोजन के लिए भी सभा स्थगित नहीं की है। क्या आप माननीय प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे?

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने एक पत्रकार, श्री इरफान हुसैन की हत्या के संबंध में एक नोटिस दिया है *...(व्यवधान)* महोदय, आपने कहा था कि इस विषय पर चर्चा समाप्त होने के बाद आप हमें अनुमति देंगे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण सूचना है।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, एक पत्रकार की हत्या हो गई है। मैंने एक नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, एक पत्रकार द्वारा कुमारी ममता बनर्जी का अपमान किया गया था। यह एक गंभीर मुद्दा है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वरिष्ठ सदस्य अपने आप कैसे बोलते जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सभा को कैसे चलाया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम लोग भी नोटिस देने आते हैं। *...(व्यवधान)* हम लोगों को बोलने के लिए समय नहीं मिलता है, हम लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह ऐसा मामला है कि हम इस मामले पर चर्चा रोक कर आपके मामले पर चर्चा करें? आप क्या बात कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, यह गलत धारणा समाप्त हो गई है कि प्रधानमंत्री के जवाब के साथ ही 'शून्य काल' समाप्त हो जाएगा। यदि आप उनको यह बता दें कि प्रधानमंत्री के जवाब के बाद 'शून्य काल' जारी रहेगा, तो कोई समस्या नहीं रहेगी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री जोस, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप शान्त रहिये। इसके बाद जीरो आवर कंटिन्यू होने वाला है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपसे अपील करती हूं कि मुझे प्रधानमंत्री जी के जवाब के बाद बोलने की अनुमति दें। क्या मैं

आपको आद यह दिला दूं कि मैंने एक पत्रकार, श्री इफरान हुसैन की हत्या का मुद्दा उठाने के लिए एक नोटिस दिया था? हम सुबह से उस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रधानमंत्री जी।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): महोदय, मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी किए गए पांच कार्यालय ज्ञापनों जिनसे माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं, के कारण उत्पन्न स्थिति पर मंत्रिमंडल पहले ही विचार कर चुका है। मंत्रिमंडल ने यह पाया कि उक्त पांच कार्यालय ज्ञापन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 1997 में तत्कालीन मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात् जारी किए थे।

विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों एवं सदन में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले ही इन ज्ञापनों की पुनरीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रधानमंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इनमें से दो ज्ञापन इस समय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं। हम संसद सदस्यों की एक ऐसी समिति के गठन का स्वागत करेंगे जो इस विषय पर विचार कर सके और इस संबंध में सरकार की सहायता कर सके। सरकार अब तक अपनाई जा रही आरक्षण व्यवस्था को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है और यदि ऐसा करने के लिए आवश्यक हुआ तो संविधान में संशोधन करने हेतु एक कानून बनाने के लिए भी तैयार हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुमारी ममता बनर्जी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.47 बजे

इस समय, श्रीमती उषा मीणा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुमारी ममता बनर्जी। मैंने उन्हें बोलने के लिए कह दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जायें। श्री बूटा सिंह, कृपया अपने स्थान पर वापस जायें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.49 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.33 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.33 बजे पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए)**

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.33$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे दो घोषणाएं करनी हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज की कार्यसूची में दिये गए नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.35 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानंद स्वामी (मछलीशहर): महोदय, शासन की नीति के अनुसार देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय की स्थापना होनी है। उत्तर प्रदेश में प्राय: सभी जनपदों में नवोदय विद्यालय स्थापित हो चुके हैं। शिक्षा की दृष्टि से नितान्त पिछड़ा जनपद प्रतापगढ़ अभी इस सुविधा से वंचित है।

मैं प्रतापगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए भारत सरकार से मांग करता हूं कि वहां नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(दो) उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर-अम्बेडकर नगर-आजमगढ़-जौनपुर राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री इन्द्रजीत मिश्र (खलीलाबाद): महोदय, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जिसमें सिद्धार्थ नगर, सन्त कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में सड़क की हालत बहुत ही खराब है। उत्तर प्रदेश शासन अपने सीमित साधनों से मार्गों को बनवाने का प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद वांसी (सिद्धार्थनगर) जौनपुर का सीधा सम्पर्क मार्ग उपेक्षित पड़ा हुआ है।

अत: हम सरकार से मांग करते हैं कि वांसी (सिद्धार्थ नगर), सन्त कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें तथा सरयू नदी के बिडहर घाट पर पुल बनाकर सीधा रास्ता प्रशस्त करें, जिससे इन जिलों का विकास सम्भव हो सके।

(तीन) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की देय शेष धनराशि को जारी किए जाने की आवश्यकता

डा. महादीपक सिंह शाक्य (एटा): परिवार कल्याण कार्यक्रम भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार के सहयोग से चलाया जाता है, जिसमें खर्च होने वाला धन 20 प्रतिशत राज्य सरकार और 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है। उत्तर प्रदेश में धन के अभाव के कारण यह कार्य पूर्ण रूप से चलाने में वहां की सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि केन्द्र सरकार ने अब तक अपने हिस्से की राशि राज्य सरकार को नहीं दी है। निर्धारित योजना के अनुसार चालू वर्ष 1998-99 के आरम्भ में 330,84.32 लाख रुपए केन्द्र सरकार पर अवशेष थे, जिसमें 12500 लाख रुपए प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुके हैं और 20584.32 लाख रुपए अभी शेष हैं, जिसके कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त अवशेष राशि को उत्तर प्रदेश राज्य को तुरंत भेजा जाए।

(चार) शिकोहाबाद-बटेश्वर राजमार्ग पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र (फिरोजाबाद) के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में शिकोहाबाद-बटेश्वर मार्ग पर दिन-प्रतिदिन रेल द्वारा दुर्घटना होती रहती है और बटेश्वर मार्ग पर घंटों के लिए वाहनों की कतारें लग जाती हैं तथा रास्ते में जाम लग जाने से कई महिलाओं की डिलीवरी की समस्याओं से अस्पताल समय से न पहुंचने से उनके रास्ते में ही आकस्मिक निधन हो चुके हैं। इसलिए रेल मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि शिकोहाबाद बटेश्वर मार्ग पर "ओवरब्रिज" बनाने की स्वीकृति प्रदान करें जिससे क्षेत्रीय समस्या का समाधान हो सके और आए दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं भी न हो सकें।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा में तेल और प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए नौवीं योजना में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा): यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि आठवीं योजना में उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के उपतटीय क्षेत्र में ऑयल इंडिया कम्पनी द्वारा आरम्भ किया गया तेल का दोहन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। महानदी के बेसिन और अपतटीय बंगाल की खाड़ी में तेल के दोहन हेतु आठवीं योजना में 70 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। इसके अनुसार, राज्य में ग्यारह स्थानों पर तेल कुओं की खुदाई का कार्य आरम्भ किया गया था। लेकिन अचानक ऑयल इंडिया ने खुदाई का कार्य अधूरा छोड़ दिया। इसी प्रकार के प्रयास

*सभा पटल पर रखे गए।

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

पिछले वर्ष आयल इंडिया के अधिकारियों द्वारा किये गए थे। लेकिन तत्कालीन तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के हस्तक्षेप पर उन्होंने कुएं खोदने का कार्य जारी किया। तत्कालीन मंत्री के तेल के दोहन को जारी रखने और आयल इंडिया के कार्यालय को भुवनेश्वर से स्थानान्तरित न करने का भी वायदा दिया।

यह चिन्ता का विषय है कि तेल के दोहन को रोक दिया गया और सरकार द्वारा कार्यालय को भुवनेश्वर से स्थानान्तरित करने की अनुमति दी गई। जब भारतीय भू सर्वेक्षण ने अपतटीय-तटीय बंगाल की खाड़ी और महानदी बेसिन में भी तेल एवं प्राकृतिक गैस के भण्डार प्रचुर मात्रा में पाए थे। जब ऑयल इंडिया और अन्य तेल कम्पनियां महाराष्ट्र, गुजरात, असम और तमिलनाडू जैसे अन्य राज्यों में तेल के दोहन पर अधिक बल दे रही थी उड़ीसा में तेल दोहन के कार्य को रोक दिया गया। ऑयल इंडिया के कार्यालय को भुवनेश्वर से स्थानान्तरित करने के भी प्रयास किये जा रहे थे। यदि राज्य में सुव्यवस्थित तरीके में तेल दोहन कार्य को किया जाता तो राज्य से लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने के अतिरिक्त ऑयल इंडिया कम्पनी तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि करने में समर्थ होती। राज्य भी बहुत अच्छी प्रगति कर सकेगा।

इस हैसियत से मैं मांग करता हू कि नौवीं योजना में तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन हेतु उड़ीसा के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऑयल इंडिया कार्यालय को भुवनेश्वर से स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए।

(छह) महाराष्ट्र राज्य में अनन्य महिला डेयरी सहकारी समितियों के गठन हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री मदन पाटील (सांगली): महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से पूरे राज्य में पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित महिला डेयरी सहकारी समितियों के बनाए जाने और विकास करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली एक परियोजना रिपोर्ट को तैयार किया है और प्रस्तुत किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य सरकार को उसकी स्तर-वार कार्यक्रम परियोजना तैयार करने के लिए कहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने उसकी स्तर-वार योजना तैयार की है। पहली स्तर पर नासिक, सांगली, बीड, ओसमानाबाद, नांदेड, लातूर; बुलडाना और कारवा नामक आठ जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इन जिलों में 17 तालुका/जिला दूध महासंघ है जो इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगी। यह परियोजना तीन वर्षों के लिए है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए 90% अनुदान देने की मंजूरी दी है।

दूसरे स्तर पर औरंगाबाद, अहमदनगर, शोलापुर और सितारा नामक चार जिलों के लिए 4.9 करोड़ रुपये का प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय है। इन जिलों में लगभग 133 महिला डेयरी सहकारी समितियों को नियोजित और विकसित किए जाने की अपेक्षा है और लगभग 9975 ग्रामीण महिला दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक लाभ और विशेष विकास गतिविधियों के रूप में लाभान्वित होने की संभावना है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में राज्य सरकार की अपेक्षित परिव्यय योजना को मंजूरी दें।

(सात) आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर में 'इफको' द्वारा यूरिया उर्वरक परियोजना को स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक (नेल्लोर): महोदय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने योजना आयोग को आन्ध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में अमोनिया यूरिया उर्वरक परिसर की स्थापना के लिए 'इफको' के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश की। परियोजना प्राधिकारियों ने बताया कि उनकी अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं को आमंत्रित करने सहित पूर्व परियोजना गतिविधियां पूरी हो गई हैं।

मुख्य मंत्री ने 1 जनवरी, 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री के समक्ष मामला उठाया था। सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 1998 को हुई अपनी बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना था।

महोदय, काफी लम्बे समय से यह मामला भारत सरकार के पास लम्बित पड़ा है और इस संबंध में केन्द्र सरकार को कई स्मरण पत्र दिये जाने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि वह शीघ्र कार्यवाही करे और नेल्लोर में 'इफको' द्वारा यूरिया उर्वरक परियोजना लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दें।

(आठ) पश्चिम बंगाल में सियालदाह और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शताब्दी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदय, दार्जिलिंग हमारे देश के सबसे अच्छे हिल्स स्टेशनों में से एक है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दो प्रकार के पर्यटक वर्ष भर दार्जिलिंग हिल स्टेशन पर आते हैं। इतना ही नहीं विकास की दृष्टि से दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी कलकत्ता के बाद आता है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सिलीगुड़ी को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। हिन्दुस्तान लीवर ने पहले ही अपनी फैक्टरी वहां लगा ली है और उसने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। अन्य औद्योगिक घराने भी आगे आ रहे हैं लेकिन कलकत्ता और सिल्लीगुड़ी के बीच संचार अत्यधिक खराब स्थिति में है। वहां कोई दैनिक और नियमित विमानसेवा नहीं है। दार्जिलिंग मेल नामक एक छोटी रेल है जो कलकत्ता से न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने में लगभग 17 घन्टे लगाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि सियालदाह और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शताब्दी रेलगाड़ी शुरू की जाए जिससे इस क्षेत्र में अधिक पर्यटक आएंगे और औद्योगिक विकास में भी सहायता मिलेगी।

(नौ) अडूर और पेराम्बूर दूरदर्शन रिले केन्द्रों से मलयालम कार्यक्रमों की प्रसारण अवधि बढ़ाने और केरल में कोट्टारकारा में एक रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगारा सुरेन्द्रन (अडूर): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अडूर और पेराम्बूर में दो दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र हैं। वहां से विशेषकर मलयालम भाषा में प्रतिदिन दूरदर्शन कार्यक्रम शाम 8 बजे तक ही प्रसारित किया जाता है। अत: लोग उन केन्द्रों से दूरदर्शन के कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। यदि मलयालम सहित दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के समय को बढ़ाकर पूरे समय तक कर दिया जाए तो लोग अधिकतम मनोरंजन प्राप्त करेंगे।

आजकल इन दूरदर्शन केन्द्रों से शाम 8 बजे के बाद अपनी ड्यूटी समाप्त करके जा रहे हैं। इन केन्द्रों पर पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं अत: अधिक कर्मचारियों को शीघ्रता से लगाना बेहतर होगा. तभी दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रभावशाली ढंग से प्रसारण किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त कोट्टारकारा केन्द्र जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है वहां शीघ्र एक और दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र खोला जाना चाहिए। इस मामले के संबंध में मैंने सरकार से पहले भी अनुरोध किया था लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले की छानबीन करें।

(दस) ग्रामीण उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए रसोई गैस आपूर्ति प्रणाली का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): सभापति जी, लकड़ी की कमी और केरोसीन तेल की कीमतों में निरन्तर बेतहाशा बढ़ोत्तरी ने देश के ग्रामीण अंचलों में तरल पेट्रोलियम गैस का उपयोग रसोई घर में करने को विवश कर दिया है और आज देश के ग्रामीण अंचलों में एल.पी.जी. का रसोई घर में उपयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है, किन्तु ग्रामीण उपभोक्ता के सामने वर्तमान एल.पी.जी. की सप्लाई के लिए स्थापित व्यवस्था से कठिनाई आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के एल.पी.जी. वितरक, ग्रामीण उपभोक्ता की पहुंच के आसानी में नहीं है। कहीं-कहीं तो 10–15 किलोमीटर तक चल कर उपभोक्ता को गैस सिलेंडर मिल पाता है और वह भी अनेकों बार चक्कर लगाने पर। एल.पी.जी. सिलेंडर की उपलब्धता में दिक्कत के कारण भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान वितरण व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करे और अब मोबाइल सप्लाई व्यवस्था प्रारम्भ करे ताकि उपभोक्ता को सुनिश्चित और सरलता से गैस सिलेंडर प्राप्त हो सकें।

[अनुवाद]

(ग्यारह) महाराष्ट्र के अंधेरी विधान सभा क्षेत्र में मारोल में समस्त सुविधायुक्त डाक और तारघर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): मुम्बई उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक विधान सभा सीट है जिसे अंधेरी कहा जाता है. जिसमें मारोल नाम का एक गांव है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें कोई उपयुक्त डाकघर नहीं है।

[श्री मधुकर सरपोतदार]

मारोल, जिसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख है, में एक परिपूर्ण डाक तथा तार घर की आवश्यकता है। इस गांव के निवासी एक उपयुक्त डाक-घर की अनुपलब्धता के कारण कठिनाईयों तथा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यहां के निवासियों को (इस सुविधा हेतु) छः किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

जनसंख्या के घनत्व, व्यापारिक गतिविधियों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक परिसर और इस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए आज डाक सेवाएं बहुत आवश्यक हैं।

एम.टी.एन.एल. ने इस क्षेत्र में एक दूरभाष केन्द्र स्थापित किया है। हालांकि संचार मंत्रालय ने अभी तक एक परिपूर्ण डाक-घर की सुविधा प्रदान नहीं की है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस महती आवश्यकता पर विचार करें और तत्काल यह सुविधा प्रदान करें।

(बारह) केरल के मलापुरम जिले में पोन्नई मत्स्य पत्तन के विकास हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): केरल के मलापुरम जिले में पोन्नई मत्स्यन बंदरगाह के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है जो कि काफी लम्बे समय से लम्बित है। मत्स्यन बन्दरगाह बहुत दयनीय स्थिति में है और मछुआरे जो कि समाज का सबसे अधिक कमजोर वर्ग है, को इसके विकास तथा आधुनिकीकरण के मामले में अधिक विलम्ब होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योजनाएं तथा परियोजनाएं काफी समय से सरकार के पास लम्बित पड़ी है। इन कानूनी बारीकियों के कारण यह अत्यावश्यक कार्य नहीं रुकना चाहिए। मैं एक के बाद एक आने वाली सरकारों के साथ भी यह मामला उठाता रहा हूं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह पोन्नई मत्स्यन बंदरगाह के विकास का कार्य अविलम्ब आरम्भ करे।

अपराह्न 3.34 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समय-सूची का अनुपालन करने की आवश्यकता के संबंध में टिप्पणी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसाकि आपको ज्ञात ही है कि शुक्रवार को अंतिम ढाई घंटे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आबंटित किया जाता है इस ढाई घंटे के समय का सदुपयोग हर तीसरे सप्ताह विधेयकों और संकल्पों पर विचार करने के लिए किया जाता है। बैलट के आधार पर विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए निर्धारित बैठक में सभा द्वारा विचार किये जाने के लिए केवल चार विधेयकों और तीन संकल्पों को सूची में शामिल किया जाता है। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति किसी विधेयक अथवा संकल्प पर चर्चा के लिए सामान्यतः दो घंटे का समय आबंटित करती है। तथापि, यह देखा गया है कि इस दो घंटे की समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है और सभा को लगभग प्रत्येक मामले में समय बढ़ाना पड़ता है। ऐसे भी अवसर आए हैं जब किसी विधेयक अथवा किसी संकल्प पर चर्चा पांच घंटे या उससे अधिक समय तक चली है। परिणामस्वरूप, वे सदस्य जिनके विधेयक या संकल्प कार्यसूची में अगली पूर्विकता के रूप में सम्मिलित होते हैं, अपने विधेयकों अथवा संकल्पों को पेश करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। इसके फलस्वरूप केवल कुछ ही विधेयकों और संकल्पों पर सभा में चर्चा हो पाती है।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 296 में यह प्रावधान है कि विधेयकों और संकल्पों के संबंध में समिति द्वारा नियत किया गया समय सभा द्वारा यथानुमोदित रूप में प्रवृत्त होगा जैसे कि वह सभा का आदेश हो। अनेक सदस्य समय-समय पर अनुरोध करते रहे हैं कि नियम के प्रावधानों का वास्तविक रूप से पालन हो।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अधिक से अधिक सदस्यों को अपने विधेयकों अथवा संकल्पों को प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने के प्रयोजन से, मेरा प्रस्ताव है कि अब से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति द्वारा सिफारिश किए गए तथा सभा द्वारा नियत किए गए समय का कड़ाई से पालन होना चाहिए तथा किसी भी दशा में समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मैं सदस्यों से समय-सूची का पालन करने की आवश्यकता पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं तथा सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपने भाषण संक्षिप्त में दें। *...(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अपराह्न 3.36 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के संबंध में समिति के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. सैफुद्दीन सोज।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि यह सभा क्रमश: 10 और 17 मार्च, 1999 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा क्रमश: 10 और 17 मार्च, 1999 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर वापस जायें। यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जायें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी ने पहले ही अपना वक्तव्य दे दिया है। इस मामले को उठाने के अन्य तरीके भी हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 12 अप्रैल, 1999 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 12 अप्रैल, 1999/22 चैत्र, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/9/18/99 (एन०)
220

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।